छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2026

(फाल्गुन 21, शक सम्वत् 1947)

[अंक 09]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 1799) श्री किरण देव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत जीरम व्हाया एलेंगनार-उरकापाल कांदानार सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हाँ तो कब ? सड़क की कुल लंबाई एवं संभावित व्यय कितना था ? प्रशासकीय स्वीकृति एवं टेंडर कब जारी किया गया ? कार्यादेश किस कंपनी/फर्म को प्रदान किया गया ? फर्म के नाम पता सहित बतावें? (ख) क्या प्रश्नांश 'क' के निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में आवश्यक समस्त प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हो सके थे? यदि हां तो कौन-कौन से कार्य के प्रस्ताव किन कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके थे? प्रस्ताव सम्मिलित करने से प्राक्कलन में हुई बढ़ोतरी तथा मद, जिससे अतिरिक्त राशि प्रदान की गई, का विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें? (ग) क्या उक्त सड़क के निर्माण कार्य को दो भागों में बांटा गया है? यदि हां, तो भाग एक एवं भाग दो हेतु कितनी-कितनी लम्बाई की तथा कहां से कहां तक की सड़क के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति कब-कब प्रदान की गई ? (घ) क्या सड़क के भाग 'ख' हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की गई ? यदि हां तो कार्यादेश किस कंपनी/फर्म को प्रदान किया गया ? कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि बतावें? कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) जी हां, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत जीरम व्हाया एलेंगनार-उरकापाल कांदानार सड़क के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10.01.2023 को प्रदान की गई है। सड़क की कुल लंबाई 18.00 किलोमीटर एवं संभावित व्यय रूपये 1460.60 लाख था। प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10.01.2023 एवं टेंडर दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया। कार्यादेश विनोद सिंह राठौर, मेन रोड मस्तानपारा सुकमा, जिला सुकमा को प्रदान किया गया है। (ख) जी हां, प्रश्नांक "क" के निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में आवश्यक समस्त प्रस्ताव

सम्मिलित नहीं हो सके थे। उक्त सडक नक्सल प्रभावित झीरम क्षेत्र को कोलेंग क्षेत्र से जोड़ती है। उक्त सड़क दुर्गम पहाड़ी एवं घोर नक्सली क्षेत्र होने के कारण पूर्व में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना संभव नही था, साथ ही उक्त सड़क आरक्षित वन भूमि में होने के कारण एलाईनमेंट में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सीसी सड़क, टो-वॉल, नाली, पुल-पुलियों एवं घाट कटिंग के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हुई। अतिरिक्त शेष कार्य हेतु राशि 559.69 लाख की स्वीकृति जिला खनिज न्यास निधि मद जिला सुकमा से प्रदान की गई है। (ग) जी नहीं, झीरम व्हाया एलेंगनार-उरकापाल कांदानार सड़क निर्माण के कार्य को दो भागों में नहीं बांटा गया। अपितु कुछ कार्य के भाग को अतिरिक्त कार्य के रुप में स्वीकृति प्राप्त की गई। मूल स्वीकृति झीरम से कांदानार तक 18.00 किमी. बी.टी. सतह तक स्वीकृत थी। स्थल में परिवर्तन एवं अन्य कारणों की वजह से उक्त राशि में 18.00 किमी. का कार्य संभव नहीं था, इसलिए मूल स्वीकृति अनुसार पूरी लंबाई में जीएसबी स्तर तक कार्य किया गया एवं झीरम से एलेंगनार तक 0 किमी. से 11.10 किमी. में बी.टी. एवं अन्य कार्य प्रस्तावित किये गये, शेष लंबाई में एलेंगनार उरकापाल से कांदानार तक 11.10 किमी. से 18.00 किमी. (6.90 किमी.) के लिए जीएसबी, स्तर से उपर के कार्य एवं पुल-पुलिया, रिटेनिंग वॉल एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति जिला खनिज न्यास निधि मद जिला सुकमा से प्राप्त की गई। मूल स्वीकृति दिनांक 10.01.2023 को रु. 1460.60 लाख तथा अतिरिक्त कार्य हेतु दिनांक 18.01.2025 को रु. 559.69 लाख प्राप्त की गई। (घ) जी हां भाग "ख" हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की गई है। कार्यादेश रामशरण सिंह प्रोजेक्ट, एलएलपी, शांती नगर जिला सुकमा को प्रदान किया गया है। भाग "ख" हेतु अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि दिनांक 20.11.2026 तक निर्धारित है। कार्य दिनांक 20.02.2026 से प्रारंभ कर दिया गया है।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय के किये गये प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जो कि विषय जगदलपुर विधान सभा के अंतर्गत है लेकिन जिला दंतेवाड़ा जिला है। इसलिए यह प्रश्नाधीन विषय सुकमा जिला का है, क्षमा करेंगे। जीरम घाटी से एलेंगनार एक दूरस्थ अंचल है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां से उरकापाल कांदानार तक 18 किलोमीटर की सड़क है। इस सड़क की दृष्टि से माननीय मंत्री जी जवाब आया है। प्रारंभ में 1460.60 लाख रुपये का व्यय संभावित बताया गया था। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10.01.2023 को एवं टेंडर दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में ये भी कहा है कि उक्त नक्सल मार्ग घोर नक्सल प्रभावित होने तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण हेतु तैयार डी.पी.आर. में सीसी सड़क, टो-वॉल, नाली, पुल-पुलियों का निर्माण एवं घाट कटिंग जैसे कार्यों का विस्तृत सर्वे नहीं किया गया। बिना सर्वे के सारे ए.एस., टी.एस. स्वीकृति से लेकर सारा टेंडर तक जारी हो गया। ये डी.एम.एफ. से जिला सुकमा से अतिरिक्त कार्य के लिये जो अतिरिक्त सेंक्शन हुआ, वह 559.69 लाख रुपये की 18.01.2025 को तीन साल के बाद सेंक्शन हुआ। इस पर जब बार-बार संज्ञान लिया गया, बातचीत की गई और

संबंधित उसके जितने भी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार से लेकर सभी से लगातार 2 वर्षों तक इसकी बातचीत होने के बाद 18.01.2025 को तीन साल के बाद के बाद इसको स्वीकृति दी गई। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में इस 18 किलोमीटर की सड़क जिसका टेंडर 30.01.2023 को हुआ और कार्यादेश जिस ठेकेदार को दिया गया, उसके द्वारा इन 3 वर्षों में कितना काम किया गया? इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया और इसमें ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण करना था?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब आने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, उसके संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी दी है। यह जो 18 किलोमीटर तक की सड़क बनना था, नक्सलवाद होने के कारण से उसका जो प्रारंभिक सर्वे होना था, वह सर्वे नहीं हो पाया। उसके कारण से जो घाट सेक्शन है और जितने भी कार्य उन क्षेत्रों में होने थे, नाली निर्माण इत्यादि के कार्य होने थे, वह कार्य हो नहीं पाया। और वर्तमान में जो स्थिति है, चूंकि डी.एम.एफ. की राशि से भी उन कार्यों को उसमें चिन्हांकित किया गया और उस कार्य को पूरा कराने की दृष्टि से ताकि वह कार्य वहां पर पूर्ण हो सके। आपकी भी उसमें मंशा है कि जल्द से जल्द वह कार्य पूरा हो जाये। क्योंकि 1 जनवरी 2023 का मामला है। उसके तहत में जो राशि वहां पर दी गई, उस राशि के तहत में 03 वर्षों में अर्थ वर्क और जी.एस.बी. तक का कार्य हुआ था और लगभग 4 करोड़ 23 लाख रूपये इसमें भुगतान हुआ है, लगभग 8 करोड़ रूपये की राशि अभी उस योजना के तहत् में अभी वहां पर है और जो डी.एम.एफ. की राशि है वह भी उसमें है और उसके भी टेंडर हो चुके हैं, उसके भी कार्यादेश जारी हो चुके हैं और उसका भी कार्य अभी प्रारंभ है तो मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको मतलब इस वित्तीय वर्ष नहीं, एक वर्ष के भीतर में हम उस कार्य को पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह दो बातें हुई हैं । एक मिनट । माननीय मंत्री जी, आपने जो बात कही है कि एक वर्ष के भीतर पूरा करने की कोशिश करेंगे यह आश्वासन अनक्लियर है । एक वर्ष में पूरा करेंगे बोलेंगे और जब समय ले रहे हैं तो फिर उसमें क्या कोशिश होती है ? एक वर्ष में हो जायेगा, बोल दीजिये ।

सभापति महोदय :- एक-बार किरण जी पूछ लें ।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि वर्तमान में जो मेरी जानकारी है और बातचीत से, समस्त अधिकारियों से कि इसको अब 2 टेंडर में विभाजित किया गया है, दो भाग में । पूर्व में जो प्रथम भाग में जो टेंडर जारी हुआ था और जिसके कार्य की स्वीकृति हुई थी और उत्तर में भी आया है कि 18 किलोमीटर में जो जे.एस.बी. ग्रेन्यूल सब बेस का कार्य किया गया है। वह केवल मिट्टी डालने और 4 किलोमीटर में मुरूम डालने का कार्य और पुलिया निर्माण का

काम किया गया है । अब 4 साल में 4 बरसात वह सड़क खा चुकी है, पी चुकी है क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है तो पहले ही वर्ष में जब यह मुरूम और मिट्टी डालने का काम किया गया तो वर्षा ऋतु आने पर वह पूरा मुरूम और मिट्टी क्योंकि उसके बाद का काम उसमें नहीं किया जा सका और पार्ट-पार्ट में काम देने के कारण इतनी समयावधि हो गयी, इसमें 4 वर्ष हो चुका । मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं, चूंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है । यह दूरस्थ अंचल है, जगदलपुर विधानसभा के अंतिम छोर का मामला है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि वह ऐसी जगह है कि वहां पर सबसे ज्यादा सड़क की आवश्यकता है तब जाकर वहां पर बच्चों के लिये प्राथमिक शाला या विद्युत की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचेंगी तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़क निर्माण में जो भी दिक्कतें हैं । I have all the Properties. All the Documents.

सभापति महोदय :- आप क्या चाहते हैं ?

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में टेंडर की प्रक्रिया किस स्थिति में है ? और उसका काम कब से प्रारंभ होगा और कितने समय में वह समाप्त हो जायेगा और इसके अलावा क्योंकि दूरस्थ अंचल कहते जरूर हैं लेकिन यह जगदलपुर विधानसभा का ही एक हिस्सा है । अंतिम छोर है, सुकमा जिला में आता है तो कम से कम इसमें अधिकारियों की एक टीम तैयार हो जो कि वहां के कार्यों की समीक्षा, प्रगति के बारे में वरना वहां पर यही 4 साल हुआ है फिर 4 साल और हो जायेगा तो इसका कब तक, वहां पर जितनी भी कठिनाईयां हैं उनको दूर करके निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो ताकि वहां के लोगों को इस मार्ग के माध्यम से सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं वहां तक पहुंच सकें, उसकी सुविधायें उनको प्राप्त हो सके ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय किरण देव जी ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित तौर पर बहुत ही वाजिब है और लंबे समय से उस योजना के पूर्ण होने का इंतजार वहां के लोग कर रहे हैं और सरकार की भी मंशा है कि उस कार्य को तत्काल पूरा किया जाये और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में भी बताया कि चूंकि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से उस क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होना चाहिए, उस तरीके से कार्य नहीं हो पाया है और चूंकि वह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है और फॉरेस्ट एरिया भी है तो उसके कारण एलाइनमेंट में जो परिवर्तन आया उसके कारण उसमें जो एडिशनल कार्य की आवश्यकता पड़ी । जिसमें सी.सी. सड़क है, टो-वॉल, नाली, पुल-पुलियों का निर्माण है और घाट कटिंग है इन सब चीजों के कारण से उसमें अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हुई और उसके तहत् डी.एम.एफ. की राशि के माध्यम से लगभग 5 करोड़ 59 लाख रूपये उसमें स्वीकृत भी किया गया और हमने उसका टेंडर भी कर दिया है और उसमें कार्य प्रारंभ भी हो गया है । जहां तक 18 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें कार्य को जो ठेकेदार के माध्यम से समय-सीमा में

पूरा नहीं किया गया, उसको पूरा करना था लेकिन उसने पूरा नहीं किया और उसके कारण से जो विलंब हुआ, हम उसको समय-सीमा में ...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप डिटेल बता रहे हैं माननीय सदस्य की जो चिंता है, इसमें वैसी डिले हो गया है, उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो और उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हों।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मुझे चिंता इस बात की है कि समय-समय पर 4 वर्षों में विशेषकर इन ढाई वर्षों में मैं इस कार्यकाल की बात करूं। जब बार-बार पता लगाकर, यह मामला वही का वही है ? तो इसको एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए क्योंकि दो-ढाई महीने के बाद यह फिर पांचवा बरसात आ जाएगा और वहां फिर काम रूक जाएगा और फिर मिट्टी बह जाएगी। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि इस पर एक टीम गठित करके, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वहां उसकी मॉनिटरिंग हो और वहां पर काम की शुरूआत हो। यह सारी जानकारियां सही हो जाएगी, जो गलत जानकारी आती है इससे क्या होता है कि यह काम वैसी...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय किरण देव जी ने जो प्रश्न उठाया, उसमें निश्चित तौर पर विभाग पूरी तरीके से गंभीर है और मैं सदन को आश्वास्त करता हूँ कि आने वाले 20 दिनों के भीतर, वहां पर हमारे एक उच्च स्तरीय अधिकारी जाकर स्थल का अवलोकन करेंगे और वहां जाकर संबंधित कार्य के लिए जो भी दिशा-निर्देश होगा, जिसमें एक्शन लेने की बात होगी, उस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

<u>अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार मौतें</u>

[गृह]

2. (*क्र. 1917) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में 01/01/2024 से 14/02/2026 तक कितनी सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई? घटित दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौतें हुई एवं कितने लोग घायल हुए? विधानसभावार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या वर्ष 2025 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घटित सड़क हादसों में विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? (ग) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रश्नाधीन अवधि की विधानसभावार जानकारी संशोधित "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हॉ। सड़क हादसों का कारण तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चालन है। (ग) प्रयास-(01) यातायात नियमों के बारे में जन-जागरूकता अभियान का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। (02) समस्त दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, लाईट, रेडियम, रंबल स्ट्रीप, रोड मार्किंग,सांकेतिक बोर्ड लगाया गया है। (03) विशेष अभियान चलाकर तीन सवारी, मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चालन, बिना हेलमेट,बिना सीट बेल्ट, तेजगति वाहन चालन, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने वालों के खिलाफ लायसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को लगातार जानकारी भेजी जा रही है। (04) अत्यधिक दुर्घटनाजन्य क्षेत्र से लगे गांवों का चिन्हांकन कर 1033 सड़क सुरक्षा मितान बनाए गये हैं। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लगभग 10,000 व्यक्तियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। (05) विशेष अभियान चलाकर आम लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट उपयोग की जानकारी व उपहार कार्यक्रम का आयोजन कर लगभग 2200 हेलमेट निःशुल्क वितरण किया गया है। (06) सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 3000 आवारा मवेशियों के गले में गौरक्षक रेडियम पट्टी पहनायी गयी है। जिससे रात्रि के समय वाहन चालकों को मवेशी दिखाई दे सके। (07) राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों को पारितोषिक एवं शासन द्वारा केशलेस उपचार योजना का प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं के विषय में पूछा था, जहां मैंने अपने प्रश्न के "ख" में स्पेसिफिक पूछा था कि क्या वर्ष 2025 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घटित सड़क हादसों में विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?उसका जवाब स्पेसिफिकली नहीं आया है कि पिछले 2 सालों में वहां पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने का कारण क्या हो रहा है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय जी ने जो जानकारी चाही थी कि सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए और उनकी किन कारणों से मृत्यु हो रही है ? स्वाभाविक है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण और उसके बाद वाहनों में वृद्धि और लोगों की लापरवाही के कारण से है और इन कारणों से जो घटना घटित होती है और उसमें लोगों की मृत्यु भी होती है और लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं तो इसमें कैसे कमी हो, इस पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है और उस कोशिश की बदौलत आने वाले समय में और स्थितियां बेहतर होंगी, इसके लिए हमारी लगातार कोशिश है। आपने प्रश्न देखा होगा और मैंने प्रश्न के उत्तर में यह कहा भी है कि जो मृत्यु दर है, वह वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में बहुत कम हुआ है तो हमारी यह कोशिश है कि यहां डेथ रेश्यो कैसे कम हो और हम किसी तरीके से व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ करें ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री महोदय जी, मैंने अकलतरा का स्पेसिफिक सवाल किया है और जांजगीर का भी पूछा था मेरे यहां वर्ष 2024 और वर्ष 2025 डेथ में इजाफा हुआ है, यह कम नहीं हुआ है। यह आप ही का जवाब है वर्ष 2024 में 76 मृतक और वर्ष 2025 में 89 मृतक हैं और मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि वर्ष 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक) जब तक जानकारी दी हुई है मेरे यहां पर 13 मृत्यु हो चुकी है, यह आपके जवाब में ही आया है अगर अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसका स्पेसिफिक कारण क्या है ? तो वहां ज्यादा मृत्यु लगातार तुलनात्मक तौर पर बढ़ती जा रही है। जैसे आपने जवाब में कहा कि मृत्यु दर कम हुई है मेरे यहां वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में वृद्धि है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो उत्तर दिया, वह पूरे प्रदेश स्तर का था। प्रदेश स्तर में जो डेथ रेश्यो है, वह कम हुआ है। जहां तक आपने जानकारी मांगी है मैंने उसमें उपलब्ध करवाया है और इसके लिए हमारी लगातार कोशिशें जारी हैं लगातार हमारे विभाग के माध्यम से जनजागरूकता के कार्यक्रम कराये जा रहे हैं, जहां स्कूल, कॉलेज हैं वहां यातायात प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है हेलमेट रैली निकाली जा रही है, जनजागरूकता रैली निकाली जा रही है, नुक्कड़ नाटक और हमारी सरकार के द्वारा ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराये जा रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपके जवाब में जो आया है जैसे आपने कहा कि यहां मृत्यु दर कम हो रही है, लेकिन हमारे यहां अकलतरा में तुलनात्मक ज्यादा हो रही है, यह आपके जवाब में ही है। आपके जवाब में यह आया है कि हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, हम ड्रिंक एण्ड ड्राईव, बाकी चीजों में कर रहे हैं। मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल यह है कि इस दौरान कितने हैवी वाहनों पर और कितने छोटे लाईट मोटर व्हिकल पर ड्रिंक एण्ड ड्राईव की कार्यवाही की है ? यह मेरा स्पेसिफिक सवाल है, फिर मेरा एक और सवाल है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास में जो पूरी जानकारी है, उसमें Drink and Drive और Heavy Vehicle की जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, आपने Heavy Vehicle और Light Vehicle की बात की ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है ।

सभापति महोदय :- अभी आपने जो पूरक प्रश्न पूछा, वह Heavy Vehicle और Light Vehicle के संबंध में है । मंत्री जी विभाग से जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा इसमें स्पेशिफिक सवाल है। जैसा कि प्रश्न का जवाब आया है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें आंकड़ा नहीं आया है कि हम कितनी कार्रवाई Heavy Vehicle पर और कितनी कार्रवाई Light Motor Vehicle पर कर रहे हैं । क्या यह

सही नहीं है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति और राज्य सड़क सुरक्षा समिति में यह बात गई है कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर नहीं होने की वजह से मौंत का आंकड़ा ज्यादा है और दूसरा, जब ये आंकड़ा आप मुझे उपलब्ध कराएंगे तो कृपया इस ओर भी मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में 15-20 दिन पहले 3 ट्रेलर के बीच में बहुत ही भयावह हादसा था, मैंने कल भी इस बात को कहा था । 3 ट्रेलर आपस में भीड़े, जिसमें दो ड्राईवर्स की अंदर जलकर मौत हो गई । उसमें एक आंकड़ा यह सामने आया कि उसमें एक भी हेल्पर अंदर नहीं था और उनकी फिटनेस तक नहीं थी । तो इन सारे मामलों की लगातार हम चौकी लगाकर क्या जांच करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, जो कार्रवाईयां की गई हैं, उसके संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहूंगा । पूरे प्रदेश में जितने प्रकरण बने, उसमें 2024 में लगभग 6,12,000 प्रकरण बने ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न स्पेशियली अकलतरा का है और आंकड़े भी अकलतरा और जिला जांजगीर-चांपा के हैं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जिला जांजगीर-चांपा में 2023 में लगभग 29104 और 2024 में 239204 और 2025 में 41615..

सभापति महोदय :- आप प्रदेश का बता रहे हैं न ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जांजगीर जिला और अकलतरा का ही है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं जांजगीर का बता रहा हूं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे स्पेशिफिक सवाल है कि जिला की जो सड़क सुरक्षा समिति है और राज्य की सड़क सुरक्षा समिति माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बनी हुई है । क्या इसमें यह जानकारी नहीं दी गई है कि ट्रामा सेन्टर न होने की वजह से Death का रेश्यो अकलतरा विधान सभा में ज्यादा है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है कि वहां पर ट्रामा सेन्टर या फिर जो सुविधा होनी चाहिए । मैं बताना चाहूंगा कि उसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है । अभी जांजगीर जिला में 357 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, राज्य की जो सड़क सुरक्षा समिति है, उसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी महत्वपूर्ण नहीं होता है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा हूं । राज्य में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बैठकें होती हैं, चाहे वह जिला कलेक्टर के माध्यम से हो या सांसद के माध्यम से हो, उसकी बैठकें नियमित रूप से हो ही रही है और उसके माध्यम से जो भी दिशा-निर्देश हमें देना है,

जिसके तहत सड़क में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें कैसे कमी लाई जाये, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है। आदरणीय मंत्री जी, क्या आप यह निर्देशित करेंगे कि बड़े वाहनों पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यह समझ में आ रहा है कि उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है । आप वहां पर स्पेशल अभियान चलाकर चूंकि अकलतरा विधान सभा में मौतों में वृद्धि हो रही है । क्या आप यह आश्वासन देंगे कि वहां पर लगातार त्वरित चेकिंग की जाये, कुछ न कुछ स्पेशल प्रोवीजन वहां पर की जाये कि हमारी चेकिंग तुरंत स्टार्ट हो जाये और दूसरा, जो जिला समिति से राज्य में आया है, उसको आप त्वरित कंसीडरेशन में लाएंगे क्या, अगर ट्रामा सेन्टर और बाईपास की बात आ रही है। बस ये तीन मेरे स्पेशिफिक आपसे आश्वासन की मांग है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, बाईपास के संबंध में कल माननीय मंत्री जी ने आपको उत्तर दे दिया है और आप उससे बहुत प्रसन्न भी हैं और आपको तो धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने उसके लिए कहा है । आप बाकी चीजों की बात कर रहे हैं कि जिला स्तर की टीम ने क्या प्रस्ताव भेजा है तो उस प्रस्ताव के आधार पर हम चिंतन करेंगे ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, मैंने आपको बताया है कि हमारे यहां ज्यादा drinking driving की समस्या हो रही है। क्या उसके लिए अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलायेंगे ? क्योंकि दिख रहा है कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा मौतें हो रही हैं। जनवरी से 14 फरवरी, 26 तक लगभग 13 लोग मर चुके हैं। तो क्या वहां पर विशेष अभियान चलाया जायेगा ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही बताया है कि हम जांजगीर क्षेत्र में किस तरीके से लगतार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि जागरूकता अभियान तथा और किस तरीके से और बहुत सारी चीजों पर फोकस करें। मैंने पहले ही कहा है कि हेलमेट रैली, नुक्कड़-नाटक, इस तरीके से जन जागरूकता लायें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री एक निवेदन है कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर यह तो निर्देशित कर दें कि जिला स्तर पर त्वरित मीटिंग की जाये, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाकर आदेश दीजिये कि वहां पर जो भी सुझाव आते हैं, जिससे मौतें रूक सकती हैं, उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाये। आप जिला प्रशासन को कम से कम इतना आश्वासन के लिए निर्देशित कर दें। क्योंकि हमारे यहां मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है। मैं स्पेसीफिकली अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आप जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो लगभग 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसलिए वहां पर जितने अभियान चलाये जा रहे हैं, यह शायद काफी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ करने की आवश्यकता है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसको स्पेसीफिक दिखवा लूंगा। वहां पर गृह विभाग, परिवहन विभाग के माध्यम जो भी संभव होगा, यथासंभव कोशिश की जायेगी कि वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। यातायात में ऐसा कोई स्पाट जहां पर लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको भी चिन्हांकित करे उसका निराकरण करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप उनको आदेशित कर दें कि वह जल्द से जल्द बैठक को बुला लें।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, शीघ्र उसकी बैठक करा लेंगे।

श्री ब्याज कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दुर्घटनाएं वाली जगहों को ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय,..।

सभापति महोदय :- देखिये यदि प्रश्नकाल में सभी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सभी के लिए प्रश्न पूछना संभव नहीं होगा। बाकी सदस्यों का भी प्रश्न लगा हुआ है।

श्री ब्यास कश्यप :- जिले का ही मामला था।

सभापति महोदय :- अजय चन्द्राकर जी को एक प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे दिया है, वह सबकी तरफ से पूछ लेंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- वह अपना प्रश्न पूछेंगे।

सभापति महोदय :- जांजगीर जिले की ओर से महंत जी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे तो आपकी ओर से पूछ लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न आपसे है। मेरा उस दिन सड़क दुर्घटना में ध्यानाकर्षण लगा था तो वह परिवहन विभाग में लगा था। सभापति महोदय :- प्रश्न मुझसे है या मंत्री जी से है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें व्यवस्था देंगे। क्योंकि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आज सड़क दुर्घटना में प्रश्न गृह विभाग में लगा है। शासन का कार्य आवंटन का कुछ नियम तो होगा। मेरा स्मार्ट सिटी में एक विषय था, उसमें लिखा था कि सड़क दुर्घटना के लिए अन्तर्विभागीय समिति बनी है। सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि मैं हर सत्र में 3-4 प्रश्न करता हूं। आऊट सोर्सिंग में, इसमें, तथा दो-चार और मेरे स्थाई विषय हैं, उस पर प्रश्न करता हूं। अब आप यह बताईये कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप इसमें व्यवस्था दीजिये कि सरकार तीनों विभाग मिलकर इसको रोकने के लिए काम करें। क्योंकि इसी सत्र में अलग-अलग उत्तर आये हैं। सड़क दुर्घटना में इसी सत्र में परिवहन विभाग ने उत्तर दिया है। अभी स्थानीय शासन में सड़क दुर्घटना पर ही प्रश्न लगा है। स्थानीय

शासन की चर्चा में अन्तर्विभागीय समिति बनी है। यह उत्तर आया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपकी ओर से शासन को कोई निर्देश जाये। यह गंभीर मानवीय मामला है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हो रही हैं। गंभीरता आये इसलिए आप कोई निर्देश दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य ने अकलतरा की जानकारी चाही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरी बात बोला हूं। मैं आपसे नहीं कहा हूं। मैंने इसी सत्र की घटना को बताया हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उसके सन्दर्भ में जानकारी दिया है। माननीय सदस्य को कोई जानकारी की आवश्यकता है तो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन यदि यह कहे कि परिवहन विभाग की दृष्टि से, तो ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्य आवंटन किसका है ? कौन सा विभाग जिम्मेदार है ? आपने उस दिन परिवहन मंत्री के तौर पर सड़क दुर्घटना में इसी सत्र में उत्तर दिया था। अभी सड़क दुर्घटना का प्रश्न गृह विभाग में लगा है। मैंने आपको स्मार्ट सिटी की चर्चा बताई कि इसके लिए अन्तर्विभागीय समिति बनी है। मानवीय दुर्घटना रोकिये। आप संवेदनशील है, आप वरिष्ठ मंत्री हैं। इसके लिए आप कुछ बोलिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस दृष्टिकोण से हमारा लगातार जनजागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनफोर्समेंट को किस तरह से तेजी लायें, हमारी इसके लिए भी लगातार कोशिश है। इसके माध्यम घटना को रोक सकते हैं। उसकी दृष्टि सभी विभाग, सरकार करेगी।

सभापति महोदय :- आप संसदीय कार्यमंत्री हैं, उनके पास परिवहन विभाग है। आज गृह मंत्री जी के विभाग का दे रहे हैं। आप उनके ऊपर भरोसा रखिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, आज छोटी गाड़ी पहले आई उसके बाद बड़ी-बड़ी गाड़ियां आ रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना विशेष कर अकलतरा के क्षेत्र में बढ़ रही हैं, उसके कारण मौतें ज्यादा हो रही हैं, सर, यह मुख्य बिंदु है और आपने ही अपने मन से कहा है कि वहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, यह खुल रहा है।

सभापति महोदय :- मन से नहीं कहा है। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- औद्योगिक क्षेत्र में लगातार काफी विकास हो रहा है, चाहे वह चांपा हो, अकलतरा हो, सक्ती हो, जांजगीर हो। तो यहां अब जब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो उसमें क्रिटिकल

केयर यूनिट आप स्वीकृत करा दें, क्योंकि आपके सहयोगी हैं और सड़क दुर्घटना की वहां पर जो मीटिंग होती है, उसके आप मेंबर हैं। तो वहां क्रिटिकल केयर यूनिट और ट्रामा सेंटर लगा दिया जाए, बन जाए ताकि मौतें कम हों और जल्दी से जल्दी इलाज पा सकें। यह मेरा कहना है, क्या आप यह सुझाव देंगे ?

सभापति महोदय :- सुश्री लता उसेंडी जी। मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहें तो बोल लेंगे?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव अच्छा है और उस पर हम मनन करेंगे।

सभापति महोदय :- सुश्री लता उसेंडी जी।

<u>जिला कोण्डागांव अतंर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदत्त सुविधायें</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 1985) सुश्री लता उसेंडी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोंडागांव जिले में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एवं उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैंतथा उसमें सेटअप अनुसार कितने स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत/ कितने रिक्त हैं ? केंद्रवार जानकारी दें एवं कितने नए प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने हेतु शासन को पत्र / प्रस्ताव प्रेषित है एवं उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाएं? **(ख)** वर्तमान में जिले में विभाग अंतर्गत ऐसे कितने केंद्र हैं जहां पर भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है? क्या उस हेतु शासन को कोई प्रस्ताव या पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें? **(ग)** कोडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए? क्या उनका किसी भी प्रकार का देयक लंबित है? यदि हां तो उसे कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 173 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, स्वास्थ्य केन्द्रवार कार्यरत/रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** जिले के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव के द्वारा 03 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभाग द्वारा कोण्डागांव जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोलावण्ड की स्थापना हेतु पदों की स्वीकृति वर्ष 2025-26 में प्रदान की गई है। शेष प्रस्ताव पर मापदण्ड/नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** वर्तमान में जिले अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता है, जिसके संबंध में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के

संबंध में जिला कोण्डागांव से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विगत 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26) में 1157 शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें किसी भी प्रकार का देयक लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने के लिए, नया खोलने के लिए माननीय मंत्री जी को जनप्रतिनिधियों का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले के अंतर्गत समय-समय पर कई जनप्रतिनिधियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विभाग परीक्षण कराकर अपनी उपलब्धता के अनुसार उसमें समय-समय पर खोलती है और इन दो सालों में हम लोगों ने सुदृढ़ीकरण किया भी है। माननीय सभापति महोदय, वैसे उसके जो कई मानक होते हैं जैसे उप-स्वास्थ्य केंद्र के लिए जनसंख्या का मानक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो सभी पैरामीटर पर होने पर उसको विभाग जो है प्रस्तावित करती है और जैसे ही उसकी उपलब्धता होती है, तो या तो भारत सरकार से या राज्य सरकार की ओर से खोले जाते हैं।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए पूछ रही थी, इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा हमको आवेदन प्राप्त हुआ था, सिर्फ एक लाइन यही लिखा हुआ है। इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि बाकी लोगों का आवेदन मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया था। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज और जानना चाहूंगी। अगर किसी जिले में स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम होता है, तो स्वास्थ्य विभाग के उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और निर्देशित करने के लिए कौन-कौन सक्षम अधिकारी होते हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यक्रम होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम होते हैं उसको एन.एच.एम. विभाग संचालित करता है और इसके बाद जो राज्य स्तर के जो कार्यक्रम हैं, उसको डायरेक्टर हेल्थ के माध्यम से वह संचालित होती हैं और वहां से निर्देशित करके उसके मुख्य रूप से जिला में जो हमारे सी.एम.एच.ओ. होते हैं, वे नोडल होते हैं और उनके माध्यम से नीचे तक के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है।

सुश्री लता उसेंडी :- मौखिक भी निर्देशित होते हैं या फिर सिर्फ पूरे लिखित में ऑर्डर निकाला जाता है? कई बार मौखिक भी..।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, कुछ जो सामान्य कार्यक्रम हैं, जो रूटीन में हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस करना है, तो उसको लिखित भी देते हैं और लिखित नहीं पहुंच पाए तो सामान्य रूप से मौखिक भी पहुंच जाते हैं। बाकी जो प्रमुख कार्यक्रम हैं, वे लिखित में ही जारी होते हैं और उसका कैलेंडर बना होता है।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय सभापति महोदय, अब एक प्रश्न मेरा है कि हमारे जिले में जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उसमें भुगतान के विषय में मैंने जानकारी चाही है। माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी दी है कि किसी भी तरह का भुगतान शेष नहीं है। पर माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम हुआ है और भुगतान शेष है, इसकी जानकारी मेरे पास है। माननीय मंत्री जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके मौखिक आदेश पर भी, आपके अमला के द्वारा मौखिक आदेश पर भी हुआ है, लिखित वर्क ऑर्डर पर भी हुआ है, लेकिन भुगतान नहीं है, उसके तथ्य मेरे पास हैं। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहूंगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले में मतलब सभी संस्थावार करके 1157 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और उसमें कुछ कार्यक्रम हॉस्पिटल में ही बैठकर हो जाते हैं। कुछ जगहों पर टेंट और अन्य सुविधाएं की व्यवस्था करनी पड़ती हैं। उस दृष्टि से कुल 4,57,000 रूपये के कार्य हुए हैं। उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है। किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। यदि माननीय सदस्य महोदया के पास कोई ऐसी जानकारी है कि कार्यक्रम कराया गया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है तो मैं निश्चित रूप से उसको परीक्षण कराऊंगा। अगर उसने कार्यक्रम कराया होगा तो उसका भुगतान हम सुनिश्चित करेंगे।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय मंत्री महोदय, दोनों चीजें हैं। एक तो मौखिक आदेश भी दिया गया है और वर्क आर्डर पर भी भुगतान हुआ है। क्या आप मौखिक आदेश का भी भुगतान कराएंगे? या जो वर्क आर्डर मिला है, उसका भी भुगतान कराएंगे? क्योंकि इस प्रश्न के जवाब में लिखित में है कि हम उसी का ही भुगतान करेंगे। ऐसे विषय कई बार आते हैं। मैं दोनों चीजें जानना चाह रही हूं। मौखिक निर्देश पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लिखित आदेश पर भी कार्यक्रम हुए हैं। क्या आप दोनों का भुगतान करवाएंगे और किस सक्षम अधिकारी के समक्ष बैठकर उसका भुगतान करवाएंगे? किसके द्वारा भुगतान करवाएंगे, यह भी स्पष्ट करें?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, आप भी जानती हैं कि मौखिक आदेश का सरकारी कार्यक्रमों में या सरकारी हिसाब-किताब में कोई स्थान नहीं होता है। यदि लिखित में वर्क आर्डर हुआ है, काम हुए हैं तो आप जानकारी मुझे दीजिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसका भुगतान सुनिश्चित कराऊंगा।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसके भी पेपर हैं। माननीय मंत्री जी का जो अमला है, उन्होंने मौखिक निर्देश पर कार्यक्रम कराए हैं और उसका भुगतान भी किया गया है। जब आप पहले कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? (शेम-शेम की आवाज)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यदि उसने मौखिक निर्देश दिया होगा। वैसे मौखिक का कोई हिसाब-किताब नहीं होता है। लेकिन यदि मौखिक में भी कोई अर्जेंटली कार्यक्रम कराया होगा तो जो मौखिक आदेश दिया होगा, वह यदि हमारे पास genuine दस्तावेजों के साथ कार्यक्रम की पूरी उसकी पुष्टि के साथ भेजता है कि कार्यक्रम हुआ है, तो उस पर विभाग विचार करेगी।

सुश्री लता उसेण्डी :- नहीं, विचार की बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय। आपने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बार-बार यी कहा था। पिछली बार भी जब इस सदन में प्रश्न आया था, तब आपने कहा था कि एक महीने के भीतर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा। लेकिन आज नौ महीने हो गए हैं। (शेम-शेम की आवाज) मुझे कोई जानकारी भी नहीं मिली है। माननीय मंत्री जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि अगर आपके अमला द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम कराये गये हैं, जो मौखिक सूचना पर कराये गये हैं, जिसमें हम लोग भी उपस्थित रहते हैं। मैं यह नहीं कहती कि आपका अमला ही कार्यक्रम कर लेता है। उसमें कई बिल का भुगतान हो जाता है, कई बिल का भुगतान नहीं होता है। फिर ऐसा भेदभाव का विषय क्यों आता है? या तो आप पूरा भुगतान कराएं या फिर नहीं कराना है तो मत कराइए। आप इस सदन में इस तरह से जवाब देंगे तो बाहर अलग जवाब रहेगा। ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि उचित हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, यह वरिष्ठ नेत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं। उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग की बात की क्या सुनवाई होगी? फिर छत्तीसगढ़ की जनता का हमारे ऊपर क्या भरोसा होगा? अभी वह चिल्ला-चिल्ला के बोल रही हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, उनका प्रश्न पूरा तो होने दीजिये, उसके बाद आप बोलना। वह बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं। आप इतना अच्छा प्वाइंटेड प्रश्न पूछना सीखिये, आप भी पांच बार के विधायक हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपका पार्टी संगठन में चलने वाली पार्टी है। वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वह पूर्व मंत्री रही हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं होगा, तब हम लोगों की क्या सुनवाई होगी? इसलिए हमको दर्द है।

श्री प्रबोध मिंज :- दादी का सुनवाई न्यायालय में।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि माननीय सदस्य महोदया ने स्वयं ही कहा है कि मौखिक आदेश पर कार्यक्रम हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि सरकारी हिसाब-किताब में मौखिक आदेश का Authentic रूप से कोई स्थान नहीं होता है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाह रही हूं कि पिछले बार आपके ही अमला ने भुगतान किया है। क्या एक बार करेंगे या नहीं करेंगे? आपके अमला के कहने पर लोगों ने विश्वास में काम कर दिया तो यह दो तरह की चीजें किस आधार पर पालन हो रही है? जिसने वर्क किया, वह तो किया। माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार अतारांकित प्रश्न लगाया था। पिछली बार के विषय भी इसी तरह के थे, जिसमें मुझको आश्वासन मिला था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है और अभी फिर माननीय मंत्री जी यहां पर कह रहे हैं कि मौखिक आदेश का कोई का मतलब नहीं होता है। पहले आपके अधिकारियों ने भुगतान किया है। कुछ का भुगतान करेंगे और कुछ का भुगतान नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है? यह मैं जानना चाहती हूं कि आपके अधिकारियों के द्वारा ही इस तरह का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने यहां पर मुझे बताया कि जानकारी निरंक है और मैं यह तथ्य दे रही हूं कि निरंक नहीं है। जिसने आपको यह जानकारी दी है। उसमें आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि नीचे के लोग आपको जो जानकारी दे रहे हैं, आप वही सदन में बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जिन लोगों ने इस तरह की हरकत लगातार आपके साथ कर रहे हैं, जो डेढ़-दो साल से आपको लगातार गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनको आप संरक्षण देते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी और सदन से आश्वासन चाहूँगी कि चाहे मौखिक हो या लिखित हो, अगर वर्क हुआ है काम हुआ है, फुटेज ....।

सभापति महोदय :- आश्वासन चाहिये कि भुगतान कराना है ?

श्रीमती लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, भुगतान चाहिये और हमारे पास सब डाकुमेंट्स है । ऐसा आश्वासन जो पूरा हो, हमको अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, सुनिश्चित करें ना, माननीय सदस्य का जो बार-बार प्रश्न है कि...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, यह पूरा क्लियर है कि यदि कोई वर्क आर्डर दिया गया है और भुगतान नहीं हुआ है तो मुझे भी आप दे देंगे और मैं उसका भुगतान कराऊँगा । मैंने यह भी कहा है कि यदि कभी मौखिक भी दिये हैं और वाकई में उसने काम किया है और इसकी पुष्टि विभाग भेजता है तो हम उसको कार्योत्तर अनुमति देकर उसका भी भुगतान करा देंगे । इससे और लिबरल जवाब क्या हो सकता है ?

श्रीमती लता उसेण्डी :- कब तक करायेंगे इसकी जानकारी मुझे चाहिये ? हमने पिछले प्रश्न के लिये भी एक-एक साल इंतजार किया है और आगे भी इस तरह से न हो इसलिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि कब तक करायेंगे ? माननीय मंत्री जी समयसीमा बतायें ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, यह भी हो सकता है कि मार्च में न हो, वित्तीय वर्ष के चलते 15 मार्च तक भुगतान करना कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज हो तो आज ही मुझे प्रश्नकाल के बाद दे देंगे तो मैं उसका परीक्षण भी करा लूँगा और वाकई में देनदारी होगा तो नये वित्तीय वर्ष में..।

सभापति महोदय:- श्री प्रबोध मिन्ज ।

श्रीमती लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, जो लोग सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं..।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई है और मंत्री जी के ध्यान में भी आ गया है । आप डाकुमेंट्स दीजिए ना ?

श्रीमती लता उसेण्डी :- जो अधिकारी लगातार सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही होना चाहिये । उनको तो एक्सटेंशन मिल रहा है ?

सभापति महोदय:- माननीय मंत्री जी, असत्य जानकारी दे रहे हैं उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति जी, असत्य जानकारी देने पर उनकी भी एक नियम प्रक्रिया है और जो होगा तो आपके माध्यम से होगा ।

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज ।

श्रीमती लता उसेण्डी :- पिछली बार भी आपने समय मांगा था । पिछले बार भी आपने सदन में कहा था कि नोटिस भेजेंगे और एक महीने के अंदर कार्यवाही होगी। माननीय सभापति महोदय, लेकिन 9 महीने हो गये हैं और नोटिस का जवाब क्या आया है, हमको नहीं पता है ?

श्री उमेश पटेल :- 9 महीना नहीं, अगले साल फिर सत्र चालू होगा, एक साल बाद भी वही स्थिति रहेगी । प्रूफ नहीं होगा तो कैसे पैसा देंगे ?

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय मंत्री जी, यह आपने स्वीकार किया है कि दोषी अधिकारियों का एक जांच रिपोर्ट हमारे पास आया था । हमने दोषी अधिकारियों को नोटिस दिये हैं और नोटिस का जवाब आ जायेगा तो हम कार्यवाही करेंगे । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास तथ्य तो था ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जो जांच में पाया गया, उसके आधार पर हमने कार्यवाही कर दिया है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- सभापति महोदय, क्या कार्यवाही हुई है, विधायक के नाते मुझे भी जानने का इतना तो बनता है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपको अलग से बता दूँगा । इस क्वेश्चन से उद्भूत नहीं होता है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय मंत्री जी, आप सदन में रख दीजिए ताकि बाकी सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो जाये और तारीख भी बता दें ?

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज । अब पर्याप्त आ गया है, माननीय और सदस्यों का प्रश्न है । आप समय देखिये ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न से अलग बोल रहा हूँ, यह लगातार हो रहा है कि मंत्रियों का जवाब सही नहीं आ रहा है । इसमें व्यवस्था दे दीजिए और नहीं तो उनको प्रताड़ित करिये । हर मंत्री लगातार यही कह रहा है । हर बार गलत जवाब आता है ।(व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- माननीय सभापति महोदय, हर विभाग से गलत जानकारी आ रही है...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :-गलत जवाब आते जा रहे हैं..(व्यवधान)

<u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 2009) श्री प्रबोध मिंज : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) सरगुजा जिले अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पद एवं उनके विरुद्ध वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी, विधानसभावार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कौन-कौन से कर्मचारी कब से एवं कहां अन्यत्र संलग्न किए गए हैं ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर कर्मचारी पदस्थभ किए जावेंगे? (घ) सरगुजा जिले में भवनविहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी विधानसभावार उपलब्ध करावें एवं कब तक क्षेत्रों में भवन उपलब्ध करावेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "स" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल था कि सरगुजा जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें कितने कार्यरत हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने पदस्थ हैं । इसकी जानकारी इन्होंने प्रपत्र (अ) में दिया है । जवाब में पुस्तकालय का जिक्र किया गया था । अब वह मुझे प्राप्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो इसमें स्वीकृत पद है और भरे पद हैं, उसमें आधे से ज्यादा पद रिक्त बताये

गये हैं, जो रिक्त पद हैं वह बहुत समय से रिक्त पद हैं, बहुत समय से रिक्त हैं और स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत पहले से स्वीकृत और कार्यरत हैं। उसमें कब तक उन पदों पर आप भर्ती कर पाएंगे या कब तक भर्ती करेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र और सरगुजा जिले के जो पद हैं, उनके संदर्भ में पूछा है। हमने माननीय सदस्य को जानकारी तो दे दी है। हम भर्ती प्रक्रिया एक NHM से करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी रेगुलर भर्ती करते हैं। अभी हमारी भर्ती प्रक्रिया 525 पदों पर अभी चल रही है, जिसमें नर्सेस हैं, वार्ड बॉय और अटेंडेंट हैं। अभी उसकी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। उसमें जो उस क्षेत्र के लिए आवंटित होंगे उसको करेंगे। NHM से हमारी लगातार भर्ती प्रक्रिया होती है और जैसे-जैसे रिक्त पद होते हैं, हम भर्ती प्रक्रिया करते हैं। समय सीमा निश्चित बताया जाना संभव नहीं है परंतु प्रयास होगा कि हम अति शीघ्र भर्ती प्रक्रियाओं को रिक्त स्थानों को भरेंगे।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः ये जानना चाहूंगा, आपने जवाब में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया निरंतर होती है, जारी है और भर्ती प्रक्रिया इतने पद के लिए हो रही है, इसको भरेंगे। मैं इसमें पुनः ये जानना चाहूंगा कि आप जो भर्ती की प्रक्रिया निकालते हैं, वह एक साथ पूरे प्रदेश के लिए सभी पदों के लिए निकालते हैं? क्या केंद्रवार वहां जो स्वीकृत पद हैं, उसके अनुरूप में आप स्वीकृति जारी करते हैं या विज्ञापन निकालते हैं या सामूहिक निकालते हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया है, स्वीकृत पद जो होते हैं, उसके विरुद्ध में हमको जितनी भी वित्त से पदों को भरने की अनुमति मिलती है, उस अनुपात में करते हैं। क्योंकि शत-प्रतिशत भर्ती कभी भी नहीं होती है, कुछ हमारे अनुकंपा के लिए भी रखने होते हैं, कुछ प्रमोशन के लिए भी रखने होते हैं। इस दृष्टि से भर्ती प्रक्रिया उसमें दो प्रकार की होती है, जो जिला कैडर के NHM हैं, वे डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, स्टेट कैडर के हैं, वे स्टेट से होते हैं और बाकी अधिकांश भर्ती परीक्षाएं हमारी PSC और VYAPAM के माध्यम से की जाती हैं और प्रक्रियाएं चालू भी हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, मैंने इसलिए सवाल पूछा, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्र में, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वे ग्रामीण अंचलों से दूर हैं, वहां कोई जाने को तैयार नहीं होते और जो भर्तियां होती हैं, शहरों में भर्ती कर दी जाती हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्या वह जो स्वीकृत केंद्र हैं, उन केंद्रों के हिसाब से यदि नर्सिंग स्टॉफ का मामला है, तकनीशियन का मामला है, डॉक्टरों का मामला है, क्या आप केंद्र के हिसाब से विज्ञापन जारी करके उसमें भर्ती करेंगे ? ताकि जो भर्तियां होंगी तो उसमें वहां लोग सीधे अपॉइंट कर पाएंगे, जो वहां जाना चाहता है, वही उसमें भाग लेगा, उसके लिए आवेदन करेगा। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप उसमें करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, केंद्रवार भर्ती किया जाना संभव नहीं है और वह व्यावहारिक स्तर पर संभव हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्र PHC तक हैं और उससे नीचे जाएंगे तो हमारे पास 5500 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं है, हम उसको एग्जाई ही करते हैं। परंतु मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्रों में पदों की संख्या कम जरूर है परंतु उतनी कम नहीं है, जैसे आपका लुंड्रा क्षेत्र है, मैनपाट है, लखनपुर है, लगभग 75 से 80 परसेंट तक पद भरे हुए हैं। उसमें सिर्फ वही पद खाली हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। वह पूरे प्रदेश में कमी है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि स्पेशलिस्ट की भी भर्ती हो पाए।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री जी, आपने जो सूची उपलब्ध कराई है, मेरे पास आपकी सूची है, आप भी देख लें। जितने पद की स्वीकृति है, उसके अनुरूप आपने जो कार्यरत बताया है, उस कार्यरत में सैकड़ों जगह में शून्य-शून्य-शून्य लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि बहुत जगहों पर भर्ती कर दी गई है। मतलब 80% भर्ती कर दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि 50% से भी ज्यादा पद वहां रिक्त हैं। माननीय सभापति जी, दूसरी एक चीज और है, आपने जो कार्यरत और भरे पदों की यहां जानकारी दी है, मैंने पूछा था कि उसमें कितने लोगों को संलग्न किया गया है। आप जो पद भरे हुए बता रहे हैं, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 19 लोग हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 लोग हैं, ये शहरी क्षेत्रों में संलग्न करके रखे गए हैं और आपकी सूची में भरे पद में बताए जा रहे हैं। ये रिक्त पद की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। आप इसमें भी गौर करेंगे और इसको भी ठीक कराएंगे जो जानकारी आई है। मैं दूसरी चीज जानना चाहूंगा कि जो आपने अटैच किया है, संलग्नीकरण किया है, उस संलग्नीकरण का नियम क्या है? क्यों संलग्नीकरण किया जाता है और संलग्नीकरण करने का किसको अधिकार है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, संलग्नीकरण का कोई नियम नहीं है, लेकिन समयकाल, परिस्थिति के अनुसार कभी-कभी आवश्यकतानुसार करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट में ड्यूटी करनी है, वहां सेटअप नहीं है तो संलग्नीकरण करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय में कहीं करना है तो वहां संलग्नीकरण करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अन्य संस्थानों में भी संलग्नीकरण करना पड़ता हैं तो हम वह भी करते हैं। कभी-कभी कहीं बहुत ज्यादा फूट फाल है।

श्री प्रबोध मिंज :- मंत्री जी, आप केवल यह बता दीजिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने नियम बता दिया है। आप नियम में मत जाइये। आपके यहां नहीं हैं, अटैचमेंट में हैं, संलग्नीकरण में हैं। आपको जो उपलब्ध हो जाये, वह प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, यदि उसका कोई नियम नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं भी संलग्नीकरण कर सकता हूं। उसका कुछ तो नियम होगा कि आप कैसे संलग्नीकरण करेंगे? इसको संलग्नीकरण कौन करेगा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा

कि जितने भी आपने संलग्नीकरण किये हैं, वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में संलग्नीकरण किये हैं तो क्या संलग्नीकरण जनता के लिए होता है या कर्मचारियों की सुविधा के लिए होता है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी चिंता से वाकिफ हूं। मुझे समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से आपके ग्रामीण क्षेत्र से अटैच हो गये होंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी अतिआवश्यक न हो और आपने जो 18 और 28 बताये हैं, उन सभी का परीक्षण कराकर यदि अनावश्यक रूप से संलग्नीकरण हुए हैं तो 15 दिन के अंदर उन सबको निरस्त करके फिर से आवश्यकतानुसार करेंगे। मैं देख रहा था कि उसमें कुछ अतिआवश्यक थे तो उनको करना होगा। जैसे आप नियम के बारे में बोल रहे थे तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि ब्लॉक लेवल के अधिकारी को अटैचमेंट करना है तो ऊपर सी.एम.एच.ओ. से अनुमोदन लेगा। यदि सी.एम.एच.ओ. को अटैचमेंट करना है तो एक बार जे.डी. से अनुमोदन लेगा और यदि जे.डी. को भी अटैचमेंट करना है तो कलेक्टर या डायरेक्टर, हेल्थ या एम.डी.एन.एच.एम. होगा तो उससे लेगा। यह तभी करेंगे।

श्री प्रबोध मिंज :- मंत्री जी, मैंने आपको इसलिए कहा, क्योंकि जिन केन्द्रों से शहरों में उनको अटैच किया गया है, वहीं पर अन्य दूसरे लोगों को भी अटैच कर दिया गया है तो जब उनको वहां से दूसरी जगह की व्यवस्था में हटाना था तो फिर वहां भर्ती क्यों की गई? ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और किन्हीं विशेष लोगों को लाभान्वित करने के लिए किन्हीं अधिकारियों के द्वारा ऐसा काम कर दिया गया है। क्या आप उन सारे संलग्नीकरण को निरस्त करके इस पर पुनर्विचार करेंगे?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, मैं सारे संलग्नीकरण को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। हमारे जितने भी पी.एच.सी., सी.एच.सी., सब हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल हैं, इनमें जो अटैच हैं और बाकी संस्थानों में जो अटैच हैं। जैसे कई विधायकों के पास अटैचमेंट में होंगे तो वह प्रक्रियाओं के तहत हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलों में इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अटैच हो गये हैं या जहां आवश्यकता नहीं है वहां अटैच हो गये हैं तो पूरे को एक बार अटैचमेंट कैंसल करने की मैं घोषणा करता हूं। इसका पालन अतिशीघ्र होगा। प्रबोध जी, हम आपके विधान सभा में भी करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर। पूरे प्रदेश का उन्होंने निरस्त कर दिया है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है। मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने पिछली बार हमारे 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये थे, परंतु उसके लिए भवन स्वीकृत नहीं हैं। आप इसकी स्वीकृति कब तक दे देंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, हम लोग शीघ्र ही भवन के लिए प्रस्ताव एन.एच.एम. से भारत सरकार को भेज रहे हैं। उसमें हम आपका भी प्राथमिकता से शामिल करके भेजेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। केवल एक मिनट ही लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पूर्व में भी अटैचमेंट को वापस करने के लिए शासन का आदेश है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। यह जो घोषणा कर रहे हैं, वह फिर वैसे ही तो नहीं हो जाएगी? वह तो शासन के आदेश में पूर्व से है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप लेट से आये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, मैं लेट से आया हूं, लेकिन इस बात को समझ चुका हूं। आज आप जो घोषणा कर रहे हैं, वह तो पूर्व से शासन के आदेश में है। उस आदेश का तो पालन ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे आदेश न हो, जिसका पालन न हो। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है।

सभापति महोदय :- अजय चंद्राकर जी।

<u>छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थान</u>

[कौशल विकास]

5. (*क्र. 1047) श्री अजय चंद्राकर : क्या कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान पंजीकृत हैं? वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितने संस्थानों द्वारा कितने ट्रेड में कहां-कहां प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं? कितने लोगों का कौशल उन्नयन किया गया? इन संस्थाओं की निगरानी/निगमन कौन करता है? 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ अंतर्गत स्कील्ड एवं अनस्कील्ड प्रतिशत कितना है? **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत इनकी वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया है तथा उक्त कितने संस्थानों को, किस दर पर, कितनी राशि का भुगतान किया जाना था और कितना किया गया तथा कितना शेष है? भुगतान नहीं किये जाने के कारण क्या हैं ?

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) : (क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में 364 (संख्या) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 171 संस्थानों द्वारा 70 ट्रेड में प्रशिक्षण संचालन की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** 19934 युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया। इन संस्थाओं की निगरानी/निगमन जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा स्कील्ड एवं अनस्कील्ड सर्वे नहीं किया जाता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत स्कील्ड एवं अनस्कील्ड प्रतिशत् की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत इनकी वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक वर्ष वार बजट प्रावधान

की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है** तथा उक्त 184 संस्थानों को **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** कॉमन कास्ट नॉर्म अंतर्गत निर्धारित दर पर 27,30,37,543/- राशि का भुगतान किया जाना था और 24,77,48,060/- राशि का भुगतान किया गया तथा राशि रू. 3,07,46,392/- शेष है। भुगतान नहीं किए जाने के कारण, **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

श्री अजय चन्द्राकर :- आदरणीय गुरूदेव, छोटे-छोटे प्रश्न करूं कि बड़े-बड़े प्रश्न करूं ?

सभापति महोदय :- गुरूजी तैयार हैं, वे तैयारी से आये हैं । आप बड़े प्रश्न पूछे या छोटे प्रश्न पूछे, वे सबका जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज कल यह प्रश्न पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करवा देता हूं, आप देख लीजिये। सबसे पहले आप देखिये कि उत्तर में आपने बताया है कि 171 संस्थान हैं और आपने 184 को भुगतान किया है। यह एक देख लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि इसका कोई सर्वे नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो विजन डाक्यूमेंट जारी किया है, उसके पेज नंबर 27 को पढ़ लीजियेगा। उस सर्वे में है कि प्रदेश में सिर्फ 3 प्रतिशत लोग स्किल्ड है और 97 प्रतिशत लोग अनस्किल्ड है। आप कह रहे हैं कि स्किल्ड के सर्वे करना की कोई नियम प्रक्रिया नहीं है। आपने ही इस सदन के पटल में दस्तावेज रखा है, उसके पेज नंबर 27 में है कि 3 प्रतिशत लोग सिर्फ स्किल्ड है। अब गुरूदेव आप यह बता दीजिये कि यदि नहीं है तो आप सिलेक्शन कैसे करते है कि साहब इनको स्किल्ड करना है ? आपके जो स्किल्ड के प्रोग्राम है, वह आवासीय है या गैर आवासीय ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, हमें भारत सरकार के द्वारा स्किल डेव्हलपमेंट के लिए जो टारगेट मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग स्किल डेव्हलप करते हैं और इसमें हम लोग क्षेत्र वाइज स्किल गैपिंग एनालिसिस करते हैं। हम हमारे जिलों में क्षेत्र वाइज कार्ययोजना तैयार करते हैं और जिलों में तैयार करने के बाद हम उद्योगों और संस्थानों को आमंत्रित करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं और उनके डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग की जो आवश्यकता होती है, उसे करवाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इतना लंबा मत करिये। आप सबको छोड़िये और मैं आपको यह बताता हूं कि आपके सिलेक्शन को, आपके स्किल को और आपके ट्रेड को सुधारने की जरूरत है। जिन चीजों की बाजार में डिमांड है, आप उस पर ध्यान दीजिये। मैं एक अध्ययन करने के बारे में बता देता हूं। जैसे आप आउटसोर्सिंग कंपनी लाते हैं, उनको किस तरह के लोगों की जरूरत है, वे छत्तीसगढ़ के लोग हैं कि नहीं है, वे ट्रेंड हैं कि नहीं है, इस अध्ययन की जरूरत है। दूसरी बात, मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप करेंगे तो ठीक है और यह मेरा आखिरी विषय है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने कौशल उन्नयन की नीति जारी करके पब्लिक डोमेन में डाली हुई है। आपने जितना उत्तर दिया है, उसमें आपका कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। क्या आप छत्तीसगढ़ के नौजवानों के कौशल उन्नयन के

लिए कोई नीति बनाएंगे? यदि आप नीति नहीं बनाएंगे तो उसी नीति में से जो पब्लिक डोमेन में है, क्या आप उसको स्वीकार करके उसे अपने अनुरूप ढालेंगे ? क्या आप इसके लिए कोई कदम उठाएंगे ? आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि आप इसके लिए किस तरह के कदम उठाएंगे और कब उठाएंगे ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, निश्चित ही माननीय अजय चन्द्राकर जी वरिष्ठ सदस्य और उत्कृष्ट विधायक हैं और उनका सुझाव हम सबको हमेशा मिलते रहता है और हमें उनका जो सुझाव मिला है, उसमें आने वाले समय में हम सब निश्चित ही विचार करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे यहां के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल का लाभ मिल सके।

अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि जहां-जहां पर छत्तीसगढ़ के लोग हैं, चाहे वह गिग वर्कर्स हों, चाहे आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हों, अब उनका कौशल उन्नयन हो। यदि पूरे देश की बात करें तो 87 प्रतिशत लोग अनस्किल्ड हैं और आप ही के दस्तावेज के अनुसार छत्तीसगढ़ में 3 प्रतिशत लोग अनस्किल्ड हैं। जो संस्थाएं हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। किसी के पास आवासीय व्यवस्था नहीं है। बस्तर को छोड़कर कहीं पर भी आवासीय स्किल्ड डेव्हलप नहीं करते हैं। यहीं के लाइवलीहुड कॉलेज में भवन बने हैं और उस भवन का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यह बेतरतीब है। हम सिर्फ कागज में लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं। मंत्री जी, मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी आरोप नहीं है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इसको दुरुस्त कीजिए। स्किल्ड आवासीय हो, ट्रेड का सिलेक्शन नया हो, इसके लिए आपके यहां जिला स्तर में, स्टेट लेवल में जो प्राधिकरण है, उसकी देखरेख की व्यवस्था कीजिए। अब आप नियोजन कितने दिन का करते हैं ? 90 दिन का नियोजन करते हैं तो आपने वह किया कि नहीं किया ? आपके पास इसको देखने की व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी, मेरा आपसे फिर से यही आग्रह है कि क्या आप कौशल उन्नयन के लिए स्टेट की कोई नीति बनाएंगे ? यदि बनायेंगे तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होगा। यदि आप नीति बनाएंगे तो क्या कोई समयावधि तय करेंगे ? यदि विशेषज्ञ नहीं है तो उसके लिए देशभर में नीति बनाने के लिए संस्थाएं मौजूद हैं, भारत सरकार ने ही किसी से बनवाई है । क्या छत्तीसगढ़ इसमें पहल करेगा ? यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जरूरत है कि आप कौशल उन्नयन के लिए नीति बनाए। क्या आप इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ? मैं धोखे से आरोप प्रत्यारोप प्रक्रिया में अब नहीं जाना चाहता। आप इतना करेंगे तो सभी चीज अपने-आप दुरूस्त हो जायेगी। निगरानी की प्रक्रिया भी, नियोजन की प्रक्रिया भी, ट्रेड के सलेक्शन भी, प्रवेश का तरीका भी, सब उसी में तय हो जायेगा। इसलिए क्या आप उसकी नीति बनायेंगे और नीति बनायेंगे तो कब तक बनायेंगे?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही जो लाइवलीहुड कालेजेस हैं, उसमें आवासीय सुविधा रहती है। जो L.W.E. क्षेत्र होता है, वहां पर होती है। जो गैर L.W.E. क्षेत्र होता है, वहां वैसी सुविधा नहीं होती है। जो निगरानी की बात है, हम लोग हमेशा 90 दिन का देखते हैं,

उसका परीक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं। उसके बाद ही पेमेंट होता है, उसके पहले हम लोग उनका कुछ न कुछ पेमेंट रोककर रखते हैं। निश्चित ही इसमें आने वाले समय में माननीय सदस्य जिस प्रकार सुझाव दे रहे हैं, उसमें आने वाले समय में और इसमें बदलाव करने का प्रयास करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाईन है, आप सब कर लो। क्या आप नीति बनायेंगे और नीति बनायेंगे तो कब तक बनायेंगे ? नहीं तो अब छोड़ देता हूं। मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। प्रक्रियाजनक छोटी-छोटी बात क्या करेंगे। ये सब छोटी प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ को कौशल उन्नयन के लिये पालिसी की जरूरत है। आपको देखना है तो भारत सरकार की पालिसी पब्लिक डोमेन में सुझाव के लिये है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं। हम लोग पिछले 02 सालों में लगातार बहुत सारा प्रयास किये हैं कि इसमें जितना बदलाव आ सके। आज के समय में उन ट्रेडों की जो आवश्यकतायें हैं, जो प्रशिक्षण हमारे युवाओं को देना चाहिए, उसके लिये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन सुझावों को भी हम अपने उसमें लेंगे और आने वाले समय में हम इसके लिये भी प्रयास करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 187 संस्थाओ को 80 प्रतिशत के आसपास भुगतान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या भुगतान के लिये कोई ऐसे नियम विभाग ने बनाये थे कि नियोजन के पश्चात भुगतान होगा और वह कितना प्रतिशत भुगतान होगा और कितने प्रतिशत पर भुगतान को रोका जायेगा ? क्या ऐसा कोई नियम है ? यदि है तो क्या उस नियम का पालन किया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही उसके नियम हैं और नियम को हम पालन करते हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट नियम के तहत होते हैं।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, भुगतान का नियम, अगर इतने प्रतिशत नियोजन करने के पश्चात 60 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, क्या ऐसा नियम है ? और यदि है तो क्या उस नियम का पालन किया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, हम प्रथम किश्त बैच आवंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत, न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है, तब हम करते हैं। द्वितीय किश्त मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण उपरांत प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत भुगतान करते हैं। तृतीय किश्त नियोजन की शर्त के आधार पर 60 प्रतिशत भुगतान करते हैं।

सभापति महोदय :- श्री इन्द्र शाह मंडावी

श्री उमेश पटेल :- वही तीसरा कितना प्रतिशत है ? आप कितने प्रतिशत नियोजन के बाद भुगतान करते हैं ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैंने आपको बताया कि पहले 20 प्रतिशत करते हैं।

<u>प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कौशल विकास योजना का लाभ</u>

[कौशल विकास]

6. (*क्र. 1760) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है? जिलेवार विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थी को शासन द्वारा रोजगार प्रदान गया है? यदि हां, तो कितने प्रशिक्षार्थी को कौन-कौन से रोजगार से लाभान्वित किया गया है? जिलेवार विकासखंडवार जानकारी देवें ? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें?

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :(क) प्रदेश में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 9760 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। जिलेवार विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[1] अनुसार है। (ख) जी हाँ। कुल 5966 प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से लाभान्वित कर नियोजित किया गया है। जिलेवार विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ गया है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 9760 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कितने-कितने युवाओं को किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, हमने बताया है कि उसमें 9760 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि कितने-कितने युवाओं को, किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- इसमें भी सारे जिलों की जानकारी है, जिलेवार विकासखंडवार रोजगार एवं स्वरोजागर के माध्यम से कितने को दिया गया है।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- आप यह बता दीजिए कि किस-किस ट्रेड में कितने-कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, प्लंबर, कार मेकेनिक, स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, सी.सी.टी.व्ही., बालोद जिला से..।

---

[1] परिशिष्ट "दो"

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- आप संख्या बता देते तो बढ़िया था। यह तो घुमाने वाली बात है। आप संख्या बता दीजिए कि कितने-कितने युवाओं को किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अलग-अलग जिले के अलग-अलग संख्यावार जानकारी है। बालोद जिला में 61 लोग हैं।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- आप पूरे प्रदेश का बता दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, आई.टी.आई. इंजीनियरिंग करे हे, तेला तो नौकरी देय नई सकत हव, खाली यहां पर बतात हव, कुछ होना जाना है नहीं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, मंत्री जी का जवाब आ रहा है।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- आप यह बता दीजिए कि किस-किस संस्थान में दिये हैं और कितने संस्थान निजी और कितने शासकीय हैं ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- टोटल 5966 लोगों को हमने ट्रेड में दिया है।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- वह तो उत्तर में आ गया है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- यह सारे ट्रेड हैं, पूरी जानकारी है। बहुत सारे ट्रेड हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मैं अलग से सारे ट्रेड की जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री इन्द्र शाह मंडावी :- यहां पर 15 लाख 66 हजार 957 रोजगार विभाग के पोर्टल में अपलोड है। इसमें सिर्फ एस.टी./एस.सी. के 45 प्रतिशत है। इसके हिसाब से 7 लाख एस.टी./एस.सी. होते हैं।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

जन्मदिवस की बधाई

माननीय सदस्य श्री बालेश्वर साहू

सभापति महोदय :- आज श्री बालेश्वर साहू जी, सदस्य का जन्मदिवस है । मैं सदन की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं । मैं उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक लॉ/762/2025 कॉम, कोऑप एण्ड आरसीएस, दिनांक 13 फरवरी, 2026

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक लॉ/762/2025 कॉम, कोऑप एण्ड आरसीएस, दिनांक 13 फरवरी, 2026 पटल पर रखता हूं ।

(2) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 पटल पर रखता हूं ।

(3) चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक रूल/370/2025-एमईडी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद् नियम, 2025

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) की धारा 68 की

उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल/370/2025-एमईडी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद् नियम, 2025 पटल पर रखता हूं ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजनअवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें । शून्यकाल ।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में गैस कनेक्शन को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है । वैसे भी हमारे लोग बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और अचानक बाजारों में जिस तरह से किल्लत होने लगी है उससे पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं में, घरवालों में एक अजीब सी गैस सिलेण्डर के मामले में परेशानी हो रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरे दिन से ही शुरू हो गया कि गैस-सिलेण्डर के भाव भी बढ़ गये । जो औद्योगिक गैस सिलेण्डर...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए लेकिन जो विषय ले रहे हैं वह आना ही नहीं चाहिए, वह राज्य के विषय ही नहीं हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- अरे, यहां तो राज्य में...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह बोलें तो दूसरे विषय में बोलें हम सुनेंगे । यह सिलेण्डर-महंगाई विधानसभा के विषय ही नहीं हैं । (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- कल ही तो बोला गया था कि गैस-सिलेण्डर पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं । (व्यवधान) कल ही माननीय मंत्री जी ने बोला था । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- घोषणा-पत्र में था । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सिलेण्डर-महंगाई यह हमारा विषय नहीं है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- घोषणा-पत्र में था कि 500 रूपये में गैस-सिलेण्डर देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग बोले थे । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जो विषय राज्य का नहीं है । (व्यवधान) यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- घोषणा पत्र में शामिल था, आप लोग शामिल किये थे । (व्यवधान) आपके घोषणा पत्र में शामिल था । आपने किस आधार पर घोषणा पत्र में शामिल किया ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उसको शामिल किया था, लोगों को गुमारह करने के लिये, बेवकूफ बनाने के लिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कोनो ले नइ सकत हे । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने फिर घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया था ? (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप यह बताईये कि आप किसमें खाना बनाते हैं ? (व्यवधान) लकड़ी से बनाते हैं या सिलेण्डर से बनाते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एखर हा गोबर से बनथे ।

श्री भूपेश बघेल :- क्या शून्यकाल में व्यवस्था होती है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की पूरी बात सुनेंगे लेकिन सिलेण्डर-महंगाई यह सब हमारे विधानसभा के विषय हैं ही नहीं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- योजना का विरोध करने वाले, कहां थे ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब नहीं कर सकते थे तो घोषणा पत्र में क्यों शामिल किये थे ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अभी छाती पीट रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कहां हैं राजीव शुक्ला ? इन लोग संसद में क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- देने का सामर्थ्य नहीं है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, यहां चर्चा ही नहीं होनी चाहिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपकी बातों का समर्थन ही नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उनको पूरा अवसर दीजिये । वह सही दिशा में बातचीत करें । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप अकेले हो गये हैं, महिला विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- यह महिला विरोधी सरकार है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब कर नहीं पाये तो क्यों घोषणा-पत्र में लाये थे ? (व्यवधान)

श्री दिलीप कुमार लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह महिला विरोधी सरकार है।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाएं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब आप कर नहीं पाये तो आपने इसे घोषणा पत्र में क्या लाया था ? जब यह केन्द्र का मामला है तो... (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अजय जी, भांचा अकेले खड़े हैं। आपका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। आप अकेल खड़े हैं। आप अकेल क्यों खड़े हैं ?

श्री दिलीप कुमार लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह महिला विरोधी सरकार है। यह गैस सिलेण्डर की बात सुनना नहीं चाह रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, जब हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोलते हैं तो उधर से टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए । जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तब हमने कभी इस प्रकार से टोका-टाकी नहीं की।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भाभी जी के सम्मान में नेता प्रतिपक्ष मैदान में। आप समझ रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- यह कुछ भी बोलते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह गौरव दिवस मना रहे हैं, इन्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संसद में बोलने के लिए भाभी जी समक्ष हैं। बिल्कुल भाभी जी सक्षम हैं। यह पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जानता है, इधर और उधर दोनों सदस्य जानते हैं कि संसद में श्रीमती ज्योत्सना महंत जी महंगाई या किसी भी विषय को उठाने के लिए पर्याप्त है और यह संसद का विषय है, यह राज्य का विषय नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर गैस सिलेण्डर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तो यह अपने आप राज्य का विषय बन गया। इस सदन में कैसे डिस्कशन नहीं होगा। अगर इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया और जब बयान आया तो यह विषय बन गया। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। (व्यवधान) यह सदन नियम और प्रक्रिया से चलेगा। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, आप यह कह रहे हैं कि यह पेट्रेलियम और गैस का विषय केन्द्र का है, लेकिन माननीय अजय जी आपने मुद्दा तो उठा दिया, आप सुन तो लीजिए। यह विषय केन्द्र का जरूर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां से व्यवस्था होना है, यहां महंगाई बढ़ रही है, यहां कालाबाजारी हो रही है, यहां शॉर्टेज है, यहां जमाखोरी कर रहे हैं। यह व्यवस्था तो राज्य सरकार देखेगी। इसी मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया है कि यहां गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने यह स्वीकार कर लिया है कि यह विषय केन्द्र का है।

श्री भूपेश बघेल :- यहां से व्यवस्था होना है (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यहां कोई बात रिकॉर्ड में आये, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- यह विषय केन्द्र का तो केन्द्र में चर्चा होगी। केन्द्र के विषय पर हम यहां क्या चर्चा करेंगे ? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.09 से 12.18 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :-

12:18 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, अजय चन्द्राकर जी के घर में खाना बनता होगा, वह केन्द्र का विषय है । हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अभी शादियां हो रही हैं, वहां गैस की किल्लत के कारण उनको तकलीफें हो रही हैं, वह केन्द्र का विषय है । बाहर के लोग शहरों में आते हैं, जाते हैं, होटल बंद हो रहे हैं । (शेम-शेम की आवाज) क्या यह केन्द्र का विषय है ? मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बीच में बोल रहा हूं ।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं, मत बोलिए प्लीज़ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दुनिया में तकलीफ हो रही है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं । अजय चन्द्राकर को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस मंच में चर्चा होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- सुनिए न, मैं आपको स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस के लोगों को दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा है क्या ?

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- या कांग्रेस के लोग दिल्ली में बात करने के लिए नहीं है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आपने नेता जी को बोलने की अनुमति दी है । अजय जी बीच में क्यों खड़े हो गए हैं ? आपने नेता जी को बोलने की अनुमति दी है । (व्यवधान)

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे आप खड़े हो गए, वैसे ही हम हो गए । हम कोई भी बात रिकार्ड में नहीं लाने दे सकते । जो राज्य का विषय है, उसकी चर्चा राज्य में होगी, केन्द्र का विषय है, उसकी चर्चा केन्द्र में होगी । (व्यवधान)

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- यहां जमा खोरी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महंगाई बढ़ रही है । गैस सिलेण्डर का रेट बढ़ गई । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको कोई भी बात यहां नहीं लाने देंगे । आपकी कोई भी बात स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसा नहीं होता । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, आप लोगों ने यहां पर मिशन सिन्दूर के ऊपर चर्चा किया है। यहां छत्तीसगढ़ में मिशन सिन्दूर की चर्चा कैसे हुई ? उसकी चर्चा केन्द्र में होनी चाहिए थी।

श्रीमती भावना बोहरा :- यहां सिन्दूर के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- मुझे आसंदी से अनुमति दी है, नेता जी को अनुमति दी है। ..(व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सभी लोग बैठ जाईये। आप लोग बैठिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मुसवा महाराज बैठ जावा।

सभापति महोदय :- सभी लोग बैठे, सहयोग करें। नेता जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, क्या कोई वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो तो बिना उसकी सहमति के यह बोल सकते हैं ? यह जानबूझकर आपकी परम्परा को खराब कर रहे हैं। यहां के नियम-कानून को खराब कर रहे हैं। उनको जो कहना है, वह कहते रहें। इसमें तो सभी लोग भाग ले सकते हैं। मैं चन्द्राकर जी की ओर इंगित नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी कठिनाई नहीं होने दी जायेगी। मैं उनको याद दिला रहा हूं कि हमारे बच्चियों की शादी है, गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। उसकी कालाबाजारी होने लगी है। यहां स्टाक नहीं है।यहां 36.59 लाख गैस उपभोक्ता हैं, उनको गैस मिलना बंद

हो गया है। सड़कों पर लाईन लगी हुई हैं। उन लोग हम लोगों से कहते हैं कि गैस दिलाओ, गैस दिलाओ। इसकी व्यवस्था तो यह करेंगे। गैस की कालाबाजारी हो रही है, आप उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। यदि किसी एजेंसी ने रोक दिया है, आज तक उनको नहीं सुन रहे हैं तो उसकी आप व्यवस्था करेंगे। यह तो राज्य की व्यवस्था है। अव्यवस्था फैली हुई है। घरों में, हम लोग गैस सिलण्डर लाओ, कहकर गाली खा रहे हैं। वह भी तो खा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है तो नहीं खा रहे होंगे। इनको व्यवस्थित करने की जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुन लें। आप इसको स्थगन में नहीं सुनना चाहते हैं तो ऐसे ही सुन लें और आप व्यवस्था करें। बस मेरा इतना ही कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा पाईंट आफ आर्डर है।

श्री भूपेश बघेल :- शून्यकाल में कहां पाईंट आफ आर्डर होता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल के सिवाय कभी भी पाईंट आफ आर्डर हो सकता है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, आपका तो हर चीज में पाईंट आफ आर्डर होता है यार।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सभापति महोदय से ले रहा हूं, चाहे तो वह रिजेक्ट कर दें।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी आते हैं तो उनका पाईंट ऑफ आर्डर होता है, सभापति जी जाते हैं तब उनका पाईंट ऑफ आर्डर होता है। हम नीचे आयेंगे तब उनका पाईंट ऑफ आर्डर, आप बिना पाईंट ऑफ आर्डर के चल ही नहीं सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- इनका नाम ही पाईंट ऑफ आर्डर है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपका विषय ही **अंट संट** रहता है। वह किसी परम्परागत बिन्दु में नहीं आता है। इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है। अभी आपको बाहर के लोग गाली देंगे। आप उससे बचे रहो और मेरी बात को सुनो। आप यहां व्यवस्था करवाओ, यहां गैस की कालाबाजारी ना हो, यही बात है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको महिलाएं छोड़ेंगी नहीं।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, जो वैश्विक घटना घटी है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि उस युद्ध के कारण से हम सबका जीवन प्रभावित हुआ है। न केवल प्रदेश में, बल्कि देश में भी गैस सिलेण्डर की भारी किल्लत है और हमारा प्रदेश अछूता नहीं है। चूंकि सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं। अलग-अलग राज्यों में भी इस प्रकार की चिंता व्यक्त की जा रही है, केन्द्र सरकार के द्वारा भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि किसी को परेशान नहीं होना है। लेकिन परेशानी हो रही है। लोगों को गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। व्यवसायिक सिलेण्डर तो बिलकुल बंद ही कर दिया गया है। बड़े शहरों के 50 प्रतिशत होटल बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी होटलें बंद होने की खबरें आ रही हैं। होली के पहले जिनको सिलेण्डर मिल गया था, वही चल रहा है। अब कामर्शियल गैस सिलेण्डर मिलना बंद हो गया तो सारे होटल बंद हो जायेंगे। सारी

गतिविधियां बंद हो जायेगी। शादी का सीजन है, शादियां बंद हो जायेगी। नेता जी वही बात कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि न केवल गैस सिलेण्डर बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलना बंद हो गया है। इसमें ब्लेक मार्केटिंग करने वाले नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पेट्रोल पंप भी बंद होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ..। संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, ..।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाने दीजिये, उसके बाद आपको जो जवाब देना है, जवाब दीजिये।

सभापति महोदय :- इसके बाद अजय जी बोल लेंगे, फिर आप बोल देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज बिना गैस के किसी के घर का चूल्हा नहीं जल सकता है, भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है, यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि हमको कितना गैस सिलेण्डर सप्लाई हो रहा है ? कामर्शियल गैस सिलेण्डर कितना सप्लाई हो रहा है ? हमारे पास कितना स्टाक है ? उसकी किस प्रकार से आपूर्ति हो रही है ? यदि कोई जमाखोरी कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या तैयारी है ? और सही दाम पर मिले, यह सुनिश्चित करें, सही समय में मिले, यह सुनिश्चित हो, इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया । यह बहुत महत्वपूर्ण है और हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा कोई घर अछूता नहीं रह सकता, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है। आज सबको गैस सिलेंडर की जरूरत है और सभी लोग चिंतित हैं। हमारे घरों में परेशानी है, सब लोग कह रहे हैं कि आखिर गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो खाना कैसे पकेगा? सभापति महोदय, यह चिंता है और इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करा लें, क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश की चिंता करें कि हमारे यहां कमर्शियल गैस या घरेलू गैस की क्या स्थिति है? पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति क्या है? इसके बारे में शासन से, सत्ता पक्ष से यही आग्रह है, इसे ग्राह्य कर लें और चर्चा करा लें।

सभापति महोदय :- मेरे पास प्रदेश में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति में हो रही समस्या के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना का विषय भारत शासन से संबंधित होने के कारण मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी और व्यवस्था के बाद इनको मानना चाहिए। ये और पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से

बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जमाखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैनिक कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, शून्य काल के लिए आग्रह है।

समय :
12:28 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस</u>

1. डॉ. चरण दास महंत
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्री कवासी लखमा
4. श्रीमती अनिला भेंडिया
5. श्री उमेश पटेल
6. श्री बघेल लखेश्वर
7. श्री दलेश्वर साहू
8. श्री भोलाराम साहू
9. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
16. श्री इंद्रशाह मण्डावी
17. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
18. श्री विक्रम मंडावी
19. श्रीमती विद्यावती सिदार

20. श्री फूलसिंह राठिया
21. श्री अटल श्रीवास्ताव
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
23. श्री ब्यास कश्यप
24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती चातुरी नंद
26. श्रीमती कविता प्राण लहरे
27. श्री इन्द्र साव
28. श्री जनक ध्रुव
29. श्री ओंकार साहू
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

सभापति महोदय :- कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए निरंतर नारे लगाये गये)

(निलंबित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर गये)

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, शून्य काल के लिए आग्रह है। सभापति महोदय, कल विपक्ष के नेता हमारे भिलाई के विधायक, समाचार पत्रों के आधार पर बहुत संज्ञान ले रहे थे। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से अपने विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि विधायक का संरक्षण जो है, वह तो व्यावहारिक है। दिनांक 22/03/2024 को छत्तीसगढ़ के एक विधायक ने अपने खिलाफ हुए राजनीतिक षड्यंत्र के लिए एक पत्र पुलिस अधीक्षक, भिलाई को संबोधित करते हुए भेजा, जिस पर उनके मीडिया प्रतिनिधि द्वारा थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। कल तो बहुत रो रहे थे, छाती पीट रहे थे कि जो विषय संवैधानिक व्यवस्था के तहत नियमानुसार कोई पत्राचार नहीं हुआ, उस पर बहुत संरक्षण की मांग कर रहे थे। आज मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं या शून्य काल में यह विषय उठाना चाहता हूं कि संबंधित विधायक को 8 बार नोटिस जा चुका है । आज शासन सहयोग करना चाहता है। देवेन्द्र यादव जी और हेमंत पाणीग्रही ने भिलाई थाने में एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई। एक विधायक जो प्रशासन से आग्रह भी नहीं किया, उस पर बहुत छाती पीट रहे थे और एक विधायक एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाद घर में बैठा हुआ है और उसकी सुरक्षा के लिए आठ बार प्रशासन सहयोग कर रहा है। देवेंद्र यादव जी प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे और प्रतिपक्ष से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाया जाता है कि विधायकों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा, सुरक्षा नहीं दी जा रही है।

यहां पर दोहरा मापदंड क्यों है? सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन को यह विषय अवगत करा रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो बात उठाई है, वह बड़ा गंभीर विषय है। मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष ने या भूपेश बघेल जी ने उस विषय पर निलंबन किया, स्वीकार किया और वहां बैठे रहे। उन्होंने उल्लेख किया कि संसदीय कार्य मंत्री बुलाने में लेट हो गए, हम भाग लेना चाहते थे, कई प्रकार की बातें हुईं। जब एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, पुलिस बुला रही है और यदि वे भारत के नियम-कानून का सम्मान करते हैं तो उनको अपने विधायक को ले जाकर पुलिस के पास प्रस्तुत करें, शासन की मदद करें और कानून का सम्मान करें। ऐसी क्या मजबूरी है कि वह थाने में जा नहीं रहे। वह यह भेज नहीं रहे हैं, ना ही आग्रह कर रहे हैं और हमारे विषय में वह राजनीति कर रहे हैं। अभी विधान सभा सत्र चल रही है, इसलिए इसमें विपक्ष को कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। आज गृह मंत्री जी नहीं हैं। गृह मंत्री जी रहते तो निश्चित रूप से मैं उनसे कार्यवाही की मांग करता।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

समय :

12:32 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) मुंगेली जिला एवं अन्य जिलों से जोड़ने वाली सभी सड़कों की स्थिति जर्जर होना.

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला मुंगेली एवं जिला से जुड़े अन्य जिलों के खराब एवं जर्जर सड़कों जैसे- बरेला से तखतपुर, कुकुसदा, बरछा 35 कि.मी. कोदवाबानी से कुरसी 3 कि.मी., डी. 2 गिधा से कोदवाबानी, चंदली 13 कि.मी., दाबो से छटन 8 कि.मी., रामगढ़ से खैरवार 5 कि.मी., डी. 2 गिधा से बरछा कुकुसदा 12 कि. मी., ढोढमा से गोईन्द्री 7 कि.मी., मेन रोड़ धरमपुरा, सोंढार से जगताकापा 12 कि. मी., पौनी से डोडा 5 कि.मी., पेंडाराकापा से सेतगंगा 16 कि.मी., मेन रोड से फंदवानी 5 कि.मी., जुझारभाठा से चमारी 5 कि.मी., मंगेली से नवागढ़ 16 कि.मी., मुंगेली से नांदघाट 33 कि.मी., एन.एच. तखतपुर से बरेला, मुंगेली से फंदवानी 25 कि.मी., बरछा से सेमरसल, भठलीखुर्द 5 कि.मी., गिधा से भटगांव 5 कि.मी., किशनपुर, दशरंगपुर, ढोढमा से गोईन्द्री 7 कि.मी., जैसे बहुत सारे अन्य सड़क मार्गों की स्थिति अत्यंत ही खराब, जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। अधिकांश सड़कों का निर्माण लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व हुआ है। सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं और गंभीर दुर्घटनाए हो रही हैं, जिससे आम जनमानस को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन दुर्घटना में कई लोग अपाहिज हो गये हैं व

कई लोगों की अकाल मृत्यु भी हो गई है। उपरोक्त सड़कों का आज दिनांक तक मरम्मत/नवीनीकरण कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र की आम नागरिकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

समय :

12:34 बजे

<u>निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वतः निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)</u>

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, मुंगेली जिला की सड़कें एवं जुड़े हुए जिले के उल्लेखित 18 सड़कों में से 9 सड़कें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पूर्व में निर्मित हैं, जो संधारण अवधि के अंतर्गत हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 3 सड़कें खराब हैं, जिसके निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। बेमेतरा, नवागढ़, मुंगेली एवं नांदघाट मार्ग के चौड़ीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 130A तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, पण्डरिया शहरी भाग में वन-टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है।

लोक निर्माण विभाग के अधीन

तखतपुर कुकुसदा मार्ग लं. 16.50 कि.मी. के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए दिनांक 12.12.2025 को 25.56 करोड़ रूपये कयी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

गीधा से कोदवाबानी लं. 5.80 कि.मी. का वर्तमान में मरम्मत कार्य कराया गया है है औ तथा इस मार्ग के निर्माण के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए 13.45 करोड़ रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है ।

सोढ़ार से जगताकांपा मार्ग लं. 2.50 कि.मी. वर्ष 2020-21 में नवीनकीरण का कार्य किया गया है, इस मार्ग में साधारण मरम्मत के तहत डब्यू.एम.एम. पेच रिपेयर का कार्य वर्षाऋतु उपरांत किया गया था तथा मार्ग के 400 मीटर लंबाई में विशेष मरम्मत मद हेतु 48.26 लाख स्वीकृत भी किया गया है, जिसकी निविदा आमंत्रित की गई है ।

बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली मार्ग (राज्य मार्ग क्रं.-07) लंबाई 42.00 कि.मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजनांतर्गत 122.33 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

दि. 16.05.2025 को प्राप्त है । चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 29.01.2026 को जारी किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है । मार्ग में यातायात सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है ।

मुंगेली से नांदघाट मार्ग लंबाई 36.40 कि.मी. के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य लं. 36.40 कि.मी. हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजना अंतर्गत दिनांक 14.10.2024 को राशि रू. 116.53 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है । कार्य की निविदा प्राप्त है, निविदा स्वीकृति उपरांत शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया-पोंडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.-130 ए में तखतपुर से बरेला 5.5 कि.मी. का भाग आता है । इस मार्ग में मनियारी नदी पर स्थित सबमर्सिबल पुल के साथ पुल के दोनो तरफ संधारण एवं मरम्मत कार्य ककपूर्ण किया गया है ।

तखतपुर शहरी भाग 5.551 कि.मी.मुंगेली शहरी भाग 3.565 कि.मी. पंडरिया शहरी 4.551 कि.मी. पोंड़ी शहरी भाग लंबाई 1.590 कि.मी. कुल लंबाई 15.257 कि.मी.के वन टाईम इम्प्रूवमेंट के लिये भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त है । वर्तमान में अनुबंधक को कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अनुबंधक के द्वारा कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है । राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आने वाले मार्ग तखतपुर शहरी भाग से बरेला मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन

डी.2 गीधा से कोदवाबानी, चंदली 13 कि.मी. में से कोवाबानी से बंधवापुर लंबाई 10.41 कि.मी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्ग है ।

कोदवाबानी से कुरसी 3 कि.मी. :- कोदवाबनी से कुरसी सड़क लंबाई- 5.36 कि.मी.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वर्ष 2024-25 में स्वीकृत है । निर्माण कार्य प्रगतिरत है ।

छटन से दाबों सड़क लंबाई- 7.30 कि.मी.- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित है । सड़क में नवीनीकरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

पेंडराकापा से संतगंगा 16 कि.मी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नवीनीकरण पस्ताव प्रक्रियाधीन है।

गिधा से भटगांव 5 कि.मी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत है सड़क की स्थिति खराब है । सड़क डी2 नहर से भटगांव लंबाई-4.09 कि.मी.राशि- 255.70 लाख का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है । जुझारभाठा से चमारी 5 कि.मी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत है। सड़क की स्थिति खराब है। सड़क जुझारभाठा से चमारी लंबाई 4.05 कि.मी. निर्माण के लिए 1.12 करोड़ का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। D2 गिधा से बरछा कुकुसदा 12 कि.मी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत है। सड़क की स्थिति खराब है जिसमें D2 नहर से भटगांव लंबाई 4.09 कि.मी. निर्माण

के लिए 2.55 करोड़ रुपये का प्राक्कलन एवं D2 नहर भटगांव से कुकुसदा लंबाई 8 कि.मी. निर्माण के लिए 5.18 करोड़ रुपये का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए सड़क जो वर्तमान में संधारण अवधि अंतर्गत है, जो कि इस प्रकार है :-

बरछा से सेमरसल, भठलीखुर्द 5 कि.मी., बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग से भठलीखुर्द सड़क लंबाई 9 कि.मी., मुख्य मार्ग मुंगेली पंडरिया (बाघामुड़ा) से बुचीपारा लंबाई 5.0 कि.मी., किशनपुर दशरंगपुर ढोढमा से गोईन्द्री 7 कि.मी., भीमपुरी से ढ़ोटमा लंबाई 8.10 कि.मी., मेन रोड से फंदवानी 5 कि.मी., टी07 से बुचीपारा लंबाई 5.0 कि.मी., मेन रोड धरमपुरा सोढ़ार से जगताकांपा 12 कि.मी., जगताकांपा से बछेरा लंबाई 9.54 कि.मी., पौनी से डोडा 5 कि.मी., टी06 से जल्ली लंबाई 4.20 कि.मी., ढोढमा से गोईन्द्री 7 कि.मी., भीमपुरी से ढ़ोटमा 8.10 कि.मी., रामगढ़ से खैरवार 5 कि.मी., (टी02 बिलासपुर मुंगेली रोड से रामगढ़ से जमहा गिधा) एमडीआर लंबाई 9.70 कि.मी., बरछा से कुकुसदा लंबाई 10.26 कि.मी.।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कें जो वर्तमान में संधारण अवधि के अंतर्गत हैं। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सड़कों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है तथा सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। सड़कों में नियमित रूप से संधारण का कार्य किया जा रहा है। आम जनता में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण लाने का कारण मैं आपको बता देता हूं। एक्सीडेंट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है, उसमें माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। थाना जरहागांव में एक वर्ष के अंतर्गत बाइक, कार, बस, पिकअप एवं अन्य में 27 प्रकरण दर्ज किए जिसमें 12 मृतक, 34 घायल हुए। 2026 में 5 प्रकरण दर्ज किए जिसमें 3 मृतक और 6 घायल हुए। इस तरह 32 प्रकरण में 14 मृतक और 40 घायल हुए। यह रिपोर्ट थाने से आई है, यह जरहागांव का है।

सभापति महोदय :- मोहले जी प्रश्न करिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न करूंगा, पहले बता दूं कि एक्सीडेंट का जवाब नहीं दिया तो क्या-क्या एक्सीडेंट हुए, मैं इसका कारण बता रहा हूं। दूसरा, मुंगेली जिला थाने के अंतर्गत 46 प्रकरण दर्ज हुए, 13 मृत पाए और 39 घायल हुए तथा 2026 में 6 प्रकरण दर्ज किए 3 मृतक पाए और 3 घायल हुए। इस तरह से 82 लोग लगभग घायल हुए और 36 लोगों की मृत्यु हुई। इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लोगों की एक्सीडेंट हर समय हो रही हैं। आपने तीन प्रकार के रोड बताए। पहला लोक निर्माण विभाग, दूसरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं आपको मुख्यमंत्री रोड के बारे में बताना चाहूंगा, यह संधारण के लिए विचाराधीन है।

प्रधानमंत्री रोड में संधारण का क्या मतलब है, मुझे बताईए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। संधारण की समय सीमा क्या रहती है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, संधारण का मतलब मरम्मत से होता है। जहां तक माननीय वरिष्ठ सदस्य जो मेरे गार्जियन के जैसे हैं, यह सही है कि ग्रामीण विभाग की सड़कें पिछले 5 सालों में मरम्मत नहीं होने से उसकी स्थिति खराब है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उन सड़कों की मरम्मत के लिए लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है तो जो मुंगेली से अन्य जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं, लगभग उन सारी सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है। जैसे मुंगेली से नांदघाट-मुंगेली मार्ग 36.40 किलोमीटर है। इसका प्रशासकीय आदेश जारी होकर निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यह कार्यादेश जारी होगा। इसके लिए 116 करोड़ 53 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इसी तरह से मुंगेली से बेमेतरा नवागढ़-मुंगेली मार्ग 43 किलोमीटर है। इसके लिए 122 करोड़ 34 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2024 को हुई है और यह कार्यादेश जारी हो गया है। तेज गति से काम चल रहा है। इसी तरह से मुंगेली के महत्वपूर्ण मार्ग, जिसकी लगातार चर्चा होती थी। तखतपुर-कुकुसदा मार्ग 16.50 किलोमीटर है। इसके लिए 25 करोड़ 56 लाख 44 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.12.2025 को हुई है और यह निविदा प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से मुंगेली विधान सभा में लगभग 50 करोड़ रूपये से अधिक के छोटे-छोटे करीब 13 काम हैं। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 300 करोड़ रूपये के आसपास की स्वीकृतियां यहां पर दी हैं और भी जो काम बचे हैं, निश्चित रूप से हम उसे प्राथमिकता से करेंगे। जहां तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम का विषय है तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन कामों में गति लायें। वास्तव में जो सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत हो और लोगों को जो तकलीफ हो रही है, वह तकलीफ दूर हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, जैसे मुख्यमंत्री रोड है तो इस रोड के विषय में आपने जवाब भी दिया है कि यह रोड बन नहीं पा रही है। यह मरम्मत योग्य है तो क्या आप मुख्यमंत्री जी के विभाग से या पंचायत विभाग से NOC लेकर आपके विभाग द्वारा मरम्मत कराएंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, सड़कों के हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे। जहां तक मेंटनेंस का, संधारण का विषय है तो परफॉरमेंस गारंटी का एक निश्चित 5 साल का पीरियड होता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की बहुत सी सड़कें, जिनके नाम का उल्लेख किया है, वह पी.जी. की अवधि में हैं। मैंने अधिकारियों से कहा है कि स्वयं जाकर देखें और परफॉरमेंस गारंटी पीरियड में जो सड़कें हैं, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। यदि जरूरत है तो ठेकेदार से उसका मेंटनेंस करायें और यदि ठेकेदार नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही भी करें। यह भी मैंने E.N.C. से कहा है। तो निश्चित रूप से हम सड़कों के मामले में

पूरी तरह से गंभीर हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद राज्य में हम सड़कों के लिए तेज गति से काम कर रहे हैं और जो सड़कें अभी भी बची हुई हैं, उनकी भी हमको चिंता है कि सभी सड़कें ठीक हों, दुरूस्त हों, लोगों को आने-जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको स्वीकृति देने के लिए या विभाग से कार्रवाई करने के लिए बोला है। एक और विषय है-NH 130 बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग। इस मार्ग में आपने तखतपुर के शहरी क्षेत्र को तो बना दिया। तखतपुर के बाद बरेला है, जहां जय स्तंभ के पास आप भी आते-जाते होंगे। वहां बहुत गड्ढे रहते हैं। उसके बाद जरहागांव के पास है, उसके बाद सीधा मुंगेली गांव है। मुंगेली में चातरखार के पास, बाघामुड़ा के पास और अन्य स्थानों में इतने गड्ढे हैं कि वहां एक्सीडेंट ज्यादा होते रहते हैं तो जिस भी मद में हो, यह आपके नियम की बात है। लोगों को तो मरम्मत चाहिए, जिससे मजबूतीकरण हो और लोगों को रोड से आवागमन की सुविधा को मिले। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आप इसको कराएंगे?

समय:

12.50 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि तखतपुर का शहरी भाग 5.51 कि.मी है, वह बरेला तक जाने वाला है। उसी तरह से मुंगेली का शहरी भाग 3.565 कि.मी., पंडरिया का 4.551 कि.मी. और पोड़ी शहर का 1.590 कि.मी. है। माननीय सभापति महोदय, आप आसंदी पर विराजित है। पिछली बार आपने ही यह मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया था और अधिकारियों से लगातार प्रयत्न करके इन कामों की स्वीकृति हो गयी है, टेण्डर हो गया है, एजेंसी निर्धारित हो गयी है और बहुत जल्दी उस काम को पूरा करेंगे। तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया और पोड़ी, यह सभी जो शहरी भाग, मुख्य भाग है और जिनकी स्थिति खराब है, उसमें आपके, आदरणीय मोहले जी के और भावना जी के प्रयत्नों से यह सड़कें हमने स्वीकृति करवाई है और सारी कार्रवाई हो गयी है। इसका काम बहुत जल्दी पूरा करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय,।

सभापति महोदय :- आप मुंगेली जिले में कहां पूछेंगे। एक मिनट अभी मोहले जी को पूछने दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप माईक चालू कर लीजिये। आपकी आवाज नहीं आ रही है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति मतहोदय, आपने स्वीकृति कर दी है और वह आपके शहरी एरिया में हुआ है लेकिन ग्रामीण एरिया में नहीं हुआ है। शहरी एरिया तखतपुर तक तो हो गया है,

आपने बहुत बढ़िया किया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परंतु जब आप बरेला जायेंगे तो गड्ढे वहीं हैं। मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं। उसके बाद आप शहरी एरिया बोल रहे हैं। शहरी एरिया में चातरखार है, ग्रामीण एरिया है, बाघामोड़ा है। आपने देखा होगा कि आपका बाईपास धनगांव साइड में निकलता है। इस एरिया में बाघामोड़ा से ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता है। मुंगेली का शहर एरिया, जहां पर आपका चौगड्डा, पेंडारा कांपा जाने के आगे मार्ग में भी गड्ढे हैं, तो ऐसे गड्ढे को आप जिस भी लाईन में कहे या यदि ठेकेदार ने ठेका ले लिया है तो उससे भी आप करा सकते हैं या आप इसकी मरम्मत करा सकते हैं। मेरा उद्देश्य प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो, चाहे आपकी सड़क हो, इन तीनों सड़कों के लिए मेरा अनुरोध है। चूंकि आप मुंगेली जिले से आते हैं, आप हमको घर का मानते हैं तो हम आपको भतीजा, लड़के जैसा मानते हैं। आप तो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सड़कों को देखें और जहां जिस सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। क्या आप उनकी प्रशासकीय स्वीकृति करायेंगे, मैं यही कहना चाहता हूं ?

श्री अरूण साव :- सभापित महोदय, यह सही है कि मैंने कहा कि मोहले जी मेरे अभिभावक जैसे हैं। मुझे बचपन से उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। बजट में जो भी सड़क है, आप निश्चित रूप से जो प्राथमिकता से देंगे उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जहां तक आपने बरेला की सड़क की बात की है तो यह जो नेशनल हाईवे में स्वीकृत हुआ है, वह बरेला तक ही जाने वाली है, उसमें मुंगेली का भी हिस्सा शामिल होगा। यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार करके कार्रवाई करेंगे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे। जल्दी पूछ लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहत रेहेव कि जैसे नेशनल हाईवे में चंद्रहासिनी मंदिर के सब झन दर्शन करे जात हव। प्रदेश के मन भी जात हे अउ अन्य प्रदेश से भी जात हे।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ना कि आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, जो चंद्रहासिनी मां के मंदिर हे, वहां के जो रोड है, वह लगभग 4 कि.मी. हे। वह नेशनल हाईवे में आत हे। मैं आप ला प्रस्ताव भी दे हव अउ आप सचिव ला मार्क भी करे हव ओला ध्यान में रखकर करवा देत हवय। दूसरा, सुखदा से लेकर देवरघट्टा तक।

सभापति महोदय : सुनिये ना, ध्यानाकर्षण में आपका विषय नहीं है। परंतु आपने ध्यान आकृष्ट करा दिया तो उसको मंत्री जी देख लेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, मैं आपके ध्यानाकर्षण में ला रहा हूं कि सुखदा से कोटमी तक की सड़क को दिखवा लीजियेगा।

(2) कृषि विकास एवं किसान कल्याण की योजनाओं का चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वयन में होने वाली समस्याएं।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि प्रदेश में अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण की व्यवस्था अनियमितता की भेंट चढ़ चुकी है और इसमें अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के इच्छुक किसानों का पंजीयन बड़ी कंपनियों की दया और चैम्प्स प्रभारी अधिकारी के मर्जी के बिना कराया जाना असंभव है। ट्रैक्टर जैसे बड़े कृषि यंत्र का पंजीयन केवल सोनालिका और महिन्द्रा जैसी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित होकर रह गया है। इस संबंध में एक शिकायत भी मिली थी, जिसकी जांच करवाने और पंजीयन को निरस्त करने का झूठा दिखावा किया गया और नये सिरे से पंजीयन कराने का वादा किया गया किन्तु इसमें भी पुरानी कंपनियों को ही तरजीह दी गई और पंजीयन की व्यवस्था ऐसी है कि यदि कोई जरूरतमंद किसान स्वयं पंजीयन करना चाहे तो वह उसमें पंजीयन करा ही नहीं सकता है, इसमें केवल कंपनियों की मनमानी चलती है और चहेती कंपनियों को लाभ दिया जाता है। कृषि यंत्र सेवा केन्द्र और मशीन बैंक की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को चैम्प्स प्रणाली से दूर रखा गया है ताकि इसमें कृषि यंत्रियों के माध्यम से बड़ा कमीशन सीधे लिया जा सके। भ्रष्टाचार की व्यवस्था और पुख्ता बनाने के लिये दबावपूर्वक अलग संचालनालय बनाया जा रहा है जबकि इसके लिये पर्याप्त अमला ही नहीं है। । इस पूरी व्यवस्था को बड़े डीलर और बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिये माध्यम बनाया गया है और किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले विधान सभा सत्र में चैम्प्स-2 प्रणाली को लागू करने की बात कही गई थी जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। भारत सरकार की योजना में कृषक चयन से लेकर लक्ष्य निर्धारण तक पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के निर्देश हैं किन्तु इस व्यवस्था में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सीमित कर दिया गया है और जिला एवं जनपद पंचायतों के अधिकार उनसे छीन लिये गये हैं। अनियंत्रित तथा लक्ष्यहीन इस प्रक्रिया कृषि यांत्रिकीरकण के क्षेत्र असंतुलित विकास हो रहा है। जहां एक ओर पिछड़े क्षेत्र यांत्रिकीकरण से अछूते रह गये हैं, चैम्प्स प्रभारी अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम से कृषि यंत्रों की एजेंसी लेकर एवं उन्हें बीज निगम में पंजीकृत कराकर छलपूर्वक उन्हें लाभ दिलाकर स्वयं भी लाभ अर्जित कर रहे हैं। चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से कृषि यांत्रिकीकरण में हो रहे असंतुलित विकास और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, चैम्प्स अधिकारी तानाशाही रवैये के प्रति प्रदेश के किसानों और आम जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

कृषि विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण की व्यवस्था अनियमितता की भेट चढ़ चुकी है और इसमें अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के इच्छुक किसानों का पंजीयन बड़ी कंपनियों की मर्जी के बिना कराया

जाना असंभव है। अपितु सही यह है कि प्रदेश में किसानों को चैम्प्स के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 1600 ट्रैक्टर एवं 1877 शक्ति चलित कृषि यंत्र जैसे पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, कल्टिवेटर, विडर, रिपर, हार्वेस्टर तथा 2025-26 में फरवरी 2026 तक 175 ट्रैक्टर एवं 754 शक्ति चलित यंत्रों का अनुदान पर वितरण कृषकों को किया गया है।

ट्रैक्टर जैसे बड़े कृषि यंत्र के पंजीयन के संबंध में प्राप्त शिकायत को राज्य शासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन के पत्र दिनांक 01.09.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन कम्पानेंट क्रमांक-1 अंतर्गत ट्रैक्टर अनुदान हेतु ऑनलाईन प्राप्त कृषक आवेदनों को निरस्त कर पुन: नये सिरे से आवेदन किये जाने के निर्देश जारी किये गये, जिसके परिपालन में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (चैम्प्स प्रकोष्ठ) के पत्र क्र. /मुख्या /चैम्प्स /लक्ष्य/ 2025-26/ 182 दिनांक 03.09.2025 द्वारा वर्ष 2025-26 के समस्त ट्रैक्टर प्रकरणों को चैम्प्स वेबसाईट से निरस्त किया गया है। इसके उपरांत ट्रैक्टर हेतु ऑनलाईन नवीन पंजीयन दिनांक 09.10.2025 से प्रारंभ करने की सूचना छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (चैम्प्स प्रकोष्ठ) के पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा समस्त पंजीकृत ट्रैक्टर प्रदायक, संचालक कृषि, संचालक उद्यानिकी, समस्त जिला कलेक्टर्स, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त उप संचालक कृषि, समस्त सहायक संचालक उद्यान को सूचित किया गया, इसके अतिरिक्त संचालक जनसंपर्क को दैनिक समाचार पत्र में तदाशय की सूचना प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया गया है। ट्रैक्टर पंजीयन के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो, इसकी व्यवस्था अिग्रम रूप से सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध संचालक गुजरात ग्रीन रिव्योल्यूशन कंपनी लिमिटेड बड़ोदरा को निर्देश दिये गये। इस प्रकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्यवाही की गई है।

समय :
1.00 बजे

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के अंतर्गत संचालित चैम्प्स प्रकोष्ठ के माध्यम से अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्रों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के आदेश दिनांक 10.06.2025 द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । इसी प्रकार प्रकरण के तकनीकी पहलुओं पर जांच हेतु गठित समिति, जिसमें शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर, एन.आई.सी. तथा चिप्स के विशेषज्ञ सम्मिलित थे, का प्रतिवेदन भी अध्यक्ष के पत्र क्रमांक 1533 दिनांक 26.02.2026 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है अत: यह सही नहीं है कि प्रकरण की जांच कराने एवं पंजीयन को निरस्त करने का असत्य दिखावा किया गया है ।

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन हेतु जारी मार्गदर्शी निर्देशों में उल्लेख अनुसार कृषि यंत्र सेवा केंद्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना संबंधी घटकों को क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड सब्सिडी के माध्यम से ही संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं चूंकि चैम्प्स के तहत् इन निर्देशों का पालन करने में होने वाली संभावित व्यवहारिक समस्याओं के दृष्टिगत कृषि यंत्र सेवा केंद्र एवं फार्म मशीनरी बैंकों को चैम्प्स प्रणाली से पृथक रखा गया है । अत: इन घटकों को चैम्प्स प्रणाली से जानबूझकर दूर रख कमीशन प्राप्त करने संबंधी कथन तथ्यहीन है ।

यह कहना सही नहीं है कि पंजीयन की व्यवस्था ऐसी है कि यदि कोई जरूरतमंद किसान स्वयं पंजीयन करना चाहे तो वह उसमें पंजीयन करा ही नहीं सकता है इसमें केवल कंपनियों की मनमानी चलती है और चहेती कंपनियों को लाभ दिया जाता है अपितु सही यह है कि चैम्प्स के अंतर्गत किसानों को बीज निगम के जिला कार्यालय, जिले के उप संचालक कृषि एवं सहायक संचालक उद्यान कार्यालय, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीयन की सुविधा प्रदाय की गई है जिसमें कृषकों को अपनी पसंद की कंपनी एवं डीलर से कृषि यंत्र प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें चैम्प्स प्रकोष्ठ अथवा इससे जुड़े हुए किसी भी अधिकारी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

चैम्प्स के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी अधिकारी या किसी कर्मचारी की स्वयं अथवा रिश्तेदार के नाम से कृषि यंत्रों की एजेंसी होने संबंधी तथ्य वर्तमान में संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसी कोई जानकारी या तथ्य प्रकाश में आता है तो यथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी । पारदर्शी व्यवस्था को बहाल करने शासन द्वारा यथा संभव प्रयास किये गये हैं अत: कृषि यांत्रिकीकरण में हो रहे असंतुलित विकास संबंधी कथन भी आधारहीन है । फरवरी, 2026 तक 175 ट्रैक्टर एवं 754 शक्ति चलित यंत्रों का अनुदान पर वितरण कृषकों को किया गया है तथा वे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर चुके हैं अत: किसानों एवं आम जनता में रोष संबंधी कथन भी निराधार है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- एक मिनट । यह इतना लंबा 3 पेज का जवाब है । कोई भी ध्यानाकर्षण में इतना लंबा जवाब अभी तक के मैंने नहीं देखा है ।

श्री रामकुमार यादव :- जवाब नो हे साहब, ओहा पढ़े हे ।

सभापति महोदय :- आपने उसका अध्ययन कर लिया होगा, अब आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्रीमती चातुरी नंद :- जी, बिल्कुल । माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के किसान मन ला अनुदान में कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाये के एक महत्वपूर्ण योजना में भ्रष्टाचार होत हावय । किसान मन ला अनुदान में ट्रेक्टर दिये जाथे, लेकिन कृषि विभाग और जिम्मेदार अफसर मन के सांठगांठ करके

चुनिंदा ट्रेक्टर मालिक, ट्रेक्टर कंपनी के द्वारा यह योजना ला हैक कर लिये गे हावय और कमीशन ले करके अपन चहेते व्यक्ति ला फायदा दिलाय जात हे । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहत हंओं कि मात्र 2 कंपनी के द्वारा अधिकतम एंट्री करे गे हावय, का ओ दूनों कंपनी ला कोनो विशेष प्रकार के सुविधा प्रदान करे गे रिहिस हे, बाकी कंपनी मन ला ए सुविधा काबर नइ मिलिस ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इनका आपत्तिजनक बयान है, इन्होंने जो प्रश्न किया है। हमने कमीशन, अनियमितता के संबंध में पूरा उत्तर वक्तव्य में दिया है। मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर माननीय सदस्य को प्रश्न करना चाहिए। जहां तक अनियमितता और कमीशन की बात है या किसी कंपनी विशेष की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को और इनको अवगत करवा दूं कि इस तरह की जो भी शिकायतें हैं इस संबंध में हमने पिछली विधान सभा में घोषणा की थी, उस घोषणा के आधार पर हमने पूरा ऑन लाईन मंगवाया। उसके आधार पर सभी प्रक्रिया जारी हुई। वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में अलग-अलग कंपनियों का जो भी उनको मिला था, उसके आधार पर हमने सभी को वितरण किया। अब इसमें तो ऑनलाईन है और ऑनलाईन की व्यवस्था की गई। लोगों ने आवेदन दिया। अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग सिस्टम होता है। मैं आपको और सदन को अवगत करा देना चाहूंगा कि यह सही बात है कि जितनी बड़ी कंपनियां रहती हैं, उतना ही उनका सेटअप होता है। शासन के जितने भी निर्देश होते हैं जब इस तरह की योजना चलती है, उनकी कंपनी के जितने सेटअप होते हैं सब एक्टिव होकर, एक साथ सभी जिलों में पहले टेक ओव्हर कर लेते हैं। जिनके पास अधिक सिस्टम होगा, उनके सारे तमाम् ऑपरेटर कम्प्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, वह सबसे पहले उनका आवेदन ले लेते हैं और बहुत सारी कंपनियां अपना-अपना ऑफर भी देती हैं कोई यह कहता है कि हमारा ट्रेक्टर ले लीजिए, हमारा ट्रेक्टर ले लीजिए। अगर आप हमारा ट्रेक्टर ले लेंगे तो आपको यह सुविधा देंगे। यह बात सही है। हम लोग किसान हैं, हम इस बात को जानते हैं। हम ट्रेक्टर लेते हैं और बाकी समान भी लेते हैं। तो इस प्रकार से किसान लोग उससे भी आकर्षित होकर, उसका ट्रेक्टर लेने के लिए एक रूचि दिखाता है। उनकी रूचि के आधार पर ही ट्रेक्टर प्रदाय किया जाता है। अब इसमें अलग-अलग कंपनियां हैं, जिसमें स्वराज ट्रेक्टर को मिला है, पावर ट्रेक को मिला है, महिन्द्रा को मिला है, जॉनडियर को मिला है, फार्मटेक को मिला है, आईचर को मिला है, सोनालिका को मिला है, सोनिस को मिला है, टेकेप को मिला है, kubota tractors को मिला है, न्यू हालेंड, वेमेक्स, एसको, वीटीएस को मिला है। इस तरह से वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 1600 दिया है इसी प्रकार से हम अलग-अलग वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 की बात करें। इसी प्रकार से वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 की बात करें तो 175, यह आपने उत्तर में दिया है। इसमें भी स्वराज ट्रेक्टर को मिला है, पावर ट्रेक को मिला है, महिन्द्रा को मिला है। वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 की बात करें तो स्वराज ट्रेक्टर को 03 और पॉवर ट्रेक को 07 और महिन्द्रा को 39 और जॉनडियर को 16 मिला है, आईचर को 11 मिला है, सोनालिका को 73 मिला है,

सोनिस को 01 मिला है, टेफेप को 11 मिला है, kubota tractors को 08 मिला है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मनमाने तरीके से हम यह बोल रहे हैं कि फलानी कंपनी है, आपको इतना दे रहे हैं। किसी को यह अधिकार भी नहीं है। यह सब काम नियम प्रक्रिया से होता है। पूरे नियमों का पालन करते हुए, विभाग ने इसमें कार्यवाही की है और उसके आधार पर लोगों को आवंटित करते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए और हम उन्हें कृषि सबमिशन यंत्रों पर सब्सीडाईज्ड बेस्ड पर यंत्र उपलब्ध करवा सकें। जिससे कि किसानों की आय को डबल करने एवं आय बढ़ाने की दृष्टि से ही इस प्रकार की योजना चलायी जा रही है। हम मिनी कीट का वितरण करते हैं या फिर हम कृषि यंत्रों को उपलब्ध करवाते हैं या अन्य योजना जैसे हम किसान सम्मान निधि देते हैं। अगर इन सब को देखा जाये तो उसके पीछे यही लॉजिक है कि यहां के किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जा सके। हम उनकी आय बढ़ाने के लिए और क्या-क्या बेनिफिट दे सकते हैं। इस तरह से योजना है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहत हौं कि शिकायत के बाद रात के 8.00 बजे मात्र एक घण्टा बर पोर्टल खुलथे तो ए कोनो विशेष कंपनी ला सुविधा दिलाये बर ही खोले जाथे। रात के 8.00 बजे कोन पोर्टल ला खोलथे । माननीय मंत्री महोदय जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहत हौं कि का चैम्प्स टू प्रारंभ करे के गाईड लाईन जारी हो चुके हे? यदि हां तो अभी तक लागू काबर नहीं होईस हे ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि पोर्टल 8 बजे खुलता है या 10 बजे खुलता है । पोर्टल का टाईम है, उसको खोल दिया । पोर्टल खुला तो सभी को मालूम हुआ । इसके पहले मैंने स्वयं बताया कि इसके बारे में पूरा प्रकाशन हुआ, पूरे प्रशासनिक अमले को हमने जानकारी दी है कि तमाम जिला पंचायत से लेकर, उनके सीईओ से लेकर अन्य अधिकारियों से लेकर इन सबको अपने विभाग के अधिकारियों तक जानकारी दी और इसके अलावा प्रेस मीडिया में भी इसकी जानकारी प्रचारित हो, इसका भी प्रकाशित हमने किया । अब इसमें कौन सी शिकायत आ गई । अगर पर्टिक्यूलर आपको ऐसा लग रहा है, आपने ध्यानाकर्षण में दिया ही है, इसका परीक्षण कराने के बाद ही हमने उत्तर दिया है । इसके बावजूद अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो आप दीजिए, हम निश्चित तौर पर जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर बघेल जी अपना प्रश्न पूछें ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर सवाल बाकी हे ।

सभापति महोदय :- हो तो गया। एक बार पूछ लीजिए, तीन से ज्यादा मौका नहीं मिलेगा।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब मंत्री महोदय नहीं दिस । का चैम्प्स टू प्रारंभ करे के गाईड लाईन जारी हो चुके हे अउ यदि हां तो अभी तक लागू काबर नहीं होईस हे, ऐला रोके बर काकर दबाए हे ? मोर एक सवाल अउ हे ।

सभापति महोदय :- उसी में जोड़ दीजिए, इकट्ठे जवाब दे देंगे ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, चैम्प्स पोर्टल के रख-रखाव अउ नियंत्रण राज्य के कौन से विभाग के पास में हवय ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, चैम्प्स हमारे कृषि विभाग का ही है और कृषि बीज विकास निगम के अधीन ही ये चलता है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- गलत जवाब मंत्री महोदय जी । चैम्प्स पोर्टल के रख-रखाव गुजरात के कम्पनी करत हवय । मैं पूछना चाहथौं कि राज्य के एन.आई.सी. के उपयोग काबर नहीं करे जात हे ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आपने चैम्प्स पूछा है, पोर्टल के बारे में नहीं पूछा है । आप पोर्टल के बारे में बताईए, हम पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मैं चैम्प्स पोर्टल के रख-रखाव के बारे में पूछेंव ।

श्री रामविचार नेताम :- पोर्टल है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- चैम्प्स पोर्टल के रख-रखाव ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने विभाग के बारे बता दिया कि इसके कंट्रोल में है । वह कम्पनी या पोर्टल कहीं का भी हो ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, सब कुछ वहीं से संचालित होवथे ।

सभापति महोदय :- उसको मैं क्या करूंगा ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आप लोग तो शंका में मरे जा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- हो गया ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, एक प्रश्न और है ।

सभापति महोदय :- आप 6 प्रश्न पूछ चुकी हैं ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, एन.आई.सी. के उपयोग काबर नहीं करे जात हे, ये सवाल के जवाब मंत्री महोदय मोला अभी भी नहीं दीन ? एकर रख रखाव गुजरात से होवथे, ओकर भी जवाब नहीं दीन । अंत में मैं ये कहना चाहथौं कि महासमुंद के कृषि विभाग के उप संचालक के द्वारा लगातार अन्य अनियमितता, आर्थिक अनियमितता करे जात हवय और डीएमएफ के तहत स्पेयर पार्ट्स खरीदी में भी अनियमितता घलो करे जात हे । एकर पहीली मोर सवाल मा मंत्री जी ह जांच करईस ।

सभापति महोदय :- आप ध्यानाकर्षण से संबंधित प्रश्न पूछिए न । आपने ध्यानाकर्षण में जिस चीज का उल्लेख किया है, उसी के बारे में प्रश्न पूछिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर क्षेत्र के मामला ए अउ एमा बहुत बड़े गड़बड़ी होए हे और ए बात ला रखना मोर कर्तव्य हे । मैं क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हवं ।

सभापति महोदय :- मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हूं न । मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि आपने जिस बात का उल्लेख अपने ध्यानाकर्षण में किया है, उसी तक आप सीमित रखिए ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, ओकरो उल्लेख हे ।

सभापति महोदय :- नहीं है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, ओमा ओकर उल्लेख हे ।

सभापति महोदय :- तो प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर सवाल ला कृषि मंत्री जी ह जांच करईस अउ जांच मा ये पईस ।

सभापति महोदय :- इनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, ये जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, चैम्प्स में काफी काम होते हैं । जो व्यवस्था है । ऐसा नहीं है कि हमारे समय में अभी हमने नया लागू किया है । यह व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है । 5 साल आपकी पार्टी की सरकार थी और इसी व्यवस्था के तहत किया गया है । जहां तक आपने इस कम्पनी के बारे में आरोप लगाया । ये देश का सबसे अच्छा मॉडल है, जो चैम्प्स प्रणाली हमारे यहां लागू है । ये पूरे देश में इसकी प्रसिद्धि है और इसी के आधार पर उत्तरप्रदेश में भी हो रहा है, इसी के आधार पर अन्य राज्यों में भी हो रहा है तो यह कैसे कह सकते हैं कि ये गड़बड़ है । इसलिए अगर कहीं पर कोई भी कम्पनी है, गुजरात की कम्पनी है तो अच्छी बात है, अगर टेक्नालॉजी में आगे आ रहे हैं, आगे उनकी बहुत अच्छी वर्किंग है तो हमें तो दिखाना चाहिए न ।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, उप संचालक ला 10 बार कारण बताओ नोटिस जारी हो गय हे। ओकर बावजूद ओखर ऊपर काबर कार्यवाही नइ होवत हे ? मंत्री महोदय जांच मा घलो पाइस कि गलती करे हे तो ओखर ऊपर कार्यवाही कब करही ? आदरणीय मंत्री महोदय, बता दे।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, देखिये वैसे तो इससे प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। फिर भी आपने ध्यान आकर्षित कराया है। मैं इसको दिखवा लूंगा। अगर कोई दोषी होगा तो उनको बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है।

सभापति महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल। आप भी लंबा मत पूछियेगा।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- धन्यवाद सर। मैं बिलकुल शार्ट में पूछूंगा। सरकार का लंबा-चौड़ा जवाब आया है। आदरणीय सदस्य के सवाल में मंत्री जी का जवाब लंबा-चौड़ा है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से छोटा सा प्रश्न है। बहुत से आरोप लगे हैं। गुजरात की

कम्पनी का योगदान, छेड़छाड़ तथा कई आरोप हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि सबकी जांच करा ली गई है और विशेषज्ञों की टीम भी रखी गई है। जांच से क्या निष्कर्ष निकला, यह बताने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, जांच में क्या निष्कर्ष निकला, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, जांच का गठन किया गया था। उसमें कुछ बिन्दुओं पर अभी और क्वेरी करने की जरूरत है। हमें टेक्नीकली अन्य लोगों का सपोर्ट लेना है। इसलिए एक जांच कमेटी बनी थी, उसकी अभी रिपोर्ट आना शेष है, कुछ के रिपोर्ट्स आए हुए हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- चलिये, धन्यवाद।

समय

1.17 बजे

नियम 267 'क' के अधीन विषय

सभापति महोदय :- नियम 267 'क' के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन मं पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री दिलीप लहरिया,
3. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
4. श्री देवेन्द्र यादव,
5. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

समय

1.18 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतवेदन

सभापति महोदय, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति (श्री विक्रम उसेण्डी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक-08)	श्री बघेल लखेश्वर	30 मिनट

(क्रमांक-05) श्री पुन्नूलाल मोहले 30 मिनट

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय
1.19 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्य सूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री दिलीप लहरिया
2. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
3. श्री ललित चन्द्राकर
4. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
5.

सभापति महोदय :- श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर आज चर्चा होना है। चर्चा हेतु 1 घण्टे समय का निर्धारण किया गया है। इस 1 घण्टे में भारतीय जनता पार्टी पक्ष के लिए 36 मिनट समय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के लिए 23 मिनट का समय निर्धारित है। मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है कि निर्धारित आवंटित समय में ही अपने विचार रखें। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने विचार रखें। इस चर्चा के बाद श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री, श्री लखन लाल देवांगन, मंत्री तथा श्री टंक राम वर्मा, मंत्री जी के विभागों से संबंधित अनुदान की मांगों पर आज ही चर्चा कराई जाएगी। उपरोक्तानुसार मेरा समस्त माननीय सदस्यों से सभा के संचालन में सहयोग की अपेक्षा है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री।

समय :
1.20 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) मांग संख्या - 34 समाज कल्याण
मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये- एक हजार दौ सौ अनठानबे करोड़, अन्ठावन लाख, अस्सी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिये - पांच हजार सात सौ चार करोड़, उनचास लाख, सत्ताईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 34
समाज कल्याण

1.	श्री बघेल लखेश्वर	2
2.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	4

मांग संख्या - 55
महिला एवं बाल विकास

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	2
2.	श्री बघेल लखेश्वर	4
3.	श्रीमती शेषरांज हरवंश	2

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती अनिला भेंडिया जी।

श्री रामकुमार यादव :- सुनबे, सुनबे दीदी गैस के भाव ला कैसे बढ़ाए हे तेला।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डोंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांग संख्या 34, मांग संख्या 55 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण में एक हजार दौ सौ अनठानबे करोड़, अन्ठावन लाख, अस्सी हजार रूपये का बजट और महिला बाल विकास विभाग में पांच हजार सात सौ चार करोड़, उनचास लाख, सत्ताईस हजार रूपये बजट की मांग किए हैं। सबसे पहले मैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है समाज कल्याण विभाग जो सीधा समाज से, दीन दुखियों, वृद्ध जनों, असहाय ऐसे लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और सबसे पहले मैं ऐसे दिव्यांग जन व्यक्ति, जिसके लिए 2011 की जनगणना अभी भी चल रही है, उस हिसाब से 6 लाख 34 हजार 937 चिन्हांकित हुए हमारे दिव्यांग जन और उनकी उनमें से 2 लाख 73 हज़ार 269 का अभी तक उनका परिचय पत्र बना हुआ है और 2011 के बाद पता नहीं कितने हमारे दिव्यांग साथी अपना नाम शामिल करने के लिए, सरकार की योजना में सम्मिलित होने के लिए आज भटक रहे होंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए इनके लिए जनगणना निर्धारित न करके विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर उन्हें चिन्हांकित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु उनको सरकार की योजना उपलब्ध करानी चाहिए। मैं यह माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगी ताकि ऐसे लोगों को उन्हें लाभ मिले, उन्हें स्वरोजगार मिले। अगर मैं दिव्यांगजनों की छात्रवृत्ति की भी बात करूं तो उसके लिए आपने बजट में 258.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा है, लेकिन यह राशि बहुत कम है। क्योंकि रायपुर में हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक ही कॉलेज है। इसिलए आपको कम से कम संभाग स्तर पर, चारों संभाग में उन लोग के लिए कॉलेज खोलनी चाहिए। चूंकि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या भिलाई सब आ जाएंगे, परंतु बस्तर और सरगुजा बहुत दूर है। ऐसे जगहों में आपको प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें शिक्षकों की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अलग-अलग विषयों में इनके लिए बहुत ट्रेनिंगशुदा शिक्षक की आवश्यकता है। क्योंकि जो कान से, आंख से कमजोर है, उनको कई लिपि में समझाना पड़ता है, अलग-अलग दृष्टि से उनको बताना पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती होनी बहुत जरूरी है। वैसे आपने हर विभाग में पद की जानकारी बता दी है कि इतने पद स्वीकृत हैं, उसका इतना सेटअप है, इतना सब कुछ है। परंतु कहाँ रिक्त है, कहाँ क्या है, इस चीज को आपने स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए कम से कम दिव्यांग भाइयों की शिक्षा के लिए आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। अभी बहुत दिनों तक हमारे दिव्यांग साथी हड़ताल भी कर रहे थे कि हमारी पेंशन बढ़ानी चाहिए, हमारी पेंशन को

अलग करनी चाहिए। उस पर भी आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बढ़ती हुई महंगाई में उनके पेंशन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमारे दिव्यांग समाज के जो साथी रहते हैं, उनको मदद करने के लिए जो साथ देते हैं, उनका भी मानदेय आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको 500 रूपये ही मिलता है। आप लोगों ने उनके लिए बहुत कम पैसे का प्रावधान रखा है। कम से कम उनको 1000-1200 रूपये दीजिये। क्योंकि उन लोग को सुविधा पहुँचाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए जो आगे आते हैं, उनका भी मानदेय आपको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने भी माँग रखी है। इसी तरह आप लोगों ने केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का बजट निरंक रखा है। आपने आयोग तो बनाया है, पर वहाँ पर बजट निरंक है। चाहे महिला हो, चाहे लेडीज हो। आप उनको कौशल उन्नयन के माध्यम से काम देंगे, चाहे ब्यूटी पार्लर का काम देंगे या किसी के माध्यम से उनको काम देंगे, किसी को भी वहाँ ट्रेनिंग देंगे तो उनके लिए बजट की आवश्यकता होनी चाहिए और इसके लिए बजट जरूरी है। इसलिए आप इसके लिए भी बजट प्रावधान रखिये। ऐसे ही योग आयोग की बात है, ठीक है। जिस दिन योग आयोग की दिवस रहती है, उस दिन पूरा विभाग के माध्यम से जोर-शोर से कार्यक्रम होते हैं। बाकी दिन वहाँ पर आपके विभाग में कर्मचारियों की संख्याओं की कमी है। क्योंकि मुझे पता चला है कि वहां आपके सचिव के द्वारा नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपके बाबू के दस्तखत से सीधे वित्त का आहरण हो जाता है। यह स्थिति आपके योग आयोग में है। यहां आपके विभाग के सचिव लोग बैठे हैं, वे सभी इस ओर ध्यान दें। वैसे ही मुझे लगता है कि उनका लोन भी 2-3 साल से बंद है। इसमें जो केन्द्रीय राशि है वह हमारे राज्य सरकार के द्वारा जमा नहीं कर पा रहे हैं और इसलिये यह लोन हमारे दिव्यांगजनों को नहीं दे पा रहे हैं । आप इसमें भी विशेष ध्यान दीजिए, उनको सहारा की आवश्यकता है, दिव्यांगजनों को उनके परिवार वाले भी लताड़ देते हैं, अत: शासन की ओर से इस पर ध्यान देना चाहिये । लोन के माध्यम से उनका व्यवसाय चालू कर दीजिए । उभयलिंगी व्यक्तियों के लिये सरकार ने प्रयास तो किया है, पिछली सरकार के द्वारा हमें 14 उभयलिंगी साथियों को पुलिस में भर्ती कराये थे । आज वह बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, आप उनके लिये और प्रयास कीजिए ताकि हमारे कुछ बचे हुये हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जगह दीजिए । सभापति महोदय, नशामुक्ति की बात आप करते हैं, विभाग के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, आप लोगों ने भारत माता वाहिनी के माध्यम से इसे चालू किया है, लेकिन गांव-गांव में हमारी महिलायें सक्रिय तो है, उनको और अन्य विभागों से सहयोग नहीं मिलता है । जैसे हमारे पुलिस विभाग है और लॉ एण्ड आर्डर वाले जितने भी अफसर रहते हैं, उनका सहयोग नहीं मिलने के कारण वह चुपचाप अपने घर में बैठ जाती है । शिकायत करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है उसमें वह निराश हो जाते हैं । नशामुक्ति में हमारा छत्तीसगढ़ अग्रणी है, जैसा कि अभी सदन में बहुत हल्ला हो रहा है और छत्तीसगढ़ का इस ओर बढ़ना चिंताजनक है । चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, यहां हर व्यक्ति नशे में चूर है, आपका जो प्रयास है वह विफल होते नजर आ रहा है तो इसमें भी

आपको बजट बढ़ाने की जरूरत है और नशामुक्ति की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । हम लोग दिव्यांग साथियों की शादी सामूहिक रूप से करा रहे थे, अगर दोनो दिव्यांग है तो एक को 50 हजार और एक को 50 हजार के रूप में दोनों साथी को 1 लाख का अनुदान माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया था और इस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाईयों को मदद की जरूरत है । सभापति महोदय, मैं महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी में आऊँगी, आपने बहुत शार्ट में बोलने के लिये कहा है, पहले वक्ता के रूप में मेरा चलेगा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप बोलिये ना ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय सभापति महोदय, हम आंगनबाड़ी भवनों की बात करें तो पूरे राज्य में आंगनबाड़ी भवनों की संख्या 52,522 है, यह आपने दिया है और इसमें विभाग के जो भवन चल रहे हैं, उसकी संख्या 38,687 है । अभी भी 13,835 भवन निरंक है । आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन में लग रहे हैं या कहीं अन्य लग रहा है । पुराने भवन की जो सूची दिये हैं उसमें भी कई भवन जर्जर की स्थिति में है । जो पुराने भवन हैं, वह बहुत छोटे हैं । वहां पर न तो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है और न ही वहां बिजली पानी की व्यवस्था है, अभी जो आपका 12 लाख का भवन आया है उसका एस्टीमेट बहुत अच्छा है । अभी आपके जो आंगनबाड़ी के भवन लग रहे हैं उसमें से भी कई ऐसे भवन है जो जर्जर स्थिति में है। आप उन भवनों को डिसमेंटल करके नये भवन की स्वीकृति दीजिए । अभी जैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे ही पुराने भवनों में आपके शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये तथा इसमें बाऊंड्रीवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी के बच्चे छोटे-छोटे रहते हैं और इधर-उधर भागते रहते हैं । वैसे ही आपने बजट के तहत 700 करोड़ रूपये पूरक पोषण आहार में दिया है । पूरक पोषण आहार के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई है कि हम लोग छत्तीसगढ़ को सूपोषित कर रहे हैं, मैं आज भी देख रही हूँ कि बहुत से जिलों में बस्तर जैसे क्षेत्रों में कहीं पर 25 प्रतिशत कूपोषित है, कहीं पर 28 प्रतिशत कुपोषित हैं। जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ऐसे जगहों में अभी भी कुपोषित हैं। आपके मुंगेली जैसे प्लेन एरिया में भी हमारे बच्चे अधिक मात्रा में 25% कुपोषित हैं। मुंगेली में मेरे ख्याल से शुरू से वहां कुपोषण की मात्रा अधिक रहती है या तो हमारे अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते हैं या तो जो पोषण आहार आप वहां पर भेज रहे हैं, वह ठीक नहीं होगा। क्योंकि आज वजन त्यौहार के माध्यम से आपने स्पष्ट किया है, उसमें हम सुपोषण की ओर जा रहे हैं, परंतु कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में, गर्म भोजन भी दे रहे थे, अतिरिक्त आहार भी दे रहे थे, जैसे कि अंडा है, चिक्की है, केला है, फल है, फूल है, वैसे भी दे रहे थे, वह भी आपने बंद कर दिया। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को खाने की रुचि मिल जाए तो वह उनके लिए बहुत अच्छा है। आप दो साल से रट्टा लगा रहे हैं कि महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट देंगे। अभी तक आप लोगों ने चार जिलों की बात की हैं, नहीं तो वैसे तो बोलते कि आप लोग ठेका में

देकर, बीज निगम को देकर ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, उससे क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आया था। रेडी टू ईट पहले जैसे महिला समूह से चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि हम महिलाओं को रोजगार देंगे। परंतु आप इसमें जांच कराइए, वहां महिलाओं को नहीं, वहां ठेकेदारों के माध्यम से समान वितरण होता है। ऐसे समूहों को आप रेडी टू ईट देते हैं जिनके पास आपके नियम में कोई साधन नहीं है, न उनके पास कोई आर्थिक स्थिति रहती है, न उनके पास वह मशीन होता है जिससे वह चाल सकें, पीस सकें, छीन सकें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है उसको आप रेडी टू ईट का ठेका देते हैं। ऐसे में फिर कैसे चलेगा? आप नियम को एक साइड कर दिए हो और अपनी मनमर्जी से जो आपकी पसंद की महिला समूह हैं, उन्हें आप रेडी टू ईट चलाने का काम दे रहे हो, यह भी नहीं होना चाहिए। दो साल, सवा दो साल हो गया। आप लोग चाहते हैं कि महिला समूह को देना है तो अभी तक क्यों नहीं किया? इसमें भी सोचने की बात है।

सभापति महोदय :- आदरणीय, 15 मिनट हो गया है। थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश करिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी तो एके ठन में आए हों। (हंसी)

सभापति महोदय :- नहीं, थोड़ा प्रयास करिएगा, अभी बहुत से लोगों को बोलना है। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इसीलिए आपको टोक भी नहीं रहा था।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रही हूं। वैसे आप लोग केंद्रीय योजना के तहत पेंशन देते हैं, आपके मातृ वंदन योजना में पेंशन बढ़ा है, आप विधवा पेंशन, अन्य पेंशन में 600, 500 दे रहे थे, आपको बढ़ाकर 1000 देना चाहिए। मातृ वंदना योजना के तहत तो उनका 1500, 1600 होता, परंतु आपने उनका 500 काट दिया और आप 500 मिलाकर दे रहे हो। यह पेंशन योजना में आप उनके साथ घाल-माल का काम कर रहे हो। वैसे ही अभी आप महतारियों को महतारी वंदन योजना दे रहे हो, मेरे ख्याल से उसमें 70 लाख महतारियों को आपने दो साल तक दिया, अभी 64 लाख कैसे हो गया? आपने उसमें कैसे कटौती कर दी? क्या कारण है कि हमारे बाकी महतारियों को वंचित कर रहे हो जिनको आवश्यकता है ? आपने घोषणा पत्र में प्रदेश की सभी महिलाओं को महतारी वंदन की राशि मिलेगी लिखा था, हम सब महिलाओं को देंगे, चाहे विधायक की बीवी हो, कलेक्टर की बीवी हो, चलिए उनको नहीं दे रहे हैं, यहां पर आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको तो कम से कम आप सर्वे में लाइए। आप 70 लाख के बाद से आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, बल्कि वह कम करते जा रहे हो। यह भी महिलाओं के साथ अन्याय है। वैसे भी अभी गैस सिलेंडर का इतना हल्ला हो रहा था, इतनी महंगाई हो गई है, आपने गैस सिलेंडर 500 रूपए में देने की भी बात की थी, वह भी नहीं दे रहे हो बल्कि और महंगा हो गया। अब महिलाएं कैसे करेंगी? अब 1000 देते हो उसमें बोलते हो। अभी बिजली बिल 2000, 1500, 500, 800 आ रहा है। वह बिजली बिल पटाएंगे या सिलेंडर लेंगे क्या करेंगे? यह स्थिति है। आज आप लोग महतारी वंदन देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हो, वह बहुत गलत

चीज है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना बहुत अच्छी योजना है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखनी चाहिए। उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य में लाभ देना चाहिए, परंतु आज हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, कहीं अकेले जा नहीं पा रही हैं। चाहे वह कॉलेज की बात हो, चाहे नौकरी-पेशे की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की भी बात हो तो कहीं न कहीं हमारी बेटियों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। आप महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं और खुद एक मां हैं, बहन हैं, बेटी हैं तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सखी वन स्टॉप सेंटर बहुत अच्छी योजना है। वह केंद्र की योजना है। उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं, परंतु वहां पर जो स्टाफ हैं, उनको आप क्या मानते हैं? उनको कम से कम संविदा के पोस्ट देने चाहिए। उनको अभी भी सेवा प्रदाता मान रहे हैं क्योंकि वहां हमारे कर्मचारी के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी दीन-दु:खी महिलाएं जो कानून से वंचित हो जाती हैं, थाना नहीं जा पाती हैं, कोर्ट-कचहरी नहीं जा पाती हैं, उनको ले जाकर उनका सहयोग करते हैं तो इनको कम से कम आप लोग संविदा नियुक्ति के पद में भी दीजिए और जहां कमी है, वहां पूरा कीजिए। हमारे विभाग के भी कई अधिकारी-कर्मचारी हैं, उनकी भी वेतन विसंगति का बहुत बड़ा मामला है तो विभाग में इसमें भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपके आंगनबाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ताओं को सवा दो साल हो गये, एक साल तो दिए ही नहीं, दूसरे साल आपने साड़ी दी, लेकिन वह भी हमर छत्तीसगढ़ में कथे नही कि का पोतनी असन लुगरा ला दे हो, वइसने साड़ी ला दे हो क्योंकि वह लोग हम लोगों को दिखाने के लिए आये थे। इसलिए इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। एजेंसी जो भी हो, अगर उन्होंने गलत दिये हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साल में यदि आप दो साड़ी दे रहे हो तो उसको भी ठीक से दीजिए या तो फिर पैसा ही हस्तांतरित कर दीजिए। सुचिता योजना की बात करें तो यह पेपर में दिखाई दे रही है, कहीं धरातल में दिखाई नहीं दे रही है। आज स्कूल-कॉलेजों में जो लगाये हैं कि सेनेटरी-नैपकिन की मशीन है, चाहे पैड देने की बात हो, 10,000 सेनेटरी पैड नि:शुल्क देने की बात कर रहे हैं, परंतु कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा है। कहीं पर भी आपकी मशीनें सही नहीं हैं और जहां लगाना चाहिए, वहां लग भी नहीं रहा है। आपने प्रावधान में भी 8 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि रखी है, परंतु जो पुरानी मशीनें हैं उनकी भी रिपेयरिंग के लिए आप प्रावधान में रखिए और उनमें भी सुधार करिए ताकि हमारी बेटियों के लिए इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। महिला कोष की बात करें। महिला कोष में हम लोग विभाग में शुरुआत में 50,000 रूपये देते थे, फिर राशि पटाने के बाद 1,00,000 रूपये, परंतु हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आये तो हमारी महिलाओं को सीधे 2,00,000 रूपये और 3,00,000 रूपये से 6-6 लाख रूपये तक ऋण देने की घोषणा किए थे। आज वह बहनें 6 लाख रूपये की राशि लेकर बढ़िया अपना स्वरोजगार चालू करती हैं। उसी तरह महिला जागृति शिविर आप लोग पूरे प्रदेश में करते हैं, परंतु हमारी महिला विधायकों को आप सूचना ही नहीं देते हैं। कहां

महिला जागृति हो रही है, कहां सम्मेलन हो रहा है? कम से कम महिलाओं को तो बुला लीजिये ताकि उनको भी समझ आए, उनको भी पता चले कि आपके विभाग के द्वारा क्या कार्य होता है। लैंगिक अपराधों की बात करें तो उसमें भी जो केंद्रीय योजना है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसमें जन-जागरण प्रचार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें लोग बताने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए संकोच करते हैं। इसमें तो हमारे विभाग के माध्यम से प्रचार की बहुत आवश्यकता है ताकि लोग इसमें समझें और जानें। नोनी सुरक्षा योजना में भी आपने 40 करोड़ रूपये का बजट रखा है। नारी अदालत आपने दो पंचायतों या दो जिलों में रखा है, इसको भी आपको जिलों में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं। खासकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र की अंदर-अंदर की पंचायतों में इस तरह की अदालत लगाते रहना चाहिए ताकि महिलाएं नि:संकोच होकर वहां अपनी बात रख सकें। मिशन वात्सल्य है। संस्थागत देख-रेख के लिए बाल संप्रेक्षण गृह है। आप देख ही रहे हैं कि वहां पर कैसे-कैसे कृत्य हो रहे हैं। वहां पर बच्चों के लिए कहां से नशीले पदार्थ की व्यवस्था होती है ? उनको कहां से शराब, गांजा, अफीम, सिगरेट की व्यवस्था होती है? यह इसलिए भी हो रहा है कि आपके यहां स्टाफ की कमी है। सब तो प्रतिनियुक्ति में चल रहा है, आपका पूरा विभाग प्रतिनियुक्ति में चल रहा है। आप इसमें भर्ती करने के लिए सरकार से पैसा मांगिए ताकि आपका गृह अच्छा चले। हमारे बच्चे जो विशेष गृह, सुरक्षित गृह और बाल संप्रेक्षण गृह में रहते हैं, वहां कई घटनाएं हुई हैं, वहां से बच्चे भाग जा रहे हैं। आज कल 18 साल से नीचे के सब जवान बच्चे हैं, सबको नशे की लत है। वैसे भी हमारा छत्तीसगढ़ नशा में प्रथम स्थान पर है इसलिए आप ऐसे आश्रमों के लिए बजट की मांग कीजिए।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- विभाग में हमारे अधिकारी-कर्मचारियों की कमी है, उसे आपने स्पष्ट नहीं किया है, उसमें आप भर्ती की मांग करें ताकि हमारा विभाग अच्छा से चल सके। महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग बहुत संवेदनशील विभाग है । माननीय सभापति महोदय, जो बजट आ रहा है तो आप उस बजट को भी खर्च नहीं कर पा रही है तो फिर आपको बजट देने का क्या मतलब है ? आप गैस भी दे दीजिएगा। मैं इस बजट का विरोध करती हूं और अपनी बात को समाप्त करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मेरे वक्तव्य के पहले हमारी बहुत ही सम्मानित, हमारी वरिष्ठ और जो कांग्रेस के कार्यकाल में इस विभाग की मंत्री भी रही हुई हैं, हमारी आदरणीय सदस्या जी ने अपना वक्तव्य रखा। चूंकि उनको इस विभाग का अनुभव है और कहीं न कहीं एक नई सदस्य होने के नाते और उनके अनुभव को सुनते हुए मुझे यह विश्वास था कि हमारी राज्य सरकार के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में

जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को, बच्चों को, सामाजिक क्षेत्र में और विविध क्षेत्रों में लगातार मिल रहा है। तो माननीय सदस्या कम से कम एक योजना की तारीफ कर देती, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो। लेकिन उनकी भी मजबूरी है क्योंकि वह विपक्ष में हैं तो शायद यहां तारीफ करना अलाउ नहीं होगा, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने हर वाक्य में एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि कहीं न कहीं केंद्र की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं के साथ उन्होंने इस बात की चर्चा की, चाहे मैं पोषणहार की बात करूं चाहे विभिन्न योजनाओं की बात करूं, उसके लिए मैं पहले तो उनका अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने कम से कम केंद्र की योजनाओं को अपने वक्तव्य के माध्यम से आज यहां पर सराहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण, ये तीनों विषय किसी भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। चूंकि महिलाओं को हम देश की आधी आबादी मानते हैं और देश की ऐसी आबादी जो आज लगभग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करके रखा है। इस संदर्भ में हमारे ग्रामीण वनांचल की महिलाएं, जो आगे आने वाले समय में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। कहीं न कहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो हमारे इस प्रशासनिक प्रतिवेदन में है, हमें विश्वास है कि उस हर योजना का लाभ पिछले दो सालों में लगातार अंतिम व्यक्ति तक के विकास तक पहुंच रही है। उसी तरीके से महिला एवं बाल विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, उसका लाभ अंतिम छोर की महिलाओं तक पहुंच रहा है। जिसको उन योजनाओं की ज़रूरत है, उन तक उसका लाभ पहुंच रहा है, इस बात को हम फील्ड में देखते भी हैं। आज हम जब योजनाओं की बात करते हैं और हम जिस तरीके से क्षेत्र में जाते हैं तो हम महिलाओं के सामने जिन योजनाओं की बातें करते हैं, वह भी ऐसी महिलाएं जिनको देखकर हमें लगता है कि शायद इनको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब आप उनके पास 10-15 मिनट, आधे घंटे बैठेंगे तो पता चलता है कि उन योजनाओं की जानकारी जितनी हमें नहीं है, जितना सिस्टम हम नहीं जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आज हमारी गांव की महिलाएं जानती है। चाहे आंगनबाड़ी की महिला हो, चाहे समूह की महिला हो, वह अपने काम में निपुण हो गई हैं। सभापति महोदय, यदि हम पिछले 15 सालों के आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल की बात करें, जब महिलाओं को उनका पहला अधिकार राशन कार्ड के नाम में मिला हो, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, जिसमें महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो रही है। पिछले दो सालों में भी आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग की आदरणीय मंत्री, लक्ष्मी राजवाड़े जी और उनका विभाग जिस तरीके से पूरी तन्मयता

और सक्रियता के साथ काम कर रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको बधाई देती हूं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए जो बजट मांगा गया है, निश्चित ही उनको वह बजट मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि यह बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसकी आज हम यहां पर चर्चा में बैठे हुए हैं। महोदय जी, जब भी महिला एवं बाल विकास विभाग की बात आती है, सबसे पहला ध्यान हर किसी के दिमाग में आंगनबाड़ी का आता है। आज हम देखेंगे कि इस पुस्तिका में जो पहली हेडिंग दी गई है वह सशक्त आंगनबाड़ी एवं पोषण आहार है। अगर हम आज अपने 3 से 5 साल के बच्चों की बात करें और घर में माता-पिता के साथ रहने के अलावा जब वह बच्चे बाहरी दुनिया में अपना कदम रखते हैं तो कहीं न कहीं आंगनबाड़ी पहला ऐसा स्थान है जो आने वाले समय के भविष्य के लिये जो पहली नीव पड़ती है तो वह कही न कहीं उनका आंगनबाडी केन्द्र है। हम सशक्त, सक्षम आंगनबाडी की बात करते हैं, जहां समक्ष शब्द आता है हम यह मानकर चलते हैं कि वह आंगनबाडी हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। और जो अभी आप आंगनबाडी देख रहे हैं, लगातार बहुत सारे आंगनबाडी भवनों की स्वीकृति हुई है, न सिर्फ स्वीकृति हुई है, बल्कि जो हम स्मार्ट आंगनबाडी की बात करते हैं, बहुत सारी जगहों में हम उसका भूमिपूजन, उद्घाटन पिछले 02 साल में लगातार करते आ रहे हैं। सक्षम आंगनबाडी में आज जो वहां पर काम करने वाली हमारी सहायिकायें, दीदी हैं, चाहे मैं टीककरण की बात करूं जो 0 से 6 साल के बच्चों के लिये है, चाहे हम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की, पोषण आहार की बात करें। जो कुपोषण से मुक्ति हुई है, आज छत्तीसगढ़ ने पिछले 02 साल में ही आपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड एचीव किया है चाहे हम वह कुपोषण से मुक्ति की बात करें, चाहे हम प्रारंभिक आंगनबाडी में जो बच्चों को शिक्षायें मिलती हैं, उसकी हम बात करें। सक्षम आंगनबाडी की परिभाषा को पिछले 02 साल में हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरी तरीके से उसको धरातल पर उतारा है। मै पिछले 02 साल के पहले 05 साल कांग्रेस के कार्यकाल की बात करूं तो लगातार यह विषय हमारी आदरणीय सदस्या ने इस विषय को अपने वक्तव्य में लिया था। सक्षम आंगनबाडी और पूरक पोषण आहार की व्यवस्था, अगर पूरक पोषण की व्यवस्था की बात करते हैं तो रेडी टू ईट का नाम अपने आप हमारे दिमाग में आता है। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की डॉ. रमन सिंह जी की 15 साल सरकार थी, 15 साल तक लगातार उसको हमारी समूह की बहनों के माध्यम से चलाया गया। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि बीज निगम को हमने इसलिए दिया ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोंनो अच्छी हो सके। महोदय जी, एक महिला होने के नाते मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले 15 साल तक और अभी 02 साल में जितनी महिलाओं को रेडी टू ईट का काम मिला है, कहने का मतलब है कि क्या महिलायें क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान नहीं रखती हैं ? बल्कि मुझे लगता है कि बच्चो से संबंधित, गर्भवती महिलाओं से संबधित, टीकाकरण से संबंधित अगर कोई विषय आता है तो महिला बाल विकास विभाग में जो सहायिका हैं, दीदी हैं, वह स्वयं महिला हैं, ये सोचकर उनको रखा

गया है कि एक महिला है तो ज्यादा संवेदनशील तरीके से काम कर पायेंगी। जहां तक सफाई की या विभिन्न विषय की क्वालिटी की जो बात आती है तो कहीं न कहीं उन पर प्रश्नचिन्ह विपक्ष के लोग आज लगा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि समूह की जो महिलायें हैं क्या वह क्वालिटी का ध्यान नहीं रखती हैं ? आज भी वह पूरी स्वच्छता के साथ कार्य करती हैं। क्योकि हम भी कभी देखने के लिये जाते हैं कि आप लोगों ने क्या नया बनाया, कैसा आपका काम चल रहा है, कैसे आपके गेहूं की क्वालिटी है, क्या आप बच्चों को गरम भोजन परोस रही हैं, बहुत बार बैठकर के हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनके साथ भोजन भी किया है। यह बहुत खुशी की बात है कि लगभग 05 जिले में आज रेडी टू ईड का काम पूरा चालू हो चुका है और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि जिस तरीके से इसमें बजट का प्रावधान हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है, आने वाले समय में निश्चित ही जो जिले छूट गये हैं, 33 जिलों में से 5 जिलों को मिला है। लेकिन जो जिले छूट गये हैं, विशेष तौर पर उनका ध्यान आने वाले समय में रखा जायेगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम मिशन शक्ति की बात करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि सखी वन स्टाप सेंटर हो, महिला हेल्पलाइन की बात हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो, मातृत्व वंदन योजना की बात हो, मिशन शक्ति के तहत इन 4 से 5 योजनाओं को विशेष तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये जिसकी शुरूआत हुई थी। सखी वन स्टाप सेंटर का मैं आपको अपना ही उदाहरण बताना चाहूंगी जिससे काफी सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अभी पिछले 06 महीने पहले मैंने पिछले बार सदन में उस बात की चर्चा की थी। मुझे रात में साढ़े 11 बजे के आसपास काफी दूर जहां मैं रहती हूं, वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से एक बहन का फोन आया कि मेरे घर वालों ने मुझे मारकर निकाल दिया है। अब दीदी मुझे आपके पास आना है, मैं कैसे पहुचूं ? उस समय मैं थोडी सी खुद भी हड़बड़ा गई कि कि अगर एक महिला मुझे इतनी रात में फोन करके सहायता मांग रही है तो मैं इसके लिये क्या कर सकती हूं। फिर मैंने बोला कि मैं वापस मे आपको काल कर रही हूं। जब मैंने अपने लोगों से पूछा कि तत्काल में उनको क्या सुविधा दिला सकते हैं। उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि हम उनको आज रूकने के लिये सखी स्टाप सेंटर में भेज सकते हैं ताकि वहां पर उनकी काउंसलिंग भी हो सके, उनकी सुरक्षा भी सके और उनका जो विषय है, घरेलू हिंसा से संबंधित उनका जो विषय है, कहीं न कहीं कल सुबह जाकर हम उस बात पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन आज जो उनको शेल्टर प्रदान करने की बात थी, जो सुरक्षा प्रदान करने की बात थी तो मुझे खुशी है कि हमारे जिले में जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, वह बहन वहां गयी और उसने अपने आपको वहां सुरक्षित महसूस किया और दूसरे दिन जो भी व्यवस्थाएं थीं, जो हमको उचित लगा, शासन-प्रशासन के माध्यम से करने से वह हमने किया लेकिन एक बहुत बड़ा सहारा, उस दिन मैंने महसूस किया कि हर जिले में इसकी स्थापना की गयी है वह कितना महत्वपूर्ण है । इसके अलावा चाहे महिला हेल्प लाईन नंबर की बात करें । आज लगातार घरेलू हिंसा हो, दहेज प्रकरण

हो, विभिन्न प्रकार के प्रकरण हों, चाहे बाल अपराध हों, लगातार इस नंबर पर फोन आते हैं और उचित कार्रवाई भी की जाती है । अभी चर्चा हो रही थी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था । माननीय सभापति महोदय, एक समय यह भी था जब लिंग भेद के कारण से बहुत सारी बच्चियों को शायद जन्म के बाद में या कभी-कभी यह स्थिति थी कि जन्म के पहले भी उन्हें गर्भ में खत्म कर दिया जाता था कि एक बेटी जन्म होने के बाद में कहीं हमारे ऊपर बोझ न जाये लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से लोगों में जो अवेयरनेस आयी है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है । बच्चियों की पढ़ाई के साथ-साथ, उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनके भविष्य के निर्माण में जो महतवपूर्ण चीजें हैं, किसी बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक के तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, उनको लगातार दी जाती है । मैं आज हमारी आदरणीय महिला बाल विकास मंत्री जी को बधाई भी देती हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और मैं इस बात की बधाई देती हूं कि आज हम सबने पेपर में सुबह, आप सभी ने भी पढ़ा होगा कि मातृ वंदन योजना के लिये हमारे छत्तीसगढ़ को पूरे राज्यों में से प्रथम स्थान मिला है (मेजों की थपथपाहट) और प्रथम स्थान इसलिये मिला है कि लगातार चाहे हम अपने विभाग की बात करें, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें। उनके मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग विशेष तौर पर मातृ वंदन योजना के लिये लगातार अवेयरनेस के साथ-साथ धरातल पर काम कर रहा है । जब हम मातृ वंदन योजना की बात करते हैं तो मैं आपको अभी दिनांक 25 जनवरी, 2026 का ही आंकड़ा बताउं तो लगभग 20,000 से अधिक हितग्राही हमारे मातृ वंदन योजना के जो लाभार्थी महिलायें हैं उनकी संख्या 20,000 से कहीं अधिक है । उसके अलावा इसमें जो योजना है, पहली संतान में 5000 रूपये और दूसरी संतान अगर आपकी बालिका होती है तो उस बालिका के जन्म में भी, उसके जन्म के बाद आपको 6000 रूपये मिलेंगे तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी तत्कालीन सहायता है । बहुत बड़ा सहारा, चाहे हॉस्पिटल से बाहर निकलना हो, जैसे कुछ दूध वगैरह की व्यवस्था करनी हो तो यदि महिला के हाथ में पैसा है तो निश्चित ही उसका आत्मविश्वास बना रहता है । उसके अलावा चाहे हम नोनी सुरक्षा योजना की बात करें, हम नारी अदालत की बात करें । बहुत सारे विषय जो पिछले भाजपा के कार्यकाल से लेकर के अभी भी भाजपा के कार्यकाल में लगातार उन योजनाओं में जो बढ़ौत्तरी हुई है वह अपने आपमें काबिले तारीफ है ।

माननीय सभापति महोदय, कुछ समय पहले ही । मुझे लगता है कि शायद पिछले महीने ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगभग सभी जिलों में संचालित की गयी थी और जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में जोड़े, वर और वधु जो इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह के सहभागी बने, जिन्होंने उस मण्डप के नीचे विवाह किया है उनको शायद इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि

हम आज सामूहिक विवाह में बैठे हैं । जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको सीधा उद्बोधन प्राप्त हुआ, उन्होंने हर एक से बातचीत की, जिस तरीके से उनकी राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपये किया गया । लड़की को 8,000 रूपये, उनके खाते में 35,000 रूपये तो एक बहुत बड़ी सहायता, विशेष तौर पर अगर हम गरीब परिवार की बात करें तो ऐसे माता-पिता जिनको बच्ची के बड़ी होने पर, पढ़ाई पूरी होने के बाद इस बात की चिंता रहती थी कि पता नहीं कैसे मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, मैं कैसे उसके कपड़े खरीदूंगा, कैसे उसके गहने बनवाउंगा, मेरे घर जो बाराती आ रहे हैं तो मैं किस तरीके से उनको भोजन करवाउंगा तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान कहीं न कहीं हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उनको काफी राहत दी है और बहुत सुंदर आयोजन हम इस बार कवर्धा, कबीरधाम जिले में हम सब उपस्थित थे ।

माननीय सभापति महोदय, जब मंच के ऊपर से हम सब सामने देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक बहुत बड़ा धार्मिक और पारिवारिक माहौल, एक शादी का जिस तरीके से उत्साह रहता है, नाच-गाने के साथ पूरे बारातियों का आना, महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ, महिला जनप्रतिनिधियों का तिलक लगाकर के बारातियों का स्वागत करना, पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार कराना तो ऐसा लग रहा था कि हम स्वयं भी उस परिवार का हिस्सा हैं जो वहां शामिल हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बार ऐसे क्षेत्रों की हमारी बहनों ने, ऐसे क्षेत्र के भाई वर-वधु के रूप में वहां बैठे थे, जिसको कभी हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोलते थे । बहुत सारे ऐसे जोड़ चाहे मैं दिव्यांग जोड़े की बात करूं, चाहे जो नक्सल मूवमेंट को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ गये हैं, चाहे उन विवाहित जोड़ों की बात करूं । सभी ने उस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भाग लेकर के अपने बच्चों का विवाह कराया है जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है । माननीय सभापति महोदय, एक विषय जब भी आता है बहुत से लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाता है । मैं यह कहना चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना जिस तरीके से चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में दिया गया और जिस तरीके से 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में उसकी शुरूआत की गयी। 8 मार्च को महिला दिवस निकला है आज लगभग 25 वां किश्त महिलाओं के खाते में अंतरित हुआ है और उनके खाते में गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे केवल 10 मिनट के समय का अनुरोध करती हूँ। जिस तरीके से लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में वां किश्त अंतरित हुआ है। 70 लाख महिला गुणित एक हजार करेंगे तो हर महीने की राशि समझ में आ जाएगी। हमारी सरकार उन महिलाओं को लेकर कितनी संवेदनशील है, उनके खाते में बिना मांगे, राशि हस्तांतरित हो जाती है। कभी यह भी समय था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके घोषणा पत्र में यह था कि हम महिलाओं को 500 रूपये देंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में न जाने कितने आन्दोलन, धरने हुए। हम लोगों ने, सार्वजनिक लोगों और महिलाओं ने सार्वजनिक आन्दोलन किया कि भाई, आपने हमें राशि देने की बात की थी तो हमें राशि दीजिए। 5 साल का समय निकल गया, लेकिन कांग्रेस की

सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। आज वही कांग्रेस की सरकार यह बात करती है और यह प्रश्न पूछते हैं कि भाई, आपने 70 लाख बताया तो वह आपका आंकड़ा 64-66 लाख कैसे हो गया। महोदय जी, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए या ऐसे विभिन्न विषय हैं यह हो सकता है कि कभी सर्वे होता है इंटेंशली रहता तो आज प्रदेश में जो महिलाओं को 25 किश्त दी गयी है, हम 25 किश्त नहीं, 05 किश्त देकर, उस योजना को बंद कर देते, लेकिन बिना किसी के मांगें, बिना किसी आन्दोलन के लगातार महिलाओं के खाते में 25 वां किश्त जाना, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए हम महिलाएं जितनी बार अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे तो यह कम होगा। किसी महिला के खाते में हर महीने 1 हजार रूपये जाना, बहुत बड़ी चीज है। जैसे उन्हें अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देना है, बच्चे का बस्ता खरीदना है, उन्हें स्वयं पर खर्च करना है तो यदि उनके पास स्कूटी है उसमें 100 रूपये का पेट्रोल भी डलवाना है तो उन महिलाओं को एक बहुत बड़ी राहत होती है जब हम जनप्रतिनिधि ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो हम वहां लोगों से पूछते हैं कि भाई, आपमें से कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है तो मुझे उनका हाथ उठाना, देखकर खुशी होती है कि अगर वहां पर 100 महिलाएं बैठी हैं तो उन 100 महिलाओं में से 90 महिलाओं का हाथ उठता है कि मुझे इस योजना का लाभ मिल रहा है। कहीं न कहीं जब हम उनसे मजाक में यह पूछते हैं कि अगर यह योजना बंद हो जाये तो उनका यह विश्वास रहता है कि नहीं, यह माननीय श्री विष्णु देव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, यह योजना कभी बंद नहीं हो सकती है, उनका हमारी भा.ज.पा. की सरकार और हमारे आदरणीय श्री विष्णु देव साय जी पर विश्वास है तो मैं उन सभी महिलाओं का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इस तरीके से आत्म विश्वास और पूरे सहयोग के साथ भा.ज.पा. की सरकार को इस बार मौका दिया और लगातार पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार अपने वायदों पर विफल रही, उनको उखाड़ कर फेंक दिया और आज वह हमारे सामने बैठे हुए है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं चाहे हम मिशन वात्सल्य की बात करें, चाहे विभिन्न सारे सम्मान हमारी महिलाओं, बहनों को दिया जाता है।

सभापति महोदय :- भावना जी, अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ।

सभापति महोदय :- 5 मिनट नहीं, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, चाहे बाल संरक्षण की बात करें, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में सुविधाएं दी जा रही हैं। महोदय जी, और तो और अभी बजट में महिलाओं से संबंधित जो विषय हैं अगर विशेष तौर पर हम रजिस्ट्री की बात करते हैं। आज एक योजना आयी कि महिलाओं को रजिस्ट्री में 50

प्रतिशत की छूट मिलेगी, बच्चियां जो 18 साल से ऊपर हो गयी हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा का स्तर अच्छा बनाने के लिए डेढ़ लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी तो कहीं न कहीं योजनाएं जो हैं, वह हमारे आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से महिलाओं के लिए आगे बढ़ी है न की कम हुई है और न ही कभी कम होने वाली है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे विषय हैं अभी समय कम है। इसलिए मैं सारगर्भित तरीके से अपनी बातों को कहना चाहूंगी, बाकी जो मेरी बातें बची हैं, मैं आपकी अनुमति से सारगर्भित तरीके से रखने का प्रयास करूंगी। उसके अलावा हम बाल संरक्षण आयोग की बात करें, चाहे विभिन्न विषयों पर बात चल रही थी कि यहां बच्चे कितने सुरक्षित हैं तो निश्चित ही सुरक्षा का विषय सभी की चिंता का विषय है और जिस तरीके से नशे की लत बढ़ रही थी निश्चित ही उसको भी कंट्रोल करने के लिए काफी सारी योजनाएं चल रही हैं बाल संप्रेषण गृह का जो काम चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन मैं एक विषय जरूर कहना चाहूंगी जब दिव्यांग जनों की बात आती है, यह समाज कल्याण की बात है तो हम जिस समाज में रहते हैं जहां बच्चे, महिलाएं हैं वहां पर हमारे दिव्यांग भाई-बहन भी हैं तो निश्चित ही इस विषय पर हमारी सरकार संवेदनशील है और आज इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह पर उनको प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे बजट की बात करें या सुविधाओं की बात करें उनको प्राथमिकता दी जा रही है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बस एक निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगी कि निश्चित ही आंगन बाड़ी भवन बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्षेत्र में बन रहे हैं और सभी के क्षेत्र में बन रहे हैं अगर हम उनके डिजीटलीकरण के लिए काम करें, चूंकि पोषण ट्रेक आहार जो है, चाहे अधिकारियों की बात करें, आंगनबाड़ी के बहनों की बात करें, उनको डेली रिपोर्टिंग राज्य में करनी पड़ती है, विभाग को करनी पड़ती है । अगर इनके आंगनबाड़ी सेन्टर में चाहे हम पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित कर लें, कुछ जगहों पर अगर कम्प्यूटर की सुविधा हो जाये तो मुझे लगता है कि सरकार डिजीटलीकरण की ओर आगे बढ़ रही है तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इसमें हो जाएगी । मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि रेडी टू इट का काम निश्चित ही बहुत सराहनीय है । 5 जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको ले रहे हैं तो इसमें जितनी जल्दी हो सके, अन्य जिलों को भी प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाये ।

सभापति महोदय, मैं जो आगे बोलने जा रही हूं, उसमें गृह विभाग का भी महत्व ज्यादा है । चूंकि यह विषय महिलाओं से संबंधित है तो आपके माध्यम से मैं इसमें बात रखना चाहूंगी, जो है-महिला कमांडो का गठन । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2015-16 में महिला कमांडो का गठन किया गया था और महिला कमांडों हर समय रात में 8 बजे हाथ में डंडा और सिटी लेकर 8-10 महिलाओं का समूह लेकर जब वे गांव में निकलती थीं और जिस जगह पर हल्ला-गुल्ला होता था, शोर-शराबा होता था, जहां बच्चे अगर बैठ कर नशा कर रहे हैं, उस जगह जाकर जब वे महिलाएं खड़ी होती थीं तो वे बच्चे या जिस तरीके से लोग संदिग्ध थे, वे वहां से भागते थे कि महिला कमांडों का ग्रुप आ

गया । यह निश्चित ही पुलिस को सारी डिटेल बताएंगी और कार्रवाई कराने वाली हैं । आपके माध्यम से मेरा निवेदन है चूंकि महिलाओ से संबंधित विषय है तो इस ओर भी हमारी आदरणीय मंत्री महोदया आगे कुछ विषय संज्ञान में ले पाएं तो बहुत उचित होगा। महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित जितने भी विषय इसमें आये हैं, उन विषयों को निश्चित तौर पर बहुत अच्छे राशि के साथ इसको बजट मिलना चाहिए, ताकि सामान्य स्थिति में भी हमारी महिलाएं, हमारी बहिनें, हमारी बच्चियां सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हो सकें, उनकी आर्थिक भूमिका हो सके । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या-34 समाज कल्याण एवं मांग संख्या 55 महिला एवं बाल विकास विभाग के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं ।

आज हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा की कुल 90 सीट में से 19 सीट में महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है और आज इस विषय में हमें बोलने का यह शुभअवसर मिला है । प्रदेश में दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा पहली से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, जो प्राथमिक स्तर पर 150 रूपये प्रति माह, पूर्व माध्यमिक स्तर पर 170 रूपए प्रतिमाह, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर 190 रूपए प्रति माह दी जाती है, जो पर्याप्त नहीं है । छात्रवृत्ति में प्रतिमाह 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाये । वर्तमान में दिव्यांगजनों को ट्राईसिकल प्रदान करने की योजना प्रारंभ है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसम्बर, 2025 की स्थिति में मात्र 569 दिव्यांगजनों को बैटरीचलित ट्राईसिकल प्रदान की गई है । इसके लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं होने से बहुत से दिव्यांगजनों को ट्राईसिकल उपलब्ध नहीं हो पा रही है । सभी पात्रजनों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने में विभाग असफल रही है।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बीपीएल श्रेणी परिवारों को 500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जो वर्तमान में पर्याप्त नहीं है। पेंशनराशि में प्रतिमाह 100 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना आवश्यक है । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा को प्रति माह 500 रूपए की दर से प्रति माह पेंशन दी जाती है । इसके लिए बजट में प्रति वर्ष 8 करोड़ रूपए का प्रावधान था, इस वर्ष बजट में वृद्धि की गई है । उक्त योजना के तहत 40 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला विधवा पात्र है । यदि कोई महिला 79 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहेगी तो उनका पालन-पोषण कौन करेगा । पात्र अवधि में 40 वर्ष से जीवन पर्यन्त पेंशन की पात्रता दी जाये और 79 वर्ष की बाध्यता को समाप्त न करने का मैं सदन से अनुरोध करती हूं ।

माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना दर्शन के तहत वित्तीय बजट रखा गया था, जिसमें मात्र 10694 हितग्राही लाभान्वित हो पाये। व्यवस्था में सुधार कर अधिकाधिक हितग्राहियों को देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कराये जाने की आवश्यकता है।

समय

2.10 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

(पूर्व से जारी) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- जिसमें मात्र 10,694 सभापति महोदय जी, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में बोलना चाहती हूं। अभी बहुत सारी बातें हुईं, महतारी वंदन योजना के बारे में हरेक सदस्यों ने चर्चा की है। सरकार इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रूपये दे रही है। मैं सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात कह रही हूं। मान लीजिये मेरे जिले में 10 हजार विवाहित महिलाएं हैं और उनमें से 5 हजार महिलाओं को योजना का पैसा मिल रहा है और 5 हजार महिलाओं को योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसी महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं। चुनाव के समय घोषणा-पत्र में कहा गया था कि महिलाओं को एक हजार रूपये नहीं, बल्कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 1 हजार रूपये देने की बात कही गई थी। जब सरकार ने राशि देना शुरू किया तो बहुत सारे नियम बना दिए कि जिनकी शादी 21 साल में हुई है, उनको दिया जायेगा। वह स्थानीय होना चाहिए। सभापति महोदय जी, मैं यह पूछना चाहती हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो विवाहित महिलाएं हैं, यदि उनकी शादी 18, 19, 20 साल में हुई है तो क्या हम उन्हें सरकार की इस योजना से वंचित करेंगे ? मैं यही कहना चाहती हूं कि जो नियम लागू किया गया है, उस नियम को हटाया जाये। हमारे प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 1 हजार रूपया दिया जाये। हमारे विधायक साथीगण इसी सदन में बोले थे कि कलेक्टर की पत्नि को भी मिलेगा, एस.पी. की पत्नि को भी मिलेगा, विधायक को मिलेगा, विधायक की पत्नि को भी मिलेगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन सिर्फ असत्य वादा किया गया था। हमारे विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाह रही हूं कि जो महिलाएं पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही हैं, यह सरकार उन वंचित बहनों को उक्त योजना के तहत पात्रता प्रदान करें।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी में कई वर्षों में कार्यरत सहायिका, कार्यकर्ता सहायिका कार्य कर रही हैं, किन्तु इस वर्ष के बजट में उनके मानदेय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी। उनकी 5 साल सरकार थी, 2 साल कोविड में निकल गया, लेकिन उनको 3 साल काम करने का मौका मिला। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ सरपंच और जिला पंचायत, जनपद, सभी का मानदेय बढ़ाया था। आज जितने विधायक बैठे हैं, उनका भी मानदेय

बढ़ाने का काम किया है, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया था। मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अधिकतम राशि 50 हजार तक व्यय की जाती है, जिसमें 7 हजार रूपये सहायता सामग्री एवं 8 हजार रूपये व्यवस्था के लिए व्यय की जाती है तथा 35 हजार रूपये बैंक ड्राप्ट के माध्यम से दी जाती है। सहायता सामग्री की गुणवत्ता अच्छी नहीं है।

सभापति महोदय :-चलिये, अपने क्षेत्र की कुछ बात रखना चाहती हैं तो रखें। समय खत्म हो रहा है। अपने क्षेत्र की कुछ बात रखना है तो रख लीजिये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- सभापति महोदय, 2 मिनट समय दीजिये। कभी कभार तो बहनों को बोलने का समय मिलता है।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- सभापति महोदय, नई सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह महिला बाल विकास विभाग की चर्चा है। नई सदस्य हैं, उनको समय दीजिये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- सभापति महोदय, हमें आपका सरंक्षण चाहिए। महिलाओं को कभी-कभी ही बोलने का समय मिलता है। हमें आपका सरंक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- समय का अभाव है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- सहायता सामग्री की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहने से समय-समय पर शिकायत प्राप्त होते रहता है। कन्या विवाह योजना बजट में वृद्धि करते हुए ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकेण्ड। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए और अच्छा समय मिलना चाहिए। लेकिन यहां पढ़ने का अवसर थोड़े ही दिया जाता है। बात को समझ रही हैं ?

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- भईया, वह पहली बार बोल रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह पढ़ नहीं रही है, वह जो लिखी थी, उसी को बोल रही है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- पढ़कर ही बोलते हैं। आप भी तो रखकर बोलते हैं।

श्रीमती अम्बिका मरकाम :- उनको मत बोलो भइया, ओ हा पहली बार बोलत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आराम से बोल तेहा, लेकिन पढ़-पढ़ के मत बोल।

श्री यशोदा निलांबर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो 50 हजार है, उनका एक लाख रुपये अनुदान करने का आप कष्ट करेंगे और मैं अपने विधान सभा का महिला बाल विकास का प्रश्न भी लगाई थी, कुछ आंगनबाड़ी भवन जर्जर भी हो गए थे और हमारे मंत्री महोदय ने हमको जवाब दिया था कि 38 आंगनबाड़ी निजी किराये से

चलते हैं और जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र विहीन भी हुआ है और 69 आंगनबाड़ी किराये के भवन से चल रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय जी से भी मैं कहना चाह रही हूं कि जो आंगनबाड़ी भवन विहीन है और जो किराये से चल रहा है, उसको आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं। वर्ष 2024-25 में मनरेगा अंतर्गत 17 आंगनबाड़ी निर्माण के लिए कम से कम 2 करोड़ 77 हजार की स्वीकृति दी गई थी और 17 भवन में से 6 भवन पूर्ण किए और 11 भवन अपूर्ण हुए हैं तो मैं मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपूर्ण भवन है, उसको जल्दी से जल्दी आप पूर्ण कराएं ताकि हमारे बच्चे वहां पढ़ सकें।

सभापति महोदय : चलिए, समाप्त करें।

श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा :- सभापति महोदय जी, मैं अंत में बस 2 ही लाइन और बोलना चाहती हूं। पत्ते गिरते हैं, लेकिन उठाते हैं कोई-कोई, वादा तो सभी करते हैं, लेकिन निभाते हैं कोई-कोई। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने हमको पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- सुश्री लता उसेंडी। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- धन्यवाद, सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं नारियों से संबंधित महिला बाल विकास विभाग है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं :-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।

जिस स्थान पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है उस स्थान पर देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता वहां सभी धर्म और कर्म निष्फल होते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार इन्हीं लाइनों को चरितार्थ करते हुए अपना कार्य बड़ी सरलता से कर रहे हैं, सफलता से कर रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को बधाई देना चाहती हूं।

श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा :- देख कर पढ़ रही हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- मैंने इसे खुद तैयार किया है। मैंने इसे खुद तैयार किया है ।

सभापति महोदय :- चलिए टोका-टाकी न करें। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा :- सामने वाली पढ़कर बोल रही हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए टोका-टाकी न करें। बैठिए, बैठिए। आप बोलिए, आप बोलिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमारी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने

महतारी वंदन योजना प्रारंभ की है। 70 लाख माताओं एवं बहनों को 24 किश्तों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, एक मैं मांग कर देती हूं, सभापति महोदय जी, वह 500 सौ रुपये के लिए बुजुर्ग सियान मन मोला फोन करत हैं, जनता मन मोला जियन नई देत हे। आप 500 सौ का वृद्धि करा देना। यह वादा किये थे।

सभापति महोदय :- चलिए, आप बैठिए, आप बोलिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- दीदी, थोड़ा सा बोलने में संकोच तो करिए ।आप लोगों ने कहा था 500 रुपये देंगे, एक बार भी आप लोगों ने नहीं दिया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है न, हमारी सरकार ने बढ़ाया, आप दे दो न। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- हमारी सरकार 1000 हजार रुपये दे रही है। आप लोग जबरन हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा :- आप लोगों के घोषणा पत्र में था 500 रूपये देंगे, अब कटौती कर रहे हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- महिला होते हुए महिलाओं के लिए आप लोग क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- विषय पर आइए आप।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री से कह रही हूं कि 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दीजिएगा।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार महतारी वंदन योजना लाकर महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान बिखेरे हैं, आज जब भी हम अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए जाते हैं, हमारी बहनों के चेहरे पर अलग सा एक विश्वास दिखता है। 1000 रुपये उनके खातों में देकर हमारी सरकार ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चाहे कोई वृद्ध माता हो या कोई बहन हो, आज उन्हें अपने महीनों की जो छोटी-मोटी दवाएं, छोटी-मोटी वस्तुओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं इस योजना के लिए अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, आज जब महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं माताओं का सम्मान बढ़ा रही हैं और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जैसे प्रयास हमारे बच्चों को स्वस्थ भविष्य दे रहे हैं, तब यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सबसे महत्वपूर्ण आधार मां और बच्चे को मज़बूत बनाने का कार्य कर रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, वहीं राज्य सच्चे अर्थों में विकास की ऊंचाइयों को छूता है और छत्तीसगढ़ उसी दिशा में मज़बूती से आगे बढ़ रहा है। मैं महतारी वंदन योजना के लिए दो लाइन की कविता समर्पित करना चाहती हूं :-

''महतारी का बढ़ा सम्मान,
खुशियों से भर गया हर आंगन,
सरकार का यह पावन वंदन,
नारी शक्ति का सच्चा अभिनंदन,
हर घर में मुस्कान खिले,
आत्मविश्वास के दीप जलें,
महतारी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ नई राह चले।''
(मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, भा.ज.पा. की सरकार हमेशा से माताओं एवं बहनों के हित में काम की है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने 50% का आरक्षण त्रि-स्तरीय पंचायतों में लागू किया था और उन्होंने हमारी बेटियों के लिए सरस्वती साइकिल योजना लाकर उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास को दिया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विभाग के पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम एवं योजनाएं, गुणवत्ता, उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुंच पर केंद्रित हो रही हैं। माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाएं भी संचालित हैं। इसके अंतर्गत 21,76,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शासन के वंचित समूहों के प्रति प्रतिबद्धता इस बात से प्रदर्शित होती है कि इतने बड़े जनसमूह को प्रतिमाह नियमित रूप से पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, विभाग तथा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पेंशन की राशि वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत हितग्राहियों को D.B.T. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, इससे त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई भी हितग्राही पेंशन से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु e-KYC से सत्यापन कराया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मान सुविधा प्रणाली को लागू करने के लिए हमारी सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं। हमारी सरकार ने कार्यकर्ता सहायिका बहनों एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित में यह बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। पूर्व परिपाटी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान 220 परियोजना स्तरीय कार्यालय से होता था। विभिन्न कारणों से मानदेय भुगतान प्रत्येक माह निरंतर प्राप्त न होने की शिकायतें प्राप्त होती थीं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समय पर उपस्थिति बाबत् भी जिला

प्रशासन को शिकायतें भी प्राप्त होती थीं। अतः दोनों ही बिंदुओं के समाधान के रूप में हमारी सरकार ने सम्मान सुविधा प्रणाली तकनीकी विभाग में लागू कराया है। हर्ष की बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में 8 मार्च, 2025 को कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार महिला, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों के हित में बेहतर कार्य कर रही है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी एवं महिला बाल विकास मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। बस दो लाइनों से अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगी :-

''साहिल पर पहुंचने से किसे इंकार है,
लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है।।
महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आपने वो राह निकाली है,
जिससे प्रदेश के हर कोने में आज छाई खुशहाली की बयार है।। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभाग से संबंधित अनुदान मांग संख्या 34 एवं 55 के विरोध मा अपन बात रखे बर खड़े होय हंव।

माननीय सभापति महोदय जी, सरकार बार-बार महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के बड़े-बड़े दावा करथे, फेर जमीनी स्तर मा जौन स्थिति दिखत हावय, ओहर बहुत चिंता के विषय हे। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं दू लाइन कइहौ :

''जब महिला सशक्त होही, तब परिवार सशक्त होही,
अउ जब परिवार सशक्त होही, तब पूरा छत्तीसगढ़ सशक्त होही।''

माननीय सभापति महोदय, महिला बाल विकास हा मात्र एक विभाग नो हे, ये हमर समाज के भविष्य के नींव आय अउ नींव अगर मजबूत होही त पूरा समाज अउ हमर घर घलो मजबूत होही। मैं पॉइंट वाइज अपन बात ला रखूहू। मैं सबसे पहले रेडी-टू-ईट के बारे में बोलना चाहूं। रेडी-टू-ईट मा घोषणा ज्यादा हे अउ काम कम होय हे। आंगनबाड़ी केन्द्र मा रेडी-टू-ईट पोषण आहार देय के व्यवस्था बने हावय, ताकि छोटे लइका मन ला, गर्भवती महिला मन ला अउ धात्री माता मन ला पौष्टिक भोजन मिल सके। अभी जो वर्तमान में सरकार हावे, ए सरकार खुद घोषणा करे रहिस हे कि रेडी-टू-ईट के संचालन महिला स्व-सहायता समूह मन ला दिये जाही, लेकिन अभी जो हे मात्र 6 जिला म हमर महिला समूह मन ला दिये जाथे, बाकी जिला म कब होही ? महिला मन ला एखर से रोजगार मिल सकथे अऊ महिला मन ही बेहतर पोषण दे सकथे । आज हालात ए हवय कि घोषणा त हो गे हे, लेकिन पूरा प्रदेश म व्यवस्थित रूप से संचालन अभी तक नइ होय हे । सभापति महोदय जी, सरकार के घोषणा म महिला

सशक्तीकरण त हावय फेर जमीनी स्तर में महिला मन अभी भी इंतजार करथे । माननीय मंत्री महोदया, मैं आपला निवेदन करथंव कि आप लाखों महिला मन के इंसिपिरेशन अव, ओमन जो आप ऊपर आसरा लगाके बइठे हे वोमा जरूर ध्यान दिहव ।

सभापति महोदय, दूसरा हे, चिक्की सप्लाई बंद होगे हे त बच्चा मन के पोषण प्रभावित होय हे । कई आंगनबाड़ी केन्द्र म चिक्की सप्लाई बंद हो गे हावय । प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना केन्द्र सरकार के योजना आय अऊ प्रदेश म पोषण आहार समय म आंगनबाड़ी केन्द्र म नई पहुंच पाथे । हमर सप्लाई व्यवस्था समय म नइ हो पावथे । आज पोषण आहार के सप्लाई बीज निगम के माध्यम से होवत हावय। आपके गाईड लाईन अऊ घोषणा म महिला स्व-सहायता समूह ला एखर जिम्मेदारी देके घोषणा हावय, लेकिन ए काम ला कोनो दूसरा करथे । आपके घोषणा ला आज दो साल से ज्यादा हो गे हे, लेकिन अब तक पोषण आहार के सप्लाई के काम महिला बहिनी मन ला नइ मिल पाय हे त महिला सशक्त कइसे होही ? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया जी के ध्यान ला आकर्षित करथंव कि जमीनी स्तर म देरी अऊ गड़बड़ी के शिकायत लगातार आथे । सभापति महोदय, मैं 9 मार्च 2026 के आपके विभाग के एक प्रश्नोत्तरी ला पढ़त रेहेंव । आदरणीय मंत्री महोदया जी, थोकिन सुनव । भावना बोहरा जी, हमर विधायक बहिनी शायद नइ दिखथे । एक प्रश्न के उत्तर म आपके कथन आय रहिसे, मय पहिली पढ़ेंव त विश्वास नइ होइस, फेर मैं ध्यान से दोबारा पढ़ेंव ओमा विषय रहिस "सूपोषण अऊ कूपोषण ।" एहा समाज के अंतिम पंक्ति से जुड़े हे, जेमा आपके उत्तर आय हे कि पोषण आहार गुणवत्ताविहीन वितरण होय के शिकायत आप ला प्राप्त होय हे । वोखर बाद भी पिछले 2 साल से पोषण आहार वितरण सेंपल के आज तक के जांच नइ होय पाय हे । सभापति महोदया जी, यह बहुत बड़े विडम्बना के बात हे अऊ आप सदन के सामने बतावव कि 2 साल म कौन-कौन से लैब म एखर जांच होय हे। जब बच्चा ला पोषण समय म नइ मिलही त कूपोषण कइसे कम होही ? मैं तीसरा बिन्दु म कहना चाहूँ कि आज ड्रेस वितरण म गड़बड़ी होत हे । हमर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बहिनी मन ला विभाग ले साड़ी दे जाथे । सभापति महोदय जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन बर ड्रेस वितरण भी सरकार करथे फेर कइ जगह टेण्डर प्रक्रिया में अनियमतता होवत हे, सप्लाई म गड़बड़ी होवत हे, समय म वितरण नइ हो पाथे, अइसन शिकायत सामने आथे । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन घलो वितरण के शिकायत करथे । एमा घटिया साड़ी ला थमा के व्यापक भ्रष्ट्राचार करे गे हे । मैं एमा आपके कार्यवाही चाहथंव । सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना, एखर तहत आपके घोषणा म ए रहिसे कि सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपया दिया जायेगा । ए आपके घोषण ए । वो समय आप ए नइ केहे रहेव कि वहां क्राइटेरिया तय करे जाही ? आपके घोषणा के समय आप सब विवाहित महिला ला दे के घोषणा करे रहेव । आप ला अच्छा से मालूम हे कि हिन्दू विवाह अधिनियम में हमर बेटी मन के बिहाव के उमर 18 साल दे हे, अऊ आप 21 बरस म देवथव । जेन बेटी के बिहाव 18 साल म होय हे,

19 साल में होय हे, 20 साल म होय हे, 21 साल म होय हे, 3 साल के महतारी वंदन के पइसा वो बेटी मन ला मिल पाही ? आदरणीया मंत्री महोदय जी, आपके घोषणा होईस, सरकार आईस अऊ अपन वादा ले मुकर गिस । महतारी वंदन के पोर्टल आज भी बंद हावए। जेखर नाम से पात्र हितग्राही लाखों महिला मन एकर लाभ नहीं ले पात हे। माननीय सभापति महोदय, हमर प्रदेश मा एक बॉलीवुड अभिनेत्री ला महतारी वंदन के पैसा मिले हावे। ओला महतारी वंदन के पैसा दिए गए हावे, जारी करे गए हावे लेकिन पात्र हितग्राही ला एकर से वंचित करे गे हावे, ये बहुत बड़े दुख के बात आय। मैं मंत्री महोदया जी से मांग करत हंव कि महतारी वंदन के पोर्टल ला खोला जाए और नवा हितग्राही मनला ये योजना के लाभ दिए जाए।

सभापति महोदय, आगे मैं दिव्यांग जन बर आहूं। हमर समाज कल्याण विभाग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हे। दिव्यांग मन के साथ में अन्याय होवत हे। मैं दिव्यांगजन भाई-बहन मन के मुद्दा ला एकरा उठात हंव। सरकार के नियम मा बैटरी चलित वाहन वितरण बर 80% विकलांगता और 5 साल अवधि के अनिवार्यता के शर्त रखे गे हावे। ये शर्त हर बहुत ही कड़ा हावे। जो बैटरी चलित वाहन हावे ओमा बैटरी के गारंटी मात्र 6 महीना के हावे। 6 महीना के रइथे और मात्र साल भर मा वो बैटरी चलित वाहन हर खराब हो जथे। त का 4 साल अउ इंतजार करही दिव्यांगजन हर तब ओला एकर लाभ मिली? अब दोबारा बैटरी चलित वाहन 5 साल बाद ही मिल पाही। मैं मंत्री महोदय जी से मांग करत हंव कि ये शर्त ला हटाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजन मनला एकर लाभ मिल सके।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करें।

श्रीमती चातुरी नंद :- आदरणीय सभापति महोदय, मोला 2 मिनट समय दिया जाए, काबर कि क्षेत्र के मामला ए, अगर मैं दिव्यांगजन के ऊपर में एकरा नहीं बोलिहां त ओ मनला न्याय कोन दिलाही? ओ मन के साथ अन्याय होवत हे। सभापति महोदय जी, एक सामान्य व्यक्ति ला पेंशन 500 रूपया देथे और उही जगह एक दिव्यांग व्यक्ति ला घलो 500 रूपया देथे। कैसे चलही? दिव्यांग ला भी 500 रूपया मिलथे आज के महंगाई के जमाना मा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दिल्ली में दिव्यांगों का पेंशन 6,000 रूपए है और उनके साथ जो सहयोग देते हैं, उनको भी 6,000 है। सभापति महोदय, ये भेदभाव क्यों? क्योंकि वह डबल इंजन की सरकार है । मैं मंत्री जी को बोलना चाहती हूं, यहां भी 500 को बढ़ाकर 6,000 नहीं करोगे तो 3,000 कर दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, आज के महंगाई के जमाना मा 500 रूपए मा का होही? मैं मंत्री महोदय जी से मांग करत हंव कि जैसे राजस्थान में आपके सरकार हे और राजस्थान में सरकार दिव्यांग मनला 2,000 रूपए पेंशन देवत हे। तो उही तर्ज में मैं मांग करत हंव कि दिव्यांग मन के पेंशन

500 से बढ़ा करके 2,000 किया जाए। पूरा प्रदेश मा जनसंख्या के 3% दिव्यांगजन मन हावें लेकिन ओमन के उच्च शिक्षा बर 0.1% भी महाविद्यालय खोले नी गे हावे। महाविद्यालय अगर खोले जाथे तो दिव्यांग मनला शिक्षा घलो मिल जही। निवेदन करत हंव कि दिव्यांग जन मन बर हर जिला मा एक महाविद्यालय खोले जाए, हर जिला मा अगर नहीं हो सकत हे तो संभाग मा खोले जाए।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामला घलो बहुत सारा आए हे, एक बहुत गंभीर मुद्दा ये हावे कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों व्यक्ति मन शासकीय नौकरी मा बने बैठे हावे। कुछ झन तो बड़े-बड़े पद मा अफसर घलो तक बने हावे। जांच हो गे, रिपोर्ट आ गे लेकिन कार्रवाई अभी तक शून्य हे। मोरो मांग हावे कि ऐसे अफसर मन बर जेन मन फर्जी प्रमाण पत्र में नौकरी करत हैं ओमन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे जाए। शासकीय और अशासकीय संस्था मा अंतरवासी, आवासीय बच्चा मन, एमन ला 600 रूपए प्रति माह दे जाए के बजट मा प्रावधान हावे लेकिन 600 रूपए से का होही? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करत हंव कि एला 2,500 रूपए करे जाए। दिव्यांग ला पेंशन बर पूर्व निर्धारित पात्रता, ग्रामीण स्तर वर्ष 2002 व 2003 के सर्वे सूची के अनिवार्यता और शहरी क्षेत्र में वर्ष 2007 व 2008 के सर्वे सूची के अनिवार्यता या बाध्यता हवे। ए अनिवार्यता या बाध्यता ला खतम करे जाये ताकि सब विकलांग/दिव्यांग मन ला पेंशन के लाभ मिल सके। एखर अलावा हमर राज्य में सेरेब्रल पॉलिसी बच्चा मन हवे। अइसे बच्चा मन जेखर मन के मस्तिष्क के विकास नहीं होए के कारण ओमन के कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाथे अउ ये विकार उत्पन्न हो जाथे। मतलब, कहना चाहिए यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार हरे। अइसने बच्चा मन बर कोनो सेंटर अभी तक के नहीं खोले हवे। एमा बजट होना चाहिए। अंत मा मैं अपन बात ला दो लाइन में रखते हुए यहीं पर विराम दूहूं। मैं मोर मांग ला रख लेथंव। माननीय सभापति महोदय, मोर विधान सभा के सराईपाली ब्लॉक मा 38 आंगनबाड़ी केंद्र हा सामुदायिक भवन अउ किराया के भवन में लगत हवे। अइसने मोर विधान सभा के बसना ब्लॉक में भी 4 आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन और किराये के भवन में लगत हेवे, एला जल्द से जल्द पूरा कराय के कष्ट करिहो। मैं दू लाइन बोलके अपन वाणी ला विराम दूहूं -

हर बार होते चुनाव देखेव, वादा के पकते पुलाव देखेव।

क्षेत्र के विकास तो होइस नहीं, मगर क्षेत्र में बढ़ते तनाव देखेव।

माननीय सभापति महोदय, मोला बोले के मौका दे हो, तेखर बर आप ला कोटि-कोटि धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती विद्यावती सिदार।

श्रीमती विद्यावती सिदार (लैलूंगा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 34, 55 के कटौती प्रस्ताव के पक्ष एवं अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति जी,

छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में अगर शिक्षा की शुरूआत होती है तो आंगनबाड़ी से होती है। आंगनबाड़ी का विकास, आंगनबाड़ी का उत्थान हम उन ननिहाल बच्चों से करते हैं, जो हमारी नींव है, शिक्षा की नींव है। महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हेतु एक घंटा का समय सीमित है। यह महिलाओं के लिए अपेक्षा है। यह महत्वपूर्ण विषय है। आज आंगनबाड़ी के बारे में बोलने के लिए हम सब महिलाओं को अवसर मिला है। इसमें एक घंटे का समय दिया गया है। इस अनुदान मांग को देखने से लगता है कि यह छोटा सा विभाग है, परंतु हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, समाज के उपेक्षित वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। मेरे उपेक्षित शब्द को अन्यथा न लिया जाए। किसी भी गांव, समाज में सभी वृद्धजन, विधवा एवं विकलांग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। मैं यहां पर प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था को लेकर बोलने के लिए खड़ी हूं। पूरे प्रदेश में सरकार क्या कर रही है, मैं यह नहीं जानती हूं। मुझे मालूम भी नहीं है। मैं रायगढ़ जिले के साथ-साथ लैलूंगा विधान सभा का प्रतिनिधित्व करती हूं और मेरे क्षेत्र में जिस तरह से आंगनबाड़ी की हालत और वहां की स्थिति है। मैं आदिवासी वर्ग से आती हूं और वहां का संपूर्ण विकास करना छत्तीसगढ़ की सरकार का दायित्व है। आदिवासियों का विकास करना छत्तीसगढ़ की सरकार का दायित्व है। मेरा इस विभाग में प्रश्न भी लगा था, लेकिन मैं किसी कारणवश बोल नहीं पाई। चंद्राकर जी मुझे बोल भी रहे थे कि बड़े नेताओं के पीछे मत भागिए। मैं चंद्राकर जी को कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन के पीछे जाते हैं और आप अभी-भी पीछे हैं। आपके जैसे इतने बड़े सीनियर नेता के होते हुए नए लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला और आप पीछे रह गये। (हंसी) मैं तो पहली बार की विधायक हूं। मैं संगठन के पीछे जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। (हंसी)

श्री भोलाराम साहू :- माननीय चन्द्राकर जी, आप मन चुपचाप रहे कर।

श्रीमती भावना बोहरा :- आपको जीताया तो जनता ने था। सवाल जनता का था, सवाल पार्टी का नहीं था। आपको यहां पर रहना चाहिए था।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- मैं उस दिन नहीं बोल पायी। सवाल जनता का नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सवाल जनता का था, आपको प्रश्न पूछना था। जिस दिन प्रश्नकाल था तो वह सवाल जनता का था। आप प्रश्नकाल में जनता का ही सवाल पूछेंगी ना ?

श्रीमती विद्यावती सिदार :- मेरा संगठन जहां जायेगा, मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे नाम दिया है, पहचान दी है।

सभापति महोदय :- विषय में आईये।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- सभापति महोदय, मैं अपने विषय में आती हूं। मैं रायगढ़ जिले से आती हूं, वहां पर ओ.पी. चौधरी जी भी रहते हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- कुंवर सिंह जी, मुझे विद्यापति से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा ? (हंसी)

श्रीमती चातुरी नंद :- आपको विद्यावती जी से परमिशन लेनी होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माताओं को सुनकर लग रहा था कि छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा। यह तो पोथी पढ़ रही है, यह रामायण कहां पढ़ रही है ? इनको कुछ ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए ताकि लगे कि महिलाएं छत्तीसगढ़ संभाल सकती है। यहां महिलाएं-महिलाएं बोल रही हैं और आप इधर अधिकारी दीर्घा में भी देखियेगा कि फ्रंट सीट में भी महिलाएं ही संभाल रही है।

श्रीमती चातुरी नंद :- भैया, आज महिला सशक्तिकरण आये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या महिला सशक्तिकरण ? ओ हर पहाड़ा पड़त हस।

श्री दिलीप लहरिया :- आप सदैव महिला विरोधी रहे हैं।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, सभी प्रथम बार की विधायक हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- चंद्राकर जी, यदि महिलाओं को छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर प्रतिनिधित्व करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आप मन ला भूपेश बघेल जी और महंत जी से आगे जाए लगही।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, अपने विषय पर आईये।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- आप मुझे डिस्टर्ब मत करिये। सभापति महोदय, मैं विषय पर आ रही हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मन पाछू-पाछू रहने में गर्व महसूस करत हस।

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में बहस न करें।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- मैं पहली बार बोल रही हूं, कृपा करके आप बैठ जाईये। सभापति महोदय, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में 581 आंगनबाड़ी भवन जर्जर हैं और मैंने प्रश्न भी लगाया था। मैंने विधायक बनने के बाद पहली बार प्रश्न भी किया था कि मेरे विधान सभा में आंगनबाड़ी भवनविहीन है। वहां पर आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। आज भी लैलूंगा विधान सभा में लैलूंगा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा के उन पिछड़ी जगहों पर आंगनबाड़ी भवन की बहुत आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि जल्द से जल्द मेरे लैलूंगा विधान सभा में आंगनबाड़ी भवन बनवा दीजिये। मैं रायगढ़ ब्लॉक के लिए कहना चाहूंगी कि रायगढ़ ब्लॉक में बड़गाव ग्राम पंचायत है, वहां विकलांगों के लिए स्कूल खोली गयी है लेकिन वहां पर शासन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मैं वहां दौरा करती हूं। वहां पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर व्यवस्था की कमी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए वहां की व्यवस्था सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देंगी। उस

स्कूल में बाऊंड्रीवॉल की कमी है, शिक्षकों की कमी है। उसकी व्यवस्था कर दीजिये। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज का विषय महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। सभी जानते हैं कि यह जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, जब से बच्चे जन्म लेते हैं, तब से इस विभाग की आवश्यकता होती है और आज मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विभागीय अनुदान मांग संख्या का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब से बच्चा पैदा होता है, उसके बाद माता-पिता बच्चें के प्रथम पाठशाला होते हैं। उसके बाद जो हमारा महिला बाल विकास विभाग का आंगनबाडी है और उसके बाद जब 3 से 6 साल के छोटे-छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ने के लिये जाते हैं, उनके लिये हमारी विष्णु देव साय की सुशासन सरकार और महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी महिलाओं के लिये जिस तरह से उन्होंने आर्थिक, सामाजिक रूप से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिये, महिलाओं को सशक्त करने के लिये, आत्मनिर्भर बनाने के लिये जिस तरह से इस विभाग में योजनायें संचालित कर रही हैं, इस विभाग में वह योजनायें बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रही हैं। सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहती हूं। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हमारे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के लोग इसमें आते हैं। सभी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे सभी हमारे नागरिकों के लिये पेंशन की योजना संचालित है। साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य भी, पोषण भी जुड़ा हुआ है। इसमें पेंशन के लिये हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय जी की सरकार 10 लाख रुपये का चेक, 1 लाख रुपये का चेक देने के लिये रानी दुर्गावती योजना के तहत देने का प्रावधान रखा है। मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे जी खुद तो वह लक्ष्मी हैं, लेकिन जब हमारे छत्तीसगढ़ में बेटी पैदा होंगी, वह दुर्गा के रूप में पैदा होंगी। उनका नाम लक्ष्मी तो है ही, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ मे जो बेटी पैदा होंगी, उनके लिये उन्होंने साल भर के लिये रानी दुर्गावती योजना चालू की है। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ में जो बेटी पैदा होती हैं, उनको हम लोग छत्तीसगढ़ में नोनी के नाम से जानते हैं। नोनी योजना के तहत हमारी बेटियां जब बड़ी हो जायेंगी, उनकी शादी के लिये तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक साथ शादी करने की योजना तो बनाई है, परंतु फिर से जो हमारी बेटी पैदा होंगी, उनके लिये अलग से जब उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी जो जायेगी तो उनको अलग से डेढ़ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। उसी प्रकार से हमारे वृद्धा आश्रम में जब हमारे बेटा-बेटी बड़े हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अब हमारे बेटा-बेटी बड़े हो गये हैं, जब हम बुढ़ापे में आ जायेंगे, वृद्ध हो जायेंगे तो बच्चे हमारा अच्छे से पालन-पोषण करेंगे,

ऐसा सभी माता-पिता सोचते हैं । लेकिन हमारे चाहे वह बेटा हो या बेटियां होती हैं, जब मता-पिता बुजुर्ग हो जाते हैं उस समय अपने माता-पिता का पालन करने से वह इंकार कर देते हैं तो फिर एक वृद्धाश्रम है । वहां पर हमारे बुजुर्ग माता-पिता के रहने के लिये एक आश्रम बना हुआ है और वहां पर हमारे बुजुर्ग माता-पिता उस वृद्धाश्रम में जाकर के अपना निवास करते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग माता-पिता लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, वहां आज भी उनके भोजन व्यवस्था के लिये केवल 20 रूपया आता है । 20 रूपये में तो पानी की बोतल भी नहीं आती । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बार-बार टोका-टाकी न करें ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में...।

सभापति महोदय :- बार-बार टोका-टाकी होगा तो उसका रिकॉर्ड में नहीं आयेगा ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में 23 जिलों में 27 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है । मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय से...।

सभापति महोदय :- कृपया, अपने क्षेत्र के कुछ विषय हैं तो उसको रख लीजिये।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन कर रही हूं और वही मांग कर रही हूं । इसमें 23 जिलों में जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यही कहना चाह रही हूं कि और भी जिलों में इस तरह के वृद्धाश्रम संचालित किया जाये । इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग सामूहिक विवाह, जो दिव्यांग परिवार से आते हैं । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दिव्यांग परिवार से भी यह सामूहिक विवाह में शामिल किया जाता है और अभी जो शादी हुई । बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ, मैं वहां पर गई थी, वहां पर 3 दिव्यांग जोड़ों की भी शादी हुई है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, उनके लिये शासन की तरफ से 1 लाख रूपये देने का भी प्रावधान है । अभी मैं महतारी वंदन के बारे में कहूं तो महतारी वंदन योजना के तहत हमारी बहनें...।

सभापति महोदय :- चलिये, वह विषय आ गया । श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े । चलिये, समाप्त करें ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना का जो पैसा 1000 रूपये हमारी बहनों के खाते में आ रहा है ।

सभापति महोदय :- वह विषय आ गया है ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, हमारी बहनें उस पैसे को अपने खाते से बचत करके अपनी बेटियों के भविष्य के लिये बचाकर के रख रही हैं । अभी-अभी आप लोगों ने इसी सदन में सुना होगा कि हमारा महतारी वंदन का जो पैसा है उससे हमारे राम लला का मंदिर भी हमारी महिला बहनें बना रही हैं । इस तरह की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रूपये, यह हमारे छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि बालोद में 163 जोड़ों का विवाह हुआ है उसका अभी तक पैसा नहीं आया है । माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा दिखवा लीजिये । लोग हमें फोन लगाते हैं ।

सभापति महोदय :- बैठिए । चलिये, समाप्त करें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- देखो, रामकुमार से करवाओ तब कुछ होगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ओ हा बाद में 164 में आही न, 163 ला तो पहिली दे दे ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे हाई स्कूल, हॉयर सेकेण्डरी, कॉलेजों में पढ़ने वाली जो बालिकायें हैं । वहां पर सभी जगह सभी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना की गयी है और जहां-जहां नहीं की गयी है उसके लिये भी मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जहां-जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहां-वहां भी आप व्यवस्था करें । मैं 1-2 जगह गयी थी, स्कूलों में व्यवस्था नहीं थी इसलिये मैं मंत्री महोदय जी से यह कहना चाहूंगी कि इसकी भी व्यवस्था करें और निश्चित रूप से इसके लिये भी 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है । माननीय सभापति महोदय, ज्यादा न कहते हुए, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूं, धन्यवाद ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़):- माननीय सभापति महोदय, मेहा मांग संख्या 34 समाज कल्याण एवं 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के विरोध बर बोले बर खड़े होए हौं।

माननीय सभापति महोदय, ए मन डबल इंजन के सरकार मन नारा देथे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन अभी आप मन देख हौ कि आज के दिन में हमर बेटी सुरक्षित नइ हे। न हमर महिला सुरक्षित हे। हर जगह आप मन चाहे स्कूल में होए, चाहे कॉलेज में होए, हमर बेटी स्कूल जाथे ता डरे हुए जाथे काबर कि एक मां होथे कि स्कूल भेजे बर, कईसे लइका मन स्कूल तक पहुंचही, कइसे कॉलेज तक पहुंचही। लेकिन आज ओ में कोई सुधार नइ हे। अभी हमर बहुत सारा बेटी मन बइठे हुए हे, सब सुनत हे अउ इहां सब महिला बइठे हन, लेकिन अभी कई जगह महिला सुरक्षित नइ हे, न बेटी सुरक्षित

नइ हे । एकर साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से आग्रह हे कि आंगनबाड़ी भवन चाहे में हा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कहूं, चाहे अपन विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़ के कहूं, इहां हर जगह अइसे हे कि आंगनबाड़ी केन्द्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता दीदी मन आंगनबाड़ी स्कूल खोले बर जाथे तो वहां भी भवन नइ हे। अउ ओ लइका मन सड़क से पार होकर छोटे-छोटे बच्चा मन आंगनबाड़ी में पढ़े बर जाथे तो कहीं पर आंगनबाड़ी चौक में लगत हे, तो कहीं पर परछी में लगत हे। अइसे जगह हावए तिहा भी आप मन ला ध्यान देना चाहिए। काबर कि चबूतरा में अइसे जगह आंगनबाड़ी लगे जाथे तो आपसे ए आग्रह हे कि ए स्कूल आंगनबाड़ी ला अइसे जगह में नइ लगाकर, ओ मन बर भवन होना चाहिए अउ साथ में बच्चा मन की उपस्थिति बर कहना चाहूं। बच्चा अइसे हावए कि हमर लइका मन ला लाभ नइ मिलए, हमर प्रदेश में छोटे-छोटे लइका इतना ज्यादा हे कि लइका मन ला सही पोषण आहार नइ मिले जाए, ता ओ मन ला पोषण आहार काबर नइ मिले। हमर सरकार रिहिस हे तो ओ मन ला अण्डा भी देवत रिहिस हे । आपके सरकार आये हे तो अण्डा ला देना भी बंद कर दे हावए। लइका मन ला पोषण आहार जरूरी हे। काबर की हमर भविष्य हमर लइका मन हरे, तो आप मन ला हमर लइका मन के भविष्य बर कुछ एमा करना चाहिए। साथ ही साथ हमर महतारी वंदन योजना के लाभ देवत हावव। जो हमर महिला 60 साल के नीचे हे अउ जो 60 साल से ऊपर के हे ओ मन ले आप मन हर जोड़कर 500 रूपये, कोई ला 1000 रूपये देवत हौ, एमा भी आप मन ला सुधार करना चाहिए। ओ मा जो 60 साल के ऊपर हे ते हमर दीदी, महिला, महतारी मन ला 1500 रूपये मिलना चाहिए अउ ओकर नीचे हे ते मन ला 1000 रूपये मिलना चाहिए। काबर कि हर जगह जहिहौ तो हमर महिला मन के शिकायत रहिथे कि बेटी, मोर 500 रूपये ही आवत हे, ओला बढ़ा देवा ता सरकार तो आप मन के हे। तो आप मन ला ओमे ध्यान देना चाहिए कि ओ मन के जो मानदेय हे, ओला बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ हमर स्व सहायता समूह महिला, रेडी टू ईट हमर सरकार आही ता देबो कहे रहेव। अउ अभी मन ला 2 साल पूरा होगिस। डबल इंजन के सरकार हे, लेकिन कुछ जिला में खुले हे, तेला हर जिला में खुलना चाहिए अउ हमर महिला मन ला लाभ मिलना चाहिए। काबर कि हर जगह हमर महिला मन हर चाहे कोई कार्यक्रम में जावव, चाहे कहीं भी जावव, उहां उपस्थित रहिथे तो महिला मन के एक ही मांग रहिथे कि हमर मन के रेडी टू ईट हा वापस आ जही, इहां डबल इंजन के सरकार हे, ओला आप कब तक पूरा करहूं ओला आपे मन जानहू। साथ ही साथ हमर ...।

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप लोगों ने ही रेडी टू ईट वाला गड़बड़ कर दिया।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- तो आप लोग उसे सुधारिये, अब आपकी सरकार है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- आप ही लोगों ने तो यहां सदन में घोषणा की थी कि हम महिला स्व सहायता समूह को देंगे।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रखिये।

समय :-

3.00 बजे

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप लोग सुधारिए न, आपकी सरकार है ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- आप ही लोगों ने सदन की घोषणा की थी ।

सभापति महोदय :- उत्तरी, अपनी बात रखिए ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति जी, अभी अभी आपने घोषणा की थी कि 500 रूपए में रसोई गैस का सिलेण्डर देंगे, लेकिन अभी कितने में दे रहे हैं ? अभी केन्द्र सरकार ने उसका रेट 60 रूपए बढ़ा दिया है । इससे हमारे प्रदेश की माताएं और बहिनें बहुत ज्यादा परेशान हैं । ओला आप मन कब शुरू करिहौ अउ कब आप मन 500 देहौ, ऐकर इंतजार हमर सब्बो महिला मन करत हवं । काबर के हमर महिला मन ह चुल्हा जलाकर खाना बनाथे और सिलेण्डर के रेट बढ़े से परेशान रहिथे। आप मन के डबल इंजन के सरकार हे, ओला कब पूरा करहूं । आप मन ला दो साल हो गे हे, तीन साल आप मन के बाचे हे । तीन बजट होगे, अब दो ही बजट आही । एक ठी बजट ह तो शायद सरकार बने के बाद मिलही । आप मन से आग्रह हे कि ऐला बहुत जल्दी आप मन करौ । मोर सारंगढ़ विधान सभा ह अनुसूचित जाति क्षेत्र हे तो महिला बाल विकास मंत्री जी से आग्रह करिहौ कि अईसे-अईसे जगह हवय, जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं हे, अईसे गांव हे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं हे और दो साल हो गे, हमार मितानीन दीदी मन के लिए आप मन कुछ नहीं करे हव । तीन महीना से हमर मितानीन मन पईसा नहीं पाये हे, भत्ता नहीं पाए हे, ऐला आप मन कब दूहू, ओमन आन्दोलन में बइठे हुए हे तो ओमा आप मन भी जल्दी पूरा करौ । सभापति महोदय, आप बोले बर मौका दे हव, ओकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा विभाग है । महिला बाल विकास विभाग जीरो से लेकर मरने के बाद तक का इसमें लेखा-जोखा रहता है, योजनाएं रहती हैं । अगर किसी विभाग में पूछा जाये कि हमारे गांव में जीरो से लेकर 16 साल तक के कितने बच्चे हैं तो उसका आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह महिला एवं बाल विकास विभाग में मिलेगा । महिला बाल विकास विभाग खासकर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही जिम्मेदार विभाग है, उनकी सारी पूर्ति करने का विभाग है ।

सभापति महोदसय, मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 34 एवं 55 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं एवं इसका मैं समर्थन करती हूं । महिला बाल विकास विभाग द्वारा राशि के लिए मांग की गई है, वह राशि जायज है, मिलना चाहिए । हमारे महिला एवं बाल विकास की सुरक्षा का भी विषय है । आज इस विभाग में हमारे पक्ष एवं विपक्ष की सभी महिला सदस्य

बोल रही थीं क्योंकि विशेषकर महिलाओं का विषय था इसलिए सभी बहिनों को बोलने का अवसर मिला है, जिसमें भी मुझे भी अवसर मिला है । लगभग सभी विषय आ चुके हैं । मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इस विभाग में जीरों से लेकर मरने तक का विषय है तो यह बहुत बड़ा विषय है । आज चाहे खाने-पीने का विषय हो, चाहे रख-रखाव का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य में कैसे सुरक्षित रहने का विषय हो, महिलाओं का सारा जो क्रिया कर्म है, इस विभाग में जीरों से लेकर मरने तक की योजना है । इस विभाग को अच्छे से अच्छा पैसा मिलना चाहिए, माननीय मंत्री जी जो चाहती हैं, वह बजट मिलना चाहिए । हमारे प्रदेश के बच्चों को कुपोषित होने का विषय आता है तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसमें रेडी टू ईट का भी प्रावधान रखा गया है । मैं महतारी वंदन योजना के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश की 70 लाख बहिनों के खाते में पैसा जाता है । यह बड़ा विषय है और मैं कहना चाहती हूं, जिसका उल्लेख उद्धेश्वरी बहन कर चुकी हैं । महतारी वंदन के माध्यम से मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि में महिलाएं क्या-क्या कर रही हैं ? इसमें महिलाएं राम मंदिर बना रही हैं । यह कोई छोटा-मोटा विषय नहीं है । अगर महिलाओं के रसाई चलाने का विषय आता है, जो महिलाएं गांव में निवास करती हैं, उन महिला बहिनों से अगर पूछा जाये कि आप एक महीने का खर्च कहां से लाती हैं तो एक हजार रूपया उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। सभापति महोदय, जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, अपनी मां से फीस के लिए पैसा मांगता है, कापी-किताब खरीदने के लिए पैसा मांगता है तो पहले वह भी नसीब नहीं होता था। लेकिन इस योजना के माध्यम से पैसा मिलने के कारण उनको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह मां इसी में से पैसा निकालकर अपने बच्चे को देती है। वैसे बहुत सारी शासकीय योजनाएं हैं, जिसमें बच्चों के लिए कापी-किताब, पुस्तक खरीदने के लिए, सायकल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के पहले से ही सरस्वती सायकल वितरण की योजना है। इससे भी हमारी बच्चियों को अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर उस जमाने के मुकाबले में बात करें तो पहले ऐसा था कि 2 रूपये भी फीस नहीं मिलता था। इसलिए यह बहुत बड़ा विषय है।

सभापति महोदय जी, मैं महिला बाल विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप इस पैसे को लेकर उनको कैसे अच्छी सुविधा मिले, बच्चों और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा मिले।

सभापति महोदय :- चलिये, अब समाप्त करें।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदय, जहां अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाये, आप इस पैसे को उचित जगह पर लगायेंगे। पूरे प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग की जो आंगन बाड़ी भवनें हैं, जर्जर और जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं। आप पूरे प्रदेश का एक आकड़ा ले लीजियेगा और उसे पुन: नया बनाने का प्रयास करियेगा। ताकि हमारे बच्चे स्वच्छ, शुद्ध और अच्छे भवन में बैठें। उनका मन भी बदले, आप ऐसा भाव रखेंगे। सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात समाप्त

करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम (अनुपस्थित)। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री। (मेजों की थपथपाहट)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मांगों और कटौती प्रस्ताव की चर्चा में पक्ष तथा प्रतिपक्ष के जिन माननीय सदस्यगणों ने अपने विचार रखे हैं मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अपने विचार में कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, ऐसे सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करती हूं कि हमारी सरकार मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे महिला बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग शासन का एक ऐसा विभाग है, महिला, वृद्धजन, दिव्यांग, बच्चों, उभयलिंगी व्यक्तियों के सम्पूर्ण विकास और सुरक्षा का संकल्प लेकर अपनी सेवाएं दे रही है। इसके साथ ही सामाजिक कर्तव्यों और सामाजिक बुराईयों के प्रति समाज को जागृत करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की दिशा में आगे ले जाया जा रहा है।

समय

3.09 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात आरंभ करने के पहले राज्य की मातृशक्ति को आपके माध्यम से यह पंक्तियां निवेदित करती हूं :-

सरल है, शांत है, सुलझी हुई एक कहानी है,
कभी किरदार बेटी का है, कभी राजा की रानी है,
कभी बहन की श्रद्धा है तो कभी मां की धानी है,
मां, बहन, बेटी महिला की महनता की निशानी है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मातृशक्ति के प्रति सम्मान हमारा संस्कार रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के हमारे संस्कार को निरंतर मजबूत बनाने का कार्य हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। देश और प्रदेश की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकास की मूल धारा में जोड़ते हुए हमारे राज्य की सरकार ने महिलाओं के समग्र, सर्वांगीण विकास को एक संकल्प के रूप में लिया है। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की थीम संकल्प

है। संकल्प केवल बोलने के लिए एक शब्द हो सकता है, परंतु इसको चरितार्थ करना अपने आप में सतत साधना है। आज छत्तीसगढ़ में हमारी माता-बहनों के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन को हम अनुभव कर पा रहे हैं, वह हमारी केंद्र व राज्य सरकार का सामूहिक प्रयास का सुखद परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया है। आज हमारे राज्य में मोदी जी की सभी गारंटी जिन्हें हमने आम जनता को वादे के रूप में किया था, वह हमारे सभी वादे पूर्णता की ओर है। हमारी सरकार ने राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सुशासन को स्थापित किया है, इस उपलब्धि के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। माननीय सभापति महोदय, परिवार, समाज और देश जिस भी दायरे में अगर हम समृद्ध होना चाहते हैं, सशक्त होना चाहते हैं, तो इसकी पहली और प्राथमिक आवश्यकता है कि हम उस दायरे में वहां की बेटियों को, माताओं को शिक्षित करें, संस्कारवान बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और सार्थक पहल करें। मुझे प्रसन्नता है कि यह राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इस पुनीत कार्य को मूर्त रूप देती आ रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारी राज्य सरकार ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि योजना के माध्यम से उनके जीवन में हम एक बेहतर परिवर्तन और स्वावलंबन लाने में भी सफल हुए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्राप्त राशि से डोंगरगढ़ की श्रीमती मनीषा मेश्राम ने मशरूम उत्पादन कर एवं छुरा गरियाबंद की श्रीमती एस. कुमारी जगत ने सूअर पालन कर आत्मनिर्भर और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, माननीय सभापति महोदय, जिससे वह स्वालंबी बनी हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख माता-बहनों को अभी तक 25 किश्तों में 14,000 करोड़ से अधिक राशि हमारी सरकार ने वितरित किया है। इस वर्ष बजट में 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ की राशि का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, बेटियां माता-पिता का सम्मान होती हैं, इन्हीं बेटियों के लिए अपने हृदय के भाव से कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूं :-

"मान है बेटी, अभिमान है बेटी,
हम सबके दिल की अरमान है बेटी।
मां के आंचल की परछाई है,
तो घर के आंगन की तुलसी है बेटी।
फुदकती चिड़िया जैसी है,
आसमान की उड़ान है बेटी।
धर्म क्या है, कर्म क्या है,

जिसके लिए सब कुछ जीत जाए,
वह हर जीत का अरमान है बेटी,
वह हर जीत का अरमान है बेटी।" (मेजों की थपथपाहट)

इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत हमारी सरकार रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रही है। इसके लिए 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1.5 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके लिए इस वर्ष बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के द्वारा हम राज्य के वर्तमान के बचपन को संवारने का काम कर रहे हैं और मैं समझती हूं कि यह हमारे छत्तीसगढ़ के उन्नत भविष्य की बुनियाद है। राज्य के आंगनबाड़ी के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये एवं पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस वर्ष के बजट में विभाग के और महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमवार रख रही हूं। इस वर्ष के बजट में सरगुजा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु की शाला त्यागी एवं शाला जाने वाली किशोरी बालिका के लिए किशोरी बालिका योजना संचालित किया जा रहा है। इस योजना के लिए बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल एवं पोषण आहार के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित कानूनों के लिए 3 करोड़ 91 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सखी निवास के लिए इस वर्ष के बजट में 1 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के क्रियान्वयन के लिए 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की मिट्टी की एक विशेष पहचान है। यहाँ संवेदना है, यहाँ अपनापन है, यहाँ एक-दूसरे के दुखों को बाँटने की परंपरा है। हमारी सरकार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह मानती है कि शासन का पहला कर्तव्य समाज के उन लोगों के साथ खड़ा होना है, जो किसी कारण से जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं। समाज कल्याण विभाग का हर प्रयास इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक स्वयं को अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। हमारी सरकार का मूल मंत्र है–सेवा, संवेदना और संकल्प। समाज कल्याण विभाग की अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते हुए मेरे मन में केवल एक ही संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा पहुँचे, जिसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी

के मार्गदर्शन एवं माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार, समाज कल्याण विभाग के अधीन दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, बौने व्यक्तियों एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण, समग्र पुनर्वास एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1600 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। पाँच वर्ष पूर्व समाज कल्याण विभाग का बजट का प्रावधान लगभग 1004 करोड़ 83 लाख था, जिसमें 59% की वृद्धि की गई है। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांगजन एवं बौने व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन के रूप में वर्तमान में लगभग 21 लाख 76 हजार व्यक्तियों को पेंशन योजना के तहत D.B.T. के माध्यम से लाभान्वित करने, समस्त पेंशन योजनाओं के लिए राशि 1402 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना में कोई भी पात्रताधारी पेंशन से वंचित न हो, इसके लिए समस्त हितग्राहियों का e-KYC कराकर सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ रुपये का नवीन व्यय मद अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 20,000 एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिक हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके अनुभव एवं दूरदर्शिता की नवनिर्माण में अहम भूमिका होती है। वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा 'सियान गुड़ी', डे-केयर सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य परामर्श व स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। 'सियान गुड़ी' स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के एकाकीपन को दूर करने, उनकी दीर्घकालीन संस्थागत देखभाल एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 23 जिलों में 27 वृद्धाश्रम संचालित हैं और इसके लिये 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, परामर्श देखरेख गृह के लिये 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हम मानते हैं कि आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रायें किसी भी मनुष्य के जीवन में आत्मिक शांति, सामाजिक सद्भावना एवं जुड़ाव का माध्यम होती है । इसके लिये राज्य के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार राज्य के बाहर देश के प्रमुख तीर्थस्थलों का दर्शन कराने के लिये मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसके लिये 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है । दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिये शिक्षा चुनौतीपूर्ण है । विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के शिक्षण और प्रशिक्षण को अग्रणी रखा गया है ।

दिव्यांगजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिये स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से वर्तमान में 22 शासकीय तथा 48 अनुदाहित विशेष विद्यालय संचालित है । इसके लिये 100 सीटर नवीन शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय रायगढ़ में स्थापना किये जा रहे हैं। सूरजपुर में भी 3 करोड़ का प्रावधान है, ऐसे ही अनेक जगहों पर समाज कल्याण विभाग में बजट प्रावधान रखा गया है । माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को कम करने के उद्येश्य से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिये 7 करोड़ 64 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है । घरौंदा योजना संचालन करने के लिये 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है । माननीय सभापति महोदय, मानसिक बीमार महिलाओं की समुचित देखरेख एवं चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिये एकीकृत महिला सहायता केन्द्र की स्थापना रायपुर में की गई है, जिसके संचालन के लिये 1 करोड़ 31 लाख का प्रावधान किया गया है । हमारे ऐसे भी दिव्यांग है जिसे विवाह में प्रोत्साहन राशि दिये जाते हैं, उसके लिये भी 1 लाख एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिये 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, राज्य में नशापान की प्रवृत्ति विकास के लिये बाधक है, जिसकी रोकथाम के लिये समुदाय के सहयोग से समाज के सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिये कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य में 3186 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है तथा सभी 33 जिलों में नशामुक्ति केन्द्र के संचालन के लिये व्यापक जनजागरूकता विकसित करने के लिये 10 करोड़ का नवीन व्यय अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । इस वर्ष 2026-2027 में 22 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, उभयलिंगी समूह द्वारा लंबे समय से उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की मांग की जा रही थी, हमारे मुख्यमंत्री जी के सुशासन सरकार द्वारा सकारात्मक पहल करते हुये इस बजट में उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिये 1 करोड़ नवीन व्यय मद में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिये और इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण करने के लिये हेल्प लाईन की स्थापना की गई है । किसी भी समय नि:शुल्क कॉल समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी, समस्या का समाधान और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिये वर्ष 2026-2027 में बजट 1 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के यह सभी प्रयास केवल योजनाओं और बजट की सीमाओं तक सीमित नहीं है, इन प्रयासों के पीछे एक व्यापक सोच है, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां समाज का कोई भी व्यक्ति श्रम को असहाय, उपेक्षित या अकेलापन महसूस न करे । हमारा विश्वास है कि किसी भी राज्य की वास्तविक समृद्धि उनके भवनों, सड़कों या आंकड़ों से ही नहीं मापी जाती, अपितु इससे भी मापी जाती है कि वहां के सबसे अंतिम पंक्ति के नागरिकों को कितना सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हो।

माननीय सभापति महोदय, आज इस मांग पर पक्ष और विपक्ष की हमारी महिला सदस्यों ने भी बहुत सारी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है । मैं पक्ष और विपक्ष के हमारी सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के लिए बहुत सारी बातें कह रही थीं, दिव्यांगजनों के लिए महाविद्यालयों की व्यवस्था हो, नशा मुक्ति केंद्र के लिए क्या किया जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि नशा मुक्ति के जन-जागरूकता के लिए सभी जिलों में प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी की भी चर्चा हो रही थी। माननीय सदस्य ने कहा कि इतने सारे आंगनबाड़ी भवन अभी तक बने क्यों नहीं हैं? मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैं इस सदन में पहली बार आई और पहला प्रश्न हमारी माननीय वरिष्ठ सदस्य का लगा हुआ था, उनकी एक मांग थी कि मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। मैंने घोषणा की थी, जब वह मंत्री थीं तो अपने गांव में एक आंगनबाड़ी नहीं बनवा पाई थीं। मैंने वादा किया था कि मैं उनके गांव में आंगनबाड़ी बनवा के दूंगी। (शेम-शेम की आवाज) उनके समय में ये स्थिति थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री महोदया, मैं मानती हूं, आंगनबाड़ी बना, लेकिन उनका जो मानदेय बहुत कम है, एक तो आप एकदम ज्यादा बीएलओ का काम देते हो, उनसे सब काम करवाते हो। लेकिन मानदेय में वृद्धि हुआ ही नहीं है।

सभापति महोदय :- वह आंगनबाड़ी के बारे में बोल रही हैं।

श्री अनुज शर्मा :- आंगनबाड़ी नई बनवा पाईस, तेन ला मान लेव न। बात तो ओतकेच ए। मंत्री रहात ले आंगनबाड़ी नई बना पईन।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओ तो हमर सरकार में बहुत अकन बन गे हे।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में आंगनबाड़ी वाले मन ला काम नई रिहिस का उहू ला बता देव। यही काम नहीं है, दूसरा काम भी तो नहीं कर पा रहे थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं आंगनबाड़ी माताओं की मानदेय वृद्धि की मांग कर रही हूं। आप उसको बजट में शामिल कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सम्मानित वरिष्ठ सदस्य रेडी-टू-ईट की बात कह रही थीं।

सभापति महोदय :- उनको बिना व्यवधान के बोलने दीजिए। आप बढ़िया बोलिए

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- धीरे-धीरे सब होही दीदी, तैं चिंता मत कर। विष्णु देव साय जी के सरकार ए। जेला कथे तेला पूरा करके दिखाथे। तैं चिंता मत कर, धीरे-धीरे सब होही। माननीय सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ कह रही थीं कि हमने रेडी-टू-ईट को बीज निगम को दे दिया। उनकी सरकार ने वाकई में स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों के पेट में लात मारने का काम किया। जो बहनें रेडी-टू-

ईट स्थापित की थी, दो पैसा उनके आय का स्रोत भी बन रहा था, उसको छीन लेने का काम किए थे। वे कह रहीं थीं कि अभी आप बीज निगम से समूहों को दे रहे हैं तो उसकी क्या स्थिति है? मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से कहना चाहूंगी, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालन हो रहा है, हमारे सूरजपुर में आकर देखिए, कितना अच्छा यूनिट स्थापित हुआ है। ऐसे पांच जिलों में हर परियोजना पर कहीं प्रक्रियाधीन है, कहीं संचालन हो रहा है। विष्णु देव साय की सरकार ने जो कहा है, उसको पूरा करके दिखाने का काम कर रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं इसमें एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा था। बहुत छोटा सा एक लाईन का सवाल है।

सभापति महोदय :- महिला बाल विकास में आप कहां आ रहे हैं?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, क्योंकि महिलाएं हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं। मंत्री जी, आप जैसा पायलट प्रोजेक्ट बता रही हैं, आपको उसके लिए बधाई। अगर आप इतना ही बता पाएं कि यह कब तक सारे जिलों में लागू हो जाएगी और कब तक आप उसको बीज निगम से सारे महिला समूह में ट्रांसफर कर देंगे? बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है, मेरे जांजगीर-चांपा जिले का बता दीजिए, प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि आप धैर्य रखें। सब होगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 2047 तक टूट जाएगा।

सभापति महोदय :- अब आप भाषण दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना की बात कर रहे थे। विपक्ष का कहना है कि महतारी वंदन योजना का पैसा काट दिया जा रहा है। 500 रूपये दिया जा रहा है। मैं माननीय विपक्ष की हमारी साथियों से पूछना चाहती हूं कि उस 500 रूपये का क्या हुआ जो अपने घोषणा पत्र में रखकर सरकार बनने के बाद वह पूरा नहीं कर पाए? आप एक व्यक्ति को नहीं दे पाए। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार, विष्णु देव साय जी की सरकार 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाभान्वित कर रही है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रही है।

श्री रिकेश सेन :- सही बात है। सिन्हा जी, जवाब दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मां मन अभी भी देखत हे, सियान मन अभी भी देखत हे कि 500 रूपये ला मोर बेटी अउ दिही कह के।

सभापति महोदय :- संगीता जी, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात बोलिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- दीदी, तुमन तो उहुं नहीं कर पाएव। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमारी भावना दीदी माननीय सदस्य इस बात को कह रही थीं कि आज के न्यूज पेपर में आया है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में छठवें रैंक पर था, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से हम इतनी सारी माताओं-बहनों को लाभान्वित कर रहे हैं कि आज उस छठवें नंबर से छलांग लगाकर हमने पहले नंबर की रैंकिंग स्थापित की है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार, हमारा विभाग यह कार्य कर रहा है। और भी अनेक बातें आईं कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए आप क्या कर रहे हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए घटिया क्वालिटी की साड़ी का वितरण किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि हमने भी देखा है कि उनकी सरकार में साड़ी की क्या स्थिति थी? हमारी सरकार में हमने जो गाइडलाइन रही है कि खादी ग्राम उद्योग से लेना है, सूती की साड़ी उपलब्ध करानी है। उन्होंने कुछ शब्द कहा–पोतना। पोतना बनाने के काम आती है, लेकिन उनकी साड़ी तो मछली झोलने के काम आ रही थी। यह साड़ी की स्थिति थी, हमने भी देखा है। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) शिकायत आ रही होगी। लेकिन जहां-जहां शिकायतें आई हैं, वहां पर वापस करके हम पुनः दिलाने का काम कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की पहचान है। इन अनुदान मांगों पर हमारे काफी सारे सदस्यों ने अपनी मांग भी रखी है–श्रीमती अनिला भेंडिया जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्रीमती चातुरी नंद जी, श्रीमती विद्यावती सिदार जी, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी, श्रीमती गोमती साय जी और हमारी श्रीमती संगीता दीदी। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं केवल दो लाइन के साथ अपनी बातों को विराम दूंगी।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आप आराम से कागज खोज लीजिए। मोहले जी, बोलिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, जब मैं अपने क्षेत्र में गया था तो मुझे कुछ लड़कियां मिलीं, जिनकी शादी नहीं हुई है। आप 18 वर्ष वाले को तो 1 लाख 20 हजार रूपये दे रहे हैं, इधर महिलाओं को दे रहे हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मोहले जी, इसके लिए आप जरूर मांग कर देना। मैंने उनसे कहा कि ऐसी योजना तो नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि बीच वाले के लिए जो कुंवारी कन्या है, उसके लिए आप जरूर कुछ विचार करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय जी, मोहले जी को पूछिए कि उनको कहां लड़कियां मिल गईं? गुरू जी ढूंढ-ढूंढ कर परेशान हैं। आप बता दीजिये कि वह एड्रेस किधर है?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- गुरू जी के लिए तो मिल जाएगी। वह अलग बात है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, हमारे यहां भी एक हैं-रामकुमार जी। वह भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही है। (हंसी)

श्रीमती भावना बोहरा :- गुरू जी के साथ-साथ इधर और भी हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, उनके लिए कुछ अनुदान राशि की मांग की जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, निश्चित ही जब भी हमारी सरकार निर्णय लेगी तो सभी का विशेष ख्याल रखते हुए निर्णय लेगी। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी,
हर कोई सुख रहे यह चाहत है मेरी,
भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे,
लेकिन हर अपने को याद कराना आदत है मेरी,
हर अपने को याद कराना आदत है मेरी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की अनुदान मांगों को सदन में पारित करने के अनुरोध के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 34 एवं 55 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये- एक हजार दौ सौ अनठानबे करोड़, अन्ठावन लाख, अस्सी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिये - पांच हजार सात सौ चार करोड़, उनचास लाख, सत्ताईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकंड। माननीय सभापति महोदय, महिला ने उत्तर दिया, महिलाओं ने भाग लिया तो क्या आज विधान सभा में पिंक डे घोषित कर दे ?

सभापति महोदय :- अभी दो दिन पहले ही महिला दिवस था।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, हम इस साल मातृशक्ति वर्ष तो मना ही रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इसका उल्लेख आसंदी से होना चाहिए। फ्रंट लाइन में भी जो अधिकारी बैठी थीं, वह सब भी महिलाएं थीं। इसका उल्लेख आसंदी से होना चाहिए। आज रिकॉर्ड बना है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यह वर्ष माननीय विष्णुदेव साय जी ने मातृशक्ति को समर्पित किया है और इसका प्रतिकात्मक स्वरूप आज सदन में देखने का मिला है। हम इसका अभिनंदन करते हैं।

सभापति महोदय :- बिल्कुल ठीक है। मातृशक्ति का सम्मान होना ही चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज भी महिला दु:खी हैं। सिलेंण्डर का रेट 60 रूपये बढ़ गया है। सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करती हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, दर्शक दीर्घा में भी हमारी कन्या शक्ति की बहनें बैठी हुई हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि उनका अभिनंदन करेंगे।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, इसके पहले भी महिला एवं बाल विकास विभाग में यहां पर सारी माताएं और बहनें ही भाषण दी हैं। यह पहले हो चुका है और अभी-भी हुआ है। यह बहुत अच्छा संदेश है और अच्छा प्रतीक है कि मातृशक्ति अपने विभाग के लिए सुझाव दे रही है और अपने अनुभव को यहां साझा कर रही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यही उल्लेख आसंदी से हो जाये इसलिए मैं खड़ा हुआ था। आपने कर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं इस बात के लिए पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं कि मातृशक्ति को सम्मान मिला और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

2. **मांग संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - चार हजार छः सौ चौवन करोड़, पनचानबे लाख, पनचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन सौ सोलह करोड़, अड़सठ लाख, तेरह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो हजार चार करोड़, नब्बे लाख, चौवन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2
2. श्रीमती चातुरी नंद	2
3. श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या-66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

निरंक

मांग संख्या-79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह 1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आपने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी व्यवस्था दी, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए। मैं गलत बोल गया था। पुन्नूलाल मोहले जी के नाम को डिलीट करना है, वह पुरूष हैं, महिला नहीं हैं। वह खड़े होकर बोले थे। उसको हटा दीजिये। पुन्नूलाल मोहले उसमें नहीं गिने जायेंगे। वह पुरूष हैं, महिला बाल विकास विभाग की चर्चा में भाग लिये थे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, अब महिला मोहले बोला है, उसमें इनको क्या आपत्ति है।

सभापति महोदय :- मैं उसका रास्ता बहुत सरल निकाल देता हूं। वह विशेष आमंत्रित में रहेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, नाम हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योकि वह भी विधायक हैं और महिला बाल विकास विभाग की जितनी योजनायें हैं, उसका लाभ उनके क्षेत्र में मिल रहा है। इसलिए इस विभाग में पुरूष भाईयों का भी बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय :- है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के बीच में विशेष आमंत्रित हैं। आप उसको थोड़ा क्लीयर कर दीजिए।

सभापति महोदय :- इस प्रोसीडिंग में बोलने के लिये वह विशेष आमंत्रित हैं। राघवेन्द्र सिंह जी भी विशेष आमंत्रित हैं। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मांग संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मैंने बजट देखा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सबसे पहले बजट लाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट को देखा है, पढ़ा नहीं है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पढ़ा भी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने देखा, देखा, दो बार बोला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है, देखे हवं, पढ़े खलव हवं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना पढ़े मत बोल न। तैंहा समय का खराब करत हस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, ज्ञान, गति और संकल्प का ये बजट लाये हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2026-27 में 8072 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अगर किसी भी राज्य को देखना है तो वहां पर जनता कितनी स्वस्थ है, उसका कितना अच्छा स्वास्थ्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह एक व्यक्ति की बात करूं, राज्य की बात करूं या पूरे राष्ट्र की बात करूं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, टी.एस. बाबा उस समय इनको यही बता रहे थे कि पैसा सब कमा लेते हैं, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह नहीं माने। इतना समेटे कि आज वहां पहुंच गये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की राशि है और इतने कम बजट में कैसे होगा ? पूरा छत्तीसगढ़ राज्य है, यहां पर बहुत सारे अस्पताल बनाना है, बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारी बीमारी हैं, उसके लिये मुझे तो लगता है कि यहां बजट की और आवश्यकता है। आप तो कम ही मांग रखे हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध होती है, उसमें 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं आयुष्मान योजना के बारे में कहना चाहती हूं कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों का हर बीमारी का रेट फिक्स कर दिया गया है। चाहे वह रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वह आम आदमी हो, विधायक हो, मंत्री हो, अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी हों, सभापति महोदय जी, सबकी बीमारी अलग-अलग होती है । सबका ईलाज अलग-अलग होता है लेकिन सबको एक राशि में बांध दिया गया है । यदि एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल जाता है तो उसको उतना ही रेट दिया जाता है और एक प्राईवेट अस्पताल में जाता है तो उसको उतना ही रेट दिया जाता है ।

माननीय सभापति महोदय, गरीब इंसान बहुत खुश होता है कि मैं आयुष्मान कॉर्ड का लाभ उठाउंगा । अगर उसका आयुष्मान कॉर्ड बना है, 5 से 10 लाख रूपये की राशि रहती है, वह बड़ा खुश रहता है कि मोर कोई भी बीमारी के ईलाज सरकार द्वारा होही । अगर एक व्यक्ति, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं । हमारे पास हजारों-लाखों लोग आते रहते हैं । जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आया, वह बोलते हैं कि आयुष्मान कॉर्ड से ईलाज करवा दो । वह जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको यह पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कॉर्ड चलता ही नहीं है । जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, वह चाहे छोटे हॉस्पिटल हों या बड़े हॉस्पिटल हों, वहां आयुष्मान कॉर्ड नहीं चल रहा है और घूम-फिरकर वह

व्यक्ति फिर से हमारे पास आता है, हम फिर से बात करते हैं तो भी चूंकि हॉस्पिटल का सीधा यह कहना है कि अब आयुष्मान को बंद कर दिया गया है । मैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इसको क्यों बंद कर दिया गया है ? क्या आप उनको राशि प्रदान नहीं कर रहे हैं ? क्या समस्या है कि आयुष्मान कॉर्ड को प्राईवेट अस्पतालों में बंद कर दिया गया है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगी कि वह अपने उत्तर में इसको बतायें कि इसको क्यों बंद कर दिया गया है ? कल भी आयुष्मान पर हमारे विपक्ष के साथी ने एक ध्यानाकर्षण लगाया था उसमें उत्तर आया लेकिन वह संतोषजनक नहीं था । कल तो हमने यहां से बहिर्गमन कर दिया था तब आपके ही साथी लोग मंत्री जी से प्रश्न कर रहे थे, उसमें शायद माननीय सभापति महोदय जी आप भी थे मतलब आयुष्मान की समस्या केवल यह मेरा ही नहीं है, यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का है कि एक गरीब व्यक्ति अगर आयुष्मान में ईलाज करवाना चाहता है तो वह गोल-गोल घूमते रहता है, वह आगे घूम-फिरकर फिर से अपनी जगह पर आता है और आखिर में अपने खेत को बेचकर के उसको ईलाज करवाना पड़ता है । इसका एक समझ आया । कुछ तो हमको भी पता चला है, हम लोगों ने भी पता किया । जो मुख्य बात पता चली है कि वहां पर जो अस्पताल है उनकी 500 करोड़ रूपये की राशि बची हुई है, आपने पेमेंट नहीं किया । क्यों नहीं किया ? आपने ईलाज करवाया, आयुष्मान से ईलाज हुआ और जब आयुष्मान से ईलाज होता है और अगर एक व्यक्ति को बुखार आता है, वह 100 रूपये में ईलाज करवाता है तो 100 रूपये का 30 प्रतिशत कटकर आता है तो वह 30 प्रतिशत कट गया । माननीय सभापति महोदय, अगर 6 महीने में वह राशि मिल रही है तब तक उसकी तारीख ही खत्म, वह 50 रूपये तक आ जाता है । आज जो सरकार बैठी हुई है वह हॉस्पिटल को राशि नहीं दे रही है इस कारण सभी अस्पताल ने आयुष्मान से ईलाज करने से बंद कर दिया है ।

समय :

3.48 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक और मामला आया है, जो कि सरकारी अस्पताल का है । 650 करोड़ से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ है, मैं यदि पिछले बजट में देखूं तो आपके बजट की राशि बची हुई है तो आप आयुष्मान में क्यों नहीं देते ? क्या आप जनता को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते ? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करती हूं कि अगर 650 करोड़ या 50 करोड़ जितनी भी राशि आये, अगर आज के आज आप उस राशि को दे देते हैं तो कल से आयुष्मान चालू हो जायेगा । माननीय सभापति महोदय, मेरे सामने अभनपुर का एक बहुत ही गंभीर मामला आया था । अभनपुर में सरकारी अस्पताल में 6 बेड लगा था, 6 बेड में, 2 बेड में 2 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति गायब थे तो यह पूछा गया कि वह बेड के व्यक्ति कहां हैं तो बोले कि आयुष्मान में ईलाज हो रहा है लेकिन वह क्या है, वह घर में

नहाने-खाने गया है । वह कल फिर सुबह आयेगा फिर से ईलाज करायेगा और फिर चला जायेगा और ऐसे करके यहां पर धोखा धड़ी का काम और भ्रष्टाचार चल रहा है। यह मैं आपके संजान में लाना चाहती हूँ यह अभनपुर का मामला है। ऐसे दूसरे वार्डों में पता किया गया तो 50 के 50 बेड खाली है और वहां 50 के 50 बेड का ईलाज आयुष्मान योजना से हो रहा है। यह क्या है, यह लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं यहां सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके अभनपुर का सी.एच.सी. का मामला है। मैं आपको डेट सहित बता दूंगी। यह दिनांक 04.08.2024 का मामला है। यह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने फर्जी 10-10 लाख रूपया वसूला है। ऐसे डॉक्टरों पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, उनको क्यों छोड़ दिया जाता है, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? गरीब लोग ईलाज करवाने जाते हैं लेकिन यहां पर आयुष्मान योजना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां एक ही अस्पताल की बात नहीं है हर हॉस्पिटल में यह है कि आप भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, वहां आयुष्मान योजना से ईलाज हो रहा है जब वास्वत में गरीब आदमी को जरूरत है तो वहां पर ईलाज नहीं हो रहा है। मैं अपने जिला अस्पताल में गयी थी एक चीज और बताना चाहूंगी। यह बिलासपुर का मामला है। कि एक बेटा है, वह ग्लूकोस की बॉटल को लेकर खड़ा था और उसकी मम्मी चेयर में बैठी थी और ग्लूकोस का बॉटल लगा था। खैर यह वाला मामला हॉस्पिटल में आएगा इसी में अपने जिला अस्पताल बालोद में निरीक्षण करने गयी थी। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से यह बात कही थी और उसका जवाब भी मिला था। उसका क्या जवाब मिला था, अभी मैं आपको वह बता दूंगी। अगर कोई गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से ईलाज करवाता है और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वह गरीब है जो बी.पी.एल. में ईलाज करवा रहे हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड से ईलाज होता है, माफी चाहूंगी। जिला अस्पताल में होता है। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं प्राईवेट हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगी। जिनके पास पैसा नहीं है वही व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाता है आप बड़े लोगों को देख लीजिए वह प्राईवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ईलाज करवाते हैं। जब मैं जिला अस्पताल में गयी। वहां पर एक डिलीवरी केस आया था, आयुष्मान कार्ड से डिलीवरी केस का 1600 रूपये ले रहे हैं। मैंने वहां के डॉक्टरों से यह पूछा कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप कैसे करेंगे ? तो उन्होंने कहा कि हम तब देख लें, उनका फ्री में ईलाज करेंगे, ऐसा क्यों ? मैं यह मांग रखना चाह रही हूँ। इसलिये इस बात पर आ रही हूँ कि वहां डिलीवरी केस का 1600 रुपये है, 16000 रूपये और नॉर्मल में 3500 रुपये है अगर आपका प्लास्टर करते हैं तो 3500 रूपये है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है तो 4500 रूपये है। आई.सी.यू. का 8500 रूपये हैं अगर कोई एकदम वेंटिलेटर में है तो 9000 रूपये है। वहां तो सिटी स्कैन दिया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ, लेकिन अभी तक उसके डॉक्टर नहीं हैं। सिटी स्कैन कराने के लिए 900 से ढाई हजार तक रेट रहता है। अगर कोई व्यक्ति सोनाग्राफी करवा रहा है तो 200 रुपये लगता है। यहां एक-एक चीज का रेट तय है उनसे 200 रूपये किस बात का लिया जा रहा है ? आपके पास

एक गरीब इंसान जा रहा है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसे अल्सर है अगर वह ईलाज करवाता है तो उसे 200 रूपये देना होता है। क्या शासन ने यह कहा है कि उनसे ईलाज का 200 रूपये लेना है। गरीब तबके के लोगों के बच्चे प्री-मैच्योर पैदा होते हैं, वह 7 महीने में पैदा होते हैं अगर एकदम कमजोर है, अगर मीडियम है 7 महीने के पहले हुए हैं तो 3 हजार रूपये एक दिन के बैड का चार्ज लगता है। अगर वह थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है तो 5000 रुपये लगता है। उससे ज्यादा सीरियस ट्रिपिकल केस में 1 दिन का 6000 रुपये लगता है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो रोजी-रोटी से डेढ़ सौ रूपये महीना कमा रही है क्या एक दिन का वह 6000 रूपये का कर्ज उठा लेगी। ठीक है आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से ईलाज होता है, लेकिन यह हो सकता है कि एमरजेंसी में उसका आयुष्मान कार्ड का पैसा खत्म हो गया है तो वह क्या करेगी, वह सरकारी अस्पताल इसलिए जाते हैं , जिनके पास पैसा नहीं रहता, जो गरीब तबके के लोग हैं, वे चाहते हैं कि मैं सरकार के पईसा से ईलाज करवाऊं, ये सोच रहती है कि मैं सरकार के पईसा से ईलाज करवाऊं और मैं खुश रहूं । यहां कहीं पर सरकार नहीं है । वहां की आय देखकर मेरा यह कहना है कि हर जिला अस्पताल को बंद कर देना चाहिए । सब जिला अस्पताल को बंद कर देना चाहिए, जहां पईसा लगता है । सोनोग्राफी, एक्स रे में हर चीज में पैसा लगता है । गरीब आदमी जाए तो जाए कहां । वे दौड़कर जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं, ये मेरी ही बात नहीं है, सभी जन प्रतिनिधियों के पास मरीज पहुंचते हैं । मैडम, ईलाज बर पईसा चाहिए । सभापति जी, मेरे पास एक काम वाली आई, उसका पति बैड पर पड़ा है । मुझे बोली कि मैंने आयुष्मान चालू करवाया, पर वह कार्ड कहीं नहीं चल रहा है । मैं केहेंव कि सरकार में जा तो बोलिस कि सरकारी में कुछू ईलाज नहीं होवए । सरकारी अस्पताल में ईलाज क्यों नहीं हो रहा है ? आप दूसरे राज्य में देखिए न । आप कहीं भी जाईए दूसरे राज्य में सरकारी अस्पताल बहुत जोरदार रहता है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता ? हमारा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है ? हमारे राज्य में आप स्वास्थ्य के लिए 8 हजार करोड़ रूपए मांग रहे हैं, वह पैसा कहां जाता है ? कहीं पर कुछ भी नहीं है । ईलाज में पैसा ले रहे हैं तो ऐसे जिला अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए । ऐसे जिला अस्पतालों की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां गरीब जाते हैं और उनका ईलाज नहीं होता है । वैसे ही मैंने दूसरे मद में देखा, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2000 करोड़ रूपए, 25 से अधिक भवन, सीएचसी भवन के निर्माण के लिए प्रावधान, 220 बिस्तर का चिकित्सालय, अंबिकापुर में 200 बिस्तर का चिकित्सालय, धमतरी के लिए भवन निर्माण । मेकाहारा, रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य के लिए पैसा । हम पैसा क्यों देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर कर कोन पईसा मांगत हे, ओ ह विधान सभा से पईसा मांगत हे । तै तो अईसे बताथस के बालोद ले घर ले लान के पईसा देवथस ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमसे चर्चा करवा रहे हैं । हम तो आपको गिनवा रहे हैं कि हमें परेशानी क्या है ? हम तो आपको यह बता रहे हैं कि कमी क्या है ? हम तो यह बताना चाह

रहे हैं कि आप इसमें पैसा दीजिए । आप सरकार अस्पताल में आयुष्मान फ्री कर दीजिए, हम मांग कर रहे हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- बिल्कुल देंगे क्योंकि पिछली बार टी.एस. सिंहदेव जी थे तो उनको पैसा नहीं मिलता था । अभी तो हम पूरा दे रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम मंत्री जी के जवाब का इंतजार करेंगे । मैं यहां पर बैठी हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी । मैं बस इंतजार करूंगी कि सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बन जाये ।

श्री केदार कश्यप :- हम तो चाहते हैं कि आप आने वाले समय में हमेशा वहीं पर बैठे रहें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह नहीं हो सकता । अगर आप लोग इसी तरह से काम करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आप इधर आएंगे और हम उधर जाएंगे । अम्बेडकर अस्पताल में 720 बिस्तर की घोषणा हो चुकी है । जब मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन होता है तो उसकी तो पहले से तैयारी हो जानी चाहिए । 720 बिस्तर के अस्पताल के लिए अभी तक एक फावड़ा तक नहीं चला है । आज जम्बूरी में जाकर देखिए, जम्बूरी हुआ था, उस दिन प्रश्न लगा था । जम्बूरी में टेण्डर नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी है । टेण्डर न होते हुए भी वहां बिल्डिंग तैयार हो चुकी है तो फिर यहां क्यों नहीं हुआ ? यहां तो मुख्यमंत्री जी से भूमिपूजन किया है, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जम्बूरी में एक ओर तो इधर हल्ला करते हो कि गड़बड़-गड़बड़ हुआ । फिर बोलते हो कि जम्बूरी की तरह जम्प लगाओ तो काम कैसे होगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- करना तो पड़ेगा न । पता चला कि बाद में फिर बजट ही खत्म हो गया है, डेट खत्म हो गई है । ये बात न आये । हम तो आपको बता रहे हैं कि जम्बूरी में जब पहले से बन सकता है तो मुख्यमंत्री जी ने भूमिपूजन किया है, आप उसको तुरंत बनवाईए । टेण्डर लगने के पहले आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। ये है-मुख्यमंत्री जी का सम्मान । आप तो सम्मान कर ही नहीं रहे हैं । एशिया के सबसे बड़ा केंसर का ईलाज मेकाहारा में होता है । बहुत खुशी होती है । आजकल केंसर और किडनी की बीमारी आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है । इसमें हम महिलाओं को ज्यादा कैंसर होता है। पहले का जमाना था कि पूरे सौ में एक महिला को कैंसर होता था। मगर आज 100 में 50 प्रतिशत महिलाओं को कैंसर होता है। छोटा सा गांठ हो गया, वह कैंसर, कुछ हो गया तो वह कैंसर, गाल में कुछ हो गया है तो वह कैंसर है। सभापति जी, मेकाहारा कैंसर हास्पिटल के नाम से जाना जाता था और डी.के.एस. सरकारी अस्पताल भी बड़ा अच्छा था। मैं डी.के.एस. अस्पताल के बारे में इतना कहना चाहती हूं कि लोग वहां जाते हैं तो बढ़िया ईलाज होता है, बहुत अच्छे से, मस्त ईलाज होता है। लेकिन अगर किसी को कैंसर हुआ है, किसी को किडनी की परेशानी है, कुछ भी होता है और वहां जांच लिखते हैं कि आप सोनेग्राफी करवाईये, आप एक्सरे करवाईये। अगर कोई व्यक्ति जांच में जाता है तो वहां सबसे पहले बोलते हैं कि पैसा लाओ। पैसा लाओगे तो जांच होगा, पैसा नहीं लाओगे तो जांच नहीं होगा।

वहां कई मशीन तो चालू ही नहीं है। लेकिन जो पैसे लेकर जांच करते हैं, पहले पैसा लेते हैं, लेकिन कौन सी एजेंसी जांच करती है, पता नहीं। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके बारे में प्रश्न किया था तो बताये थे कि कोई एजेंसी करता है। वह एजेंसी दिल्ली की है या प्रायवेट संस्थान का है या गुजरात का है या नागपुर का है ? यह सोचने का विषय है। मतलब कहां का है, जो एजेंसी पैसा लेकर जांच करता है ? सभापति महोदय, लाखों रूपया कमा रहे हैं। क्यों ? क्या यह स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है ? मेरा शुरू से ही यह कहना है कि अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहां पैसे की मांग नहीं होनी चाहिए, सरकार को पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। गरीब लोगों एवं ए.पी.एल. वालों की जांच करवाने की सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। आज जनता बहुत परेशान है। आयुष्मान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जो घोटाला हो रहा है, उसका जांच का विषय बनता है। मैंने जगह, स्थान बता दिया है, ऐसा यहां ही नहीं, हर जगह, हर सरकारी अस्पताल में होता है। अगर वह आयुष्मान से ईलाज करवाता है और उससे जो पैसा आता है वह कहां जाता है ? सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं, वह रिपोर्ट मेरे पास है।

सभापति महोदय :- आप और कितना समय लेंगी ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं अभी शुरूआत की हूं।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 20 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर सामान्य बुखार होता है तो आयुष्मान में 1500 रूपये का प्रारंभिक पैकेज होता है। इसका 40 प्रतिशत यानि 600 रूपया अस्पताल को जाता है। 20 प्रतिशत यानि 300 रूपये डेवलपमेंट में जाता है। बचे 40 प्रतिशत में से 46 प्रतिशत डाक्टर को जाता है। इस आयुष्मान से डाक्टर मालामाल हो रहे हैं। यानी एक केस में 240 रूपया मिलना तय है। यही कारण है कि आयुष्मान योजना ठप्प है। जिनको यह चीज मिलना चाहिए, उनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जहां नहीं मिलना चाहिए, उनको सब कुछ मिल रहा है। आयुष्मान सिर्फ पैसा कमाई का जरिया बन गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कैसे करबो तेला बता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं आपको बताई न कि जितने भी आयुष्मान के प्रकरण हैं, उसमें जांच बैठाईये कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने सरकारी अस्पताल हैं, उसको आयुष्मान से मुक्त करवाईये, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदय जी, आपके पास कितने डाक्टर्स हैं ? मेरे यहां जिला अस्पताल है। मैं यह प्रश्न लगातार लगाती रही तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा भी था कि कहीं से भी, मैं व्यवस्था करके दूंगा। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के स्वीकृत पद संख्या 2 है और आज भी 2 पद रिक्त हैं। वहां कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। वहां जिला अस्पताल है। जो बेहोश करते हैं,

निश्चतेना के विशेषज्ञ के 2 पद स्वीकृत है और दोनों खाली है। सभापति महोदय, अगर डिलिवरी का केस आ जाता है, इमरजेंसी में ऑपरेशन केस आ जाता है, बेहोश करने वाला डॉक्टर ही नहीं है तो ऑपरेशन कैसे होगा? आप बोलते हैं कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या 2047? 2047 की ओर जा रहे हैं। सभापति महोदय जी, जब बेहोश करने वाला एक डॉक्टर नहीं है, एक ऑपरेशन करने वाला वहां पर बेहोश करने वाला नहीं है तो वह प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? सभापति महोदय जी, न नेत्र चिकित्सा है, रेडियोलॉजिस्ट भी जीरो, एक-एक पोस्ट है, कहीं भी कुछ नहीं है। नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ का भी एक पोस्ट है, एक खाली है यानी एक भी नहीं है। कैसे भगवान भरोसे आपका जिला अस्पताल चल रहा है? मनोरोग चिकित्सक जहां मेंटल लोग दिखाने जाते हैं दो पद है, दो खाली। सभापति महोदय जी, अगर कोई दिव्यांग जो दिमाग से कमजोर हैं, उनको अगर पेंशन भी बढ़ाना है, वह व्यक्ति दुर्ग आता है। एक तो आर्थिक रूप से कमजोर और ऊपर से वह दुर्ग का चक्कर लगाता है, एक बार में कभी उनका पेंशन नहीं बनता । है। सभापति महोदय जी, चार बार चक्कर लगाना पड़ता ।

सभापति महोदय :- 25 मिनट हो गए हैं, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं अभी शुरू की हूं, मेरा अभी हुआ नहीं है।

सभापति महोदय :- और भी बहुत सारे सदस्य हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, 108 की बात करूंगी। 108 एम्बुलेंस के बारे में याद आ गया, मैं आपको बहुत अच्छी घटना बताती हूं । सभापति महोदय जी, मेरे यहां मुख्यमंत्री जी का दौरा था। यह सच घटना है न, इसमें सच्चाई है । मुख्यमंत्री जी का दौरा था और मेरा भी जाना था और मुख्यमंत्री का दौरा निकला यानी पूरा काफिला निकला, मैं उनके पीछे लगा दी। थोड़ी देर रुक गई, काफिला है तो मुझे रुकना पड़ा। लेकिन सभापति महोदय जी, 10-15 मिनट बाद वहां से एम्बुलेंस आई । अब बताइए मुख्यमंत्री जी का काफिला है, सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम में तो यही है न कि एम्बुलेंस मुख्यमंत्री जी के काफिले के साथ चलेगा। और बाय द वे खांसी भी आ जाती है, हमारे महोदय जी को क्या होता है सभापति महोदय जी, यह बहुत चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय है। हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते लम्बा-लम्बा बहुत देथस, सुन थोड़ा। बिना अनुमति के पानी अंदर में नई पिए साहब ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गले में प्रॉब्लम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रॉब्लम हे तो तो पूछ के पीना चाहिए न। ये बताओ, पिछली सरकार में टी.एस. बाबा जी स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्री थे, ठीक है? अउ का का रहिस ओकर पास? पंचायत, जे भी रहिसे। उन्होंने हाउस में किन कारणों से इस्तीफा देने की घोषणा की? मंत्री पद, एक विभाग छोड़ने की, ये बताओ आप, आप उस विधान सभा में थे और उस समय भी..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे एती-ओती के बात ला छोड़ ना ते, मैं जे पूछे हंव तेला बताना, काबर इस्तीफा दिस तेला।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बतात हंव ना काबर छोड़िस तेला।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार इस्तीफा दिस तेला बता न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बताथो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- का बोलके इस्तीफा दिस?

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुनने का थोड़ा धैर्य तो रखो। सभापति महोदय जी, अगर पंचायत विभाग रहेगा मैं ज़रूर आपके लिए उसमें स्पीच कर दूंगी । यह है स्वास्थ्य विभाग, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वास्थ्य पंचायत नहीं पूछत हंव, टी.एस. बाबा स्वास्थ्य विभाग ला चलाये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं स्वास्थ्य में बोल रही हूं। मुझे परेशान करने की नीयत से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैडम। जो आदमी या जो तत्कालीन मंत्री महोदय असफलता स्वीकार किए और सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं इस विभाग को छोड़ रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मेरे लिए टाइम में वृद्धि की जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब यह बताओ स्वास्थ्य विभाग को चलाने की उसकी काबिलियत कितनी रही होगी? नाकाबिल लोगों के साथ तो आप विभाग चलाते थे। अब आप बताओ उन्होंने क्यों इस्तीफा देने की घोषणा की? क्या कारण बताया बताओ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप तो काबिल हैं न। मेरा स्वास्थ्य विभाग में स्पीच है।

सभापति महोदय :- अब इनको बोलने दीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आज वे रायपुर में हैं, आप आ जाइए बैठकर बात हो जाएगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मेरा स्वास्थ्य विभगा में स्पीच है। आप मुझे इधर-उधर करने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना बोलोगे, मैं उतना आपकी पोल पट्टी खोलूंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको बताना चाहिए न? बाबा साहब ने हाउस में इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की? किस कारण से की?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वे यहां अभी हैं ही नहीं। वे सदस्य नहीं हैं, तो आप उनकी क्यों चर्चा कर रहे हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह इस विषय से रिलेटेड नहीं है। कहीं भी यह यहां पर उद्भूत नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, एम्बुलेंस में आई थी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदस्य नहीं हैं, चर्चा नहीं होनी चाहिए नहीं है। उनको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत पड़े, ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। वे प्रताड़ित थे, प्रताड़ित। उनकी क्षमता थी और प्रताड़ना देने वाले गुट में ये खुद शामिल थीं। ये खुद शामिल थीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हो गया? अउ हावे का?

श्री अजय चन्द्राकर :- ते सब गिना डरेस, बखान डरेस, अब आगे का करना है तेला बता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ले न अभी मैं करवात हौं। सभापति महोदय जी, उनके कुरूद विधान सभा क्षेत्र में भी एम्बुलेंस की जरूरत है। मैं आपके लिए भी मांग कर देवत हौं, मोर बर भी मांगत हौं। सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस 1 लाख की जनसंख्या के अंदर रहता है और लाइव सपोर्ट सिस्टम वाला एम्बुलेंस 5 लाख की जनसंख्या के अंदर रहता है। इस एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हर जिला अस्पताल में उसकी दो संख्या बढ़ायी जाए। कम से कम तीन रहना चाहिए। वैसे भी आजकल एक्सीडेंट बहुत बढ़ गया है। आजकल कोरोना के बाद किसी को भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है। इसी के साथ मैं मांग करती हूँ कि मेरे यहां के जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस और दिया जाए। एक नहीं तो दो दिया जाए। वहां 108 एम्बुलेंस सेवा भी कहीं भी नहीं है। उसका बहुत आवश्यकता रहता है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। आधा घंटा हो गया है। एक मिनट में अपनी बात रखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं शव वाहन के बारे में मांग कर रही हूँ। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। शव वाहन जिला अस्पताल में सिर्फ एक है। उसमें डौंडीलोहारा, संजारी बालोद और गुण्डरदेही के लिए सिर्फ एक शव वाहन है, जबकि हर जिला अस्पताल में बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं शव वाहन की मांग करती हूँ। सभापित महोदय, मैं मितानिन लोगों के लिए भी मांग रखती हूँ। मितानिन लोग सबसे कम तनख्वाह पाती हैं, जो एकदम जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं और जो सबसे ज्यादा काम मितानिन करती हैं। सभापति महोदय जी, वह गर्भवती महिलाओं की लगातार इलाज करवाती है। चाहे टीकाकरण हो या कुछ भी काम हो, उसके लिए वह लिए दिन-रात दौड़ती है। मितानिन गर्भवती महिलाओं का लगातार नौ महीने तक ध्यान रखती है। उसके बाद अगर किसी कारणवश उसका सरकारी अस्पताल में डिलीवरी नहीं होती है, वह प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी होती है तो उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं उसके लिए मांग करती हूँ कि उनको पैसा मिले।

सभापति महोदय :- संगीता जी, समाप्त करिये। बाकी और सदस्यों को भी अपनी-अपनी बात रखनी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं नसबंदी के विषय में बताना चाहती हूं..।

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी, दो मिनट। सभापति महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अंतिम बार उनका मानदेय कब बढ़ाया गया था?

संगीता सिन्हा :- मेरे पास टाइम नहीं है, रुकिए। आदरणीय सभापति महोदय जी, नसबंदी के तहत जिला अस्पताल दुर्ग में दो महिलाओं का ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ था और वे दो महिलाओं की मौत हो गईं। यह बहुत लज्जा की बात है कि वहाँ एक डॉक्टर नहीं था और वहां नसबंदी की प्रक्रिया कर रहे थे। आपके कार्यकाल में जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसमें नसबंदी कांड हुआ था। आप महिलाओं को क्यों झोंक देते हैं? आप महिलाओं के लिए स्पष्ट डॉक्टर क्यों नहीं रखते हैं?

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, उन लोगों ने पांच साल तक तो चिंता नहीं की और आज बड़ी चिंता हो रही हैं। अगर नसबंदी कांड हुआ था तो आप लोग पांच साल में जाँच क्यों नहीं कराए? आप लोग क्यों चुप थे, बताइए ना मुझको? आपको अवसर तो दिया गया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, (व्यवधान) अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिये। आपको पर्याप्त समय मिल गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर जिला अस्पताल का भी 10 दिन पहले का केस है। मैंने इन्हीं माननीय सदस्य से जिला अस्पताल के इंचार्ज का नंबर लिया था। मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से अकलतरा विधान सभा के नरियरा की एक पेशेंट तीन घंटे डिलीवरी के लिए वहाँ तड़पती रही। जिला अस्पताल के कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं थे। वे थक-हार कर जब मुझे फोन कर रहे थे, तब मैंने माननीय मंत्री जी को भी फोन लगाया। उनके ओ.एस.डी. ने फोन उठाया। माननीय सभापति महोदय, दो घंटे बाद डॉक्टर को फिर मैंने फोन लगाया। मैंने पहले 4:06 बजे फोन किया था, दो घंटे बाद 6:06 बजे उनको फिर फोन लगाया। डॉक्टर साहब तब फोन नहीं उठाए थे, दो घंटे बाद उनके द्वारा फोन उठाने पर मैंने बोला कि मैं विधायक, पामगढ़ बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ के पेशेंट तड़प रहे हैं, आप लोग वहां कोई उपस्थित नहीं है। वे बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैडम। आपका फोन आया था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि Truecaller में मेरा नाम लिखा है 'शेषराज हरवंश', 'विधायक' नहीं लिखा था। उनका यही कहना था कि विधायक नहीं लिखा था इसलिए फोन मैंने नहीं उठाया। बोले पेशेंट का नंबर दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि उनके फोन पर Truecaller में विधायक Show हुआ नहीं तो उन्होंने फोन नहीं

उठाया, फिर वह पेशेंट के नंबर को कितना तवज्जो देते होंगे? यहाँ जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों का यह हाल है, सभापति महोदय।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें क्योंकि बहुत सारे सदस्यों को बोलना है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, दुर्ग जिले के अस्पताल के बारे में जो संगीता जी बोल रही है, इसमें मेरा एक आग्रह है कि आप माननीय मंत्री जी से कोई बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उठाईये । लेकिन आप स्वयं को प्रचारित करने के लिये अनर्गल न बोलें । आप जिस घटना की बात कर रही हैं, दो महिलायें जिनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टर नहीं था ऐसा मत बोलिये । वहां पर डॉक्टर थे और उनकी मौत दूसरे कारण से हुई है । माननीय सभापति महोदय, जिस दिन दो महिलाओं की मौत हुई है, उसी दिन, उसी अस्पताल में, उसी समय के दौरान 27 लोगों की डिलिवरी हुई है, दुर्भाग्य से दो महिलाओं की मौत हो गई है तो वह दु:खद है, लेकिन पूरे अस्पताल पर आरोप लगाना उचित नहीं है ।

एक माननीय सदस्य :- कहीं न कहीं सभापति महोदय, लापरवाही के कारण हो जाता है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, घर से जो जो स्वस्थ महिला वहां ईलाज करवाने गई है तो जो लापरवाही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिये । आदरणीय सभापति महोदय जी, नेत्र सहायक अधिकारियों की एक मांग है, नेत्र सहायक डॉक्टर हैं, गांव-गांव में जाकर चेक करते हैं, सब करते हैं, वह ऐसी रिटायर्ड हो जाते हैं, उनका पदोन्नति नहीं हुआ है । वह आये थे, मैं इसलिये मांग रखी हूँ । मैं इस मांग को मंत्री महोदय के पास रख चुकी हूँ । सभापति महोदय, अब मैं अंतिम बात करना चाहती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो मुख्यमंत्री हॉट-बाजार क्लिनिक चालू किया था, यह प्रतिवेदन में चालू दिखाता है, लेकिन धरातल मं कहीं चालू नहीं है । आज भी हॉट बाजार क्लिनिक खाली है, कहीं पर भी हॉट बाजार क्लिनिक नहीं लग रहा है । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहां पर अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, कृपया इस ओर विशेष ध्यान दें । मैं इसका घोर विरोध करते हुये अपनी वाणी को विराम देती हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री किरण सिंह देव जी ।

श्री किरण सिंह देव (जगदलपुर) :- बहुत-बहुत धन्यवाद, आदरणीय सभापति जी । मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मांग संख्या-19, 66 एवं 79 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले तो मैं डबल इंजिन की सरकार यानी केन्द्र में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उनके ऐसे समस्त प्रकार के ऐसे प्रयासों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ । हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जिस तरीके से नित-नये सुविधा अंदरूनी क्षेत्रों में और

जिस प्रकार से अपने योजनाओं का क्रियान्वयन के माध्यम से चिन्ता कर रहे हैं और जो बजट के प्रावधानों के रूप में परिलक्षित होता है, मैं इसके लिये हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । वर्ष 2026-2027 के बजट में परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये । मैं आदरणीया वरिष्ठ सदस्या जी को भी सुन रहा था, यह बात सही है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश और दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसको स्वास्थ्यगत् कोई न कोई परेशानी नहीं होगी । अब तो समस्यायें और बढ़ी हुई है । खानपान से लेकर पर्यावरण, प्रदूषण, इन सभी चीजों का जो प्रभाव होता है, यह निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को यहां, जितने भी बैठे हुये हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा हो, जिनको कोई न कोई रोग न हो । मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ रहता है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो । किसी को पेट दर्द की बीमारी, किसी को सिर दर्द की बीमारी, किसी को सर्दी होती है, किसी को बार-बार जुकाम होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के इस महत्वपूर्ण जो उन्होंने मांग रखी है, बजट में जो प्रस्तावित हुआ है, मैं उसके लिये बधाई देता हूँ । यह सरकार की और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की चिन्ता है, छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्र में चूँकि मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, बस्तर के विषय से अगर चालू करूँगा तो वही दो घण्टे लग जायेंगे । लेकिन प्रमुख विषयों को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, मैं सदन में रखना चाहता हूँ । पहला सबसे प्रमुख जो मुझे लगा, जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा थी, इस बात से तो सभी सहमत होंगे, इसमें क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष ? इस बजट में शासकीय कर्मचारियों की चिंता की है, उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। मैंने पहले भी इस विषय को लेकर कहा था। मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम अपना आसपास देखते हैं, ये चतुर्थ वर्ग, तृतीय वर्ग कर्मचारी और सभी कर्मचारियों के लिए है। जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ होता है, कोई बीमारी से ग्रसित होता है, स्वयं वह होते हैं, तब वे अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं जाते हैं तो उनको इलाज के समय तो खुद भुगतान करना है, राशि बड़ी हुई तो वह कैसी व्यवस्था करते हैं, किस तरीके से तत्काल में व्यवस्था करके ईलाज कराते हैं, जो सक्षम हैं वह तो ठीक है, जो सक्षम नहीं हैं, उनकी व्यवस्था का क्या तरीका होता है हम सब जानते हैं। फिर जब रिम्बर्स होता होगा तो कितना समय लगता होगा, उसके लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन बातों को हम सब जानते हैं। कर्मचारियों के लिए उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 100 करोड़ का जो प्रावधान किया है यह बहुत ही अद्भुत है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। हमारा बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र, कुनकुरी है, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, यह आसान काम नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तो एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में हमारे अभिभावक की दृष्टि से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी

उस समय जिस तरीके से प्रमुख स्थानों पर और जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते चले गए, आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं। नित नए मेडिकल कॉलेज हमारे दंतेवाड़ा में खोला जाना, कुनकुरी में खोला जाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वनांचल, वनवासी क्षेत्रों में खोला गया है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं। वहां पर जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, पहले तो यह रायपुर तक था। अब मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हो जाने के बाद, उसके बाद जिला अस्पताल बना, क्योंकि पहले तो एक बस्तर जिला ही था, फिर वह सात जिलों में विभाजित हुआ, तब जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिला अस्पताल के रूप में स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जब वहां से वे रायपुर आते थे या विशाखापट्टनम जाते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण करना, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। एक बात यह आती है कि लोगों को यहां रोजगार चाहिए, जैसे-जैसे नया स्ट्रक्चर हेल्थ के क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, नए मेडिकल कॉलेज, पी.एच.सी., सी.एच.सी. से आगे बढ़े, जिला अस्पताल भी कहीं नया खुलता है, मेडिकल कॉलेज भी कहीं नए खुलते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट विशेषज्ञ होंगे। मैं कल दो दिन पहले की बात बताना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। हालांकि इस मांग की दृष्टि से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात वर्तमान परिपेक्ष्य में रखना जरूर आवश्यक होगा। अभी हमने बस्तर में जगदलपुर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और भानपुरी में, वहां पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है। क्योंकि वह एक एन.जी.ओ. के माध्यम से हुआ है। वह आदरणीय मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये अगर अच्छा लगे तो इसको नोट करना चाहिए। यह सभी जिलों की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। शिकागो की यह बहुत ही अत्याधुनिक पहल है। इसके पीछे का अर्थ यह है कि वहां लगाने की दृष्टि से इसकी जो सहमति बनी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने खुद उसमें देखा कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और सारा कुछ लगाएं या फिट करें, उसके बाद एक फिंगर टच करने से सात प्रकार की बीमारियों का उसमें ऑप्शन आ जाता है। जिसमें से बी.पी. टेस्ट, शुगर टेस्ट, ई.सी.जी. से लेकर आपका वेट और तीन अन्य बीमारियों की रिपोर्ट कॉपी तक एकसाथ निकल कर मिल जाती है। उसके लिए आपने जो अनुमति व सहमति दी है और बस्तर से इसकी शुरूआत हुई है, वह भी बहुत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि यह श्रेयकर होगा क्योंकि यदि एक ही जगह इन चीजों का परिणाम मिल जाता है, टेस्ट हो जाती है तो फिर हमारे अन्य जिलों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अभी आपने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरगुजा में डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। बस्तर जैसा ही सरगुजा भी है। वह वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। आयुष्मान भारत के विषय में यहां पर बहुत सारे सुझाव भी आए हैं और बहुत सारी बातें भी हुई हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो हो रहा है, जितना भी अच्छा हो रहा है, उसको पॉजीटिव लीजिये। हम हमेशा निगेटिविटी की ओर जाते हैं कि यह नहीं हो रहा है, परंतु

जो हो रहा है, उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। अपना-अपना विषय है, अपने-अपने अनुभव हैं। मेरा भी इसमें अनुभव है। आज बस्तर जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में नाम के साथ मैं भी बता सकता हूं कि इसका लाभ किस तरीके से वहां के गरीब व वंचित परिवार को मिल रहा है। रायपुर में भी इसका लाभ मिल रहा है। हां, यह है कि कुछ एक-दो जगह ऐसी होंगी, उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह लाभ मिल रहा है। उसके अलावा जो राशन कार्डधारी परिवार हैं, उनके लिए 5 लाख रूपये तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा है और जो शेष जनरल राशन कार्डधारी हैं, उनके लिए 50 हजार रूपये तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका लाभ मिल रहा है। यदि आप परसेंटेज में जाएंगे तो यह बड़ा विषय है। कहीं-कहीं जब ऐसा विषय आता है तो हम और आप सब भी इसमें बात करते हैं और वहां पर यह सुविधा चालू भी होती है और उसका लाभ भी मिलता है। यह योजना बहुत अच्छी है, इसका लाभ भी मिल रहा है। मेरे पास यह आंकड़ा है। हमारे प्रांत के लगभग 91 प्रतिशत या 2 करोड़ 47 लाख से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं। उसमें से अधिकतम प्रतिशत के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2026-27 के बजट में 1,300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड हैं, उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आज दिनांक तक कुल 1,633 अस्पताल पंजीकृत हैं। इस योजना में वर्ष 2025-26 से अब तक 9 लाख 92 हजार से भी अधिक हितग्राही द्वारा 2,206 करोड़ रूपये से अधिक का उपचार किया जा चुका है। किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, यह कहना अनुचित है। जिनको मिल रहा है, कितनी संख्या में लोगों को मिल रहा है, जितने कार्डधारी हैं, उससे ज्यादा को मिलना चाहिए। मैं सहमत हूं कि उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी की विशेष सहायता योजना का लाभ हम सब लेते हैं, जब समय-समय पर हमारे पास ऐसा कोई मामला आता है कि दुर्लभ बीमारियां, बड़ी बीमारियां होती हैं। जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, हम जिस तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, क्षमा सहित मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा कि समय पर जैसे हर 10 साल में फैशन बदलते हैं, उस तरीके से वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि बीमारियों ने भी अपना स्वरूप बदलना प्रारंभ कर दिया है। अब तो छोटी-मोटी बीमारियों का मामला बहुत कम दिखाई देता है। एक समय ऐसा था जब हम छात्र जीवन में जी रहे थे तो हममें से बहुत से लोग एक साथ...। मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने परिवार के आस-पास, घर-परिवार में एकाध आदमी कोई बी.पी. या शुगर का मरीज मिलता था। बुखार हो गया, सिरदर्द हो गया, यह बहुत सामान्य बात थी। मैं विषय को रख रहा हूं लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। अभी हम देखते हैं कि हर परिवार में एक शुगर और बी.पी. का मरीज मिलेगा। ऐसे कई विषय जब हमारे पास आते हैं, तो इन चिन्हित बीमारियों से ग्रसित राज्य के पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 25 लाख रूपये तक के उपचार की सुविधा

प्रदान की जा रही है। मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूं। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2025-26 से अब तक 1,134 मरीजों में से 71 किडनी ट्रांसप्लांट, 21 लिवर ट्रांसप्लांट और 93 बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल हैं, इसके लिए 36.76 करोड़ रूपये प्रदान किए जा चुके हैं। यह इस योजना की विशेषता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का विषय हम सबके सामने है, हम सभी जानते हैं। सस्ती दवा और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की दृष्टि से यह दृढ़ संकल्प के साथ उठाया गया निर्णय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लहरिया जी, इन्होंने जितने करोड़ का उल्लेख किया क्या उसको आप लिख लेंगे ? इन्होंने कितने अंक बोले थोड़ा लिखकर बताईये।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मैं गणित लेकर पढ़ा हूं। आप गणित में बार-बार उलझ रहे हैं ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में करोड़ों रूपये का बजट है, तभी मेरे क्षेत्र में लगभग 135 लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हो चुकी है।

श्री किरण देव :- आदरणीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं भी इसके विस्तार में बता सकता हूं कि किन-किन लोगों को, किन-किन परिस्थितियों में इसका किस तरीके से लाभ मिल रहा है। दवाइयों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं तो उनकी दवाइयों के समकक्ष जब हम वहां पर दवाइयां लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी सस्ती होती है, उसे मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं। उसे बोलना चाहिए, बताना चाहिए और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो अच्छा हो रहा है, वह कहना चाहिए। सभपति महोदय, वर्तमान में 238 जन औषधि केंद्र संचालित हैं तथा वर्ष 2026-27 के बजट में 50 नवीन जन औषधि केंद्र प्रारंभ करने की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जनक जी, आप जरा यह बताईये कि किडनी की बीमारी में 135 लोग क्या अभी मर गए? आपकी सरकार में कितने लोग मरे थे यह तो बताईये ?

श्री जनक ध्रुव :- हमारी सरकार के आने के पहले से लोग मर रहे हैं। लोग 2003 से मर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वर्ष 2018 से 2023 का बताईये।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, जब 15 सालों तक आपके भाजपा की सरकार थी तब भी तो उचित मुआवजा, उचित इलाज नहीं हो पाया।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह आपकी सरकार, हमारी सरकार का मामला नहीं है। किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में लोग मर रहे हैं, यह चिंता का विषय है और सरकार उसके लिए चिंतित है। परंतु आप लोग आपदा में भी अवसर मत तलाशिये न। अब वहां ईरान-इजराइल का युद्ध हुआ है तो आप लोग यहां गैस सिलेंडर की बात करने लगते हैं। सुपेबेड़ा में किस कारण से और क्यों यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रही है, आप उसके बारे में चिंता करिए। मंत्री जी ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, ऐसा बोलने से नहीं होगा,

उसका हल निकालना पड़ेगा। किसको अच्छा लगता है कि कोई मरे? क्या किसी को लगता है? आपकी सरकार हो या चाहे हमारी सरकार हो, कौन चाहेगा कि लोग मरें? यह कोशिश करना है कि कोई न मरे और उसी के लिए यह बजट पेश हुआ है। यह बजट कितने लाख करोड़ रूपये का है? लहरिया जी बताएंगे ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सभापति महोदय, यह बात भी है कि आप पिछले 5 साल और इन ढाई साल को देख लीजिए कि सुविधाएं पूरी तरह से बढ़ गई हैं। आप ही बता दीजिए कि स्थिति बदली है कि नहीं बदली है? पूरी स्थिति बदल गयी है। बजट भी बढ़ गया, सुविधाएं भी बढ़ गईं, हॉस्पिटल भी खुल गए, आप सारी चीजों को देख रहे हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, आप सारंगढ़ में जाकर देखिएगा। आप सारंगढ़ गए भी थे। आप वहां के स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिए कि वहां एक भी डॉक्टर नहीं है और अस्पताल का भवन बहुत जर्जर है। वहां सी.एम. साहब स्वयं जाकर घोषणा किए हैं लेकिन अभी-भी वह बजट में नहीं जुड़ा है।

श्री आशाराम नेताम :- यहां किडनी बदलने की बात चल रही है और वह हॉस्पिटल ..।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप पिछले 5 साल का मत बताईये, आप अभी का बताईये। सभापति महोदय, अभी सारे इलाज अच्छे से हो रहे हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- सभापति महोदय, मैं अभी का बता रही हूं।

श्रीमती राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप ही पूछ रहे हैं और पिछले 5 साल का तो आपको भी कांग्रेस का सब पता होगा। आप हमारे साथ ही तो थे। आपको तो सब डिटेल अच्छे से पता है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैंने इसीलिए तो छोड़ा है। आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं। आप लोग लोगों के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं देते है इसीलिए छोड़ा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको तो दोनों साइड का बहुत अच्छे से पता है। आप इस मामले में ज्ञानी हैं।

श्री उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, सारंगढ़ में भी 50 ला 100 बिस्तर करे रहिस हे। ओकर बाद जिला बने के बाद जिला अस्पताल बनत हे।

श्री दिलीप लहरिया :- दीदी, एक मिनट। माननीय मंत्री साहब जी, अभी पी.पी. मोड में बिलासपुर का जो मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है, ऐसा मैं सुना हूं कि उसको आप लोग करने जा रहे हैं। बिलासपुर में मेरे पास शिकायत आई है। तो क्या ये सही है ? आप जवाब में बतायें।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है जो बोल रहे हैं, उसको गद्य की जगह में पद्य में गाते हुए बोलिये।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं वह बोल दूंगा।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- लहरिया जी, गांव में बोलते हैं न कि लाई गोठ छिटका पानी तो सब में तैं ध्यान दिहा मत कर।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं वह पद्य में बोल देता हूं :-

चिरागों के सफर में दबदबा हुआ आधियों का
तो अंजाम जुलमत के सिवा कुछ भी नहीं,
यह दुनिया नफरतो के आखिरी स्टेज पर है,
इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह बहुत ही श्रृंगार रस के प्रेमी हैं। मैं इनकी एक कविता का यहां जिक्र कर देता हूं जो ये हमेशा करते हैं। जब इनके कार्यकम में शुरूआत होती है तो बोलते हैं कि कटनी का चूना सोच-समझकर छूना। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- वह एक जमाना था, वह चला गया। अब विधायक बनने के बाद तो सब बंद हो गया है। अब धार्मिक में उतर गया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- धार्मिक कार्यक्रम में लाठा चार्ज नई होय का?

श्री दिलीप लहरिया :- लाठी चार्ज पहले था। अब यहां लाठी चार्ज आपके द्वारा हो रहा है। पहले बाहर में स्टेज में होता था, अब विधान सभा में आप ज्यादा करवा रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- लहरिया जी, हमर यहां ओखर बर एक उखाना हे- भूल गये राग रंग, भूल गये छकड़ी, तीन चीज याद रहिस, तेल, नून, लकड़ी। अब तैंहा इहां के फेर मा आ गये हस तो सब छूट गये हे।

श्री दिलीप लहरिया :-

गिर जाबे मूड भरसा सड़क, पाबे न धरसा
बिजली अस करेंट हे कई गुना
कटनी के चूना, देख ताक के छूना। ये मेरा गाना है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप बैठिये। माननीय किरण जी, आप अपना भाषण चालू रखिये।

श्री किरण देव :- माननीय सभापित जी, धन्यवाद। इतना विश्राम के लिये आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। (हंसी) अभी मेरे से पूर्व के सम्माननीय वक्ता को मैं सुन रहा था। 108, 102 यहां नहीं गया, वहां नहीं गया, इस तरीके की बात आ रही थी। 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा के बाद बहुत स्थिति सुधरी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। वर्तमान में 108 संजीवनी सेवा अंतर्गत कुल 326 एम्बुलेंस संचालित

हैं। यह मेरे पास पूरा डाटा है। 102 महतारी एक्सप्रेस, पहले क्या स्थिति होती थी, मैं बस्तर से आता हूं इसलिए हम बस्तर की बात करें। सरगुजा में ग्रामीण क्षेत्रो की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रो में माताओं, बहनों की क्या स्थिति हुआ करती थी। आज तो ब्लाक लेवल से ये व्यवस्था संचालित होती है, गांव में जहां से फोन आता है, जहां से सूचना आती है, जितनी दूरी आने-जाने में लगता है, उतना ही समय लगता था। इसलिए एक नई एजेंसी के माध्यम से योजना के अंतर्गत 380 नई महिन्द्रा बोलेरो एम्बुलेंस जो उपलब्ध कराई गई है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस दृष्टि से निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। मुक्तांजलि शव वाहन सेवा योजना के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों से मृतक के पार्थिक शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत तकलीफ होती थी, बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। जब किसी वंचित परिवार को घंटो बैठकर इंतजार करना पड़ता था और फिर हम सब आपके पास ही आकर वाहनों की व्यवस्था के लिये इसको बोलना, उसको बोलना पड़ता था और उसमें एक और दिक्कत होती थी कि कोई भी तैयार नहीं होता था। परिजनों को व्यवस्था करनी पड़ती थी। किसी तरीके से व्यवस्था करते-करते घंटो लगता था। आज मुक्तांजलि शव वाहन सेवा योजना से बहुत अच्छी सुविधा हुई है और 33 जिलों में 161 एम्बुलेंस संचालित हैं। इसके लिये बजट में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि इससे बहुत ज्यादा सहयोग और सुलभता होगी। हमारे प्रदेश के 7 जिलों रायपुर, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं सक्ती में जिला आयुष कार्यालय भवनों के निर्माण के लिये भी वर्ष 2026-27 में 5-5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में जो 7 नये आयुर्वेद औषधालय की स्थापना है, यह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, गरियाबंद, रायगढ़ और महासमुंद में किया जाना प्रस्तावित है, इसकी भी आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, हम चिकित्सा की बात करते हैं, प्रणालियों की भी बात करते हैं । उसमें स्वाभाविक रूप से ले भी लेते हैं तो 3 तरीके की चिकित्सा की प्रणालियों का रूझान होता है । हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, बस्तर-सरगुजा इस साईड में हमारे वैध, गुनिया रहते हैं और इधर के भी सतही स्तर के भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से जो अपने घरों से संचालित करते हैं तो आयुर्वेद पद्धति से, जड़ी-बूटी से होता है । इस ओर जाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। प्राथमिक तौर पर गांव में तो इसी का पहले ईलाज करते हैं, पहले वैध के पास ही जाते हैं । आयुर्वेद के ईलाज से ही आगे बढ़ते हैं और इसके अलग-अलग हैं, जो लंबी बीमारी है, आयुर्वेद-होम्योपैथ, जहां तत्काल ईलाज की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता है, ऑपरेशन की आवश्यकता है वहां पर एलोपैथ तो आयुर्वेद के लिये जो पहला कदम उठाया गया है, इसमें प्रत्येक के लिये 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । उसमें 35 पदों का सृजन भी करने का निर्णय लिया गया है इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता

हूं, यह बहुत अच्छा कदम है । माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में जिस तरीके से अभी-अभी 2-3 विषयों को लेकर आपने अभी एक सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल का विषय रखा था । हमारा बस्तर जो पहले स्वास्थ्य सुविधाओं से एक लंबे समय तक वंचित रहा है, वहां मेडिकल कॉलेज का जगदलपुर में खुलना, बहुत समय से वह काम चल रहा है और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का खुलना वहां आयुर्वेद अस्पताल का ऐसे 7 और जिलों में खुलना, यह स्वास्थ्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिस तरीके से कर रहे हैं वह इस ओर इंगित करता है, परिलक्षित करता है कि किस तरीके से चूंकि पहले ही यह बात आ चुकी है और सभी ने कहा है कि धन का तो प्रभाव और अभाव से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य एक विषय है जो हर व्यक्ति के और हर व्यक्ति के परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पिट है, वह भी चालू हो चुका है, चालू होने की कगार में है । उसका प्राईमरी चालू हो चुका है । मैं संक्षिप्त में 2-4 विषयों की तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का जरूर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि आप इसको लिख भी लें । एक तो आपका धन्यवाद, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूं कि महारानी अस्पताल जगदलपुर में आपने एम.आर.डी. भवन का निर्माण, इसके बाद फिर मैं इस विषय को फिर कभी नहीं बोलूंगा । कैंसर यूनिट की स्थापना का डी.एम.एफ. की राशि से जो निर्माण कराया जाना है उसके लिये क्रमश: 4 करोड़ 30 लाख 22,000 रूपये और दूसरा कैंसर यूनिट के लिये 4 करोड़ 62 लाख 12,000 को स्वीकृत किया गया है, यह बहुत आवश्यक है । मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यह बहुत आवश्यक है और बस्तर में तो स्वास्थ्य सुविधायें और तेजी से आयें और बस्तर के लोगों में इसकी बहुत खुशी भी है । सरकार के प्रति एक बड़ा ही विश्वास जगा है कि स्वास्थ्य सेवा में निरंतर प्रगति आ रही है और इसके लिये मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसकी स्वीकृति भी जारी हो गयी है तो एक निर्देश कि जल्दी से जल्दी, मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है कि यह टेंडर प्रोसेस में चला गया है और दूसरा, एक बहुत प्रतीक्षित मांग है । हमारा जो महारानी अस्पताल है, पूरे बस्तर संभाग का एकमात्र अस्पताल हुआ करता था और इसकी बड़ी ही विश्वसनीयता है । यह शहर के बीचोंबीच है और उसका एक 300 बिस्तर के अस्पताल के ऐसा भवन निर्माण का प्रस्ताव आपकी ओर गया हुआ है, मैंने आज शुरू में प्रश्नकाल में एक विषय रखा था, वहां के विषय को मैंने थोड़ा सा टच किया था । मैं उसको अभी उद्धृत कर देता हूं एलंगनार में हमारे सड़क के निर्माण के विषय को लेकर बात कहीं थी वह पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, वह जिला सुकमा है और विधान सभा जगदलपुर है और मैंने वहां पर बात भी की है वहां पर सड़क मार्ग की 18 किलोमीटर की दूरी होती है उनको वहां से जगदलपुर आना है तो सुकमा बहुत दूर हो जाता है, तोंगपाल है वहां तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । वहां पर मैंने मिनी पी.एच.सी. की मांग की हुई है आप ऐसे कुछ विषयों को समाहित करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैंने हेल्थ ए.टी.एम. का विषय प्रारंभ में रख दिया था, लेकिन इसको एक बार परीक्षण करके, जानकारी लेकर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही

लाभ मिलेगा और एक ही जगह पर 7 ऐसी बीमारियों के लिए जांच होगी और 5 से 10 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से इससे बहुत सहयोग मिलेगा। हमारे यहां की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है। वास्तव में यह वनवासी बाहुल्य और पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने विभाग ने शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तो संचालित किये जा रहे हैं, इन छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवसीय सुविधा, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, शयन सामग्री, ओढ़ने बिछाने की जितनी भी सामग्रियां यूस की रहती हैं और वर्तमान में राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 55 छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में 3 हजार 550 सीटें स्वीकृत हैं। वर्ष 2026-2027 के लिए 6 करोड़ 96 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले मुख्य बजट की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। उसको प्रावधानित किया गया है। निश्चित रूप से मैं उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। इसी तरीके से हमारे बजट में 167 करोड़ 50 लाख, 38 हजार रूपये का ऑन लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए भी जो प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से हमारे बच्चों को बहुत सहयोग प्राप्त होगा । उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो संचालित हो रही है, यह 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, आप कितना समय लेंगे।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके आदेश के परिपालन में एक बार बधाई दे दूं।

सभापति महोदय :- हां, आप बधाई दे दीजिए।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद और बधाई दोनों दे देता हूँ। आपने आज के इस स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग को छुआ। वास्तव में यह बहुत बड़ा विषय था, लेकिन आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद् देते हुए, अपना विषय यही समाप्त करता हूँ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और मांग संख्या 19, 66 और 79 के विरोध में अपना मत देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राघवेन्द्र जी, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिया है, वह माननीय सदस्य लगभग अनुपस्थित हैं। आप क्यों बुरा बनेंगे। आप कटौती प्रस्ताव को वापस लेकर, सरकार का समर्थन कर दीजिए। अगर आपको अकलतरा में थोड़ी-बहुत कोई चीज चाहिए तो मैं उसकी घोषणा कर दूंगा, उसके लिए मंत्री जी की जरूरत नहीं है।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अभी तो सी.एम. साहब घोषणा करे हे, वह भी बजट में नहीं है। आप लोग जो घोषणा करेंगे तो वह कहां से आएगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मुझे लगा था कि हम लोग जो पहली बार के विधायक हैं सभापति महोदय जी का तो आश्रय रहता है, आप भी हम लोगों को कुछ आर्शीवाद देते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका भाषण ही सुनने के लिए आये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वह पूरी नहीं हुई तो उनकी घोषणा कहां से पूरी होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका भाषण बहुत जोरदार होना है। आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनसे सीख रहा हूँ। आप अच्छा बोलिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जब आप लोग इतना अच्छा भाषण करते हैं तो आदरणीय हमेशा हमें आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की असली ताकत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ईमारतें तो होती ही हैं, लेकिन उनकी जनता का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब किसी भी गरीब परिवार का सदस्य सरकारी अस्पताल में जाता है तो वह इस अपेक्षा के साथ जाता है कि वहां पर उसका तुरंत ईलाज होगा, वहां पर उसको मदद मिलेगी। चाहे हम बजट में जो भी घोषणा कर लें, मंत्री कोई भी हों, विधायक कोई भी हों, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वहां पर उसको ईलाज मुहैया होना चाहिए। मैं Law का Student रहा हूं तो मैं एक दिन भारतीय संविधान की कुछ आर्टिकल्स को पढ़ रहा था । उसमें आर्टिकल 47 की तरफ जब मेरी नजर गई तो मैं कल की बातें और आज की बातों पर एक बात सोच रहा था । संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा । आज सुबह जब मेरे एक प्रश्न पर चर्चा हो रही थी और पहले भी वह मुद्दा इस विधान सभा में उठा है। ऐसी कई चीजें हैं, जिसमें कई विभाग आ जाते हैं तो एक ही जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती । आज बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने भी उस बात को कहा कि जब हम सड़क दुर्घटना की बात करते हैं तो हम किसकी बात करें क्योंकि वह गृह में दर्ज होता है, ईलाज की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में आ जाता है । उसके अलावा परिवहन विभाग भी उसमें आ जाता है, पीडब्ल्यूडी भी इंवाल्व हो जाता है तो कई ऐसी जगह हैं, जहां पर इन मौंतों की ओर समस्या इतने सारे विभागों में उलझ जाती है कि एक जगह उसका समाधान होना मुश्किल होता है और यह बात मैंने आर्टिकल 47 में कही, हमारा संविधान कहता है कि कहीं न कहीं हम फिर उसी में फंस जाते हैं । कल बात हो रही थी, कुछ मजाक में भी हुई, कुछ सीरियसली भी हुई थी । पहले हमें आबकारी से 5 हजार करोड़ रूपए की आय होती थी, वह अब करीब

10 हजार करोड़ तक पहुंच गई है । हमारी आय जो ड्यूटी से आ रही है, वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम आर्टिकल 47 की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें इन पर रोक लगानी है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है तो अभी किडनी से मौतों की बात हो रही थी, लेबर सिरोसिस की बात हो रही थी तो यह सवाल भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि हमारे लिए आय कितनी जरूरी है । आय जरूरी है, तभी तो यहां पर काम होगा, लेकिन उस पर हम अपने स्वास्थ्य का कितना खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका रेश्यों, इसका Proportion हम लोगों को निर्धारित करने की जरूरत होगी ।

सभापति महोदय, अभी आदरणीय किरण देव जी चले गए हैं, वे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि पहले बीमारियों के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, जब हम लोग सुदूर गांव में जाते थे । मैं थोड़ी सी व्यक्तिगत बात कह देता हूं । मेरे पिता एक डॉक्टर थे । जब वे डॉक्टर बनने के बाद आये तो जब वे विधायक बने तो उनके साथ कभी-कभी दौरे में मुझे जाने का मौका मिला तो हम लोग देखते थे कि गांव में अपनी समस्याओं से ज्यादा लोग दवाई लिखवाने आते थे और उनकी देरी का कारण वह रहता था, लेकिन धीरे-धीरे वह स्थिति चेंज हो गई । अब जब हम गांव जाते हैं तो वहां पर अगर डॉक्टर नहीं है तो उसकी शिकायत आती है, नहीं तो गांव वाले अपना ईलाज वहां करा चुके होते हैं ।

समय :-

4:53 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, ज्ञान और गति, ये दोंनों बातें प्रदेश की बजट में आई, उसमें मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की जितनी और चिंताएं की जानी थी, उसमें चिंताएं तो की गई हैं और मैं आपको बधाई दूंगा कि आप कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा लेकर आये हैं, लेकिन हमें इसका और विस्तार करना चाहिए था । जब मैं बार-बार कहता हूं कि हम मोदी जी के गारंटी की बात करते हैं, वह संकल्प-पत्र था कि हम अपना बजट कई गुना बढ़ा देंगे । वह इस बजट में स्वास्थ्य विभाग में मुझे नहीं दिखा । स्वास्थ्य विभाग के बजट में बहुत कुछ प्रतिशत ही की बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन मुझे पूरी तो नहीं लेकिन एक बात से मुझे थोड़ी सी संतुष्टि ये होता है कि सारे राज्य का हम औसत निकालेंगे कि हम कितना खर्च कर रहे हैं तो हम अपने राज्य में 6.2 के ऊपर थोड़ा चले जाते हैं । घोषणा-पत्र में जन औषधि केन्द्र खोलने की बात की गई थी, जितनी स्वीकृत हुई है, मुझे लगता है कि इसमें आप और बजट लें, लोगों को और सुविधा दें क्योंकि जो हमारी दवाइयां हैं, वह आपको भी पता है कि फार्मास्यूटिकल्स की वजह से बहुत महंगी आ रही हैं । कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे बी.पी. है, शुगर है, वह आज आम हो गई है । ये दवाइयां रेग्युलर बेसिस पर लोगों को लग रही हैं तो यदि जन औषधि केन्द्र खुलते हैं तो लोगों का जो वित्तीय भार है, जो उनको घर पर पड़ता है, उनके लिए बहुत बड़ा खर्च है,

उसमें हम लोग कमी कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यदि आप बजट में इसका प्रावधान करते हैं तो यह बहुत बड़ी सुविधा हम लोग नीचे तबके के लोगों को दे सकते हैं ।

सभापति महोदय, मैं ऐसे मैदानी क्षेत्र से आता हूं, जहां पर सिकलसेल की समस्या से हम लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और सिकलसेल की समस्या हमारे यहां बहुत ज्यादा है । जैसा कि हर ब्लॉक में सिकलसेल की जितनी जांच होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही है । मैं प्रदेश की बात न करते हुए अपने जिले जांजगीर चांपा पर केन्द्रित रहता हूं । हमारे यहां डायलिसिस सेन्टर शुरू तो है, लेकिन बीच-बीच में वह किसी न किसी कारण से वह बंद हो जाता है तो हमें वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी विधान सभा में इस बार एक ध्यानाकर्षण लगा था, जहां पर एन.एच.एम. की सुविधाओं की बात की थी। हमारे जिले में एक समय एन.एच.एम. की सुविधाएं बहुत अच्छी थीं। हमारा स्वास्थ्य विभाग दो में डिवाइडेड है, जहां कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं स्टेट से मिलती हैं और हम कुछ सेन्ट्रल की स्कीम्स को लेकर आते हैं। एन.एच.एम. के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वह हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वह हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन यह बात बहुत दु:ख के साथ करनी पड़ती है कि वे लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए घोषणा-पत्र में जो वादे थे, हमें उनके वादे पूरे तो नहीं, लेकिन हमें शुरूआत तो करनी होगी, हमें समाधान तो निकालना होगा। क्योंकि बाकी कोई हड़ताल पर जाते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले जायें तो पूरी स्थिति चरमरा जाती है। हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा। मैं आपके विभाग के ही प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़ रहा था। हमारे छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर भारत के अनुपात से ज्यादा है। भारत में 6.2 है तो हमारे छत्तीसगढ़ का 8.3 है। हमारा शिशु मृत्यु दर प्रति हजार शिशु में 33 के आसपास है, अगर हम कुष्ठ निवारण की बात करें तो यह भी हमारे राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर है। इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। कल जिस तरह से बात हो रही थी कि हम जी.एस.टी. कलेक्शन में ऊपर आ गये हैं, टैक्सेस और माइनिंग में ऊपर आ गये हैं तो मैं बार-बार यह बात कहता हूं कि हमें सोशल जस्टिस में भी ऊपर आना होगा। हमारा नेशनल एवरेज से ऊपर न जाये, हमें उस प्रदेश होना चाहिए, जहां पर हम शुरूआत करें और सबसे अच्छी स्थिति में रहें। क्योंकि हममें काबिलियत है। हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास संसाधन हैं, जिनसे हम इन सबको कर सकते हैं।

सभापति महोदय, यदि हम लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कुछ और बिन्दुओं पर बात करूं तो लगभग 6.5 प्रतिशत आवंटित किया है। जैसा कि मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। लेकिन पूर्व वर्षों की तुलना में देखें तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कमी की ओर जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ कमी, हमने 2025-2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में जो प्रावधान किया था, अगर हम बजट के संशोधित अनुमान को देखें तो लगभग 12 से 14 प्रतिशत की कटौती की गई है। हमने जितने पैसे देने का कमिट किया था, हमने कहा था कि हम पैसा देंगे,

लेकिन हम लोग 12 से 14 प्रतिशत कम दे रहे हैं। अगर आखिरी महीने में कोई चमत्कार हो जाये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम अभी की स्थिति में हमारे पैसे का एलोकेशन है, वह कम है।

आदरणीय सभापति महोदय, हमें डाक्टर्स और स्टाफ की पूरी भर्ती कर लेनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसरंचना अभी भी अपर्याप्त है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। जिसे हम आऊट आफ पॉकेट एक्सपेण्डेचर कहते हैं, उसमें कमी नहीं आई है। अगर हम अधोसरंचना की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। कभी-कभी स्टाफ की कमी की वजह से वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है तथा कभी-कभी स्टाफ की कमी की वजह से जान खोनी पड़ जाती है और कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। अगर मैं पिछले बजट से तुलना करूं तो हमने कुछ ज्यादा किया है। लेकिन जब हम रिवाइज बजट की बात करें तो घूम-फिरकर बात उसमें ही आ जाती है कि हमने पिछले साल जितना खर्च किया, हमारा उतना ही बजट इस साल भी खर्च होना है।

आदरणीय सभापति महोदय, पुरानी सरकारों के समय के स्कीम्स के साथ नई स्कीम को शुरू करना पड़ता है। कई स्कीमें शुरू हुईं। चाहे हाट बाजार क्लीनिक हो, चाहे अरबन स्लम हो, दीदी-दाई क्लीनिक हो, मुफ्त ईलाज की बात हो, मोबाइल वेन की बात हो, अभी मंत्री जी नहीं है। सभापति महोदय, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई ऐसे विभाग हैं, जिसमें हमारा हाट बाजार क्लीनिक भी है, जहां पर दवाईयां और पैसा समय पर नहीं पहुंच रहा है। एक बहुत अच्छी बात थी कि एक दिन हाट बाजार लगता था, वहां पर लोग जाते थे और वहां पर पूरा ईलाज हो जाता था। लेकिन अब कहीं न कहीं दवाईयों की कमी है और वहां पर वेन नहीं पहुंच रही है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर ये वेन नहीं जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें एन.एच.एम. के मामले में ध्यान देना होगा। मैं मंत्री जी के सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। यह आप ही के विभाग का डेटा है। यह जनवरी तक का डेटा है। आप स्वयं आंकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे एन.एच.एम., कम से कम मेरे जिले में स्थिति क्या है, मैंने इस पर ध्यानाकर्षण भी लाया था। जांजगीर और अकलतरा में सी सेक्शन के डिलिवरी की बात करें सिर्फ 6 महीने में जनवरी तक 96 डिलिवरी हुई हैं। बलौदा, बम्हनीडीह, पामगढ़, नवागढ़ की बात करूं तो शून्य है। यह नीचे की हमारी वास्तविकता है। यह मेरी जानकारी नहीं है, विभाग के द्वारा दी गई जानकारी है। बी.डी.एम हास्पिटल 57 हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां सिकलसेल की दिक्कत है। सिकलसेल की वजह से ब्लड कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। लेकिन यह कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि हम नीचे से पहले पायदान पर हैं जांजगीर में जब हम ब्लड कलेक्शन की बात करते हैं।

समय :

5.00 बजे

सभापति महोदय, ऐसा जिला जहां पर सिकल सेल है, जहां पर एक्सीडेंट्स इतने सारे हो रहे हैं, जिसका मुद्दा आज उठा और हमारे पास खून की कमी पूरे समय बनी रहती है। आदरणीय सभापति महोदय, हम एनीमिया मुक्त भारत की बात करते हैं। 60 महीने तक की अगर मैं बच्चों की बात करूं तो कुछ ब्लॉक में लगातार वे स्कीम्स चल रही हैं और कुछ ब्लॉक में नहीं चलती हैं। ओवरऑल एवरेज अगर स्टेट में आता है तो आ जाता है कि 96% हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया है। लेकिन आदरणीय महोदय, मैं अकलतरा की ही बात कर देता हूं, वहां पर सिर्फ 40% हमने इस टारगेट को अचीव किया था। फैमिली प्लानिंग की मेरे पहले वक्ता बात कर रही थीं। अगर परमानेंट स्टरलाइजेशन की हम बात करें तो जनवरी तक ब्लॉक वाइज मैं अपने जिले की बात करना चाहूंगा। अकलतरा सिर्फ 14% पर था और उसके बाद अगर मैं बलौदा, बमनीडीह, जांजगीर अर्बन, नवागढ़ और पामगढ़ की बात करूं तो शानदार 0% पर हमने अपना टारगेट अचीव किया। यह वहां की एन.एच.एम. की स्थिति है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि सारी चीजें बुरी हैं, लेकिन जहां खराब है, जहां हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जहां ज़रूरत है, आदरणीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान वहां आकर्षित करना चाहूंगा ताकि वहां पर लगातार इसके बारे में हम लोग बात कर सकें। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात हमारे नेत्र चिकित्सा वाले भी आज आए हुए थे, मेरे पहले एक सदस्य ने उनके बारे में भी कहा। हमें जरूरत है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो उनके खाली पड़े हुए हैं। मोतियाबिंद लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। पेंशन के बारे में जब आदरणीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है तो हमें यह बात भी कबूल करनी होगी कि ओल्ड एज डिजीज भी बढ़ती जाएंगी। जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो ओल्ड एज डिजीजेस जो होती हैं, वह फेटल हों या न हों, उसके बारे में हमें ध्यान देना होगा। उनका जब मैंने डेटा देखा कि उनको कितना स्क्रीनिंग किया जा रहा है, तो 50% भी नहीं किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मोतियाबिंद का लक्ष्य हमारे यहां 4000 का था जो कि 1880 उस दिन तक लिया गया जो 47% के आसपास आता है। लेकिन मजेदार और दुखद बात यह थी आदरणीय मंत्री जी, मैंने आपका ध्यान उस दिन भी आकर्षित किया था कि सिर्फ 20 से 25 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और बाहर हुए। नेत्र चिकित्सा वाले अगर हमारे यहां हमारे जिले में पदस्थ हो जाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज बिलासपुर तक हम लोगों को जाना पड़ रहा है। जिस तरह का शराब, नशाखोरी और नशाबंदी की हम बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन पर देखें तो उसके अनुपात में हमारा मेंटल हेल्थ सिर्फ एक सेंदरी में है जो कि हम बहुत पीछे हैं मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के बारे में। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी मैं बात कर रहा था, आज उनकी दवाइयां हर जगह लगती हैं और हर जगह हम लोग उसमें पीछे होते जा

रहे हैं। आदरणीय महोदय, मेरे जिले में उसकी भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। यह मेरे जिले की नहीं, पूरे स्टेट की बात है। सर्वाइकल कैंसर की संख्या धीरे-धीरे बच्चियों में बढ़ती जा रही है और उसका हम स्कैनिंग कम कर पा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ऐसा है, जिसकी स्क्रीनिंग जितनी जल्दी हो जाए, उसकी वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो जाए, जितना कवरेज हम ज़्यादा ले लें, यह आने वाले समय में यह दोनों ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का जो बच्चियों में डर आ रहा है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और हमें इसके बारे में सख्त कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप डेटा निकलवाएंगे तो इसकी स्क्रीनिंग हर जिले में बहुत कम है। महोदय, हमारा राज्य वन भूमि का राज्य है। हमारा राज्य बहुत पिछड़ा राज्य भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हमारा बजट स्वास्थ्य और शिक्षा में ज़्यादा हम पैसा खर्च कर सकें? हमारे यहां लगभग 830 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 30 से अधिक जिला अस्पताल हैं। हमारे यहां इन पूरी सुविधाओं को क्यों नहीं हम इतना सुदृढ़ करें कि आदरणीय महोदय, यहां मशीनरी, डॉक्टर, नर्सेस और बाकी स्टाफ की कमी से हम न जूझें । नए करने की जगह बहुत स्वागत है जब हम नए सिस्टम्स को बनाते हैं, लेकिन क्या हम पुराने सिस्टम को इतना सुदृढ़ नहीं कर सकते कि वहां पर और किसी की ज़रूरत न हो? अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो 30% के आसपास हमारे यहां डॉक्टर्स की कमी पाई जाती है। महोदय, क्यों नहीं उसको हम जल्द से जल्द पूरा करें? विशेषज्ञ डॉक्टर्स, इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा और आपका मैं ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। अभी पिछले साल की जो गाइडलाइन आई है उसमें D.M.F. फंड से जो ज़िले में डॉक्टर्स रखे गए थे, चूंकि अब दूसरे ज़िले का फंड हमारे पास नहीं आने वाला है। जैसे मेरे ज़िले में उतना ज़्यादा D.M.F. फंड नहीं है, वह कोरबा से आता था, रायगढ़ से आता था। लेकिन चूंकि सेंट्रल की गाइडलाइन आई है, उसको बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने D.M.F. से रखे हुए हैं। बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस हमने D.M.F. से रखे हुए हैं। तो आदरणीय बड़ी समस्या की स्थिति है कि आखिर इन डॉक्टर्स का होगा क्या? राज्य के पास हमारे पास उतने डॉक्टर्स हैं नहीं। जितना हम लोग उसमें D.M.F. से रखे हुए थे, लेकिन डी.एम.एफ. से आएगा नहीं। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पूरे राज्य का यह डेटा मंगवाएँ और इनको कैसे हम सृजन कर सकते हैं या उनकी जगह कौन से हम विशेषज्ञ, डॉक्टर्स ला सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा और इसके बारे में हमें तुरंत एक निर्णय लेना होगा क्योंकि अप्रैल के बाद यह राशि हमारे पास नहीं आएगी। अस्पतालों में डॉक्टर, मशीन, दवाई, इन तीनों के बारे में हमें सोचना होगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और विषय पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। प्रदेश में कितनी C.T. स्कैन हैं, कितनी आपकी सोनोग्राफी मशीनें हैं और उसके विरुद्ध

कितने रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितनी मशीनें हैं, उसको technician चला रहे हैं, जिससे सही समय पर लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। आज छत्तीसगढ़ में एक स्थिति बहुत संगीन है, वह झोलाछाप डॉक्टर्स की है। आपके विभाग के द्वारा लगातार कारवाई होती है। यह बहुत ही सीरियस बात है, बहुत सारे लोगों हैं, मैं उसके नाम न लेकर मैं आपको उनकी जानकारी प्रदान करा दूँगा। यह खबर कई बार न्यूज़ चैनलों में आती है कि वह पथरी, किडनी, पत्नी भागने से लेकर सारा इलाज कर रहे हैं। (हँसी) अगर यह चला गया है तो मैं मनोवैज्ञानिक इलाज कर दूँगा, ऐसा वह क्लेम कर रहे हैं और उनका बड़े-बड़े जगहों पर विज्ञापन आ रहा है। सोचने का विषय यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइकोलॉजी मास्टर्स को अनिवार्य कर दिया है तो वह कौन सी पद्धति से इलाज कर रहे हैं? इससे हमारी जनता की जान को खतरा हो सकता है। मैं लिखित में आपको जानकारी दे दूंगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- भैया, यह तो बता दीजिये कि पत्नी भागना बीमारी भी है?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- ऐसा वह क्लेम कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, जो मैं बता रहा हूँ। वह क्लेम कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक इलाज करा देंगे। कहीं वे लोग कुछ गलत दवाई न दे दें।

श्री गजेन्द्र यादव :- कौन से पद्धति से करते हैं, उसको आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ज़रूर बताइए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गजेन्द्र भैया, दुर्ग में वो इलाज के नाम बताओ, जहाँ रुकथे।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- मोहले जी बैठे हैं, अलग से संपर्क करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- लेकिन इस बारे में हमें इसलिए सोचना होगा क्योंकि कहीं गलत इलाज, गलत दवाई, स्टेरॉयड का गलत उपयोग हो सकता है। इसमें ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसिलिए ऐसे फर्जी लोगों के ऊपर भी कारवाई करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- राघवेन्द्र जी, हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में विधान सभा के अंदर एक ही डॉक्टर देखा है, वह डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी हैं। जो हर प्रकार के विधेयक में, विभागों में, वित्त से लेकर और जो-जो भी होता था, उन सभी में डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी चर्चा करते थे। उनसे बड़ा विद्वान डॉक्टर अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- बस मुझे दो मिनट दे देंगे, आदरणीय सभापति महोदय। चूँकि समय कम है, मैं आपको बहुत पॉइंटेड चीज़ें कह देता हूँ। आदरणीय आदरणीय मंत्री जी, अगर मैं खाद्य और औषधि विभाग के बारे में में बात करूँ तो 14 जिलों में हमारे पास फ़ूड ऑफिसर नहीं थे, जिसके कारण

इस बार चेकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुईं। पनीर और बाकी चीज़ें लगभग एनालॉग हम लोग खा रहे थे। इसलिए इसके बारे में मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूँ। चूँकि आयुष्मान योजना के बारे में काफी बात हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा और मैं सीधे माँग पर आ जाता हूँ। एक P.E.T स्कैन की मशीन मेकाहारा में रखी हुई है। वह काफी महँगी मशीन है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उसको मंत्रिमंडल में लाकर जल्दी जाँच करवा कर उसको शुरू करवाइये, ताकि हमारे प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल सके। मुझे पिछड़ा वर्ग के बारे में भी बहुत सारी बातें बोलनी थीं, लेकिन चूँकि समय कम है। इसलिए मैं कुछ मुख्य माँगें आपसे करना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री जी। जैसा कि आज सुबह बलौदा ब्लॉक के बारे में भी चर्चा हो रही थी, हमें ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादातर मौतें बिलासपुर पहुँचने और कोरबा पहुँचने के बीच में हो रही हैं। इसके पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि बलौदा ब्लॉक में महिला चिकित्सक भी नहीं हैं, N.H.M. से भी कोई महिला पोस्टेड नहीं है। इसलिए वहाँ पर एक महिला चिकित्सक की आवश्यकता है। आदरणीय मंत्री जी, पिछले बजट सत्र में आपने एक बात की घोषणा की थी कि ग्राम खिसोरा, विकासखंड बलौदा में मैंने आपसे P.H.C. माँगा था। मैंने दो बार आपको चिट्ठी भी दी कि आपकी घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आदरणीय मंत्री जी, आपसे सविनय निवेदन है कि आप इसको कम से कम जल्दी करवा दीजिये। एम्बुलेंस की माँग लगभग सभी सदस्य कर रहे हैं। मेरी भी मांग को उस लिस्ट में जोड़ लेंगे। जैसा आपने कहा है कि आप जल्द हमारे ज़िले में मीटिंग लेने आएँगे और हमको बुलाकर सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। इसलिए बाकी बातें हम वहाँ पर आपसे कह सकते हैं। मुझको कई विभागों में बहुत कुछ और बोलना था। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति: धर्मजीत सिंह जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मिस अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अनुज शर्मा जी पेनॉल्टी स्ट्रोक से गोल करेंगे। हम लोग थोडा ड्रिबलिंग कर लेते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैंने नाम दिया है, इस विभाग में कुछ दिन काम करने का अवसर मिला । मैं इस पर तीन-चार बिन्दुवार बोल देता हूँ । छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्याओं पर एक तो सिकलसेल संस्थान हमने बनाई । स्वास्थ्य विभाग में अधिकांश कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है, फाइलेरिया है या सिकलसेल संस्थान है, उसके लिये हमारा क्या कमिटमेंट है ? आपको मेरे से जितनी प्रशंसा लेनी है, उसे ले लीजिए और जितना समर्थन है ले लीजिए । हम लोगों के साथ एक दिन सिकलसेल संस्थान का निरीक्षण कर लेते हैं, आप समय तय कर लीजिए । फाइलेरिया के लिये क्या है आप बोलेंगे । दूसरा, छत्तीसगढ़ में जिसे मैंने उठाया था, परिवहन में सड़क दुर्घटना का एक ध्यानाकर्षण लगता है, गृह विभाग में एक ध्यानाकर्षण लगता है, एक विषय आता है कि अंतर्विभागीय समिति बनी है, स्थानीय शासन में । मैं हमेंशा इस पक्ष में रहा हूँ कि इसके लिये एक ज्वाईंट एफर्ट्स होना चाहिये ।

ट्रामा अत्याधुनिक बने, सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना और मृत्यु छत्तीसगढ़ में हो रही है । अत्याधुनिक ट्रामा के बारे में आपका कोई दृष्टिकोण है तो कृपया उसको बताईये ? तीसरा, "हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनै सब विधि संता" ऐसा है वह । गामा कैमरा पेट स्कैन मशीन जो है आप उसमें जांच करवा रहे हैं । आप जांच करवाईये और दोषी को सजा दीजिए, लेकिन उसकी सजा मरीजों को मत दीजिए, उसका लाभ मिलना चाहिये । प्रक्रियाजनित जो भी त्रुटि हो, मैं मंत्री था । मैं जानता हूँ कि उसमें कहां पर त्रुटि है और कहां पर नहीं है और निर्देश हुआ, खरीदा गया । खरीदी की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है तो उसको साढ़े सात साल में ठीक किया जा सकता था ? एक कमिटमेंट की जरूरत है । चौथी बात यह है कि पी.जी. में और एनआरआई में और निजी कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिये, इसे कौन तय करेगा ? एनआरआई के नाम पर हम छत्तीसगढ़ में पी.जी.सीट खोल रहे हैं । छत्तीसगढ़ में पी.जी. के सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र के कोर्स की अनुमति ली थी, उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें छत्तीसगढ़ के लोग प्रवेश ले पायेंगे ? एनआरआई की परिभाषा कौन तय करेगा ? राष्ट्रीय परिभाषा में अगर चलेंगे या आपकी अपनी कोई परिभाषा है, आपके कोई निर्देश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन हैं कि एमसीआई के गाईड लाईन है, क्या हैं ? आज मैंने माननीय मंत्री जी को पूछा, स्किल डेवलपमेंट में कोई पालिसी बनायेंगे क्या, गीक वर्कर्स में कोई बात करेंगे क्या, दिल्ली में अभी नहीं बना है इसलिये हम नहीं बनायेंगे ? आऊटसोर्सेस में आप कुछ करेंगे क्या ? अभी दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे । हम देखेंगे क्या कर सकते हैं । अभी दो राज्यों ने तेलंगाना ने और महाराष्ट्र ने संभवत: नेतृत्व किया और एक पालिसी बना दी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी नहीं बनी है । हमको यदि कुछ एनोवेटिव करना है, अपनी परिस्थिति का निर्धारण हम करेंगे । हमारे यहां पेइंग कैपिसिटी कितनी है ? किस वर्ग के लोग बहुतायत में रहते हैं । कोई रिश्तेदारी नहीं, एक तो मैं मेडिकल एजूकेशन के निजीकरण का व्यक्तिगत तौर पर विरोधी आदमी हूँ, लेकिन आज समय की मांग है, जरूरत है और देश की नीति है मैंने इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर कहा है । फीस स्ट्रक्चर के बारे में राज्य का कोई दृष्टिकोण है कि नहीं है और एनआरआई की परिभाषा किसकी लागू होगी, उसमें राज्य का दृष्टिकोण क्या है, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत सम्मान करते हुए उनकी तारीफ कर रहा हूं, वे बहुत ही..।

श्री अजय चंद्राकर :- तारीफ ठीक से करिएगा, बहुत तारीफे काबिल आदमी हैं, कैपेबल आदमी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, वही तो कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अपन दोनों यहां पर इसीलिए हैं, तारीफ करना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब वे बहुत सक्रिय रहते हैं।

श्री कवासी लखमा :- वास्तव में दिल से कर रहे हैं या ऐसी ही?

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिए न तो। सभापति महोदय, मंत्री जी कई मेडिकल कॉलेज के मीटिंग में ले गए, मीटिंग में बैठे, वहां कुछ कमियां मिलीं तो उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड भी किया। उनके उत्साह को देखकर लगता है, वे स्वास्थ्य विभाग में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना भी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके उत्साह की भी सराहना करता हूं, आपके मेहनत की भी दाद देता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं बहुत ही व्यथित मन से आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। अब लगभग तीसरा बजट हो गया। मैंने आपसे एक छोटी सी मांग की थी, मुरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दीजिए। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बड़े-बड़े अस्पताल खुलवा चुके हैं और तीन साल में मुरू में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलना, मुझे बहुत दुख हुआ और उसको मैं सार्वजनिक रूप से बोलना चाहता हूं। अब मैं इसकी मांग भी नहीं करूंगा। आपकी इच्छा हो तो खोल देना, नहीं होगी तो मत खोलना।

माननीय मंत्री जी, दूसरी चीज, इस सदन में मैंने तखतपुर के सोनोग्राफी मशीन के बारे में ध्यानाकर्षण लगाया। आपने कहा था कि उसमें कार्यवाही करेंगे और सोनोग्राफी की मशीन को बदल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज तक उसमें कोई कार्यवाही हुई होगी तो मुझे भी अवगत करा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के ही किसी एक संस्था के द्वारा तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण किया गया है। अभी माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर वहां अस्पताल को शिफ्ट किया गया। कलेक्टर साहब के संग मैं भी वहां था। ना वहां रास्ता है, ना वहां ठीक से पानी का इंतजाम है। परंतु चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था तो वहां अस्पताल शिफ्ट हुआ है। अगर आप मुझे ये बता सकेंगे कि वहां सड़क है क्या? सड़क बन गई क्या? या नहीं बनी तो कब तक बनेगी? कब तक सोनोग्राफी मशीन बनेगा? आप मुरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेंगे या नहीं लेंगे, इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री के तखतपुर प्रवास पर उन्होंने 50 बिस्तर अस्पताल की घोषणा की थी, उसकी स्वीकृति आ चुकी है, भवन के लिए 9 करोड़ रूपए मंजूर हो चुका है। लेकिन तखतपुर में जो अभी CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वह जगह उतने बड़े अस्पताल के बनने के लायक है नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जवाब में ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो गरीबों के कल्याण के लिए 50 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति दी गई है, वह अच्छी जगह में बन सके, उसके लिए आप ये निर्देश देंगे क्या कि माननीय कलेक्टर बिलासपुर और हम सब जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में साइट सलेक्शन करें ताकि वह अस्पताल पुराने ही अस्पताल जहां पर वह बंद हो चुका है, ताला लटक चुका है, वहां पर उसका निर्माण हो सके। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी खंडहर में तब्दील ना हो जाए। जो निर्णय करना है, आप निर्णय लीजिए। वह बिलासपुर की जनता के

लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आपसे यही कह रहा हूं। हम तो आपके संग पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपके संग सहयोग करते हैं, आपके प्रति आस्था रखते हैं। हम आपके प्रति पूरा आदर भाव रखते हैं, आपके प्रति सम्मान रखते हैं। हम कभी उल्टे-सीधे ना तो प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मैं आपको दो लकीर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी-

यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं,

यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं,

और ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं।

और यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से

(साहिल मतलब नदी का किनारा होता है)

और सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं।(मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं मांग संख्या-19, 66, 79।

सभापति महोदय :- बहुत से हाथ उठ रहे हैं तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आपके क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको आप लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को दे देंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, हम लोगों ने लिखित में दिया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, मैंने लिखित में दिया है कि यह गंभीर समस्या है। हम लिख चुके हैं, पूरा लेटर पैड खत्म हो गया है।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हम तीन साल से लिखते आ रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सदन में घोषणा नहीं होए, यदि लिख के देबो तो 120 साल में नहीं होए।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- सभापति महोदय, एक अवसर दे दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, यह स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग की चर्चा है। हम सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं। सभी के पास कुछ न कुछ तकलीफ है तो तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना। जिन्होंने दर्द दिया है, वही दवा मांग रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, सबको एक-एक मिनट दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप इनके बाद बोलियेगा।

समय :

5.24 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री प्रणव कुमार मरपची :- अनुज भाई, जल्दी खतम करबे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सदस्य जी, सभापति जी का जैसा आदेश होगा, वैसा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 66, 79 के समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। बहुत विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है। बीमारों का सहारा, मेकाहारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा अस्पताल है। बहुत अच्छी बात यह है कि बीमारों का सहारा मेकाहारा और हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। माननीय मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, उनको साधूवाद दूंगा कि उन्होंने मेकाहारा अस्पताल में आमूल-चूल परिवर्तन लाया है, वहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लोग राजधानी रायपुर में इलाज कराने के लिए आते हैं तो मेकाहारा अस्पताल में बड़ी आस्था होती है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसमें उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं बढ़ायी हैं। कैंसर की भी बहुत अच्छी सुविधा वहां पर है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुष्मान भारत योजना पर बहुत सारी चर्चा हो गई है और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की बात भी हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक बढ़िया बात मुझे यह लगती है कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के 5,60,000 नागरिकों को वय वंदना आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा चुका है। यह बहुत बड़ी योजना है क्योंकि बीमारी हमेशा उम्र बढ़ने के साथ आती है। उन बुजुर्गों का ख्याल रखने का काम हमारी सरकार ने किया है, उनकी इलाज की व्यवस्था करने का काम किया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। विशेष सहायता योजना की बात करें तो हमारे क्षेत्र में एक जायसवाल जी हैं, उनकी बिटिया को ब्लड कैंसर हुआ और वह बार-बार जब भी मिलते हैं, जितनी बार मिलते हैं, इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक परिवार जो बहुत बड़े खर्च वाले इलाज को कराने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी की विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आती है तो कई परिवारों में खुशियों की लहर लेकर आती है। (मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अभी तक 1,134 ऐसे परिवार हैं, जिनको वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से लाभ मिला है। जब बड़े ऑपरेशंस होते हैं और लोगों को दिखता है कि अब खर्चा ज्यादा होने वाला है तब हमारा आयुष्मान कार्ड काम आता और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की बात होती है। लेकिन जब दवाइयों को खरीदने की बात आती है, तब उस अवसर पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ही काम आती है, जहां आपको कम दरों पर दवाई मिल पाती है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें 200 से अधिक तरह की सर्जिकल सामग्री और आयुर्वेदिक उत्पादों को भी शामिल किया गया है, यह उन परिवारों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा जो दवाई लेने जाते हैं या सर्जिकल आइटम लेने जाते हैं, जो महंगे होते हैं, उनको कम दरों पर यह प्राप्त हो सकेगा, मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन

करता हूं। यह हमारे प्रदेश वासियों के लिए बहुत बढ़िया योजना है, जिससे उनको सर्जिकल आइटम्स भी सही दाम में उपलब्ध हो सकेंगे। अभी 283 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, 30 केंद्र प्रक्रियाधीन हैं और 50 जन औषधि केंद्रों की स्थापना हेतु स्वीकृति हुई है। जितने ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे, उतनी ज्यादा सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सकेगी। छत्तीसगढ़ की पहचान हमारे जंगलों और हमारे आदिवासी भाई-बहनों से है। यहां ऐसे PVTGs हैं, उनके लिए पी.एम. जनमन योजना में 1 जनवरी, 2026 से मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) का संचालन हो रहा है। इसमें अभी 18 जिलों में 57 MMU संचालित हो रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2,160 PVTG बसाहटों में लगभग 2,29,400 की जनसंख्या में नियमित स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम हो रहा है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वहां उनको नि:शुल्क दवाएं मिलती हैं और हर 15 दिन में एक शिविर होता है।

सभापति महोदय, हमारे माननीय विधायक जी अभी उपस्थित नहीं हैं। वह कह रहे थे कि किडनी की बीमारी से बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ है, उनका निधन हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। अब गंभीर किडनी रोगों से ग्रसित मरीजों के डायलिसिस के लिए सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की गयी है। यह बहुत लोगों की जान बचाने वाली योजना है। लोग डायलिसिस कराने के लिए इधर-उधर घूमते थे, भटकते थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसमें भी पैसा लगता है।

श्री अनुज शर्मा :- जतका के टिकट लगत रहिस हे, अतका लगत हे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये, बोलिये।

(श्री आशाराम नेताम द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)

श्री अनुज शर्मा :- बोल रहे हैं, सब्र रखिये। आशाराम जी, धीर में खीर है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, खीर के बात आ गइस तो में हर कुछ बोलना चाहत हव यदि आपके आदेश होही तहान।

सभापति महोदय :- बोल लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- ओ हर वइसने साधू नो हे। साधू के परिभाषा होत हे चाल, चरित्र अउ चेहरा। तेला हमन दोहा में पारण।

"साधू के संगत कर ले अउ भोजन कर ले खीर हो,

अब वाराणसी में बासा कर ले, तो मरना हे गंगा तीर हो।"

ओ हर वइसने साधू नो हे, ओ हर असाधू हे।

श्री आशाराम नेताम :- मोर गुरू एक तो राम भगवान हे। आप मन राम कुमार अउ एक तो श्याम बिहारी। अब ओकर चेला का होही ते आप मन खुद जान लेवव।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय,

"विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए

लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, डायलिसिस की जो नि:शुल्क व्यवस्था हुई है, उसमें 32 जिलों में 191 डायलिसिस मशीनों का संचालन किया जा रहा है । यह प्रदेश की जनता को राहत देने वाली योजना है। यह उनके परिवार की परेशानियों में शामिल होकर उस परेशानी को दूर करने वाली योजना है। नित नए आर्थिक दबाव से बचाने वाली योजना है।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण काम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 284 लोगों को फिर से देखने का अवसर मिला है और उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह सिर्फ 57 प्रतिशत है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी इस विषय में जरूर विचार करें। लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिये ये प्रतिशत जितना ज्यादा बढ़े, उतना अच्छा होगा। वर्ष 2025-26 में अब तक मोतियाबिंद के 1 लाख 22 हजार 221 ऑपरेशन हुए हैं जो वार्षिक लक्ष्य का 68 प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रतिशत में भी बढोत्तरी होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये 60 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 47 को राष्ट्रीय स्तर का मानक सर्टीफिकेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह काफी बेहतर परफारमेंस है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही जो शेष हमारे केन्द्र हैं, वह भी इस सर्टीफिकेशन को हासिल कर लेंगे। सभापति महोदय, महतारी एक्सप्रेस, मुक्तांजलि शव वाहन की बात रहे थे। जब छत्तीसगढ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कालेज हुआ करता था और आज छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कालेज हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में उन्नयन करने के लिये जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरूआत की है। बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिये कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कालेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके संचालन के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हम लोग एक बडी समस्या का सामना करते हैं कि हमारे यहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन इन मेडिकल कालेज के खुलने के बाद ऐसे डाक्टर्स हमारे पास उपलब्ध होंगे। ये दूर की सोच होती है कि अपनी समस्याओं का परमानेंट निदान कैसे होगा, दूर की सोच कर इतने मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं ताकि हमारे पास डॉक्टर्स, विशेषज्ञ उपलब्ध हों। माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग कालेजेस 8 थे, वह 22 हो गये हैं और 5 नर्सिंग कालेज इस साल खुलेंगे। पूरे भारत में नया रायपुर स्थित सांई हॉस्पिटल की बड़ी प्रतिष्ठा है। जिन छोटे बच्चों को दिल की बीमारी होती है वह बड़ी हसरत के साथ रायपुर का नाम लेते हैं और अपने बच्चों का इलाज कराने के लिये यहां आते हैं। छोटे-मोटे, नन्हे-नन्हे बच्चों का इलाज कराने के लिये आते हैं। वहां की सुविधाओं को

समृद्ध करने के लिये, उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिये 25 करोड़ रुपये का इन्होंने पुण्य काम किया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिये बच्चों के लिये आप लोगों को भी मेजें थपथपानी चाहिए जो उस अस्पताल के उन्नयन के लिये उन्होंने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, नया रायपुर मे मेडीसिटी की स्थापना की जायेगी। सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधायें होती हैं, वह हमारी राजधानी रायपुर में हों, इसके लिये भी हमारी सरकार चिंतित है कि छत्तीसगढ़वासियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधायें मिलनी चाहिए। इस बार तो माननीय मंत्री जी ने सुदूर अंचलों की बहुत चिंता करते हुए बस्तर, सरगुजा में सुविधाओं के विस्तार के लिये विशेष प्रयोजन किया है। फिजियोथैरेपी कालेज, आजकल सब लोग फिजियोथैरेपी समझने लगे हैं, उसके महत्व को जानने लगे हैं। आज सभी को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है और तब हमें लगता है कि ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं। ऐसे में फिजियोथैरेपी कालेज एक के साथ सात प्लस होकर अब आठ फिजियोथेरेपी कालेज हो जायेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। ये समय के साथ चलने वाला निर्णय है। ये समय के चलने वाली पहल है। नर्सिंग कालेजेस 14 से 22 हो रहे हैं, 5 इस बार और होंगे। एक महत्वपूर्ण बात होम्योपैथी कालेज की इस बार स्थापना हो रही है। क्योंकि जिनका जिस पद्धति में विश्वास है, उस पद्धति के विशेषज्ञ हों। कई नेचुरोपैथी में यकीन करते हैं, कोई आयुर्वेद में यकीन करते हैं, होम्योपैथी से भी ईलाज कराने वाले बहुत बड़े वर्ग के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ विशेष बातों को जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 2000 करोड़, 25 से अधिक एस.एच.सी., पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. के लिये भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिये भवन निर्माण, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, रामनगर, रायपुर तथा कुण्डा, कबीरधाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन तथा भवन निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर में 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिये सेटअप, इस तरह की बहुत सारी चीजें इस बजट में प्रावधानित हैं । माननीय सभापति महोदय, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिये सेटअप, बिलासपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रायपुर में जो दबाव है वह निश्चित रूप से बिलासपुर क्षेत्रवासियों के लिये बहुत लाभप्रद होगा । मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, जशपुर के संचालन के लिये सेटअप ऐसे ढ़ेर सारे प्रावधान इस बजट में हैं ।

माननीय सभापति महोदय, अब समय को देखते हुए, इससे पहले कि आप यह कहें कि हमारे बहुत सारे साथी विधायकगण अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सलाह जरूर देना चाहूंगा और हमारी कुछ मांगें हैं, मैं वह भी माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा । माननीय

मंत्री जी से एक आग्रह है कि रीएजेंट जैसे जो घोटाले हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसा नजीर प्रस्तुत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सबके जीवन की बात है । एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ गये । मैंने एक सवाल लगाया था, नर्सिंग कॉलेजेस तो हैं लेकिन उनके संचालन में अव्यवस्थाएं हैं, उसमें कमियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है क्योंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ी ही सर्विसेस हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो जिससे वहां जो पढ़ने, समझने और सीखने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग सही हो । कई कॉलेज हैं जहां प्रिंसिपल ही नहीं हैं तो इन बातों की कमियों को दूर जरूर करना चहिए, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । एक बात और कि कल जो चर्चा हुई, मैं फिर से आग्रह कर लेता हूं कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सभी को आयुष्मान कॉर्ड पर ईलाज करना चाहिए । माननीय मंत्री जी से मेरा एक और आग्रह है कि अब भविष्य में जो भी उपकरण लिये जायें उनका मेंटेनेंस, उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमत क्या है, यह जानकर करें क्योंकि कई बार मुर्गा से ज्यादा का मसाला हो जाता है । (हंसी) तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जो भी उपकरण लिये जायें ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- महाराज हा तो मुर्गा खाए नइ ।

श्री अनुज शर्मा :- मैं जानथओं तो ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अइसे कइसे कह सकत हस नइ खावए महाराज, खाथे-खाथे ।

श्री रामकुमार यादव :- अइसे बात हे भैया, आजकल हमन सब छोड़ दे हन, महाराज मन शुरू कर दे हावा । (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- मैं खावओं तो नहीं, जानथओं जरूर ।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार, खावए नइ सुरवा तो पी ले थे न ।

श्री अनुज शर्मा :- मैं खावओं नइ, जानथओं जरूर । मैं अब ये विषय में तो जेन बात हाना हे तेन ला मैं कह सकत हंओं ।

सभापति महोदय :- अनुज जी, अब समाप्त करिये ।

श्री अनुज शर्मा :- जी, मैं समाप्त कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चाईना जैसा देश अपने एवरेज हाईट को बढ़ाने में सफल रहा है । जब चीन के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उस देश की एवरेज हाईट कम है तो उन्होंने ऐसे प्रयास किये और अपने देश की एवरेज हाईट बढ़ायी । हमारे प्रदेश की एक प्रमुख समस्या कुपोषण है ।

आपके विभाग से भी संबंधित है लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है, सभी के स्वास्थ्य की चिंता करने की हमारी जिम्मेदारी है तो इस बारे में जरूर विचार करें, ऐसी कोई योजना होनी चाहिए, जो यहां के कुपोषण के दर को ज्यादा रेट से कम कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मांगें हैं उसके विषय में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, क्या हुआ तेरा वायदा, ओ कसम ओ इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। आपने मुझे एक वायदा किया था कि आप मेरे यहां एक एनिस्थिसिया के विशेषज्ञ को भेजेंगे ताकि मेरे यहां ऑपरेशन हो सके।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपो मन ला भूला जथे।

श्री अनुज शर्मा :- मैं आपसे आग्रह करत हौं कि जो वायदा था, वायदा तेरा वायदा, आप ला ओ वादा ला याद दिलात हौं। मुझे धरसींवा में एक एनिस्थिसिया के विशेषज्ञ की जरूरत थी और मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए, धरसींवा के अस्पताल का 50 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन किया है, मैं उसके लिए आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने हमारे केन्द्र को एन.आर.सी. भी दिया है, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र में धरसींवा अस्पताल बहुत अच्छा परफार्म कर रहा है। नगर पंचायत खरोरा, हमारा ऐसा केन्द्र है जहां 80 से 90 गांव का केन्द्र है, लेकिन वहां के अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसको कम से कम 100 बिस्तर का अस्पताल बना दें, क्योंकि वहां पर फोर लेन आने वाली है, आपको ट्रामा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। बलौदा बाजार और रायपुर के बीच में खरोरा ही बड़ा केन्द्र होगा, वह अस्पताल लोगों की जान बचाने के काम आने वाला है। मुझे स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मुझे सेटअप चाहिए, वहां हमारे पास बिल्डिंग उपलब्ध है, लेकिन उस अस्पताल के उन्नयन की आवश्यकता है मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि खरोरा के अस्पताल के उन्नयन की जरूर कृपा बरसायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरे रायपुर जिले में जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं दुर्भाग्य से धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसलिए हमें और अच्छे स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, अच्छे ट्रामा सेंटर की आवश्यकता है। ताकि लोगों का ईलाज हो सके। मैं एक बात के लिए माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों की ऑन दी स्पॉट डेथ हुई थी, लेकिन यह भी बात थी विथइन 30 मिनट हमारे एम्बुलेंस ने उस स्थान से जीवित और मृत सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। वहां स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा। उन्होंने ऐसा भी काम किया है तो उसके लिए अभिनंदन के भागीदार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, मेरी बहुत सारी मांगे हैं। फरहदा में आयुष्मान आरोग्य केन्द्र में अहाता निर्माण की जरूरत है। पिरदा, ताड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, बड़रभट्टा, बुड़ेरा, मोहरेंगा, तिल्दाडीह, परसदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। अगर आप इनको भी नोट कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी और इस पर कुछ कृपा बरसा दें तो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी सौगात हो जाएगी। मैं अंत में माननीय मंत्री जी के लिए दो लाईन जरूर समर्पित करूंगा। आप स्वास्थ्य का रखो ध्यान, तभी बनोगे तुम सबसे महान। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- मैं सब का ख्याल रखूंगा। माननीय मोहले जी आप सिर्फ मांग कर लीजिएगा।

श्री रामकुमार यादव :- आप केवल थैरेपी सेंटर की मांग कर लीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि पुराने विधान सभा भवन में उस समय अशासकीय संकल्प लाया था जिसमें मुंगेली जिले जो आदर्श चिकित्सालय है वहां विधान सभा में दोनों पक्षों ने सर्वसम्मति से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पास हुआ था। वह जो प्रस्ताव है। अब प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खुल गये हैं। मेरा मुंगेली जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है बस्तर में भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, पर मैं यह जरूर जिक्र करूंगा कि मुंगेली जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति अपने वक्तव्य में करेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- बिना भूमिका के अपने क्षेत्र की मांग कर लीजिए ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरे गृह ग्राम तेलगरा की बात रखना चाहूंगी । वहां मेडिकल कॉलेज खुल गया है, पर मुझे पता चला है कि वह मेडिकल कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बन रहा है । विभाग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं आया है । मैं चाहती हूं कि बजट में जल्दी से जल्दी जुड़वाकर राशि का प्रावधान कराएं तो कम से कम वहां हॉस्पिटल खुल जाये । मैंने आपको कई बार अवगत भी कराया था कि चारामा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है । चारामा और भानुप्रतापपुर में सोनोग्राफी मशीन रखी हुई है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी के कारण वह मशीन शुरू नहीं हो पा रही है तो मैं जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा किया जाये । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- सीधे मांग में आ जाईएगा । समय बचाना है, अभी कई विभाग की चर्चा है ।

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2024-25 के बजट में स्वीकृत 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों में से सरल क्रमांक 3 में मेरे विधान सभा क्षेत्र का ग्राम निकुम भी शामिल है । उक्त आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन कर 5 पदों का सेट-अप स्वीकृत है । उक्त सेट-अप का प्रशासकीय स्वीकृत कराने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र की जनता को गुणवत्तापूर्ण आयुष चिकित्सा सेवा प्राप्त हो सके । साथ में हमारे क्षेत्र में ग्राम अण्डा है, उसकी जनसंख्या 35 हजार के आसपास है । वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृति की मांग करता हूं, उसको भी आप प्रदान करेंगे ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोटा विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग करीब साढ़े तीन साल से बन रही है और वह बिल्डिंग अभी तक नहीं पूरी नहीं हुई है । सीजीएमएससी की संस्था है, जो काम करा रही है । उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए । मैंने पिछले बार भी आपसे निवेदन किया था कि रतनपुर से पेड्रा-गौरेला तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, जहां अधिकतर दुर्घटनाएं होती है तो मैंने दो एम्बुलेंस की मांग की थी । एक एम्बुलेंस केंदा में और एक आमागोहान में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो मरीजों को सुविधा प्रदान हो जाएगी । पिछले बार एक बस पलट गई थी तो करीब ढाई घंटे बाद लोगों को सेवाएं मिल पाई थी । तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर केंदा में कर दी जायें तो लोगों को सुविधा होगी ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ मांग रखूंगा। मेरे यहां वनांचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दो साल से खुला हुआ है, जिसका संचालन डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से होता है, वहां कुछ डॉक्टर और कुछ कर्मचारी वहां बैठते हैं । मैंने विभाग को लगातार पत्र लिखा, उसके बाद में मैंने माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया कि उनका क्या जवाब आता है, देखते हैं। फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय को भी पत्र लिख दिया ।

सभापति महोदय :- एक मिनट । आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री दलेश्वर साहू :- वनांचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान हुई तो मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी कि इसका भवन बना दिया जाये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जगह का नाम बता दीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- मेरी मांग है, दूसरा विषय नहीं है ।

सभापति महोदय :- सीधे मांग कर लीजिए न ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय मंत्री जी अपना प्रयास करते थे, पर वित्त विभाग उनको अनुमति नहीं देता था । हो सकता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा तो कुछ संभव हो जाये, फिर मैंने राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा, फिर राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखा । मेरे पास तीनों का पत्र आया कि हमने निर्देशित कर दिया है, पर विभाग ने कुछ नहीं किया । मेरे पास तीनों के पत्र हैं, मेरे पास प्रधानमंत्री जी का भी पत्र है, राष्ट्रपति जी का भी पत्र है, राज्यपाल जी का भी पत्र है, पर प्रश्नों के जवाब में उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कोई पत्र नहीं आया है । मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि आप आज सदन में उसकी घोषणा करेंगे क्या ? तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी की बातें रह जाए ।

सभापति महोदय :- जगह का नाम बता दीजिए न ।

श्री दलेश्वर साहू :- राजनांदगांव जिला के बोरतलाव । डोंगरगढ़ विकास खण्ड में दो साल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला हुआ है ।

सभापति महोदय :- जल्दी-जल्दी बोलिए, मैं सबको समय दे रहा हूं ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ मांग रख रहा हूं । मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पचपेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया है । मैं यह चाहता हूं कि वहां बिल्डिंग का निर्माण हो जाये । एक मिनट, जल्दी-जल्दी बोलता हूं । वहां पर पोस्ट मार्टम की भी व्यवस्था हो जाये क्योंकि नीचे बेल्ट वाले को मस्तूरी आने में दिक्कत होती है। जोंधरा वालों की मांग है। धनगवां में उप स्वास्थ्य केन्द्र की वर्षों से मांग है। सीपत में जो सौ बिस्तर का अस्पताल बन चुका है। जिसकी मांग आपने भी रखा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सीपत में एक सौ बिस्तर अस्पताल का सेटअप हो जाये। वह खण्डहर हो चुका है। ओखर उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम्बुलेंस की मांग है।

सभापति महोदय :- आप जो भी मांग कर रहे हैं, कौन से गांव में क्या चीज है, उसको ठीक से बोलिये तब मंत्री जी सुनेंगे और अधिकारी भी नोट करेंगे। अपने-अपने में बोल लोगे तो क्या जानेंगे कि क्या मांग हो रहा है।

श्री दिलीप लहरिया :- जी। ओखर, उप स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बलेंस, सीपत में सौ बिस्तर का अस्पताल का सेटअप हो, धनगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र हो, पचपेड़ी में बिल्डिंग और वहां एक मरच्यूरी यानी पोस्ट मार्टम घर बन जाये। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। यहां जो अनुदान मांग प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय :- आपको समर्थन नहीं करना है, सिर्फ अपनी मांग रखना है।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्वक नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमतापूर्वक प्रदान करने के लिए दृढ़संकल्पित है। मुझे बोलने दीजिये, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना अन्तर्गत चिन्हांकित श्रेणियों के परिवारों तथा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक नि:शुल्क ईलाज प्रदान किया जा रहा है। राज्य के शेष राशनकार्डधारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष, प्रति परिवार को 50 हजार रूपये तक ईलाज आयुष्मान के माध्यम से नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा है। आज दिनांक तक राज्य के 2.47 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा चुका है, जो कि 91 प्रतिशत है। साथ ही प्रदेश में 70 वर्ष और अधिक आयु के 5.6 लाख नागरिकों आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत आज दिनांक की स्थिति में कुल 1,633 अस्पताल, शासकीय 1038 एवं निजी 595 पंजीकृत है। योजना के माध्यम से वर्ष 2025-26 में अब तक ..।

सभापति महोदय :- साहू जी हो गया। समर्थन हो गया। उनको आपका समर्थन मिल गया।

श्री ईश्वर साहू :- मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- उसी को रखिये, करके आपको बताया हूं।

श्री ईश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में, मेरे साजा विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर्स और एम्बुलेंस की कमी है। साथ ही साथ मेरी जन्मभूमि बिरनपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृति दे देते तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी होती।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री ईश्वर साहू :- सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिये। मैं अंत में कुछ कहना चाहूंगा। खासकर हमारे विपक्ष के साथियों के लिए, जैसा कि संगीता दीदी बहुत कुछ बोल रहीं थी कि इसमें कमी है, उसमें कमी है, 500 करोड़ की राशि आयुष्मान में नहीं दिया गया है। वह बहुत सी खामियां निकाल रही थीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहे लपटाय, जिसप्रकार 5 साल कांग्रेस की सरकार शासन में थी, सिर्फ वही था कि मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहे लपटाय जैसे सत्ता हाथ से

निकल गया तब क्या, हाथ मलय और सिर धुनय लालच बुरी बलाय। तब उन्हें याद नहीं आई, अभी सब चीज याद आ रही है। (मेजों की थपथपाहट) मैं अपनी सरकार के लिए भी कहना चाहूंगा।

'जिन्दगी एक कांटों भरा सफर है, हौसले उसकी पहचान है।

रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ता बनाये, वही इंसान है।' (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह निषाद जी, आप अपनी मांग रख लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- जी, माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के मांग में न पैसा में जाथौं, न कहीं जाथौं, मैं सीधा-सीधा अपन मांग में आथो।

सभापति महोदय :- बस-बस सीधा आप अपने क्षेत्र की बात करिए और नाम जोर से बोलिएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेन बजट में बहुत अकन रखीं कि नवा स्वास्थ्य केंद्र के खोलवात हो करके। लेकिन मैं लगातार तीन साल से अपन क्षेत्र के नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र बर दे रहौं, मैं नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र राहुद बर, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र तमोरा, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र जेवरतला रोड बर, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र बरबसपुर बर, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र सरेखा बर और नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र ओड़ारसकरी बर, लेकिन एको ठन अभी तक स्वीकृति नहीं होए हे। तीन साल से लगातार मांग करत हंव माननीय सभापति महोदय और साथ ही माननीय मंत्री जी बीच में मोर क्षेत्र में दौरा में गे रहिन। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन्दा भी गे रहौ और आप ला भी लगातार दो-तीन बार पत्र के माध्यम से भी और स्वयं मंत्री जी वहां गे हे तो देख के आए रहिस। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करत माननीय सभापति कि अर्जुन्दा में स्टाफ बर स्वास्थ्य के भवन होए तेकर बर दो यूनिट भवन के मांग करत हो और साथ ही मर्चुरी और बाउंड्री वाल। माननीय मंत्री जी, मर्चुरी और बाउंड्री वाल और साथ ही आप देवरी भी गे रहे हो और देवरी जेन सी.एच.सी. हे।

सभापति महोदय :- सुनिए न, बड़ी-बड़ी मांग कर लीजिए, बाउंड्री वाल को तो आप लिखकर दे देना।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- स्टाफ क्वार्टर, बाउंड्री वाल वाल मांगत वहां बर, देवरी बर और साथ ही जेन 11 ठोक मोर यहां पहले उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन स्वीकृति होये रहिस, जेमे 4 अधूरा हे और 6 ठन के अभी राशि जारी नहीं होए हे। 11 ठन जेन भवन है तेकर संबंध में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करत हो।

सभापति महोदय :- नहीं हो गया, आप दे दीजिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं तो मैं पढ़ देथौ नहीं तो भुला जाही।

सभापति महोदय :- उसको लिख के दे दीजिए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नाम भर ला पढ़ देथौं बस। दे डरे हव गा।

सभापति महोदय :- हां, पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़िए फिर।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जेन चार ठन उप स्वास्थ्य केंद्र जेकर भवन निर्माण हो गे अधूरा है: हल्दी, सिब्दी, भोथिपार और बिरेतरा, ये चार ठन अधूरा हे और ये सात ठन के पैसा अभी तक जारी नहीं होए- मनकी, पिनकापार, हडगहन, गहिरा नवागांव, देवरी, अचौद और चिचबोड़। ये भूमि पूजन हो गेहे, लेकिन अभी तक एकर पैसा जारी नहीं होए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन करथव।

सभापति महोदय :- बघेल साहब।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- सभापति महोदय, मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है, आपके कार्यकाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजावंड में खुला है, लेकिन वह भवन के अभाव में थोड़ा यहां-वहां भटक रहे हैं। सारे डॉक्टर भी आ गए हैं, सभी स्टाफ भी, तो ये भवन के बारे में थोड़ा मैं लिखा भी था, नहीं हुआ है। एक स्वास्थ्य केंद्र को उप स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन के लिए सारी प्रक्रिया लिखकर सब रिपोर्ट आयी है, वह भी नहीं आई है जैतगिरी में, उसको भी थोड़ा दिखवा देंगे। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र मटनार और नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ेदेवड़ा दो जगह अति आवश्यक है, उसको देख लेंगे धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री इंद्रशाह मंडावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मोहला मानपुर चौकी जिला में मोहला में एक भी विशेषज्ञ नहीं है तो विशेषज्ञ की मांग कर रहा हूं और वहां पर गोटा टोला में पी.एच.सी बन गया है पर उसका उद्घाटन नहीं हुआ है और तीन एम्बुलेंस की मांग करता हूं- गोटाटोला, खड़गांव और औंधी में, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मरपची जी।

श्री भोलाराम साहू :- यहूं डाहर ला देख लो सर।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग भी रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- भोलाराम जी बहुत सीनियर एम.एल.ए. हैं, मैं देख रहा हूं।
मरपच्ची जी मरवाही के हैं थोड़ा आदिवासी क्षेत्र के हैं।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा मरवाही के लिए 50 बिस्तर के हॉस्पिटल के लिए घोषणा किया गया था, लेकिन वह आज तक बजट में नहीं आ पाया गया है, नहीं आया है। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट बजट में या उससे पहले भी हो जाए तो स्वीकृति दिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और दूसरी मेरी एक मांग है मरवाही हॉस्पिटल के लिए दो एम्बुलेंस। साथ ही साथ एक समस्या जो जिला हॉस्पिटल गौरेला का है, वहां पर पार्किंग के लिए जो आते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगा।

सभापति महोदय :- ये छोटी-छोटी समस्या मत बताइए बड़ी समस्या बताइए।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय सभापति महोदय, और एक मांग है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय की मैं मांग करता हूं, इसको नोट कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान नहीं है।

सभापति महोदय :- वे पूरा नोट कर रहे हैं।

श्री प्रणब कुमार मरपची :- जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की मांग है।

सभापति महोदय :- ठीक है। भोलाराम जी।

समय :

6:00 बजे

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैंने पिछली बार माननीय मंत्री जी के विभाग में प्रश्न लगाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खुज्जी के विकासखण्ड छुरिया के ग्राम भोलापुर में भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन सेटअप नहीं होने के कारण वह बंद पड़ा हुआ है। तीन साल पहले से वह भवन बना हुआ है, लेकिन वहां सेटअप नहीं हुआ है, जिसके कारण वह ताला लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मार्च के बजट में उसको सम्मिलित करके उसका सेटअप बनाया जाएगा, लेकिन इस बजट में उसका उल्लेख आया ही नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां का सेटअप बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि छुरिया विकासखंड के चिचोला और रंगीटोला में हमेशा डिलीवरी का केस ज्यादा आता है। वहां एम्बुलेंस की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, हमारे छुरिया विकासखंड के चिचोला में एक एम्बुलेंस उपलब्ध करा दीजिये। मंत्री जी, आप सुन नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय :- वह सुन रहे हैं, भाई। आप बोलिए ना।

श्री भोलाराम साहू :- मैंने उनको बोल दिया है कि वहां एक एम्बुलेंस चाहिए और उन्होंने ग्राम भोलापुर में सेटअप की घोषणा की थी। मंत्री जी, इसलिए कम से कम आप उसकी घोषणा करके उसकी शुरुआत करवाइये, यही आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय :- बेमेतरा विधायक साहब।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहिली छत्तीसगढ़ ला स्वस्थ करे बर माननीय मुख्यमंत्री अउ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अतेक सुघ्घर ढंग से बहुत सारा योजना लेकर के आए हे। इहां बहुत सारा मेडिकल कॉलेज हे, नर्सिंग कॉलेज हे, फिजियोथेरेपी कॉलेज हे, ओकर लिए ओमन ला धन्यवाद ज्ञापित करत हंव।

सभापति महोदय :- आप मांग करिये।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय, मांग के विषय नहीं हे। माननीय मंत्री जी जेन वादा करे रहीस हे अउ जेन घोषणा कर रहीस हे, ओ विषय ला आपके सामने रखना चाहत हंव। बेरला विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मांग हे, जेन बहुत जर्जर के स्थिति में हे, बहुत पुराना हो चुके हे अउ साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र अतरगढ़ी, संडी, भेड़नी, उपरा, सिलघट, छोटमर्रा, खमरिया, कीरीतपुर अउ साथ-साथ भिंभोरी जेन नवा नगर पंचायत बने हे, ऊहां नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी मांग हे। माननीय मंत्री जी, आपके बेमेतरा आपके आगमन हो रहीस हे ता आप बेमेतरा जिला अस्पताल ला 200 बिस्तर अस्पताल मा उन्नयन करे के घोषणा करे रहे हौ। साथ-साथ आप बेमेतरा के हमर बहनी मन ला बी.एस.सी नर्सिंग के भी सुविधा वहां पर प्राप्त होही, ये भी बात आप कहे रहे हौ।

सभापति महोदय :- आपकी मांग क्या है, यह बताइए ना? वह क्या बोले थे, उसको छोड़िए।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय, मेरी यही मांग है कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी। साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरबीजा, दारगांव अउ भिंभोरी में एम्बुलेंस की मांग करता हूं।

सभापति महोदय :- इनके बाद पटेल साहब, उत्तरी जांगड़े जी बोलेंगे।

श्री दीपेश साहू :- मांग माननीय मंत्री जी, साथ ही मैं आपसे देवरबीजा, गुधेली और सरदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ क्वार्टर की मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- पटेल जी, आप बोल लीजिये।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय जी, आज प्रश्नोत्तरी के 9 नंबर पर मेरा प्रश्न भी लगा था, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पाया था।

सभापति महोदय :- पटेल जी, आप मांग कर लीजिए।

श्री प्रेमचंद पटेल :- माननीय मंत्री जी, जो कटघोरा मुख्यालय है, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, स्टाफ एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैंने मांग की थी। वहां पर प्रभारी बी.एम.ओ के सहारे चिकित्सालय का संचालन हो रहा है। वहां स्थाई बी.एम.ओ की कब तक की नियुक्ति होगी? मंत्री जी के उत्तर में आया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया जायेगा, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। 100 बिस्तर सिविल अस्पताल के निर्माण के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय स्वास्थ्य महोदय जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

सभापति महोदय :- कुछ मांग है?

श्री प्रेमचंद पटेल :- मांग है।

सभापति महोदय :- तो बोलो ना। (हंसी)

श्री प्रेमचंद पटेल :- सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि वहां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वह 100 बेड में मर्ज हो जाएगा? क्योंकि अन्य जगह पर अभी संचालन है, वह दूसरे जगह पर होगा और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदीबाजार है, उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने के लिए मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी । कुछ मांग है ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ) :- माननीय सभापति महोदय जी, सारंगढ़ विधान सभा से लगे हुये 5-7 किलोमीटर दूर में बासीनबहरा गांव है, ऊँहा के मन धरना में बइठे रहिसे । मैं वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र के मांग करथ हंव । माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह हे कि आप ला भी लेटर पेड म दे रेहे हंव । एक बार मांग करे रेहेव ना, वोमा भी आप मन कुछ ध्यान नइ देव । अब ध्यान दे दुहू । सभापति महोदय, मोर एक ठन अऊ हे । कोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 महीना से डॉक्टर नइ हे । वोहा अनुसूचित जाति क्षेत्र हे, हर रोज मरीज मन आथे । ऊंहा डाक्टर के बहुत कमी हे । ऊँहा डॉक्टर के व्यवस्था जल्दी कर देतेव त अच्छा होतिस। अनुसूचित जाति के मरीज मन बहुत आथे अऊ डॉक्टर के कमी हे । डॉक्टर के व्यवस्था जल्दी कर देतेव त अच्छा होतिस । मुख्यमंत्री जी के कोसीर में घोषणा रहिसे, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एला भी आप मन उन्नयन कर देतेव त बढ़िया रहितिस, काबर की वो क्षेत्र मा बहुत ज्यादा मांग हे ।

सभापति महोदय :- श्री आशाराम नेताम । आप भी मांग कर लीजिए ।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- सभापति महोदय, हां मैं मांग कर रहा हूँ । जो पिछड़ा वर्ग बालक-बालिका का हॉस्टल है, वह 100 बेड का है उसे 200 कर दें । यह मांग है ।

सभापति महोदय:- आप इधर देखकर बताईये । समय कम है कई लोग बोलने वाले हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, हमारी मितानिन बहनों का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, समय समय पर उनकी चिन्ता रहती है कि दवाई की व्यवस्था हो जाये । उसके बाद हमारे जिले में जेनेरिक दवाई पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाये, क्योंकि बस्तर से भी कांकेर आते हैं । उधर पखांजूर से भी हमारे कांकेर मुख्यालय में जो हॉस्पीटल हैं, वहां भी लोग आते हैं और भटकते रहते हैं । जो 108 है उसका सरलीकरण कर दें । 108 दबाने से कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, वह स्पष्ट हो । जैसे ही हम लोग 108 लगाते हैं, उसमें कम से कम 5 मिनट में जवाब आ जाये । अभी एक्सीडेंट में मेरे सामने ही एक व्यक्ति की जान देर होने से चली गई । 108 को बुलाने के बाद 1 घण्टा हो गया, लेकिन समय पर 108 नहीं पहुंचा । इससे मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ । मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि 108 का सरलीकरण हो और वह आसानी से उपलब्ध हो जाये । मैं ऐसा चाहता हूँ । हमारे मंत्री जी बहुत गंभीर मंत्री है । हमेंशा चिन्ता करते रहते हैं ।

सभापति महोदय :- अब उनको बोलने दीजिए । दो मिनट आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लेना ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ दो मांगे हैं । मेरे सामरी विधान सभा में 3 विकासखंड आता है । वहां पर एक भी शव वाहन नहीं है । आज अतारांकित में क्वेश्चन लगाई थी, लेकिन मुझे तीनों विकासखंड में एक शव वाहन चाहिये । हमारे कुसुमी में सीजीएमसी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन रहा है, वह दो साल से बन रहा है । वहां पर मैंने बात की तो राशि कम होने से काम रूका हुआ है, यह मुझे अवगत कराया गया है । सभापति महोदय, मेरी एक और मांग है कि हमारा राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह अति जर्जर है लेकिन वह सेंट्रल जगह पर है । मैं उसके मरम्मत के लिये मांग रखती हूँ । धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आप बोलेंगे, फिर अंबिका जी आप बोल लेना । श्री विनायक गोयल ।

श्री विनायक गोयल (चित्रकोट) :- सभापति महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से मांग है कि मेरे विधान सभा में मेडिकल कॉलेज में सामुदायिक शौचालय की अति आवश्यकता है, परिवार के साथ जो मरीज जो आते हैं, उसके लिये मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सामुदायिक शौचालय की जरूरत है । हमारे यहां सफाई कर्मी जो है, वह बाम्बे कंपनी, शेडो कंपनी से चला रहे हैं वह बाहर के ठेका में चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसे लोकल स्थानीय लोगों को दिया जाये ताकि उनको रोजगार मिले। इसके साथ ही एक और मांग है कि बास्तानार स्वास्थ्य केन्द्र में सामुहिक शौचालय की आवश्यकता है । आदिवासी अंचल में हॉस्पीटल आता है, ऐसे लोग शौच करने बाहर जाते हैं । हॉस्पीटल में शौचालय की मांग है । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- ठीक । अंबिका जी ।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे सिहावा विधान सभा में बेलर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो कि जर्जर है । वहां पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये । दूसरी बात, 35 किलोमीटर दूर बोरई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला हुआ है, लेकिन वहां पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, स्टॉफ नहीं है, सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है । माननीय मंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान देते हुये स्टॉफ की व्यवस्था करेंगे ।

सभापति महोदय :- खैरागढ़ एमएलए ।

श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अभी एक महीने पहले हमारे खैरागढ़ विधानसभा आए थे और वहां बहुत सारी घोषणा भी की हैं। मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं, मैं विधानसभा में प्रश्न भी लगाई थी, वहां एम्बुलेंस की जरूरत है, चार एम्बुलेंस है, आज भी चार ही है। मंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं एक और भिजवा दूंगा, अभी तक चार ही एम्बुलेंस है, मैं एम्बुलेंस की मांग करती हूं। मैं खैरागढ़ सिविल अस्पताल को सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करने की मांग करती हूं। सिविल अस्पताल में महिला डॉक्टर की भी मांग करती हूं। मंत्री जी एन.एच.एम. के 100 पद की भर्ती के लिए जो घोषणा करके आए हैं, उनको भी आप जल्दी से करिए। मैं छुईखदान नगर पंचायत में ब्लड बैंक की मांग करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज जी।

श्री प्रबोध मिंज (लुंड्रा) :- सभापति महोदय, सभी लोग मांग रहे हैं तो मैं भी कुछ मांग लूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। एक विषय पर सभी लोगों की मांग आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पी.एच.सी., सी.एस.सी. हैं, वहां डॉक्टर की पोस्टिंग होती हैं लेकिन रहना नहीं चाहते। कम से कम हॉस्पिटल बिल्डिंग के साथ-साथ वहां डॉक्टर्स क्वॉटर या स्टाफ क्वाटर्स बने ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वह जाएं तो उनको सुविधा मिल जाए, वे लोग बिना सुविधा के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ये निवेदन था, ऐसी जगहों पर डॉक्टर्स क्वॉटर बनाए। दूसरी बात, हमारे यहां दरीमा में सी.एस.सी. बिल्डिंग बहुत दिनों से बन रही है, उसको भी जल्दी बनवाएं। अंबिकापुर से लगा है तो उसमें कुछ मरीजों की संख्या बढ़ेगी। हमारा लुण्ड्रा विधानसभा मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय भी है लेकिन वहां कोई भवन नहीं है। मैंने सुना था कि तोप मांगों तो कम से कम बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। (हंसी) मैंने सिविल अस्पताल मांगा था, पूरी प्रक्रिया में सब आया था, मंत्री जी ने सिफारिश भी की थी, मैं सोच रहा था 100 बिस्तर न मिले तो कम से कम 50 बिस्तर हमारे लुण्ड्रा में मिल जाए। माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है उसको स्वीकृत करें।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय मंत्री जी, आपको बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- सीधे मांग कर लीजिए।

श्री रोहित साहू :- जी, मंत्री जी आपने गरियाबंद जिले में 100 बिस्तर की हॉस्पिटल दी है, कुछ और मांग है। राजिम नगरपालिका है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। माननीय महोदय मैं निवेदन करूंगा, राजिम नगरपालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन हो जाए। अभी कोपरा नगर पंचायत बना है कुछ ही दिन हुए हैं, हमारी सरकार आने के बाद बना है, एक, दो साल हुआ है । उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं। छुरा हॉस्पिटल जो वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है, वहां अगर लाइट अगर चली जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, वहां आप एक जनरेटर की स्वीकृति करवा दें ताकि हमारे वनांचल क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को उसका फायदा हो जाए। फिंगेश्वर में ओटी रूम बंद हुआ है, एक महिला विशेषज्ञ डॉक्टर रिजाइन दे दी है तो वहां एक डॉक्टर की भी व्यवस्था करवा दीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष आग्रह है। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी। शार्टकट में बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल, बिल्कुल। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी कर ग्राम पंचायत जमगहन जो स्वयं मोर गांव ए, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्ताव भी आए रिहिस हे, आपके माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत जमगहन में खोला जाए। दूसरा चंद्रपुर धार्मिक नगरी ए, वहां सब दर्शन करे बर जाथे वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हे ओला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मांग करत हौं। तीसरा, डभरा और मालखौदा में एम्बुलेंस के मांग करत हंव, क्योंकि कंपनी हे, वहां आए दिन बहुत सारा एक्सीडेंट होत रथे, वहां ले जाय आय बर बहुत दिक्कत होथे। मोर नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठे हे, हमर नेता प्रतिपक्ष ह जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खुलवाए रिहिस हे, अब वो कट के सक्ती बन गिस। भाई हमरो सदन के नेता जी ए, तो आपसे निवेदन है कि सक्ती में मेडिकल कॉलेज बना दो ताकि हमन याद करबो हमन नेता जी के कहे मां खोले रिहिस करके, बस अतके मांग करत हंव। ओ लिखत हो तेला खोलिच दिहा भई।

सभापति महोदय :- ब्यास जी।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, सबको दे रहे हैं तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपने क्षेत्र की बात कह दूं। ब्लॉक मुख्यालय में उप स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ संचालित है, उसके अहाता को बना देते तो बेहतर रहता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में है। बरगांव गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, बिल्डिंग बनी बनाई है परंतु वहां चिकित्सीय व्यवस्था नहीं हो पाती है, स्टॉफ की कमी है उसको पूरी कर ली जाए। निश्चित रूप से करेंगे हमें आशा और विश्वास है।

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, कोविड काल में सीपत में एक 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित किया गया था, बिल्डिंग बन के तैयार है, रखरखाव के अभाव में खिड़की और दरवाजे तक चोरी हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस चिकित्सालय की संचालन की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए उसको व्यवस्थित करें। मेरी आपसे दूसरी मांग है कि सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। उसकी ओपनिंग किये हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। लोकल डॉक्टर्स भी तैयार हैं तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि पी.पी.टी. मॉडल के तहत जो भी आपका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, उसके माध्यम से उस अस्पताल को चालू करें ताकि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बीमारों के लिए इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। आपके माध्यम से मेरी तीसरी मांग यह है कि मैंने बिलासपुर से लगे 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने का आग्रह किया था ताकि बिलासपुर में डिलीवरी का दबाव कम हो सके। उसमें कोटा भी शामिल है, रतनपुर भी शामिल है, बेलतरा भी शामिल है, लखराम भी शामिल है, राजकिशोर नगर, बिल्हा, तोरवा भी शामिल हैं। आसपास डिलीवरी का दबाव बिलासपुर के जिला अस्पताल और सिम्स मेडिकल कॉलेज में कम हो, इसके

लिए उनको उन्नत करने का प्रस्ताव था। माननीय मंत्री जी ने प्रस्तावित भी किया था, लेकिन इस बजट में उसका प्रावधान नहीं हो पाया है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसका प्रावधान करेंगे।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बीजापुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है और उसकी अपेक्षा वहां 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस बहुत कम है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा एम्बुलेंस बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय :- मेरे ख्याल से अब कोई नहीं बचा है। सबने बोल लिया है। नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि सभी लोग एक, दो, तीन मांग करते जा रहे थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने आप में मगन हैं। सभापति महोदय, आज हम लोगों का यह सौभाग्य है कि वित्त मंत्री जी आपके पास बैठे हुए हैं। वित्त मंत्री जी, आप आज बाजू में बैठे हैं, इसलिए मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि आपकी स्वीकृति के बिना वह कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने सबकी बात सुनी है तो मेरी भी सुन लीजिए। मेरा एक छोटा सा गांव है-सारागांव। उसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तीन साल पहले यहां हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री जी होते थे, उन्होंने सामुदायिक विकास केंद्र बनाने, उसमें उन्नत करने का स्वीकार किया था। मैं तो यह भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग जो स्वीकृति प्रदान करते हैं वह सचमुच में करते हैं या सिर्फ स्वीकृति प्रदान करते हैं? (हंसी) अगर आप सचमुच में स्वीकृति प्रदान करते हैं तो सारागांव, जो कि बम्हनीडीह विकासखंड में आता है, उसे 30 बिस्तर वाला सामुदायिक विकास केंद्र जिसको आप बोलते हैं, उसमें उसका उन्नयन कर दीजिए। दूसरा, चांपा एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र हो गया है, जिले का आधा हिस्सा हो गया है। हमारे जिले का नाम है, जांजगीर-चांपा। वहां 100 बिस्तर के अस्पताल का लगातार प्रस्ताव भेजा जाता है और सब कुछ ठीक रहता है मगर बजट में नहीं आ पाता तो आप दोनों मिलाकर उसको बजट में डाल दीजिए और 100 बिस्तर वाला अस्पताल घोषित कर दीजिए, अभी बेहतर होगा। बाराद्वार तो आपको क्षेत्र में आते-जाते मिलता होगा। वह एक बड़ी नगरी बन रही है। वहां बहुत से औद्योगिक डोलोमाइट की खदानें खुल रही हैं। आपको करोड़ों रुपये मिलते भी हैं, आपको मतलब सरकार को मिलते हैं तो नगर पंचायत बाराद्वार में एक सिविल डिस्पेंसरी है, उसको पी.एच.सी. में कन्वर्ट कर दीजिए। वहां बहुत कुछ जरूरत है। इन्हीं तीन बातों को आपको लिखवाते हुए और विश्वास करते हुए मैं चाहूंगा कि संक्षेप में अपना भाषण दें ताकि बाकी लोग जल्दी-जल्दी जा सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगा कि शायद वह पूरे प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन आपने केवल अपने विधान सभा की बात रखी।

सभापति महोदय :- नहीं, उनका नाम बोलने वालों में नहीं था।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मुझे लगा कि पिछली बार शायद नहीं हुआ होगा। उसके ऊपर से बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। उस समय अवसर था, ऊपर से कस देते।

सभापति महोदय :- वह अपना अनुभव बता रहे थे। माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं पिछली बार भी विधायक था। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अभी तक ऐतिहासिक रूप से 32 लोगों ने अपने सुझाव और मांगें रखीं। यह इस विभाग के प्रति सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण और संवेदनशील चिंता को दिखाता है। तो निश्चित रूप से आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि माननीय नेता जी बोल रहे थे कि वह मगन हैं तो मैं बड़े धैर्य से लिखने में मगन था, सबको सुन रहा था। मैं एक-एक का बता सकता हूं। मैंने बड़े धैर्य से आप सब लोगों की बातों को सुना है। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले ये चार पंक्ति कहना चाहता हूं :-

"ना ताज पहनकर आया हूं, ना यश का हार सजाने आया हूं,
मैं जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आया हूं।
जहां पीड़ा है वहां उपचार पहुंचे, यही हमारी नीति का मान है,
इस प्रदेश का हर जन स्वस्थ रहे, यही सरकार का अभिमान है।
दूर अंचलों की पगडंडियों तक अब स्वास्थ्य का उजियारा जाएगा,
बस्तर की धरती से लेकर सरगुजा के अंतिम गांव तक उपचार पहुंचाया जाएगा।" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे बहुत ही सम्मानीय सदस्यगण, जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमती संगीता सिन्हा जी, सम्मानीय किरण सिंह देव जी, सम्मानीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, सम्मानीय अजय चंद्राकर जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय अनुज शर्मा जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, माननीय सावित्री मनोज मंडावी जी, माननीय ललित चंद्राकर जी, माननीय अटल श्रीवास्तव जी, माननीय दलेश्वर साहू जी, माननीय दिलीप लहरिया जी, माननीय ईश्वर साहू जी, माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, माननीय लखेश्वर बघेल जी, माननीय इंद्रशाह मंडावी जी, माननीय प्रणव मरपच्ची जी, माननीय भोलाराम साहू जी, माननीय दीपेश साहू जी, माननीय प्रेमचंद पटेल जी, माननीय उत्तरी गनपत जांगड़े जी, माननीय आशाराम नेताम जी, माननीय उद्धेश्वरी पैकरा जी, माननीय विनायक गोयल जी, माननीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी, माननीय प्रबोध मिंज जी, माननीय रोहित साहू जी, माननीय रामकुमार यादव जी, माननीय ब्यास कश्यप जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी, माननीय विक्रम मंडावी जी, माननीय चरण दास महंत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले मैं आप सबका बहुत-बहुत आभार जताता हूं कि आपने स्वास्थ्य से संबंधित इतने महत्वपूर्ण सुझाव

दिये हैं। वाकई में आज मुझे लगा कि पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। ऐसा लगता है कि इस सुझाव से, आज की इस चर्चा से प्रदेश को लाभ मिलेगा। हमारे बस्तर से लेकर बलरामपुर तक के सभी लोगों ने अपनी बात कही है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- सभापति महोदय, रायमुनी भगत की जगह मैंने बोला है। शायद मंत्री जी से लिखने में गलती हो गयी है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं इधर लिख रहा था तो देखने में थोड़ी गलती हो गयी होगी। माननीय उद्देश्वरी पैकरा जी, उनका नाम संशोधित कर दें। आप रायमुनी भगत जी जैसा जोर से बोल रही थी ना इसलिए मैंने रायमुनी जी को सोचा।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, वह नाम गलत हो गया था। आप सुधार दीजिये।

श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा :- सभापति महोदय, मंत्री जी ने रायमुनी का नाम लिया लेकिन उनकी जगह मैंने बोला है।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अच्छा, मैं आपको भी देखकर लिख रहा था।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- जी, मैंने अपने सामरी विधान सभा की मांग रखी है।

सभापति महोदय :- चलिये सॉरी। मैं भी सॉरी बोल रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, ये जो मांग कर रही हैं, उसको आप रायमुनी के क्षेत्र में मत खोल देना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में प्रयास करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो जाए अपना भाषण समाप्त करूं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ी तिरछी नजरों से मुझे देख रहे हैं, मैं आपका इशारा समझ सकता हूं क्योंकि अभी आपको दो-दो विभाग कराना है। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग एक वृहद विभाग है। ये एक ऐसा विभाग है जिसका एक उदाहरण मैं घर में एक बहुत प्यारे बच्चे से देना चाहूंगा। जैसे जब मां सुबह उठती है, तो बच्चे को ब्रश कराती है, नहलाती है, उसके लिए टिफिन तैयार करती है, उसको दिनभर खिलाती है, फिर खिलाती है और फिर शाम को सोते तक लोरी गाकर सुलाती है और जब सुबह उठती है, फिर जब बच्चा उठता है तो फिर सुबह वह मम्मी करने लगता है और फिर उसको वह दिक्कत होने लगती है, तो वैसे ही हमारा विभाग है। हमारे विभाग में हम सुबह से रात तक बराबर काम करते हैं, फिर सुबह वही समस्या प्रारंभ हो जाती है और हम लगातार उसको ठीक करते हैं।

श्री पुरंदर मिश्रा :- मंत्री जी, आप लोरी गाकर सुला मत देना। (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिये ना। अभी मंत्री जी जवाब थोड़ा सीरियसली सुनिये । वह अपनी भूमिका बांधकर बोलेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, मैं बड़ी सीरियस चीज बोला हूं, वह समझ रहे हैं। सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ वैसे भी वनांचल और किसानों का क्षेत्र है और लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति विस्तार का दौर चालू हुआ। जहां एक मेडिकल कालेज था, वहां आज छत्तीसगढ़ में 2023 तक 10 मेडिकल कालेज पहुंच गये और इन ढाई सालों में हम लोगों ने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आज 10 से 15 मेडिकल कालेज हो गये हैं। मेडिकल कालेज इसलिए भी खोले गये कि लगातार डॉक्टरों का क्राइसेस था। आप सब लोग भलीभांति जानते हैं कि हम डॉक्टर भेजना चाहते हैं, हमारे पास पोस्ट स्वीकृत है। हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। हम तत्काल के तत्काल सेम डे में नियुक्ति पत्र भी देने को तैयार हैं, परंतु डॉक्टर नहीं मिलते। अब उसका एक ही उपाय था कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज खोलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय के साथ और माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 5 मेडिकल कालेज एक साथ छत्तीसगढ़ राज्य को दिया। (मेजों की थपथपाहट) और केवल दिया ही नहीं, उन सभी का टेंडर करके हम निर्माण कार्य चालू कर दिये हैं। आप सबको बताते हुए खुशी है कि इसी शिक्षा सत्र में हम आने वाले समय में मेडिकल कालेज की पढ़ाई प्रारंभ करा देंगे। छत्तीसगढ़ में 8 नर्सिंग कालेज थे। प्राइवेट नर्सिंग कालेज तो 130 के आसपास हैं। लेकिन उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये और गरीब से गरीब वनांचल की भी बेटियां पढ़ सकें, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ, पिछले बार 12 नर्सिंग कालेज और इस बार 02 नर्सिंग कालेज के साथ, प्रदेश में 3 भवन का भी और दिये हैं, इस बार भवन और नर्सिंग कालेज मिला करके टोटल 5 है। अब टोटल 22 नर्सिंग कालेज हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह कोई छोटी-मोटी क्रांति नहीं है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जहां से पढ़कर चिकित्सक और नर्स निकलते हैं, एक बडा संस्थान स्थापित करने का इन ढाई सालों में हमने काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधायें हैं, न केवल हम मेडिकल कालेज खोल कर रहे हैं, न केवल हम मेकाहारा, डी.के.एस. को सुदृढ़ कर रहे हैं, न केवल टर्सरी केन्द्र खोल रहे हैं, न केवल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट आपकी अनुमति चाहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी हम लोग तो इतने मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जा कहां रहे हैं। 80 के दशक में जगरगुंडा में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, वहां 5 डॉक्टर होते थे। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में एक-एक डॉक्टर में काम चला रहे हैं, ये डॉक्टर जा कहा रहे हैं? हम तो इतना मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, इसमें चिंता करने की आवश्यकता है। हम लोगों को व्यवहारिक रूप से सबसे पता लगता है कि हमारे यहां बहुत कम तनख्वाह देते हैं। इस कारण से सरकारी हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर आना नहीं चाहते। इस पर भी विचार किया जाये। उनके लायक हम लोग तनख्वाह देने का विचार करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आप लोग बीच में मत बोलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, पेड़ लगाते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता है। यदि आप लोग उस समय पेड़ लगाये होते तो आज तक फल लग जाता। हम अभी पेड़ लगाये हैं, आने वाली पीढ़ियां उस फल को खायेंगी। आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, न केवल हम सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल या मेडिकल कालेज ही खोल रहे हैं बल्कि अभी माननीय लखेश्वर बघेल जी बोल रहे थे, बस्तर क्षेत्र की ही बात करूं तो आप बताईये कि जो चिंतागुफा था, उसकी क्या हालत थी ? डेली पेपरों में आता था कि चिंतागुफा में इतने नक्सली ने विस्फोट कर दिया, वहां पर बंदूक चलाये, वहां पर बम फोड़ा। आज उसी चिंतागुफा को भारत सरकार की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी और प्रमाण पत्र NQAS सर्टीफिकेट मिला है जो हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। भारत सरकार का नेशनल हेल्थ के क्षेत्र में प्रमाण पत्र है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापित महोदय, हम वहीं तक नहीं रूके, अभी सदन में नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन कोड कर देता हू कि उस क्षेत्र का टाप मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा था, उसके गांव पुवर्ती में हमने पी.एस.सी. खोला है। वह पता कर लीजियेगा, आपके क्षेत्र की बात है। (मेजों की थपथपाहट) स्वास्थ्य सुविधायें ऐसा नहीं है कि हम केवल मैदानी क्षेत्रो में सेन्ट्रलाईज्ड कर रहे हैं। हम नीचे तक के अमले को..।

श्री लखेश्वर बघेल :- मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं तो बताया कि पेड़ लगाये हैं, फल मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे पूरे प्रदेश में हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- पेड़ तो जवान हो गया, 25 साल हो गये हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद से अगर वर्ष 2000 तक जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, केवल एक मेडिकल कॉलेज था । अगर 4-5 होते तो आज यह स्थिति नहीं होती और मैं यह बता दूं कि बाहर कई जगहों में डॉक्टर जैसे नौकरी के लिये घूमते हैं न वैसे ही फाईल लेकर घूम रहे हैं लेकिन यहां हम घूम रहे हैं । आज ही मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को यह बोला है कि आप लोग जाईये, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश में काउंसलिंग कीजिये और डॉक्टर लेकर लाईये, जो जिधर का नजदीक है तो हम लगातार चिंता कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी ने एक बड़ा बजट 8 हजार 72 करोड़ रूपये की राशि का इस बजट में प्रावधान किया है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हम लगातार केवल बीमारी का ईलाज करने के लिये ही नहीं, ऐसी क्रिटिकल बीमारियॉ भी हैं जैसे डॉयलिसिस की पहले आवश्यकता नहीं

थी, कभी रायपुर में डॉयलिसिस यूनिट हो जाता था तो लगता था कि डॉयलिसिस हो रहा है । अब हम डॉयलिसिस यूनिट को शत् प्रतिशत जिला हॉस्पिटलों तक पहुंचा दे रहे हैं और वहां हमारी डॉयलिसिस यूनिट चालू हो गयी हैं और इस बार हमने 25 डॉयलिसिस यूनिट, नीचे तक में हमारे जो ब्लॉक हैं, विकासखण्ड स्तर में चिन्हित करके वहां डॉयलिसिस यूनिट खोलने जा रहे हैं ताकि जो किडनी से संबंधित बीमारी के लिये जिस प्रकार वहां हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि हमारे सुपेबेड़ा में तो सुपेबेड़ा क्षेत्र में अगर किडनी की समस्या, अगर डॉयलिसिस यूनिट शुरू से होती तो शायद उतनी मौतें नहीं होतीं, मैं स्वयं सुपेबेड़ा गया भी था और उस बात को स्वीकार भी करेंगे कि वहां डॉयलिसिस यूनिट के लिये हमने प्रारंभ कराया । वहां पानी फिल्टर के लिये व्यवस्थाएं कीं, मैं हमारे पी.एच.ई. मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि सुपेबेड़ा में हमने आग्रह किया था और अतिशीघ्र वहां इनका जो शुद्ध पेयजल नल-जल योजना से वहां की जो क्या तेल नदी है या कुछ नदी है वहां से जाने वाला है तो मैं इनका धन्यवाद भी देता हूं कि वहां पहुंच रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सभी सदस्यों की चिंता थी कि जो दवाईयां हैं वह बहुत महंगी होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र है उसको पूरे देश में खोलने का एक अभियान उन्होंने चलाया है और हमारे मेनोफेस्टो में भी है । हम इस बजट में 50 जनऔषधि केंद्र का इस बार बजट में लिये हैं लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 50 से ज्यादा की संख्या में स्वत: के हॉस्पिटलों की इंकम से जनऔषधि को खोलेंगे और यह कोशिश होगी कि सभी सी.एच.सी. तक हमारे जन औषधि केंद्र जो हैं वह रेगुलर खुलें और हम पी.एच.सी. तक भी खोलने का इस बार इस बजट में प्रावधान किये हैं । इसके लिये भी इसमें दिया हुआ है । हमारे इस बजट में जो ओल्ड एज हैं, उनकी चिंता के लिये वय वंदना कॉर्ड के माध्यम से हम ईलाज तो करा ही रहे हैं लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको लाईन लगाने में दिक्कत होती है, उनका फास्ट ईलाज हो सके, अलग से उनके लिये बेड आरक्षित रह सके इसके लिये सियान जतन क्लिनिक केयर का प्रावधान किया गया है इसमें भी 500 लाख का इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने मेडिकल कॉलेज की बात की । हमारे 5 मेडिकल कॉलेज जो दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं कुनकुरी में पिछले समय बजट में भवन की स्वीकृति हो गयी थी । उसमें शुरूआत में प्रारंभ करने के लिये कुछ सेटअप कम दिया गया था इसलिये इस बार पर्याप्त सेटअप की भी उसमें मजबूती के लिये प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही उसके सुदृढ़ीकरण के लिये इस बजट में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । साथ ही नवीन नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं । मनेन्द्रगढ़, सरिया में भी इस बार उसके लिये सीटों का प्रावधन किया गया है । राजनांदगांव में फिजियोथैरेपी कॉलेज के साथ-साथ अब प्रदेश में 1 से बढ़कर 8 फिजियोथैरेपी कॉलेज होंगे । इस मेडिकल कॉलेजों की श्रंखला में आजादी के बाद

एक बड़ा काम हुआ है कि जो होम्यापैथी ईलाज है इसकी बड़े लंबे समय से मांग आ रही थी, लोगों का कहना था कि बहुत असरकारक होते हैं और प्रदेश में सरकार के एक भी हौम्योपैथी कॉलेज नहीं हैं तो पहली बार छत्तीसगढ़ में एक होम्योपैथी कॉलेज भी इस बजट में दिया गया है । अब छत्तीसगढ़ के लोग होम्यापैथी के यहां के डॉक्टर बनेंगे और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश में इस विधा से ईलाज करेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैकाहारा की काफी बातचीत आयी । मैकाहारा दो चीजों के लिये शुरू से प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है कि कोई आज हमने प्रसिद्ध किया है। एक हार्ट के लिये जो कॉर्डियक सेंटर के रूप में, यह मध्य भारत का सबसे बड़ा केंद्र था लेकिन धीरे-धीरे, मैं उस विषय पर नहीं जाउंगा कि किस समय क्या हुआ, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, उन बातों का कोई मतलब नहीं है लेकिन अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिये निर्देश किया कि मध्य भारत का सबसे बड़ा जो हार्ट का हॉस्पिटल है जो स्कॉट के नाम से था, अब मेकाहारा की सुविधाओं को बढ़ाकर मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनायें। इसके लिए इस बजट में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए प्रावधान है। इसमें साथ ही साथ जो कैंसर की बातचीत आ रही थी, कैंसर का ईलाज बंद है। इसकी माननीय सदस्यों ने चिंता की थी। वहां पैट स्कैन मशीन साढ़े 7 सालों से चालू नहीं हुआ। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम दो-चार महीने के बाद ही उस पर होमवर्क चालू किया। उसमें कई तकनीकी दिक्कतें थीं, उसको हम पैरलर रखकर, उस पर काम कर रहे हैं। हमें यह उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों और महीनों के बाद हमारा कैंसर का पैट स्कैन मशीन और गामा कैमरा है, वह भी हम चालू कर देंगे। हमारा यह मेकाहारा मध्य भारत का कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा। कल वित्त मंत्री जी ने भी इस बात को कोड किया था कि हम छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को क्यों न वह प्राईवेट हों, उनको बढ़ावा देने के लिए लगातार औद्योगिक नीति के तहत सब्सीडी का प्रावधान किया है और केवल सब्सीडी देने की बात नहीं है जो कैश लेस काउंटर के नाम से सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल जाना जाता है वहां अब तक हजारों लाखों लोगों का नि:शुल्क ईलाज हो चुका है। मैं वाकई में वहां गया हूँ हिन्दुस्तान ही नहीं, विश्व के कई देशों के लोग वहां ईलाज कराने आते हैं। भारत के सभी प्रांतों के बच्चे आते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट को प्रोत्साहित करने के लिए अभी हमने कुछ दिनों पहले 5 एकड़ जमीन भी दिया है। इसमें सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए धमतरी और रायपुर में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल का प्रावधान है। रायपुर में एक कालीबाड़ी हॉस्पिटल है जिसका न सेटअप स्वीकृत था, वह जिला हॉस्पिटल के नाम से चल रहा था, वहां महीने में 600 डिलीवरी होती है, वहां हाई टेक्नालॉजी के साथ ऑपरेशन थियेटर का टेण्डर कर चुके हैं और अभी उसको 200 बेड का सेटअप देकर, रायपुर और धमतरी के लिए इस बजट में एक बड़ा प्रावधान

किया गया है। हमारे दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर और रायपुर में जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने बजट भाषण में मुख्य-मुख्य विषयों को ही लूंगा। बड़े लम्बे समय से पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों की एक कैसलेस चिकित्सा की मांग आ रही थी। यह कैसलेस ईलाज को लेकर हमारे मंत्रिमण्डल के सभी साथी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इस विषय को लेकर निर्देशित किया कि भाई, कुछ भी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को समान रूप से सहुलियत मिलनी चाहिए। उस ड्राफटिंग को तैयार करने में एक लम्बा समय लगा। उसके वित्तीय भार की चिंता नहीं करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने कैसलेस चिकित्सा हेतु इस बजट में प्रावधान कर दिया है, इसके लिए 100 करोड़ रूपये का भी प्रावधान है। अगर उसे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम उस बजट को बढ़ायेंगे। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कैसलेस चिकित्सा का लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, शहीद वीर नारायण आयुष्मान योजना पर कहना चाहूंगा। यहां पर आयुष्मान कार्ड की काफी चर्चा हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अच्छे भी अनुभव बतायें और कुछ माननीय सदस्यों ने कड़वे अनुभव भी बतायें। हमारे विपक्ष की ओर से हमारे ओपनर विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने इस विषय में काफी प्रकाश डाला। उन्होंने इस विषय में चिंता भी जाहिर की तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में जो आयुष्मान योजना है, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बी.पी.एल. लोग हैं, आप गरीब की चिंता कर रहे थे, यदि उनका आयुष्मान में पैसा खत्म भी हो जाता है तो सरकार उसका टॉपअप कराती है, उसको मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से जितनी भी पैसे की आवश्यकता होगी, उसको केवल एक फार्म भरकर, प्रक्रिया करने से हम दे देते हैं। उसमें कोई चिंता की आवश्यता नहीं है और जो पैसे जाते हैं । आप यह बोल रहे थे कि वह डॉक्टरों को जाता है, कर्मचारियों को जाता है तो हम उस राशि को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव देते हैं ताकि बस्तर, सरगुजा और दुर्गम क्षेत्रों में उस इंसेंटिव का लाभ वहां काम करने वाले नर्स, वार्ड ब्वाय और डॉक्टर को मिले ताकि लोग बड़ी इच्छा के साथ, बड़े उत्साह के साथ काम को कर सकें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, उसका पूरा दुरूपयोग हो रहा है । पूरे हास्पिटल में जितने बेड हैं, वह खाली रहता है और जब वहां पर कोई भी गरीब तबके के लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि बेड फूल है, आयुष्मान में ईलाज चल रहा है । बेड को फूल कर देते हैं । यह अभनपुर की घटना है, वैसे ही सब जगह पर है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, कुछ केसों में ऐसा हो सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे संज्ञान में आने के बाद या विभाग के संज्ञान में आने के बाद ऐसे केसों पर हम बहुत हार्ड एक्शन लेते हैं । मैं बता दूं कि हमने इस साल 28 प्राईवेट हॉस्पिटल

को भी निलंबित कर दिया है । हम सरकारी हॉस्पिटल के भी पैसे रोक दिए, जिनको लगा कि संदेहास्पद है। ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल का बजट नहीं रूकेगा । हमारी ट्रेकिंग सिस्टम है । आयुष्मान में आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में जो आयुष्मान से ईलाज कराने वाले लोगों की संख्या पिछले दिनों से बड़ी संख्या में बढ़ रही है और दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों ने जांच मशीनों की बात की थी कि उसमें पैसे लगते हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति होगी तो दो मिनट लूंगा । मंत्री जी, बहुत अच्छा बात हे, मैं आपके सम्मान करथौं । मोर व्यक्तिगत बड़े भैया आव, लेकिन जतका नेता मन, जतका बड़े-बड़े अधिकारी हे, जतका उद्योगपति हे, ओमन बीमार पड़थन त कहां जाथन, पता हे । हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली जाथे । गरीब आदमी मन मेकाहारा में डीकेएस अस्पताल में जाके गरवा कस ठूंस देथन । जे दिन नेता मन अउ अधिकारी मन डीकेएस में जाके ईलाज कराबो, वो दिन रामकुमार यादव समझही कि सही में इहां सुधार करे हव । नहीं तो कतको भाषण मारौ, गरीब मन ईहां ईलाज करावाथे । नेता, अधिकारी मन अंते जाथे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ मैं बता दूं कि जो बीपीएल मरीज हैं, उनके लिए हमने यह व्यवस्था की है, वैसे नियमत: जो मरीज भर्ती होते हैं, उनको आयुष्मान का लाभ जांच में मिलता नहीं है और नहीं तो वहां की जो चाहे ऑटोनामस बाडी हो या जीवनदीप समिति हो, वह 50 रूपये, 100 रूपए, 200 रूपए मेंटनेंस और अन्य चीजों के लिए तय करती है तो उसमें बीपीएल को नि:शुल्क दिया गया है । जो वरिष्ठ जन हैं, उनको नि:शुल्क कर दिया गया है और जो इस श्रेणी में नहीं आते, इंकम टैक्स पेयी हैं या एपीएल वाले हैं, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं, इनको भी बहुत रियायती दर पर जैसे एमआरआई बाहर में 10 हजार में या 8 हजार में होता होगा तो उसको 1 हजार में कर रहे हैं । सिटी स्कैन बाहर में 2 हजार या 4 हजार में होता होगा तो उसको ऐसे लोगों के लिए 500 में कर रहे हैं । यह सब रियायत हम लोगों ने किया है ।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एम्बुलेंस की यूनिसर्वल चर्चा हुई । देखिए, 30-31 सदस्यों का मैं अलग-अलग बताऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा, केवल उसकी रिप्लाई शार्ट में दूंगा । एम्बुलेंस यूनिसर्वल समस्या है, अधिकांश सदस्यों ने एम्बुलेंस की बात की और आपने मुझे बताया, वह भी ध्यान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला कहीं जा रहा था तो आप खड़े होकर देख रहे थे तो एम्बुलेंस नहीं चल पाया, ऐसा ही कुछ बता रहे थे । मैं बताना चाहूंगा कि उसी स्थिति को दूर करने के लिए हमने टेण्डर प्रक्रिया की है और जैसा आप जनसंख्या बता रहे थे कि हर एक लाख में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, हर पांच लाख में एक एडवांश कार्डिएक होना चाहिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, यह आपके आंकड़े में है । मेरा प्रश्न लगा था, उसमें है ।

सभापति महोदय :- आप सुनिए न, बात-बात में मत खड़ा होईए, माननीय मंत्री जी को लंबा जवाब देना है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप पूछ रही थीं तो उसी के अनुरूप जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ है तो हम 300 एम्बुलेंसेंस जो बेसिग सपोर्ट लाईफ है, नये एम्बुलेंस के टेण्डर कर दिए हैं और अप्रैल महीने में लांच भी कर देंगे और उसको सभी विधायकों के क्षेत्र में बराबर जाएगा । (मेजों की थपथपाहट) आप लोग एक-एक, दो-दो एम्बुलेंस मांग रहे हैं तो हम आपको एक-एक जिलों में 6-6, 8-8 एम्बुलेंस देने वाले हैं । जो एडवांश लाईफ सपोर्ट 5 लाख में एक होता है, वह जनसंख्या अनुपात में यहां 30 से कम होना चाहिए, लेकिन हम उसमें 60 होना चाहिए, लेकिन हमने 70 एम्बुलेंस दिए हैं । लगभग हर जिले में दो एम्बुलेंस के अनुपात में ऐसे एम्बुलेंस जाएंगे, जिसमें वेंटीलेटर और हमारे गांव में साधारण भाषा में ट्रामा एम्बुलेंस बोलते हैं, उसको कर रहे हैं और पहली बार ऐसे 10 एम्बुलेंस हम अभी कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, जन्म लिये छोटे बच्चे को हम एम्बुलेंस में कैसे ले जाएंगे । उसमें पूरी सुविधाएं रहेंगी कि उसके हॉस्पिटल पहुंचते तक किसी प्रकार की दिक्कत न हो और बच्चा सही सलामत उस हॉस्पिटल तक पहुंच सके इसीलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस के टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वर्क आर्डर दे दिए हैं और अप्रैल महीने में पूरे के पूरे एम्बुलेंस को मैं तो चाह रहा था कि सत्र के बीच ही दिखाता, लेकिन आधा-अधूरा दे रहा था । मैं बोला एक साथ ही हम करेंगे, जिस दिन आप लोग जो नहीं पहुंच पायेंगे, वे लोग फोटो वीडियो में जरूर देखेंगे और आप लोगों के क्षेत्रों में पहुंचेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं बात करूं, तो इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना, जिन विधायकों के, माननीय मंत्रियों के क्षेत्र में जो ट्राइबल क्षेत्र होंगे, ट्राइबल ब्लॉक्स होंगे, उन सभी ब्लॉक्स में हमारे 57 ब्लॉक ऐसे हैं, जहां ट्राइबल आबादी ज़्यादा है। वहां पर प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत् उसको आप लोग मॉनिटरिंग भी करें। यह एक ऐसा एम्बुलेंस हम ले जा रहे हैं, क्योंकि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं–बैगा हैं, कोरवा हैं, पंडो हैं–हॉस्पिटल नहीं आते। वे इलाज के लिए बाज़ारों तक भी नहीं आ पाते । पूरी की पूरी हॉस्पिटल सज्ज कर, जिसमें डॉक्टर भी हैं, M.B.B.S. नर्सेज़ भी हैं, जांच करने वाली मशीन है, दवाइयां हैं, ऐसे एम्बुलेन्सेस जो कि मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं, चलित हॉस्पिटल हैं, उनके घरों तक ले जाकर वहां पर हम इलाज करते हैं। माननीय सभापति महोदय, और ऐसे 57 एम्बुलेंस हमने झंडी दिखाकर प्रारंभ कर दिया है। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि अपने-अपने क्षेत्र में देख लें।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय मंत्री जी, एक सेकेंड। ये जो एम्बुलेंस जो है, भानुप्रतापपुर में गया था और मेरे को हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया गया था। फिर मैं हरी झंडी

दिखाने के लिए गई, तो पता चला वहां ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं है, तो बोले चलो आज व्यवस्था कर देते हैं।

सभापति महोदय :- अभी वह नया खरीद रहे हैं, उसमें दिखवाएंगे झंडी।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- नहीं, नहीं, वह चालू कर दिए हैं, बोले। सभापति महोदय, मेरे को बुलाया गया था तो दूसरे दिन पता चला वह एम्बुलेंस वहां हॉस्पिटल में बिगड़ कर वहीं खड़ी है । तो ऐसी व्यवस्था न हो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा इसी विषय पर आधा मिनट में इनको संतुष्ट कर देता हूं ।

सभापति महोदय :- आप चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- इसलिए सभी सदस्यों को बताऊं कि हमने स्पष्ट कहा है कि जब तक पूरा डॉक्टर वहां M.B.B.S. नहीं होगा, तब तक हम पैसा नहीं देंगे और चालू तभी करेंगे जब वह पूरा सेटअप तैयार कर लेगा। हो सकता है उस दिन उसके पास डॉक्टर न रहा हो, तो उसके एक दिन, दो दिन, चार दिन बाद जब भी वह लाया होगा, उस दिन से हम चालू मानेंगे और अपनी C.M.H.O. की रिपोर्ट मगाए हैं, उसकी बराबर ट्रैकिंग हम रायपुर से कर रहे हैं।माननीय सभापति महोदय, अभी जांच की बात आ रही थी कि जांच नहीं हो पा रही है, दवाई नहीं है, रीजेंट नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देश का सबसे पहला जो लैब के क्षेत्र में एनक्वास (NQAS) सर्टिफिकेट होता है, NABL सर्टिफिकेट, उसको हमारे पूरे भारत देश में पहला रायपुर को और दूसरा बलौदाबाज़ार को प्रमाण पत्र मिला है। यह बताता है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली में जांच का जो सिस्टम है, वह पूरी तरह से गुणवत्तायुक्त है। साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने इन दो वर्षों में काफी उल्लेखनीय कार्य किया है, नीचे तक पहुंचाने में काम किया है। 8 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करने के साथ-साथ हम लोगों ने 100 बेड हॉस्पिटल और 50 बेड हॉस्पिटल का भी उन्नयन कार्य किया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयास से जिस प्रकार से नक्सलवाद का समापन हो रहा है। अब जब नक्सलवाद का समापन हो रहा है, तो लोगों की बेसिक सुविधाएं कैसे वहां तक पहुंच सकें, इसलिए हम लोगों ने इस बस्तर क्षेत्र में इस बार सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं नारायणपुर के जो सुदूर अंचल के क्षेत्र हैं, जिसमें सुकमा के ग्राम गारपा, तोंगपाल, इसी के साथ-साथ ग्राम मरईगुड़ा, पेंदलनार, सिलगेर एवं पोंदुम जैसे क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप-स्वास्थ्य केंद्र भवनों की स्वीकृति दी है। माननीय सभापति महोदय, नारायणपुर के ग्राम गरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दंतेवाड़ा के नहाड़ी में उप-स्वास्थ्य केंद्र का भी बस्तर क्षेत्र में हम लोगों ने इस बार स्वीकृति की है। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कई माननीय सदस्य स्टाफ के क्वार्टर की बात कर रहे थे और बात सही भी है कि डॉक्टर जाएगा तो कहां रहेगा, स्टाफ कहां रहेगा। इसलिए

हमने पहले भी बस्तर क्षेत्र से एक विशेष रूप से प्रयास किया है कि वहां उन क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए जी-टाइप आवासीय क्वार्टर और स्टाफ क्वार्टर की भी शुरुआत किए हैं और इसी कड़ी में सुकमा जिला अस्पताल के लिए 50 कमरे का जो ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की हमने स्वीकृति दी है। ऐसे ही अंदरूनी क्षेत्रों में हम अन्य स्थानों पर भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे लगातार स्टाफों की कमी की बातचीत आ रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम लगातार डॉक्टरों की भर्ती के साथ-साथ स्टाफ की भी भर्ती कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में जो प्रोफेसर हैं, उनकी भर्ती के लिए PSC से हमारा अंतिम चरण में 125 सीट है और 525 सीट ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का हैं, जिसमें 225 नर्स हैं, 100 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक हैं। यह भी नर्स के ही कैटेगरी के हैं। इस प्रकार 525 पद व्या.प.म. से भर्ती अंतिम चरण में है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया कर ली है। मुझे लगता है कि अब वह फाइनल लिस्ट देंगे और हम पोस्टिंग करेंगे। इसी प्रकार से 1578 विभिन्न P.H.C. और C.H.C. में हम बॉन्ड के माध्यम से चिकित्सकों की पदस्थापना किए हैं। 3303 N.H.M. से पदस्थापना की है। अभी 1962 पद भर्ती प्रक्रिया में है। साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन में कॉलेज में 125 पदों की भर्ती प्रक्रिया PSC से अंतिम स्थिति में है। फ़ूड एंड ड्रग्स में बता रहे थे कि इंस्पेक्टर्स वगैरह की कमी है। मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रमोशन भी किया है और 160 पदों की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी प्रकार आयुष विभाग में जो डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के साथ-साथ नीचे के 628 पदों की भर्ती हमने कर लिया है। इस प्रकार इन ढाई सालों में हमने 7781 पदों पर भर्ती किया है और 3000 पदों की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार हमने 10,000 से ऊपर पदों को या तो भर लिया है या भर्ती प्रक्रिया में हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों को, जैसे विभिन्न OPD हैं, IPD हैं, वह किस प्रकार बढ़ सकें, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे किसी माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा इस प्रकार की नकारात्मक बात तो नहीं की है, फिर भी मुझे बताना है कि मेरे ही कार्यकाल का दिसंबर, 2023 की जो स्थिति थी, जब मैंने पद संभाला था तो पूरे प्रदेश में 33 लाख का OPD होता था। फिर वर्ष कम्पलीट होने के बाद दिसंबर, 2024 में हमने आंकड़ा लगाया तो 35 लाख OPD का हो गया, उसमें 2 लाख की बढ़ोत्तरी हुई और इस साल हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में 39 लाख OPD बढ़े हैं। यह लगातार बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जो खाद्य औषधि विभाग है, जिसमें लगातार नकली खोवा-मावा की शिकायतें आती हैं, वह भी विभाग मेरे पास में है। इसकी बार-बार शिकायतें आती हैं। माननीय सदस्यों के भी कई ध्यानाकर्षण और प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं आई हैं, अखबारों में भी खबरें आती हैं कि हम सही समय पर जांच नहीं कर पाते हैं। हमारी जो दवाइयों की डुप्लीकेसी का तत्काल जांच नहीं कर पाते। इसके लिए हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी लैब नहीं हैं। इसलिए

अन्य राज्यों से हमारा अभी M.O.U. है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। कई सैंपल हमको तत्काल भेजना है तो हम हवाई जहाज के courier से भेजते हैं। इसलिए कई बार उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं आती है, Accuracy अच्छी नहीं आती है। मान लीजिये उसको 24 घंटा में ही जांच करनी है तो उसको अब 2 दिन में भेजेंगे तो पहुँचते तक कैसे होगा? इसलिए मध्य भारत का सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा लैब लगभग 95 करोड़ की लागत से हमारे छत्तीसगढ़ में नवीन इंटीग्रेटेड खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए भवन की स्वीकृति के साथ-साथ इस बार 34 पदों की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। मुझे लगता है कि इस बार के बजट का यह बड़ा कदम रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से उस प्रयोगशाला के उपकरणों के लिए भी 25 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान है और उस प्रयोगशाला के बन जाने से हम एक नया ऊँचाई पर पहुँचेंगे। यह पहली बार बन रहा है। पहली बार ही नहीं, बल्कि यह मध्य भारत का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन रहा है। (मेजों की थपथपाहट) आस-पास के राज्यों में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। अभी कूरियर से माननीय वित्त मंत्री जी मैं बता रहा था कि फ्लाइट से भेजना पड़ता है, इसके बावजूद भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए सरकार की चिंता की ओर मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए कि मैंने पर्सनल आपको बताया था कि हमारे यहाँ वह प्रयोगशाला नहीं है और आपने एक बड़ा काम किया। मैं होम्योपैथिक कॉलेज की बात कर चुका हूँ कि आजादी के बाद से पहली बार प्रदेश का पहला होम्योपैथिक कॉलेज खुल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) यहाँ के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार हमारे 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालय को उन्नयन करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। 7 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को उन्नत करने के लिए प्रावधान है। अभी बीच में हम रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में गये थे। आप तो नहीं गए थे, मूणत जी गए थे और माननीय सांसद जी गए थे। वह बहुत पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, लेकिन आप गए जरूर होंगे। हमने यह महसूस किया कि वहाँ छात्रावास की आवश्यकता है, ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। इस बात को लेकर इसकी चर्चा वित्त विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बताया है । आयुर्वेदिक कॉलेज में बालक-बालिकाओं के हॉस्टल के लिये 17 करोड़ रूपये की एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है और उसके सेमिनार और भवन के लिये 15 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मुझे लगता है कि एक बड़े अंतराल के बाद हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसकी ओर ध्यान दिया गया है । मेडिकल एजूकेशन में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेडिकल एजूकेशन में कोई कटौती प्रस्ताव दिया है क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, काफी लोग दिये हैं ना।

श्री अजय अग्रवाल :- विभाग में तो दिये ही होंगे, मेडिकल एजूकेशन में कटौती प्रस्ताव बोल रहा हूँ जी । मांग संख्या में ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी हम लोग एक साल पहले एक कार्यक्रम में गये थे तो मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने हॉस्टल के नाम से एक तख्ती दिखाया था । माननीय मुख्यमंत्री जी तुरन्त मेरे को बुलाये और बोले कि इनकी तुरन्त व्यवस्था करो तो हम किराये में लेकर उनको हॉस्टल दिये हैं । बच्चों और बच्चियों को किराये का हॉस्टल दिये हैं । आज तक हॉस्टल नहीं था । रायपुर में बच्चों के हॉस्टल निर्माण के लिये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं दुर्ग में 34 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है । मैं इसके लिये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रों के हॉस्टल के लिये 25 करोड़ का प्रावधान है । अंबिकापुर में भी छात्रावास निर्माण के लिये 12 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे जगदलपुर में भी छात्र-छात्राओं के रहने के लिये जो मेडिकल कॉलेज जगदलपुर है उसके लिये 12 करोड़ 87 लाख रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है । छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण, कम्युनिटी प्रोग्राम एवं आवागमन हेतु महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिये दूरस्थ स्थल में आना जाना पड़ता है, इसके लिये सभी मेडिकल कॉलेजों में इस बजट में एक-एक नये बस का प्रावधान है ताकि छात्र बसों से जाकर गांवों में कैम्प लगा सके, सीख सकें, यह कम्युनिटी मेडिसिन के माध्यम से होता है । चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिये सभी मेडिकल कॉलेजों में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में गैर कार्यालयीन फर्नीचर, छात्रावास में अन्य उपकरणों के लिये भी, खासकर हमारे कांकेर के लिये 5 करोड़, कोरबा के लिये 5 करोड़, महासमुंद के लिये 5 करोड़ जो अभी चालू हो गये हैं, लेकिन अभी निर्माणाधीन है । माननीय सभापति महोदय, यह 3 मेडिकल कॉलेज पिछली सरकार में स्वीकृत तो जरूर कर दिये थे, लेकिन इसका निर्माण कार्य उसी गति से रूका हुआ था । माननीय नेता जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में भी जो कोरबा था, वह भी लगभग 25 परशेंट हो चुका है । महासमुंद 60 परशेंट हो चुका है, कांकेर हम 40 परशेंट एक-सवा साल में किये हैं और समयसीमा में हो इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) माननीय वित्त मंत्री जी ने एडवांस में फर्नीचर के पैसा दे दिया है कि बच्चों की पढ़ाई में एक दिन की भी नुकसान न हो और उन्होंने एडवांस में पैसा लेने की बात कही है । माननीय सभापति महोदय, मेडिकल एजूकेशन की बात है तो अच्छे मौके पर हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आपने संकल्प का इस बजट में प्रावधान किया है । हमारे मेडिकल एजूकेशन ने भी इस संकल्प को साकार करने के लिये उसका जो पाईन्ट है यानी एस से स्ट्रेन्थम ऑफ इंस्टिट्यूशन, ए से एकेडमिक एक्सीलेंस, एन से नेक्स जनरेशन रिच, के से क्नॉलेज एंड क्लीनिकल कांपिटेंसी, ए से एडवांस मेडिकल फेसिलिटिज, एल से लाईव सेविंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, पी से प्रोफेशनल ट्रांसपरेंट गवर्नमेंट । यह संकल्प के

सिद्धियों के साथ हम काम कर रहे हैं । विहंगम विभाग जिसको मैंने का कि इसकी काम करने की सीमायें अनन्त है और इसमें जो काम करने की ललक है ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का इस बजट की ओर इंगित करता है।

समय :

7.00 बजे

सभापति महोदय, सुकमा से लेकर बलरामपुर तक और छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारे बड़े टर्शियरी केंद्रों तक इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास हेल्थ के अलावा एक और विभाग है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग है। रामकुमार जी आप उस दिन काफी हल्ला कर रहे थे लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आपने पिछड़ा वर्ग के बजट में इस विषय में एक शब्द नहीं कहा। उस दिन आप ओ.पी. चौधरी जी, वित्त मंत्री जी को बोल रहे थे, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए।

श्री रामकुमार जी :- सभापति महोदय जी, मैंने बोला था कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए जो अभी भी राज्यपाल महोदय के अलमारी में पड़ा है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- बजट में आरक्षण आही का ?

श्री रामकुमार यादव :- इसी में सबकुछ है। आपने घोषणा की है, हम लोग देंगे। उसके लिए हॉस्टल दे दीजिए।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- भाई रामकुमार मैं तोला हाथ जोड़कर बोलत हंव।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तोर हाथ जोड़त हंव। मैं तोर खोपड़ी के हाथ जोड़त हंव।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तोर हाथ जोड़त हंव सुन तो। एक लाईन सुन ले।

श्री रामकुमार यादव :- मैं इहां ले छोड़ के भाग जाहूं, मैं पांव परत हंव। (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिए न सुनिए तो।

श्री अजय चंद्राकर :- बात भर ला सुन ले। अभी आदमी के इलाज के बात चलत हे, गरवा के इलाज के बात नई चलत हे। ते आदमी के इलाज में बात कर ते गरवा के इलाज में कहां ले आ जात हे? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं तो अभी मांग करत हंव, तोर खोपड़ी के जांच होना चाहिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये। मंत्री जी बोलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग एक ऐसा विभाग है, आप सभी जानते हैं कि ...।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आइंस्टीन के खोपड़ी के जांच होय रिहिस हे। ओकर मृत्यु के बाद ओकर बहुत स्टडी करके ओकर न्यूरॉन्स मन कैसे काम करे वैसे होय।

श्री अटल श्रीवास्तव :- एप्स्टीन, एप्स्टीन। आइंस्टीन या एप्स्टीन।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अटल भैया, आप लोगों की जिसकी जो भावना रहती है उसको वही सुनाई देती है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमारी तो आइंस्टीन है। (हंसी)

श्री ओ.पी.चौधरी :- आइंस्टीन बोलने पर भी जिसकी जो भावना रहती है, उसको वही सुनाई देती है। (हंसी) जो पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी बात करने पर अगर आपको एप्स्टीन सुनाई देता है तो आपको अपना ठीक से इलाज कराना चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आजकल वहीं सुनाई देती है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आजकल वही सुनाई दे रही है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- हमारे आदरणीय अजय चंद्राकर जी का भी दिमाग आइंस्टीन की तरह एक अलग ही पूर्ववत्ता युक्त है तो जरूर उसका अध्ययन होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ओ खोपड़ी के तुमन कुछ उपयोग करत हव का?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति जी, मैं थोड़ा रामकुमार जी के लिए कुछ कहना चाहता हूं। देखो रामकुमार क्या है, ये सब ज्ञानी लोग हैं, इनके चक्कर में मत रहो। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, होय ज्ञान की बात और गधे से गधा लड़े, होय दो-दो लात। ये सब चक्कर में मत फंसे रहा। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, मोरो एक ठो शायरी है सुन लेवा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ले सुना।

श्री रामकुमार यादव :- ज्ञान मारे ज्ञानी ला, अज्ञान ओला ठहराय, अउ मुरूक मारे टेंपा ता मूड़ कान फूट जाए। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिए मंत्री जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप भी काफी लंबे समय से वहां मार्गदर्शन कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मार्गदर्शन कर रहे हैं लेकिन वे भाषण से परेशान नहीं हैं, आप जितना बोल सकते हैं उतना बोलिये वे सुनेंगे।

सभापति महोदय :- मैंने तो पहले ही बोला आपको जो बोलना है बोलिये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- 30 आदमी को सुने हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं 30 आदमी का सुना हूं और लिखा हूं। मैं सबको अभी जवाब दूंगा, तब तो संतुष्ट होंगे।

सभापति महोदय :- नहीं तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आपको जो बोलना है बोलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह पिछड़ा वर्ग विभाग हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए 50% से आसपास हो सकता है, एकाध परसेंट ऊपर या नीचे हो, प्रदेश की एक बड़ी आबादी का आधी आबादी का है। माननीय सभापति महोदय, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आजादी के बाद पहली बार पिछड़ा वर्ग विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अलग बनाया गया है। इन्होंने यहां पूरे डायरेक्टर से लेकर पूरे सेटअप की व्यवस्था दी है। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, एक दो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं। अभी तक ये होता था कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, इनको हॉस्टल नहीं मिलता था। ये इधर-उधर भटकते थे, परेशान होते थे, पढ़ नहीं पाते थे तो इनके लिए एक मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लाए हैं। इस योजना के माध्यम से किसी भी पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वह कहीं भी रहेगा तो उसके रहने का किराया हम देंगे और साथ ही साथ उनके पढ़ाई के लिए जो प्रतिवर्ष जो भी उनके इंस्टिट्यूट में खर्चा आएगा उसको भी देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसी प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में भी कोट किया था। वह सभी वर्ग के लिए हो सकता है लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे इस बजट में अलग से विशेष प्रावधान है। उसी बजट के साथ जो सी.जी.असिसटेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम (CGAC) के नाम से इन्होंने शुरुआत की है, जिसमें इन्होंने बड़े विस्तार से बताया था। उड़ान-इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एवं विधि संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु। शिखर-UPSC एवं CGPSC प्रतियोगिता परीक्षा हेतु। मंजिल- SSC, रेलवे और बैंकिंग हेतु। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में 100-100 सीटर बालक और कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए प्रावधान है। साथ ही साथ हमारे बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, मैं खुद दौरे में बीजापुर गया था। उस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोग बहुत हैं। बीजापुर कहने से लगता है कि वहां नहीं होंगे और वहां के लोग परीक्षाओं और पढ़ाई को छोड़ देते थे। 200 सीटर छात्रावास का इस बजट में प्रावधान बीजापुर जैसे नक्सलवाद से मुक्त क्षेत्रों के लिए किया गया है। रामकुमार जी, इसी प्रकार से बिलासपुर में 500 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय का इस बजट में प्रावधान किया गया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के OBC की बेटियों के लिए यह एक बड़ा प्रावधान है। रायपुर में भी 200 सीटर का पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, रायगढ़ में 100 सीटर कन्या छात्रावास का, मनेंद्रगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालिका एवं बालक कन्या छात्रावास का इस

बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत टाइट शेड्यूल है। अब लगता है कि आगे अनुमति नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप काफी विस्तार से यहां बैठे, फिर अपनी बात को आपने रखा तो जब आप इधर विधायक के रूप में बैठे थे तो आप मांग कर रहे थे और आपने कहा था कि तुम्हीं ने दर्द दिया, तुम्हीं दवा देना। आपने ऐसा ही कहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दर्दे-दिल की दवा हम करेंगे, वफा हमने किया है वफा हम करेंगे और माननीय सभापति महोदय, आप चिंता मत करिए, आपके क्षेत्र में आपने जो भी मांग किये हैं, उस पर बड़ी ही गंभीरता से विचार करके उपलब्धता अनुसार आगे निश्चित रूप से उसको करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि हमारे 32-32 माननीय विधायकों ने मांग की है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपकी भी बात को गंभीरता से लूंगा। आप भी जानते हैं, आप ऐसी कुर्सियों में लंबे समय तक रहे हैं, कई बार कई विभागों के मंत्री रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे भाव को समझिए। माननीय मोहले जी के बारे में उंगली उठा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कहानी तो सेम महाभारत के प्रसंग जैसी है। जब माता द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय वह कृष्ण जी को बुलाने के लिए क्या बोली? उस समय उन्होंने उपयोग किया द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। उन्होंने द्वारिकाधीश को बोला। उन्होंने जब कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने इतनी देर क्यों की तो वह बोले आप भैया बोलती तो मैं आपके पास खड़ा था, आपने द्वारिकाधीश बोला तो द्वारिका तक जाना पड़ा, फिर यहां आना पड़ा। उसी प्रकार आपने जो शासकीय संकल्प लाया था, उसको दिल्ली भेजने के लिए कहा था तो हमने दिल्ली भेज दिया है। अब दिल्ली से जैसे ही स्वीकृति होगी, उसको हम करेंगे। हमने अपनी ओर से अपना काम कर दिया है। निश्चित रूप से आपके बारे में हम दिल्ली में भी प्रयास करेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, आप PPP मॉडल में कर दीजिये। आप PPP मॉडल बोल रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, क्या आप मेरे विषय में भी बोलेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप नहीं थे तो आपके विषय में मैं उस समय कुछ-कुछ बोल डाला। आपने जो विषय बोला था, वह विषय आ गया था। माननीय सभापति महोदय, बस इतना ही कहते हुए कि सभी ने अपना अमूल्य सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, 66, 79 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - चार हजार छः सौ चौवन करोड़, पनचानबे लाख, पनचानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन सौ सोलह करोड़, अड़सठ लाख, तेरह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो हजार चार करोड़, नब्बे लाख, चौवन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. **मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय**

मांग संख्या 18 श्रम

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार पांच सौ सड़सठ करोड़, छियासी लाख, उन्यासी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 18 श्रम के लिए - दो सौ छप्पन करोड़, नब्बे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथक वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

1. डॉ. चरणदास महंत	1
2. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी	1
3. श्रीमती शेषराज हरवंश	2
4. श्री कुंवर सिंह निषाद	1
5. श्री जनक ध्रुव	1

मांग संख्या 18

श्रम

1. डॉ. चरणदास महंत	1
2. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी	1
3. श्रीमती शेषराज हरवंश	1
4. श्री जनक ध्रुव	1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- सर, एक मिनट। अभी तक माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में लगभग 6 घंटे का समय लग चुका है।

समय:

7.14 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक लाइन बोल रहा था। मेरे ख्याल से मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन पूरे देश में उद्योग और श्रम मंत्री एक ही हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा संयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। एक ही मंत्री के पास दोनों पोर्टफोलियो हैं, ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा देश में और किसी सरकार में नहीं होगा। इसलिए वे रात को श्रम मंत्री पर रहकर न्याय करते हैं और दिन में उद्योग मंत्री बन जाते हैं। वे किसके साथ कब न्याय करते होंगे, यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। भाई लखन लाल जी की क्षमता का अभिनंदन करना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- अच्छा, आपको यह नहीं पता है कि वे आबकारी मंत्री भी हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन आप यह कॉम्बिनेशन बताइये न कि श्रम और उद्योग एक ही व्यक्ति के पास हो।

डॉ. चरणदास महंत :- पहले रहते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपके पास था?

डॉ. चरणदास महंत :- हां, मेरे पिताजी के पास था। आप पता कर लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदियों पहले रहा होगा जब छत्तीसगढ़ में उद्योग ही नहीं थे।

डॉ. चरणदास महंत :- अभी मैं कह रहा हूं कि वह उद्योग, वाणिज्य और श्रम के अलावा आबकारी मंत्री भी हैं और उसको इनकी कार्यसूची में दर्शाया नहीं गया है। फिर भी निश्चित रूप से उनके पास विभाग है, आबकारी विभाग है न। आपने होली में सब लोगों को बांटा भी है। (हंसी) मैं इस बहाने और इनके जैसे विद्वान आदमी के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं जो अभी का प्रस्ताव तो नहीं है। मैं देखता हूं कि किसमें रखा जाये। आने वाले समय में विपक्ष से उसी व्यक्ति को भाषण देने का अवसर मिले जिसने कटौती प्रस्ताव दिया हो। एक आपके आने वाले नियम, कानून में परिवर्तन की बात है। अभी दिमाग में आ गया तो बोल दिया। चूंकि हम लोग कटौती प्रस्ताव देते नहीं हैं। जब बजट की किताबें छपती हैं तो पढते नहीं हैं। एकात कटौती प्रस्ताव आ जाता है। समय भी खराब होता है। आज कम्पयूटर का जमाना हो गया है, आप किताब भी छापकर देते हैं तो इन चीजों में आपको अब कटौती करनी चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए। या तो उसे आप कम्पयूटर से ले लें, किताब छापना न पड़े, पैसे बरबाद न हों। लोगों के ही पैसे हैं, हमारे पैसे हैं। तो जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, वही उस विषय में भाषण दे पायेगा। ये कुछ देखिये, हम लोगों को बताईयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप तो अध्यक्ष थे, आपको काफी लंबा अनुभव है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो कह रहे हैं, उसमें मैं एक और संशोधन कर देता हूं। कटौती प्रस्ताव देते हैं वह तो ठीक है, लेकिन पुकारे जाने पर हाथ उठाना भी जरूरी है। जो हाथ नहीं उठायेंगे उनको भी बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए तो उससे फिर उपस्थिति बढ़ेगी। कटौती प्रस्ताव मे पुकारे जाने पर हाथ उठाना भी जरूरी है। आपके कोई सदस्य नहीं रहते। अभी आप ट्रेनिंग दे दीजिए।

डॉ. चरणदास मंहत :- मैं दिया था। ट्रेनिंग धीरे-धीरे आप दे दीजिए। आपकी ट्रेनिंग ज्यादा सुनते हैं, आप सामने में हैं। कम से कम हां और ना कहें, ये जरूरी है। हां की जीत हुई नहीं बोलते और ना की जीत हुई बोलते।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तो एक मांग और करिये जो प्रक्रिया लुप्त हो रही है। माननीय मंत्रीगण कोई भी शासन हो कि कटौती प्रस्ताव का उत्तर भी विभाग दे तो वह बहुत स्वस्थ हो जायेगा।

डॉ. चरणदास मंहत :- अभी तक तो लिखित में उत्तर आता था, मगर आप शायद नहीं आने लगा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको कहा न कि वह धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। हो सकता है कि कोई बंधु देते हों, मैं उसको नहीं जानता। लेकिन मैं जब था तो मैं कटौती प्रस्ताव का उत्तर देता था। कटौती प्रस्ताव का उत्तर दें तो अच्छी परंपरा स्थापित होगी और उसको मेन्डेटरी किया जाये।

सभापति महोदय :- मैं कटौती प्रस्ताव का कल देख रहा था। आपका लगभग सभी विभागों में, सभी विषयों में कटौती प्रस्ताव है। लेकिन आपने एक-एक कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं बोल रहा हूं कि आपका कटौती प्रस्ताव है। लेकिन बाकी माननीय सदस्यों का जैसा आप बोल रहे हैं तो अभी की स्थिति में तो सब वंचित हो जायेंगे। कोई 5 में दिया है, कोई 7 में कटौती प्रस्ताव दिया है। आपका ये है कि विधायक जागरूक रहें और विधायक जागरूक रहें, उसके लिये आप जो सुझाव दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे प्रतिपक्ष के सभी विधायकों को समझ में आ गया होगा।

अभी तक माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मागों पर चर्चा में लगभग 6 घंटे का समय लगा चुके हैं। आज ही माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा माननीय राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान की मागों पर चर्चा पूर्ण कराई जायेगी। मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे पास जिन वक्ताओं के नाम प्राप्त हुए हैं, केवल उन्हीं माननीय सदस्य को अपने विचार रखने की अनुमति दी जाये। सभा की कार्यवाही संचालित करने में आपके सहयोग की अपेक्षा है।

डॉ. चरणदास मंहत :- सभापति महोदय, आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत शादियां हैं, सबको जाना पडता है तो एक ही विभाग ले लीजिए न, राजस्व मंत्री जी को छोड़ दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिये न एक विभाग को करके समय को देखते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आज आपने अभी दो और विभागों की चर्चा कराये जाने का उल्लेख किया है, सिर्फ एक विभाग कर लेते हैं। आपकी बात सही है कि शादी भी बहुत है और हमारी भी बैठके हैं। रोज तो बैठ रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बढिया तो मदद कर रहे हैं।

डॉ. चरणदास मंहत :- एक में तो हम आपको मदद कर रहे हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, साहब आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। यही हमारी विधान सभा की विशेषता है कि हम लोग सब काम मिलजुलकर करते हैं।

डॉ. चरणदास मंहत :- एक में मदद करेंगे, दूसरे विभाग में छुट्टी मांग लेते हैं।

सभापति महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांग संख्या 11, 18 की अनुदान मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ या किसी भी राज्य की पहचान उसके आर्थिक विकास से भी होती है और आर्थिक विकास मे सबसे बड़ा योगदान उद्योग और वाणिज्य कर का होता है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं

कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के बाद निवेश के लिये जो एम.ओ.यू. साईन किये गये, वह 3 लाख 66,566.94 करोड़ का निवेश के साईन की बात की गयी उसमें लगभग 1 लाख 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा यह बुकलेट कहता है लेकिन अभी तक जो निवेश हुआ है वह 21,000 करोड़ का निवेश हुआ है और केवल 22,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होना बताया गया है तो हम जहां-जहां जाते हैं, बहुत सारे निवेशकों को बुलाते हैं और निवेशकों को बुलाकर एम.ओ.यू. साईन करते हैं लेकिन वह निवेशक यहां पहुंच नहीं पाते । हम अपने बुकलेट में सब सुविधायें देते हैं, हम स्टॉम्प शुल्क माफ करेंगे, हम सस्ती जमीन पर भूमि उपलब्ध करायेंगे, हम बिजली बिल में आपको माफ करेंगे लेकिन यह एम.ओ.यू. साईन होने के बाद बड़े-बड़े उद्योगपति इस प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे हैं, यह अपने आप में एक सोचने का कारण है । अब तक 131 उद्योगों को स्थापना के लिये भूमि आवंटित की गयी है जिसमें से मात्र 61 इकाईयों द्वारा उद्योग प्रारंभ किया गया है । सरकारी जमीन में छूट, बिजली में छूट, पानी में छूट, उद्योग स्थापना में विलंब होना अपने आप उद्योग नीति के प्रावधानों पर प्रश्नचिह्न लगाता है । दूसरी, प्रमुख बातें कि जो उद्योग और वाणिज्य कर विभाग है, उद्योगों के लिये जो सबसे बड़ी पीड़ादायक बात है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं । अभी आपने देखा होगा कि बेमेतरा में बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई जहां पर 3 लोगों की जलकर मौत हुई । बिलासपुर में एक पेंट कंपनी में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई । हमारे इंडस्ट्रियल एरिया धमतरी जहां से हमारे अनुज भाई विधायक हैं, अभी वहां कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ तो अब तक औद्योगिक दुर्घटनाओं में मजदूरों की मौत होती है । कुछ मृतकों के परिजनों में तो मेल-मुलाकात श्रद्धांजलि देकर उसे इतिश्री कर लिया जाता है, कुछ लोगों को मुआवजा मिल जाता है, जबकि औद्योगिक दुर्घटनाओं में कारखाना अधिनियम के तहत् उद्योग के मालिक एवं प्रबंधक के विरूद्ध अपराध दर्ज होना चाहिए । यह भी देखा गया है कि जब बिलासपुर में रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना में जितने घायलों को उस समय, चूंकि मैं पूरे समय वहां मौजूद था, अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट किया लेकिन कुछ दिनों के बाद जो कम रूप से घायल थे वह तो वापस चले गये । जो गंभीर रूप से घायल थे उनसे प्रशासन ने भी पूछना बंद कर दिया और अपोलो हॉस्पिटल भी उनसे कहने लगे कि आप फीस पटाईये उसके बाद आपका ईलाज होगा तो कहीं न कहीं औद्योगिक नीति में यह तय होना चाहिए कि कोई भी दुर्घटना के बाद ईलाज के लिये, जैसे अनुज भाई बता रहे थे कि अभी सिलतरा में जो घटना हुई थी उसमें 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंची और उनका ईलाज प्रारंभ हुआ तो ईलाज के लिये जिस भी अस्पताल में जायें, जो उसका औद्योगिक घराना है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी रहे कि वहां का जो भी पेमेंट होगा वह उद्योग घराना करेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब प्रशासन वापस निकल जाता है तो वहां पर कोई रहता नहीं है और आदमी जो घायल रहता है वह केवल चिल्लाता रह जाता है । हमारे यहां बहुत सारे श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके इतिश्री कर लेते हैं और मरने वाले का जो परिवार रहता है उसके पुनर्वास के लिये और रोजगार के लिये कोई अभी तक ऐसी योजना

नहीं बनी है कि जो मृतक होता है उसके परिवार को कोई पुनर्वास मिल सके ।

माननीय सभापति महोदय, जो बड़े-बड़े उद्योग रहते हैं उसके तो सी.एस.आर. मद की बात हो जाती है कि हमारे एन.एम.डी.सी. के सी.एस.आर. मद की बात हो जाती है, भिलाई स्टील प्लांट के सी.एस.आर. मद की बात हो जाती है लेकिन हमारे छोटे-छोटे क्षेत्रों में जो उद्योग लगे हुए हैं उनका जो सी.एस.आर. मद है, जिसकी मीटिंग हर महीने में एक बार होनी चाहिए । वह छोटे-छोटे उद्योग जो प्रदूषण भी फैलाते हैं, वहां पानी भी गंदा करते हैं उनके सी.एस.आर. मद का कोई हिसाब-किताब जिला कलेक्टर के पास नहीं होता है और वह बेतहाशा तरीके से प्रदूषण फैलाते रहते हैं । उनके ऊपर कोई रोकटोक नहीं है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहां कोटा विधानसभा क्षेत्र में एक डिस्टिलरी लगी हुई है वहां इतना ज्यादा पॉलुशन है कि पूरा पानी खेतों में घुस जा रहा है, वहां के 10 किलोमीटर के एिरया में इतनी बदबू आती है । मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि वहां प्रदूषण फैल रहा है, आपके प्रदूषण डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां गये भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके सी.एस.आर. मद की तो यह स्थिति है कि आज तक उसने सी.एस.आर. मद में एक भी गांव में एक रूपये नहीं दिया तो इसमें सुनिश्चित किया जाये कि जो छोटी-छोटी कोल वॉशरीज लग रही हैं, छोटे-छोटे उद्योग लग रहे हैं, जो आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं उनके सी.एस.आर. मद से उनके गांव में कोई न कोई व्यवस्था हो जाये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और यह जो सी.एस.आर. मद का पैसा है वह चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में बंद हो, चाहे विकास के लिये बंद हो इसकी व्यवस्था जरूरी है क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपति एन.एम.डी.सी. से 700 करोड़ दंतेवाड़ा में ले लेते हैं लेकिन जो छोटे उद्योग लगाये हुए हैं उनके सी.एस.आर. मद का पैसा कैसे जाता है । जहां तक मुझे जानकारी है मेरे अपने क्षेत्र की कि वह सी.एस.आर. मद के पैसे को अपने ही किसी आदमी के नाम पर देकर उसकी इतिश्री कर लेते हैं और उसमें जिला प्रशासन का कोई भी दखल नहीं होता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सी.एस.आर. मद में उनका दखल हो।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन में फुड पार्क की स्थापना की बात की गयी है। दंतेवाड़ा जिले में फुड पार्क की स्थापना के लिए भूमि का चयन हो चुका है, परन्तु प्रशासकीय प्रतिवेदन में दंतेवाड़ा का नाम नहीं है। जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आया है उसमें लगातार यह लिखा जा रहा है कि प्रक्रिया प्रारंभ, केवल दो जगहों में लिखा है कि वहां प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। इनके कार्यकाल को ढाई साल का समय गुजर गया है अगर इस तरीके की प्रक्रिया चलती गयी तो हम कब काम पूरा करेंगे। यह जो फाईलें एक टेबल से दूसरे टेबल में घूम रही हैं, आपकी मंशा अच्छी है, आपने बहुत अच्छे प्लान बनाये हैं आपके बजट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो आपने करके रखा है, पर अगर हम जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो उद्योग कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल फाईलों के ऊपर कार्य अटका रहता है या तो उसमें इंस्पैक्टर राज का एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है और कोई फाईलें आगे

नहीं बढ़ती हैं। जिसके कारण बाहर से आने वाले उद्योगपति और छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी अपना किनारा काटने लगते हैं और उद्योग पीछे हो जाता है। देखिये यहां पर उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन अंधाधुन औद्योगीकरण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर इन उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और जनमानस में पड़ने वाले दुष्परिणाम पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। अभी ई.एस.पी. की बात हुई थी, वह आपका विभाग नहीं है, मैं यह जानता हूँ पर उद्योग विभाग रायपुर से बिलासपुर आते हुए सुबह के 10.00 बजे पूरे सिलतरा क्षेत्र में धुंआ छाया हुआ था एक ई.एस.पी. होता है, आप वह ई.एस.पी. लगाने का प्रावधान उद्योग विभाग से रखा हुआ है जिसकी जांच का काम पर्यावरण विभाग करता है, पर ऐसा कहा जाता है कि जो ई.एस.पी. का कंट्रोल है, वह उद्योगपति के हाथ में रहता है, वह जब चाहता है तो उसे ऑफ कर देता है और जब चाहे तो उसे ऑन कर देता है। जो प्रदूषण फैल रहा है आपको उसके लिए भी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रदूषण को किस तरीके से रोका जा सके। छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि पर आधारित राज्य है, यह वनोपज पर आधारित राज्य है। आप ऐसे उद्योग लायेंगे जिसमें अभी देखा जाता है कि जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम करने वाले, फरनेस में काम करने वाले बिहार, झारखण्ड के लोग हैं। आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों को कब रोजगार मिलेगा। आपने अपनी उद्योग नीति में एक नियम बनाया था कि हम जो भी उद्योग लायेंगे, उनमें जो 40 प्रतिशत लोग रहेंगे, जो प्रबंधन का काम करते हैं उसमें 40 प्रतिशत स्थानीय लोग रहेंगे। उसमें 70 प्रतिशत जो कुशल श्रमिक हैं उसमें हम छत्तीसगढ़ के 70 प्रतिशत कुशल श्रमिकों को लेंगे और 100 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों की भर्ती करवायेंगे। पर यहां ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहां पर सब बाहर के लोग जिसमें झारखण्ड, उड़ीसा और बिहार के लोग काम कर रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैसे रोजगार मिलेगा। हम अपनी नीतियों में उनको किस तरीके से कहें कि आप हमारे लोगों को ट्रेंड कीजिए, पहले उनको काम दिलवाईये और उसके बाद अपने कामों पर रखिए। पर यह लगातार देखा जा रहा है कि यहां की फैक्ट्रियों, उद्योगों में काम करने वाले लोग, स्थानीय लोग नहीं हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी के पास श्रम विभाग भी है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अटल जी, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों ने इस प्रदेश की औद्योगिक हालत कैसे बना दी। क्या हुआ, अभी सदन में दादी नहीं है। दादी बिलासपुर सिरगट्टी के औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने गये तो उन्होंने चौकीदार को यह बताया कि मैं उद्योग मंत्री हूँ तो भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। माने वह उस तरफ निसैनी चढ़कर गये, अब बताओ कि कैसे इस प्रदेश का औद्योगिकरण होगा। आप लम्बी-लम्बी बात करते हो और बाकी जब सत्ता आती है तो आप ऐसे लोगों को बिठा देते हैं। दादी कहां है, उन्हें निशैनी चढ़कर, कूदके गिस, अइसे बताईस।

श्री रामकुमार यादव :- ठीक है। अच्छा बात हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने बताया कि मैं उद्योग मंत्री हूँ तो भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। भोलाराम जी, तैं सुनत हस नइ। मैं उद्योग मंत्री हूँ तो भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया

श्री रामकुमार यादव :- ओ जांच करेला गिस ना। तुमन का करे बर जाथो, तुमन तो जाबे नइ करत हौ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह बात सही है कि वहां उद्योग मंत्री जी गये थे, पर वह उद्योग का केन्द्र नहीं था वहां पर उद्योग के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था और वहां पर गुटखा के पाउच बनते थे। जिसमें बाद में कार्यवाही भी हुई है। इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल रहा था।

सभापति महोदय :- वह कितने बजे गये थे। वह तो बता दीजिए। रात का क्या टाईम था।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, रात का ज्यादा समय नहीं हुआ था और वहां सही में गुटखा बनता था, उसका नाम भी है, वह मशहूर गुटखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, ऐसा क्या है मैं उद्योग मंत्री हूँ यह बताने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया। वह कूद के गये तो उनका रोका भी नहीं गया।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यही तो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यहां के लोगों को नहीं पहचानते हैं। यहां के उद्योग मंत्री को नहीं पहचानते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह छत्तीसगढ़ या कांग्रेस का दुर्भाग्य है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, अभी-अभी केन्द्र सरकार की नई श्रम नीति आई है, पता नहीं वह नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुई है या नहीं हुई है । उस श्रम नीति में पहले श्रम नीति में यह नियम था कि अगर 7 से ज्यादा श्रमिक आपके यहां है तो आप यूनियन बना सकते हैं और यूनियन बनाकर आप अपने मांगों की, अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं । पर यह देखा गया है कि जब से केन्द्र की नई श्रम नीति आई है, उसमें यह नियम है कि जब तक कि उस उद्योग में 200 लेबर नहीं होगा, वह अपना यूनियन नहीं बना सकता, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। अभी तो यह स्थितियां है कि पहले 8 घंटे की ड्यूटी कम्पलसरी थी, अभी उनको कहा गया है कि आपको 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी करनी है । कानून में इतना बड़ा फेरबदल किया गया है कि मजदूर चाहकर भी अपना आवाज नहीं उठा सकता और पूरा कानून जो बना हुआ है, वह उद्योगपतियों के हिसाब से बना हुआ है । वह छत्तीसगढ़ में लागू होगा तो लेबरों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा । अभी हायर एण्ड फायर केन्द्रीय श्रम नीति में आया है, जो कि छत्तीसगढ़ भी लागू कर रही है । जब चाहे नियोक्ता आपको नौकरी से बाहर निकाल सकता है । अगर उसका मन कर रहा है कि मेरी फैक्ट्री आज मैं बंद कर रहा हूं, आपको बाहर कर रहा हूं । पहले ऐसा श्रम कानून में नहीं होता था । आप किसी को नौकरी में रखे हैं तो आपको कारण देना होगा कि आप उसको क्यों निकाल रहे हो? पर अभी जो श्रम नीति कानून आयी है, उसमें

आप किसी को भी उठाकर बाहर कर सकते हैं । इसलिए इस चीज को रोका जाना चाहिए । मैं सभापति जी के माध्यम से उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा ।

सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में नगरनार स्टील प्लांट आया था, जिसमें एनएमडीसी का बहुत सारा पैसा लगा था । आज भी ऐसा पता चल रहा है कि डिस्इंवेस्टमेंट की तरह उसको एक सेल में डाला जा रहा है और बाद में उसका प्राईवेटाईजेशन कर दिया जाएगा । हमारे पास पूरे बस्तर में इतना बड़ा आयरन का भंडार है और नगरनार स्टील प्लांट इतना बड़ा बनकर तैयार है तो क्यों किसी प्राईवेट आदमी को देना ? हमारा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डिपोर्टमेंट उसको चला सकता है । छत्तीसगढ़ के लोग चला सकते हैं तो उसको डिस्इंवेस्टमेंट के सेल में डालकर आगे उसमें क्या प्लानिंग चल रही है कि उसको औने-पौने दाम में बेचने की प्लानिंग चल रही है तो कहीं न कहीं इसको रोका जाना चाहिए क्योंकि जब तक कि आप इसको प्राईवेट सेक्टर्स को नहीं लाएंगे, पब्लिक सेक्टर्स को नहीं लाएंगे, हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट है, हमारे पास एसईसीएल है, हमारे पास कोल इंडिया है, हमारे पास एनटीपीसी है, एनएसडीसी है, ये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन संस्थाओं को आने वाले 10 सालों में क्या जरूरत पड़ेगी, इसका ऑकलन उद्योग विभाग करता है क्या ? उद्योग विभाग और टेक्निकल विभाग, यह विभाग बैठकर तय करे कि आने वाले समय में एनएमडीसी, एसईसीएल, एनटीपीसी, बीएसपी को कौन-कौन से मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से हमें कौन सा मानव संसाधन तैयार करना होगा, इसकी कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है कि हम आने वाले 5-10 सालों में कितने पद खाली होंगे, उन पदों में भर्ती कैसे होगी । अभी मैंने सुना था कि छत्तीसगढ़ में अडानी ने कोई कम्पनी खोली है और उसमें कहा गया था कि हमको 100 आपरेटर चाहिए, जो जेसीबी चलाएंगे । तो छत्तीसगढ़ के लोग जेसीबी के ऑपरेटर के लिए बस बने हैं क्या ? और कामों के लिए नहीं बने हैं। कहीं न कहीं हमारे उद्योग नीति में यह रहना चाहिए कि हमारे आने वाले बेरोजगार नौजवानों को कैसे तैयार करें कि आने वाले 5 और 10 साल में ये उद्योग आएंगे और इनमें इन-इन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप इसका अध्ययन करके तैयार रहिए, ताकि जैसे ही उद्योग लगेंगे तो यहां के बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है-आबकारी । आबकारी में बोलना है या नहीं ? बोलना है । आबकारी में प्रदेश में आप जिस तरीके से बहुत अच्छा रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं । होली के दिन भी आपने दुकान खोलने की बात की थी, पर अच्छा नहीं खोले, नहीं तो रंगे-पुते हुए आदमी पूरी दुकान लूट लेते । आपने निर्णय वापस लिया इसलिए आपका साधुवाद । पर जिस तरीके से नशे और शराब का कारोबार आप लगातार बढ़ाते जो रहे हैं, एक तरफ आप कारोबार बढ़ा रहे हैं, दुकानें बढ़ा रहे हैं, आपने 67 दुकानें बढ़ा दीं, दूसरी तरफ आपका पुलिस डिपार्टमेंट रोज हर नाकों पर खड़ा हो जाता है और आपका एक मशीन रखा रहता है । कोई आता है तो उसको रोककर बोलता है कि आप

चलिए । कल ही बिलासुपर की बात है । राजीव गांधी चौक पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खड़े होकर केवल वह चेक कर रहा था । कोई अस्पताल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पूरी जगह से ट्रेफिक जाम होकर खड़ा हुआ था । मेरा आपसे निवेदन है कि जो बार लाईसेंस का मामला था, आप महाराष्ट्र का अवलोकन कर लें, बाकी जगह का अवलोकन कर लें । बार लायसेंस क्यों दिया जाता था ? इसलिए दिया जाता था कि किसी पीने वाले आदमी को एक जगह मिले, जहां वह बैठकर पी सके । अगर वह अपने खेतों पर, अपने घर पर, अपनी गाड़ी में पी रहा है, एक तरफ तो आप खुलेआम खराब बेच रहे हैं और शराब बेचकर रहे हैं तो जो पीकर आता है, उसको आप जेल में डाल देते हैं । आपकी आबकारी नीति में, आपके बार लाईसेंस की फीस 25 लाख रूपए है । सभी लोग बार लाईसेंस की फीस को सरेंडर कर रहे हैं तो आखिर बार लाईसेंस का मतलब यही होता है कि परमिटेड दुकान, जहां पर पीने वाले को एक अहाता मिल सके, जहां उसके बैठने की व्यवस्था हो, बार लाईसेंस को आपने 25 लाख और 30 लाख कर दिया है । आप यह चाहते हैं कि केवल बड़े-बड़े लोग पीएं, जो बेचारा गरीब आदमी अपने खेत पर बैठकर, पीकर अपने घर वापस जाता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है । अगर वह शराब लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसको पुलिस पकड़कर ले जाती है। तो कहीं न कहीं आबकारी नीतियों पर बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात मैं आपको कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह आपकी उद्योग नीति में एक और अभी उद्योग नीति 2023 में आया था कि जितने होटल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आपने कहा था कि आप जमीन को छोड़कर 15 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाले को 40% तक की सब्सिडी देंगे और उसमें आपने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग को रखा हुआ था, वहां पर 100 keys मतलब 100 रूम्स के अगर होटल बनाता है, तो उसको आप जमीन छोड़कर 40% की सब्सिडी देंगे। अभी एक ही साल के अंदर आपने उस पूरे कानून को बदल दिया। अब उसको आपने कर दिया कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग यहां पर अगर कोई 150 key मतलब 150 कमरे का होटल निर्माण करता है और उसकी लागत अगर 30 करोड़ रुपये तक की आती है, तब आप उसको 40% सब्सिडी देंगे। एक साल में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको नियम बदलना पड़ा? पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी होटल नहीं है, जहां पर 150 कमरे हों। पर आप कौन से बड़े उद्योगपतियों को, बड़े होटलियर्स को यहां लाने के लिए कानून बनाते हैं ताकि आपकी सब्सिडी का फायदा केवल वह बड़ा आदमी उठा सके जो 150 key का होटल बनाएगा। छत्तीसगढ़ के किसी आदमी द्वारा 150 key के होटल बनाकर उसकी वायबिलिटी तय नहीं होगी। पर आपको इस नियम को एक साल में बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे कौन से कारण थे? ऐसे कौन से बड़े उद्योगपतियों का दबाव था जो आपने इस कानून को बदल दिया और सब्सिडी का फायदा उन बड़े उद्योगपतियों को देने की बात की? मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को होटल डालने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, वह ज़्यादा अच्छा है। पर आपने कानून ऐसा बनाया है कि केवल बड़े-बड़े लोग आएं। 150 कमरे का

होटल पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, पर आप ऐसा काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी इस उद्योग नीति में जो कि हॉस्पिटैलिटी के नाम पर है, उसे वापस पुराने नियम पर लाया जाए।

सभापति महोदय :- समाप्त करें, बोल रहा हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और इसके विरोध में आज यहां पर खड़ा हुआ था। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 11, मांग संख्या 18 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग की बात करें तो जब से विष्णु देव साय जी की सरकार आई है, Ease of Doing Business कोई भी उद्योगपति, कोई भी उद्योग उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसकी करोड़ों की लागत होती है। उस जगह पर वह इन्वेस्ट करना चाहता है, जहां वह सुरक्षित महसूस करे, जहां उसको आसानी हो, काम करने की आसानी हो। ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसमें छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए प्रो-इंडस्ट्री और निवेश अनुकूल राज्य है, यह बात दिखाई दे रही है। क्योंकि यहां सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था के माध्यम से सारी अनुमतियां एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। प्रक्रिया इससे सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से काम हो सके, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। सभापति महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। सरकार ने यह प्रयास किया है कि यह केवल नियंत्रण करने वाली संस्था न होकर ऐसी इंडस्ट्रीज को यहां आने के लिए, निवेश करने के लिए रेगुलेटर से अधिक फैसिलिटी देने वाली हो, फैसिलिटेटर (facilitator) हो जो सुविधा दे । निवेश के लगातार प्रस्ताव भी बढ़ रहे हैं और उद्योग भी बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा यकीन है कि Ease of Doing Business के क्षेत्र में जितने भी काम किए जा रहे हैं, जितने भी सुधार किए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में लोग छत्तीसगढ़ में अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक बेहतर वातावरण हासिल कर पाएंगे और यहां निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आकर्षित होकर आएंगे कि वे अपने बिजनेस को यहां शुरू कर सकें। माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण काम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Food Processing Industry) के लिए किया जा रहा है। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है कि यदि हम किसानों की आय को वास्तविक रूप से बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मूल्यों का भी संवर्धन होना चाहिए और इसीलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ही ऐसी हैं जो इसे विस्तार दे सकती हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (National Mission on Natural Farming), खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (National Mission on Edible Oil) तथा दलहन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता

मिशन जैसे कार्यक्रमों के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारे किसानों की धान पर जो निर्भरता है, उसको कहीं न कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, उसके उत्पादन के लिए प्रमोट करने वाली बात है। इससे निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की यहां व्यवस्था हो सकेगी, जो इंडस्ट्रीज के काम आएंगी। औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024 से 2030 में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल एरिया और लैंड बैंक एक बहुत बड़ी पहल है। जब भी कोई इंडस्ट्री बाहर से आती है तो उसको सबसे पहले जमीन की आवश्यकता होती है और जमीन के अधिग्रहण के संबंध में सबको पता है कि इंडस्ट्रीज को कितनी परेशानियां होती हैं। उसमें क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, क्या-क्या तरीके होते हैं, लैंड एक्विजिशन में उनकी हालत खराब हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बेहतर वातावरण इंडस्ट्रीज को मिल सके। भूमि, सड़क, बिजली, पानी और जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं, वह समय पर उपलब्ध हो सकें तो निवेशक आपके पास आसानी से आते हैं और राज्य में उद्योग स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें लैंड भी मिलनी चाहिए। बजट में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही हैं और 250 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे क्योंकि 23 नए औद्योगिक केंद्र होंगे, पूरा एक सेक्टर होगा, जो आसपास के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। यह सरकार की एकदम दूरदर्शी कदम है, जिससे भूमि उपलब्ध होगी, उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया तेज होगी, रोजगार जल्दी मिलेगा, इन उद्योगों के निर्माण से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में केवल उद्योगों की स्थापना तक सीमित नहीं है क्योंकि आसपास में भी बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। बहुत सारे दुकान खड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, इस तरह से इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद वे लगातार investors को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए Investor Connect कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी जानते हैं कि जापान के ओसाका में भी Investor Connect कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। वहां पर छत्तीसगढ़ के विषय में बहुत बड़ी संभावना दिखाई दी थी। लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए अपने आप को छत्तीसगढ़ से जोड़ने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, बेहतर आधारभूत संरचना और निवेश अनुकूल नीतियों को देश और दुनिया के निवेशकों के सामने इस कार्यक्रम ने प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है क्योंकि लगातार Investor Connect कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे

हैं। छत्तीसगढ़ उद्योगपतियों की नजर में एक भरोसेमंद और आकर्षक राज्य है। पिछले वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पाद प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसके माध्यम से प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है। यह बहुत बड़ा Investment है। साथ ही 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। अब एक नया टर्म यूज होता है-स्टार्टअप। हम रोजगार की मांग करने वाले न होकर रोजगार देने वाले हों। आज के युवा नए-नए Ideas लेके आ रहे हैं, नए-नए Concept लेके आ रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सहयोग देने का निर्णय लिया है और इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। जहां संसाधनों, मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग के अभाव में नई प्रतिभाएं अपने स्टार्ट अप के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनको अब यह अवसर मिलेगा । छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्ट्स अप प्रोत्साहन नीति 2025 से 2030 तक लागू की गई है । अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग अक्सर जो नये युवा होते हैं, वह कहीं न कहीं अपने कैरियर को बनाने के लिये ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उसके लिये NIPUN के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग के विषय में कहूँगा कि अब इस विभाग में बहुत सारे ऐसे पहल किये जा रहे हैं, जो हमारे श्रमिक भाईयों के जीवन स्तर को बेहतर और सुरक्षित बना रहे हैं । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना संचालित है, जिसमें अपने भूखण्ड में मकान बनाने के लिये 1 लाख रूपये का अनुदान मिलता है । अगर कोई 10 वर्ष या इससे अधिक पंजीकृत श्रमिक है, उसकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही हो तो उसे प्रतिमाह 15 सौ रूपये पेंशन देने की स्कीम है । जो श्रमिक सोचते थे कि हम श्रमिक हैं और हमारी सेवानिवृत्ति कब होगी, हमारे लिये क्या व्यवस्था है, उसकी चिन्ता करने वाली सरकार है । इसमें पेंशन की भी व्यवस्था की गई है कि कम से कम परिवार को पेंशन के माध्यम से एक राशि मिल सके । मुझे इस बजट में सबसे उत्साहवर्धक जो बातें दिखाई देती है कि हर श्रमिक को एक बाप के रूप में एहसास होता है कि श्रमिक के बच्चे श्रमिक न बने । श्रमिक के बच्चे जीवन में आगे बढ़े । वह किस प्रकार अपनी पढ़ाई पूरी करे । किस प्रकार वह बेहतर से बेहतर जीवन स्तर को हासिल कर सके । उसके लिये मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना है इसमें दो बच्चों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक 1000 रूपये से 10,000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी । इसके लिये लगभग 3 लाख 3 हजार बच्चों को राशि 60 करोड़ 21 लाख 55 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है । यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ । व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिये विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क में उन्हें सहयोग कर रहे हैं । यह सारी बातें इसमें है । अगर श्रमिकों की बेटियों की शादी होती है तो उसके 2 पुत्रियों के लिये 20 हजार रूपये अनुदान की इसमें योजना है । मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो है लेकिन श्रमिकों के लिये यह विशेष व्यवस्था है । माननीय

सभापति महोदय, ऐसी हमारी श्रमिक बहनें 2 संतान के जन्म के समय वह अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होती है, उनकी भी चिन्ता करते हुये एकमुश्त 20 हजार रूपये हर बच्चे के पीछे 2 बार 20-20 हजार देने की योजना है । यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, माननीय मंत्री जी का सहद्य होना है जो इस तरह की चिन्ता उन श्रमिक परिवारों के लिये कर रहे हैं, जिसे अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में मानकर ऐसी योजनायें इस बजट में लेकर आये हैं और ऐसे प्रावधान लेकर आये हैं । माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही हमारे श्रमिक भाईयों के लिये 11 जिलों में 43 औषधालय संचालित हैं, इसमें लगभग 6 लाख 26 हजार बीमित व्यक्ति और उनके परिवार इसका लाभ ले रहे हैं । रायपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई में 100 बिस्तरयुक्त एक-एक चिकित्सालय का निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया गया है । भारत सरकार एवं श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के द्वारा 29 श्रम कानूनों को कम किया गया है, जो क्लिस्टता थी, जो भारीपन था, उसे छोटा किया गया है, उसका सरलीकरण किया गया है । माननीय सभापति महोदय, हमारे श्रम विभाग के तीनों मंडलों की योजनाओं के अंतर्गत 16,98,598 श्रमिकों को 447 करोड़ 36 लाख 57 हजार 783 रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे राज्य स्तर पर लाभान्वित किया गया है। ये बहुत बड़ी एमाउंट है जो हमारे श्रमिक भाइयों के खाते में सीधे गया है। समय का अभाव है और आज सबकी व्यस्तता है, इसलिए मैं बात को संक्षेप में रख रहा हूं। एक बड़ी बात होती है, ऐसे उद्योगों में जब भी कोई दुर्घटना होती है, हमारे श्रमिक भाई किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं या तो उनकी मृत्यु होती है या वे अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार से सहयोग किया जा सके, मुख्यमंत्री दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को सामान्य मृत्यु की दशा में 1 लाख रुपये, कार्यस्थल में दुर्घटना के मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और अगर स्थाई रूप से अपंगता होती है तो 2.5 लाख रुपये और अपंजीकृत को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना और मृत्यु होने पर 1 लाख के अनुदान की योजना है जिसमें 2025 में 3,217 सामान्य मृत्यु के प्रकरण में 32 करोड़ 17 लाख रुपये प्रदान किए गए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार आने से पहले शराब दुकानों में दो गल्ले हुआ करते थे। (शेम-शेम की आवाज) दो गल्ले होते थे और दल्ले भी बहुत होते थे, उन्हीं में से एक दल्ला फरारी काट रहा है जो इनका खजाना संभालता था। ऐसे लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के हक के पैसों में चोरी करने का, डाका डालने का, बदनियती करने का काम किया था। (शेम-शेम की आवाज) ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, कुछ बेल में, कुछ जेल में, कुछ फरारी में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन आया है, दो वर्ष में आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारण में वृद्धि की गई है और 2024-25 हेतु निर्धारित किए गए

10,500 करोड़ आबकारी राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध 10,145 करोड़ का आबकारी राजस्व अर्जित किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) पिछली सरकार के समय इसका आधा पैसा आता था, आधा कहां जाता था, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान गई, इसलिए उनको यहां से वहां भेज दिया। (शेम-शेम की आवाज)

सभापति महोदय :- अनुज जी अब समाप्त करें।

श्री अनुज शर्मा :- जी, माननीय सभापति महोदय,

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता,

दिल में बहुत कुछ है कहने को मगर हौसला नहीं होता।

नशा शराब में होता तो नाचती बोतल।

क्योंकि अभी समय का अभाव है और अभी इनको कितने नाच नाचने पड़ेंगे विष्णु देव साय जी की सरकार और इस सुशासन में जिन्होंने घोटाला किया है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ विषयों में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैंने समय-समय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, वे मुझसे थोड़े परेशान भी रहते हैं कि मैं सवाल बहुत लगाता हूं। क्या करूं, मेरे क्षेत्र में उद्योग इतने हैं, समस्याएं जो हैं उनसे अवगत कराना मेरा नैतिक दायित्व है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जब भी रायपुर में कोई बड़ी अग्निकांड होता है, कहीं आग लगती है तो कई बार हमें भिलाई से भी दमकल दल बुलाना पड़ता है और इंडस्ट्रियल एरिया है, सब इंडस्ट्रीज अपने लिए फायर स्टेशन रखती हैं, लेकिन वे अपग्रेडेड रहें, ये मेरा आग्रह है, ताकि इस तरह की घटना होती है। क्योंकि जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, हमारी पहली प्राथमिकता वहां फंसे हुए लोगों को निकालना होती है, पहले प्राथमिक उपचार देना। इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कृपया उसमें ध्यान दें और स्पेशली हमारे सुशांत जी ने भी आग्रह किया सिरगिट्टी, सिलतरा ये जो मेन हमारे एरिया हैं उसमें ध्यान दें। श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूलों का प्रावधान तो है लेकिन वास्तविकता होनी चाहिए। एक विषय और है जो मैं अभी कहना चाह रहा था। ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारे क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ाएं, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वह पानी हो, चाहे एसिड हों, उनका सही निराकरण होना चाहिए। क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव इन समस्याओं से प्रभावित हैं जहां के बोर में आप पानी नहीं पी सकते। 6 बोर हैं तो 5 में लाल निशान है और 1 में पानी पी पा रहे हैं। भूमिगत स्रोत में ऐसे कंटेंट को डाल देने से भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। इस पर थोड़ी तेज निगाह होनी चाहिए और इसमें बाध्यता होनी चाहिए। मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि जब भी कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो उसका वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक बार जब सवाल लगाया था तो जो जवाब आया था, वह चौंकाने वाला था। उसमें यह जवाब आया था कि उन्होंने पुराने जवाब को फिर से अपलोड कर दिया था। उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री श्रमिकों के स्वास्थ्य की

ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं करता है, जैसा उन्हें करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे श्रमिक अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके जीवन की रक्षा करना भी उन उद्योगों की जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण बात और रह गई। मेरा एक निवेदन और है कि जो C.S.R. होता है उसको उन लोगों के लिए खर्च करें जो उनका धूल खाते हैं, जो उनका धुआं पीते हैं। (मेजों की थपथपाहट) उन क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी उन उद्योगों की पड़ती है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय में भी वह जरूर मजबूत कदम उठाएंगे। मैं इन सारी मांगों, मांग संख्या 11 और मांग संख्या 18 का समर्थन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री इंद्रशाह मंडावी।

श्री इंद्रशाह मंडावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के औद्योगिक विकास नीति मांग संख्या 11, मांग संख्या 18 और मांग संख्या 7, जिसको यहां पर दर्ज नहीं किया गया है, मैं तीनों के संबंध में बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या 11 में ही आता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मालिक, मांग संख्या पढ़े में ऊंच-नीच हो जाही तो चलही। यह बोल देव कि मैं एखर विरोध करत हंव।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- भैया, एक कनी बोलन दे न। सभापति महोदय, मांग संख्या 11 में औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024-30 एक विजन बनाये हैं। मेरा क्षेत्र नवीन जिला है-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, जिसमें अभी तक कोई भी वहां के लिए विजन तैयार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कोई विजन तैयार करें। विशेषकर वहां पर वनोपज आधारित कोई प्रोसेसिंग प्लांट, मक्का आधारित प्रोसेसिंग प्लांट या फूड आधारित प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का मैं निवेदन करता हूं। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे यहां दो-तीन इंडस्ट्री हैं, परंतु वह भी सिक टाइप की हैं तो आप वहां के हमारे लेबर लोगों का विशेष ख्याल रखें। C.S.R. में जो बंदरबांट हो रही है, वह जिस क्षेत्र के हैं, मिट्टी-धूल खाते हैं, उसके ऊपर विशेष रखें, यह मैं चाहता हूं। दूसरा, आबकारी विभाग है। प्रदेश के राजस्व में सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाला आबकारी विभाग है। इसमें उत्पादन, मादक पदार्थों का थोक विक्रय, फुटकर विक्रय, परिवहन, आयात बहुत सारे विषय होते हैं। यहां पर आबकारी अमला बहुत कम है। मैं देख रहा था कि प्रथम श्रेणी में 33 पदों में से सिर्फ 24 भरे हैं, 9 खाली हैं। द्वितीय श्रेणी में 132 पदों में से 117 ही भरे हैं, 15 खाली हैं। तृतीय श्रेणी में 1,248 पदों में से 389 भरे हैं, 859 खाली हैं। वैसे ही लिपिकीय में 197 पद और सबसे बड़ा चतुर्थ श्रेणी में 1,140 पद खाली हैं। इसमें जब तक आप पद नहीं भरेंगे, तब तक कि वहां पर काम कैसे होगा? जमीनी स्तर में काम करने वाले सबसे ज्यादा आरक्षक होते हैं, परंतु वहां पर आरक्षक की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ 69 पद स्वीकृत हैं और अभी कार्यरत हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर भर्ती करें, जिससे लोगों को काम मिले और नियंत्रण का जो

सबसे बड़ा अमला होता है, वह निचले स्तर का अमला रहता है तो इस स्तर को बनाकर रखें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा था कि आप इसको आगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कहीं-कहीं पर अभी हमारे यहां नये विभाग खुले हैं, परंतु वह मोहला में कार्यरत नहीं हैं, किराये में हैं, कहीं पर चौकी या बाहर में हैं। जिसकी वजह से यदि किसी को शिकायत भी करनी है तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी माननीय शर्मा जी कह रहे थे कि 12,000 करोड़ रूपये का बजट है तो यह अभी बहुत कम है।

समय:

8.00 बजे

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं यदि वहां अमला तैयार करें । यहां पर विभाग को बहुत सारी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, जिससे राजस्व की आय हो। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। वहां पर साढ़े चार लीटर की छूट है उसके बाद भी पुलिस कहीं भी किसी के घर में भी घुस जाती है और उसके ऊपर 20 लीटर, 30 लीटर और 40 लीटर का केस बना देती है और उसके बाद 60,000 रूपये, 1,00,000 रूपये की मांग करती है। यह सबसे ज्यादा पुलिस वाले करते हैं, एक्साइज अमला कम करता है। पुलिस वालों पर कैसे नियंत्रण करें, आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वे गरीब लोग हैं और कभी-कभी तो उन्हें जमीन बेचकर पैसा देना पड़ता है । जैसे ही मेरे संज्ञान में यह बात आती है तो मैं टी.आई., एस.पी. और एडिशनल एस.पी. को बोलकर कम तो करवाता हूं परंतु कभी-कभी वे मुझ तक भी नहीं पहुंच पाते तो फिर वे जमीन बेचकर पैसा देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग कंट्रोल करेंगे तो बड़ा अच्छा रहता। सभापति महोदय, आप लोग विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा दुकानें खोल रहे हैं जबकि हमको इसे नजरअंदाज कर लोगों के हित में काम करना चाहिए। इससे नये जनरेशन के बच्चे हैं, वे शराब के नशे में डूब रहे हैं। अभी आप लोग 67 नयी दुकानें खोल रहे हैं, जिसमें हमारे यहां भी दो-तीन दुकानें खुलने का प्रावधान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसी प्रकार की चिंता मत करिये, सब ठीक कर देंगे। पूरा मानपुर से औंधी और खुज्जी तक ठीक कर देंगे।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- क्या ठीक कर देंगे ? मैं चाहता हूं कि वहां पर दुकानें न खोलें और जो एक दुकान खुली है वह तो खुल गयी लेकिन अब दूसरी दुकान मत खोले।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब वहां नक्सली नहीं है।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- सभापति महोदय, नक्सली तो अभी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वे नहीं आते। वे लोग आते हैं और सर्च करके चले जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि वहां राजस्व अमले की थोड़ी स्वीकृति करें। अभी जितने भी प्रकरण बनाएं। अभी हमारे अनुज शर्मा जी बोल रहे थे। वहां पर कहीं पर कोई पकड़ नहीं है, सिर्फ कागजी कूट रचना के हिसाब से उनको गिरफ्तार किया गया है जबकि अगर

पैसा जब्त हुआ है या कोई माल जब्त हुआ है तो उसमें कोई जी.एस.टी. या कोई कुछ किए हैं? क्या कहीं पर पकड़े हैं ? मैं आज तक देख रहा हूं कहीं पर कुछ नहीं है और धीरे-धीरे सब ऐसी छूट जाएंगे। उसमें 28 कर्मचारी भी हैं, उनको भी बलि का बकरा बना दिए। जबकि उनको जल्दी रिइंस्टेट करके काम में लगा देते।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चिंता मत करिये।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। मैं तो आप लोगों की चिंता कर रहा हूं कि आप लोग उसमें मत घुसिये। वैसे ही अभी बियर के ऊपर बियर आ रही है। अभी नांदगांव के बहुत सारे प्रकरण आए हैं। जो सस्ती बियर है, उसके ऊपर महंगी बियर का रैपर लगाकर उसी को बेच रहे हैं। चाहे वह पहले का मामला हो या अभी का मामला हो, वही हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इन सब में कमी करें और मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला, संक्षिप्त में अपनी बात रखिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय लखन लाल देवांगन जी के विभागों की अनुदान मांगो के समर्थन में बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारे विषय रखे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुंहर यहां कतेक भट्ठी खुले हे, एला जरूत बताबे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आज से कुछ महीने पहले बिलासपुर में एक दु:खद घटना हुई थी। वहां सिरगिट्टी आपके विधान सभा क्षेत्र में आता है। वह पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी लेकिन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन जब हम उस आग को बुझाने के लिए व्यवस्था की दरकार करें तो हमें ACC और NTPC से लगभग भीख मांगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी पड़ी। मैं पूर्ववर्ती समय में भी आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री जी से मांग कर चुका हूं कि सिरगिट्टी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की स्थिति सुनिश्चित हो, लेकिन दो वर्ष बीतने जा रहे हैं और बजट में उसका प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा क्योंकि माननीय लखन लाल जी भी एक औद्योगिक नगरी से आते हैं और श्रमिकों की समस्या उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यदि आज्ञा होए तो बोलहू। ओ मन कहात हे कि मैं पिछली दफा भी मांग किया था, तबो नई दिस। तभो ला मैं ओकर मांग के समर्थन करत हव कहात हे। एला क्षेत्र के जनता देखही, जब तोर कहत हच नहीं तो समर्थन काबर करत हे ?

श्री सुशांत शुक्ला :- समर्थन एक विभाग के नई हे गा। थोड़ा से पढ़ ले कर कि ओकर पास कतका विभाग हे। तोला एकर करे तोर सरकार में मत्री नइ बनात हावय। पढ़े झन करत।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन इकर नइ करत हन का ? मैं मंत्री झन बनव। मैं दू घाव विधायक बन गे हन।

श्री सुशांत शुक्ला :- नया उद्योग खुलत हे तो मुआवजा घोटाला करत हवय।

श्री रामकुमार यादव :- सुनिये, कब तक विधायक रहिबो ये बड़ी बात नो हे। जब तक रहिबो तब तक गोठियाथव।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अब सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के सेकंड फेस का भी प्रारंभ होना लगभग शेष है। वहां पर स्थायी तौर पर एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि जो पूर्ववर्ती समय में वहां पर आगजनी हुई है, उससे श्रमिकों का बचाव किया जा सके। श्रमिक क्षेत्रों में खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में खेल मैदान, स्कूल, फायर बिग्रेड के प्रावधान होते हैं, परंतु वह प्रावधान अभी भी पूर्ण नहीं किये गये हैं। वह भी आपकी विधान सभा है, बिल्हा विधान सभा के अंतर्गत आते हैं। अभी बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सेलर क्षेत्र में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बगैर किसी सड़क के प्रावधान के खोला गया। भगवान जाने किसने उनको ज्ञान दिया कि बगैर किसी एप्रोच के वहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया डेव्हलप कर दिया गया। कोई बात नहीं, वहां सड़क का प्रावधान कर दें। श्रमिकों के बच्चों के लिये कम से कम औद्योगिक क्षेत्रों में स्कूल का प्रावधान है, जगह भी आरक्षित है, परंतु 25 वर्षों में स्कूल नहीं खोला गया है। मैं आपके माध्यम से आपसे भागीरथ प्रयास करने का आग्रह कर रहा हूं कि वहां पर श्रमिकों के बच्चों के लिये एक स्कूल खोल दिया जाये। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय अब मैं उठाने जा रहा हूं कि जो नई डी.एम.एफ. की पालिसी आई है, उससे बहुत सारे जिले डी.एम.एफ. की राशि से वंचित हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सी.एस.आर. का एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनना चाहिए। जिन जिलों में उद्योग तो है लेकिन डी.एम.एफ. के प्रावधान नहीं हैं, उन जिलों को विकास की संभावनाओं के साथ जोड़कर वहां पर सी.एस.आर. की राशि दी जा सके और वह सी.एस.आर. की राशि से जनकल्याण के काम हो सके इसलिए राज्य स्तर पर एक सी.एस.आर. का प्राधिकरण बनना चाहिए। ताकि जो केन्द्र आधारित और राज्य आधारित उद्योग हैं, वह सी.एस.आर. के पैसे का स्वार्थपूर्ण बंटवारा न कर सकें, उस पर सरकार का नियंत्रण हो और उस राशि का समुचित रूप से उपयोग हो सके। मैं आपके माध्यम से एक विषय आबकारी का भी उठाना चाहता हूं कि चखना सेंटर की नीति बनी है लेकिन उसको संशोधित करने की आवश्यकता है। चखना सेंटर में आपने टेंडर दिया, वह कहां खोल रहा है, किसी को कोई दस्तावेजी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। शासकीय जमीन पर कब्जा करके, निजी स्वामित्व की जमीन पर कब्जा करके, स्कूल, अस्पताल के बगल में कहीं भी खोलेगा। टेंडर में कहीं पर प्रावधान नहीं है। आप टेंडर दे रहे हैं लेकिन कहां खोलेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विसंगतियां पैदा हो रही हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मुख्य मार्गों से शराब दुकानों को

हटाकर अंदर की तरफ करें। शासन को कोई व्यापार में लाभ या नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे मुख्य मार्ग से हटेंगी तो समाज की व्यवस्था सुधरेगी, जो आज शराब दुकानों के नाम पर मुख्य मार्ग को जाम कर देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में अपने चहेतों के निजी स्थानों को शराब दुकान खोलने के नाम पर जो किराये के तहत उपलब्ध करा दिया गया है, इससे सरकार को राजस्व का नुकसान है। शासन शासकीय स्थानों को चिन्हित करते हुए शासकीय तौर पर निर्मित करके शराब दुकानों की स्थापना करे जिससे शासन को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि माननीय लखन लाल देवांगन जी हमारे इस विषय को गंभीरता से सुनते हुए आज इस विषय पर अपना सकारात्मक पक्ष और निर्णय देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही अच्छे मंत्री जी हैं और इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो बस एक छोटा सा आग्रह करने के लिये उठा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उसलापुर वार्ड नंबर 3 है जो नगर निगम में आता है। वहां की मातायें, बहनें मेरे पास आई थीं तो मैंने एक पत्र लिखा था कि वहां की अभी जो वर्तमान शराब दुकान है, उसको हटाकर कहीं अन्यत्र कर दिया जाये। तो मेरे को लिखित में एक पत्र में जवाब आया है कि वह 100 मीटर की दूरी में है, वह बहुत पुराना है, वहां इतने रुपये की बिक्री होती है, वगैरह-वगैरह, कुल मिलाकर हटने की संभावना दिख नहीं रही है। मैं बड़ी उम्मीद से आपसे आग्रह करूंगा कि जिस समय में वो शराब दुकान वहां खुली रही होगी तब वो जंगल था। अभी वहां आबादी बस गई है तो उसको थोड़ा हटाकर आजू-बाजू कर दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- जंगल कैसे कट गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- कटा नहीं, मतलब जंगल सरीखे उजाड़ पड़ा हुआ था। वहां कहां जंगल है। वहां तो हम जंगल देखने को तरस गये हैं। पर छोटे झाड़, बडे झाड़ का जंगल तो है जहां एक तिनका भी नहीं है। माननीय मंत्री जी मैं यह चाहता हूं कि उसको हटा दीजिये। बिक्री में कोई फर्क नहीं पडेगा। आप उसको गंगा, यमुना के बोट में भी दारू दुकान खोल देंगे तो वहां भी खरीदने वाले लोग पहुंच जायेंगे। दारू बिके, दारू की दुकान रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे पर्सनल इंट्रेस्ट में उसमें थोडा ध्यान दीजियेगा। आप कोशिश करियेगा और अगर वह कहीं आजू-बाजू शिफ्ट हो सके तो करा दीजियेगा ताकि वहां की माताओं, बहनों का जीवन शांतिपूर्वक तरीके से रहे। वहां बहुत अशांति तो रहती है । वह बाहर है और वहां पर बहुत सारी कॉलोनियां बस गयी हैं तो उन लोगों को अब थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको उसीलिये हटवाईये । अब शराब की दुकान नहीं खुलेगी तो हमारा आवक कहां से होगा । मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी माताओं-बहनों की भावनाओं का सम्मान

करेंगे । कोशिश करके अगर हो सके तो उसको हटवा दीजिये, अप्रेल से नयी दुकान लगनी है तो अभी आपके पास एक महीने का टाईम है, उसका ख्याल रखियेगा । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट । कुछ बातों को सुशांत जी ने उठाया है । एक सेक्टर-डी वाला, फोर वाला मामला है । अब उसमें रास्ता भी खत्म हो गया है, तिफरा का और इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, आप एक-बार उसकी समीक्षा कर लें नहीं तो आपकी जमीन लोग कब्जा कर लेंगे । दूसरी बात, एक श्रमिकों के लिये जो अस्पताल बनना है, आपने पत्र लिखा है, जमीन का एलॉटमेंट हो गया है, जितना जल्दी हो सके, आप उसकी शुरूआत कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, वह आपके ध्यान के लिये है ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- मांग संख्या-7 के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो बात रखी गयी उसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बजट में मांग संख्या-7, जो 3 विभागों, वाणिज्य कर (जी.एस.टी.), वाणिज्य कर (पंजीयन एव मुद्रांक) तथा वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग से संबंधित है । इसकी राशि एक साथ सम्मिलित है । चूंकि तीनों विभागों की राशि की मांग संख्या - 7 में समग्र रूप में राशि होने के कारण अलग-अलग विभागवार राशि को स्वीकृति हेतु रखा जाना संभव नहीं है । इसलिये कल दिनांक 11.03.2026 को माननीय वित्तमंत्री के विभागों के साथ मांग संख्या-7 की राशि को भी स्वीकृति हेतु रखा गया था । पूर्व में पंचम विधानसभा में तीनों विभाग, 3 अलग-अलग मंत्रियों के पास होने के कारण उस समय भी यह प्रक्रिया अपनायी गयी थी एवं पूर्व में भी तत्संबंधी व्यवस्था सभा में दी जा चुकी है । माननीय मंत्री जी ।

वित्तीय वर्ष 2026 - 2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से पहले थोड़ा सा जैसे पिछली बार आप कुछ मौका दिये थे ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- ता ले न कर गा ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां उद्योग में एन.टी.पी.सी. सीपत है, मैं कई मर्तबे ध्यानाकर्षण लगा चुका हूं, आज तक वहां के राखड़ का जो ओवरलोडिंग है और जो धूल-धक्कड़ उड़ रहा है, लोग जहर पी रहे हैं, इसके बारे में आज तक निराकरण नहीं हुआ है इसलिये निवेदन है कि वहां वह हो जाये और मेरी एक और मांग है कि इसी में पचपेड़ी और भरचौरा । माननीय मंत्री जी, पचपेड़ी और भरचौरा में मात्र 2 किलोमीटर का अंतर है, लगभग ढ़ाई । दोनों जगह नयी भट्ठी खोली

गयी है तो भरचौरा वालों की मांग है कि रोड ऊपर है, वहां पर रहने वाली माताएं-बहनें, छात्र-छात्रायें वहां आना-जाना नहीं कर पा रहे हैं इसलिये उस जगह को थोड़ा चेंज किया जाये, यह मेरी मांग है और कई मांग तो है लेकिन एन.टी.पी.सी. का जो राखड़ का मामला है, मैं लगातार 2 साल से ध्यानाकर्षित कर रहा हूं आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ है, कृपा करके इसको ध्यान दें और ओवरलोडिंग न चले और धूल-धक्कड़ कैसे कम हो, सीवरेज है, वहां के भू-स्थापित लोगों को नौकरी भी नहीं मिली है, अनेक प्रकार की समस्याएं एन.टी.पी.सी. में है और जहां पर आपका और दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है ।

सभापति महोदय :- बात आ गयी न, आपने बता दिया न । एन.टी.पी.सी. का हो गया ।

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- एक मिनट, वह रामकुमार जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, न तो इन्हें एक्साईज से मतलब है, न उद्योग से, सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम-लट्ठा । तोला इहां काबर बहस करना हे ।

श्री रामकुमार यादव - माननीय सभापति महोदय, आज ही मोर क्षेत्र में एक वेदांता कंपनी है । वहां के मजदूर मन 11 बजे तक आंदोलन करिन और ओमन के मांग रहिस हे कि हमन ला 12 घंटे तक काम लिये जाथे तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ला कहना चाहत हंओं कि हमन के पुरखा मन जब गरूआ-बछरू बर नांगर ला फांदय तो 3 घंटा के बाद मा आराम दिये जाये लेकिन आज गरूआ-बछरू से भी ज्यादा इंसान ला दोहन किये जात हे, बेरोजगारी के फायदा उठाते हुए । काबर कोई बेरोजगार आवाज उठाथे तो अन्य कोई ला खड़ा कर लेथे ता मोर आपसे निवेदन हे ।

सभापति महोदय :- आपने ध्यान दे दिया। उसमें भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री रामकुमार यादव(चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। ओ मन ला 20 तारीख तक समय दे हे तो अधिकारी मन भी सुनत हे और दूसरा मोर क्षेत्र में जतका पावर प्लांट वाला हे, गाड़ी ला डहकाथे। आये दिन दुर्घटना हो जथे तो आप इहां अइसे कानून बना देवा कि कोई गरीब के लईका भी मरए तभो ओकर सम्मान हो अउ आप जैसे बड़े हमर नेता घर के लईका मन के साथ कहीं कुछ दुर्घटना घटए तो सबके एक ठन भाव हो। ए नहीं कि गरीब के लईका ला कुछ अलग अउ अमीर के लइका ला कुछ अलग हो। मोर आपसे और मंत्री जी से निवेदन हे कि 20 तारीख से पहिली जो वेदांता के मजदूर हे, ओमन के 8 घण्टा हो जाये।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि बेमेतरा में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। चाहे वह होटल में हो, चाहे गांव में हो, मैंने कई बार माननीय मंत्री जी के यहां शिकायत की और हमारे यहां के मुख्य अधिकारी को भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी नाम मात्र कार्यवाही होती है मेरा यह निवेदन है कि वहां अच्छे ढ़ंग से कार्यवाही हो जाये, ताकि इसमें नियंत्रण हो सके।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र में शराब भट्टी खुली है, वह भी शहर के बीचों-बीच खुला है । उसके सामने मंदिर है और पीछे स्कूल है वह ऐसा एरिया में खुला है कि वहां की महिलाएं परेशान हैं मैं यह चाहती हूँ कि भानुप्रतापपुर में उसको कहीं और अन्यत्र हटाया जाये।

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन):- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे वाणिज्य उद्योग, श्रम और आबकारी विभाग का एक ही हेड होने के कारण, कल उसका बजट प्रस्ताव हो गया है। बाकी मेरा विभाग होने के कारण कुछ-कुछ विषय उनका भी आया है। आज इस बजट की अनुदान मांगों में सम्मानीय अटल श्रीवास्तव जी, सम्माननीय अनुज शर्मा जी, सम्माननीय इन्द्रशाह मण्डावी जी, सम्माननीय सुशान्त शुक्ला जी, सम्माननीय धर्मजीत सिंह जी, सम्माननीय दिलीप लहरिया जी, सम्माननीय रामकुमार यादव जी, सम्माननीय दीपेश साहू जी, सम्माननीय बहन सावित्री मनोज मण्डावी जी ने भाग लिया है। अपने-अपने सुझाव दिये, उनके बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं। निश्चित तौर पर जो विभाग से संभव हो सकता है हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे और जिस तरह से माननीय अजय चन्द्राकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने यह पहले ही कहा है कि श्रम और उद्योग एक हैं निश्चित तौर पर श्रम और उद्योग एक तरह से जुड़वा भाई भी है। एक तरफ उद्योग के माध्यम से प्रदेश का विकास भी आगे बढ़ता है। उद्योग में निवेश आते हैं तो प्रदेश विकसित होता है और हमारे छत्तीसगढ़ में जितने ज्यादा निवेश आएंगे, उद्योग खुलेंगे उतने ही ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े-लिखे नवजवान भाई, मजदूर साथियों को रोजगार का अवसर प्रदान होता है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी नई उद्योग नीति वर्ष 2024 लागू हुई और उस उद्योग नीति के माध्यम से हम लोगों ने अभी तक 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुका है, हमें केवल निवेश का प्रस्ताव ही नहीं मिला है, यहां काम भी प्रारंभ हो गये हैं। इन सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में 140 से अधिक निवेशकों को इंविटेशन टू इंवेस्ट जारी किया गया है राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील,पॉवर, सेमीकन्टक्टर, टेक्सटाईल्स, आई.टी. बी.पी.ओ. तथा क्लिन एनर्जी जैसे विविध और भरते हुए क्षेत्रों के निवेश में शामिल हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति की अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नया रायपुर में देश का प्रथम ए.आई. डाटा सेन्टर एस.ई.जेड. स्थापित किया जा रहा है । जो राज्य को नई तकनीकी अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसके अतिरिक्त राज्य में सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भी लगभग 11000 करोड़ रूपए के निवेश के प्रस्ताव हुए हैं, जिन पर वर्तमान में स्थापना की प्रक्रिया चल रही है ।

सभापति महोदय, नीति लागू होने के पश्चात् एक वर्ष में 951 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसके द्वारा 8 हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है एवं हमारी सरकार आने के बाद लगभग 45 हजार से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए हैं । इस तरह से बहुत सारे उद्योगों में हमारा काम आगे बढ़ रहा है । चाहे उद्योग विभाग के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन में सुधार किए गए हैं । औद्योगिक भूमि आवंटन अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन ई निविदा के माध्यम से किया जा रहा है । इससे सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है ।

माननीय सभापति महोदय, शासकीय क्रय में पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम को संशोधित कर और पारदर्शी बनाया गया है । अब क्रेता और प्रतिस्पर्धा को कम करने वाली अतिरिक्त शर्तों की निविदा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा । राज्य की महिला अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की सुरक्षा निधि में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी । प्रथम बार औद्योगिक विकास नीति के सामाजिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है । राज्य में टाप ट्रेनिंग के निजी शिक्षण संस्थान्, विदेशी विश्वविद्यालय, दूरस्थ क्षेत्रों में निजी सीबीएसई विद्यालय एवं मल्टीप्लेक्सयुक्त मिनी मॉल की स्थापना पर भी नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, बस्तर से सरगुजा में 23 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में पार्कों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना है । राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास हेतु प्रतिबंध एवं विषय में तेजी से बढ़ रही है । उद्योगों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं जीवन को सरल दृष्टि से बिलासपुर में दो कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिसके लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है । निजी भूमि औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अधोसंरचना लागत 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान औद्योगिक नीति में किया गया है । इससे राज्य के औद्योगिक विकास में अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा ।

सभापति महोदय, राज्य में स्टार्टअप के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा पहली बार एक पृथक स्टार्ट-अप नीति लागू है । नई नीति के अंतर्गत स्टार्ट-अप के साथ नवीन इन्क्यूवेशन केन्द्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्टार्ट-अप मिशन के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है । उद्यमियों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से भारत सरकार की रैम्प योजना के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. उद्यमी हेतु विभिन्न सेक्टर में कुल 500 से अधिक कार्यशाला आयोजित की गई हैं, जिसमें 10 हजार से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं । इसमें लगभग 7 हजार महिला उद्यमी हैं । राज्य के उद्योग के सुगम वातावरण तैयार करने हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है एवं लगातार सुधार कर रही है । निवेशकों की

सुविधाओं के लिए नवीन सिंगल विंडो सिस्टम जुलाई में लांच किया गया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य जन विश्वास अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य बना तथा ई.ओ.डी.बी. की रैंकिंग में 4 श्रेणियों में टॉप अचीवर बना है। राज्य में पी.एम. गति शक्ति कार्यान्वयन में भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपना स्थान स्थापित किया है, जहां राज्य मास्टर प्लान पोर्टल पर 28 उन्नत टूल विकसित किए हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य शासन द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु भी आवश्यक कदम उठाए हैं। शासन के प्रयासों से राज्य में अपेडा का क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हुआ है एवं डी.जी.एफ.टी. कार्यालय स्थापनाधीन है। विगत 2 वर्षों में राज्य से निर्यात में 8.5% वार्षिक वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट संतुलित, दूरदर्शी, औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने वाला है। इससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित स्थापित होंगे, निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जल्दी करना है, करके निर्देश भी हुआ है, मुख्य-मुख्य बातों को मैं बता देता हू। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो बड़े-बड़े विद्यालय हैं, उसमें हमारे श्रमिक के प्रथम वर्ष में 96 बच्चों को दाखिला कराया है, जिसका श्रम विभाग के माध्यम से उसका खर्चा वहन किया जा रहा है। जिन बच्चों को दाखिला कराया गया, उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास में बुलाकर उनके साथ भोजन किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले वित्तीय वर्ष में 200 बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में शामिल करने की घोषणा की। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि अगले साल 200 हमारे श्रमिक के बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे। (मेजों की थपथपाहट) उसी तरह से हमारे शासकीय स्कूल में मेरिट स्थान पर जो बच्चे आए हैं, उसमें से पंजीकृत श्रमिक हरवती यादव के पुत्र नमन कुमार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आए हैं। सीता चंद्रा की पुत्री मेघा चंद्रा का पूरे राज्य में पांचवा स्थान आया है और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि दो वर्षों में कक्षा दसवीं के 42, कक्षा बारहवीं के 8 श्रमिक के बच्चों ने मेरिट टॉप-10 स्थान पाया है। यह मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बच्चों को उनकी उपलब्धि के लिए 2-2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से वितरण कराया गया है, जिसमें 1 करोड़ रूपये उनको सहयोग राशि प्रदान की गई है। उसी तरह से माननीय सभापति महोदय, प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो श्रमिक के खाते में हम लोग अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसमें प्रतिदिन के औसतन 1 करोड़ रूपये से अधिक राशि एक दिन में उनके खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसी तरह से हमारे श्रमिकों को योजना के विगत दो वर्षों में 47 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया है। प्रतिदिन औसतन 6300 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक श्रमिक को आवास एक आवास, विगत दो वर्ष में

760 निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास क्रय-आवास निर्माण हेतु 1 लाख रूपये की अनुदान सहायता राशि अर्थात् कुल 7 करोड़ 60 लाख रूपये प्रदान किया गया है, आवास बनाने के लिए जो पंजीकृत श्रमिक हैं। उसी तरह से प्रतिदिन औसत 1600 नवीन पंजीयन कार्ड प्रतिदिन बन रहे हैं। अभी विगत 2 वर्षों में 11 लाख 60 हजार से अधिक नवीन पंजीकृत अभी श्रमिकों का किया गया है। प्रतिदिन औसतन 8000 श्रमिकों को निःशुल्क भोजन- शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के माध्यम से 38 भोजन केंद्र संचालित हैं, जिसमें विगत 23 लाख से अधिक श्रमिकों ने भोजन प्राप्त किया तथा प्रतिदिन 8000 पंजीकृत श्रमिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। योजनांतर्गत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदाय किया जा रहा है। भविष्य में समस्त जिलों में, जहां पर श्रमिक भाई-बहन काम करते हैं, वहां भोजन केन्द्र खोलने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। उसी तरह से दुर्घटना में घायल मृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता के लिए विभाग का प्रयास है कि श्रमिक अधिनियमों का पालन कठोरता से किया जाए और दुर्घटना को कम किया जाए, फिर भी दुर्भाग्यवश होने वाली दुर्घटनाओं में हमारा प्रयास रहता है कि घायल/मृत श्रमिकों को तुरंत आर्थिक सहायता प्राप्त हो। विगत दो वर्षों में कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में श्रमिक एवं श्रमिकों के आश्रितों को 23 करोड़ 73 लाख रुपये की सहायता राशि कारखाना प्रबंधन से दिलाई गई है तथा 09 श्रमिक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दिलाई गई है। इसी प्रकार श्रमिकों को वर्ष 2025 में न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम अंतर्गत 1984 श्रमिकों को 3 करोड़ 45 लाख रूपये उपादान भुगतान अधिनियम के अंतर्गत 952 प्रकरणों के लिए 37 करोड़ 72 लाख रूपये का भुगतान कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, श्रमिक आवास के संबंध में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पहले हम लोग श्रमिक आवास के लिए 1 लाख रुपया देते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार अब उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। इसी तरह से हमारी बहनों को जो ई-रिक्शा देते हैं, उसके लिए पहले हम लोग 1 लाख रूपये दे रहे थे, उसको भी अब बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, और भी विषय हैं। मैं मुख्य-मुख्य विषय को बता देता हूं क्योंकि मुझे आदेश हुआ है।

सभापति महोदय :- बाकी विषयों को माननीय सदस्यों ने भी रखा है। आप संक्षिप्त में अपनी बात पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आबकारी की भी बातें आई थीं। हालांकि, कल के बजट मांग में वह जुड़ चुका है, बाकी मेरा विभाग होने के कारण मैं सारांश में उसको बताना चाहूंगा। आबकारी विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तथा इलेक्ट्रानिक तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण आबकारी ई-शासन एवं प्रणाली सुधार में उत्कृष्ट योगदान हेतु आबकारी विभाग को सुशासन एवं नवाचार के लिए वर्ष 2025 के

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित को दिया गया है। विभागीय दक्षता बढ़ाने हेतु हमने वित्तीय वर्ष में 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक की भर्ती की है तथा 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभाग ने दुकान स्तर पर कार्यरत कर्मियों को समय पर वेतन मिले व उनके समस्त भुगतान समय पर हो, इसके लिए हमने सेवा सुविधा ऐप ऐप्लीकेशन लागू किया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, ड्रोन वाला प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। कोई खेत में, कोई खलिहान में, कोई नदी को ड्रोन से देखते हैं। पुलिस वालों को यह पावर देंगे तो फिर 11 हजार करोड़ कैसे होगा? लोग पिएंगे नहीं तो 11 हजार करोड़ कहां से आएगा? आप ड्रोन को थोड़ा रुकवाइये, बाकी आप छापा-वापा मारवाइये, जो अवैध बेचे हैं, उसको आप जो चाहो करिये, लेकिन यह ड्रोन में थोड़ा कंट्रोल कराइये, भाई। (हंसी) आजकल लोग बोलते हैं कि एकाध कोई पागल वह ड्रोन को मार कर गिरा दिया जाता है या कोई फायर-वायर कुछ कर दे। उससे कई प्रकार का लफड़ा का संभावना है।

श्री लखनलाल देवांगन :- ड्रोन कहां चल रहा है, ठाकुर साहब? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई बिलासपुर में ड्रोन चला रहे हैं। आपका विभाग का नहीं बोल रहा हूं। पुलिस विभाग में ड्रोन चलाते हैं। वे ड्रोन से मुजरिम को पकड़ रहे हैं, वहां पहुंच जाते हैं। भाई, हमको पीने वालों के पीने में कोई खलल नहीं डालना है, उनको पीने दीजिए। (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, अब माननीय मंत्री जी पीते है या नहीं पीते हैं, मुझे पता नहीं है । चूँकि विषय आपने उठा दिया है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि-

गालिब शराब पीने दे, मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर
या वो जगह बता दे, जहां पर खुदा न हो (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, वो आपके इसी शेर के मुताबिक वह बेचारा हर उस जगह में पीने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह खलिहान हो, खेत हो, सभी जगह खुदा और भगवान है और वह इबादत कर रहा है । उसे इबादत करने दीजिए ।ड्रोन वगैरह रूकवाईये । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- गालिब का जमाना लद गया । आप अपने जमाने का बात बताओ । (हंसी) माननीय मंत्री जी, गालिब को सुनाने के बजाय अपने जमाने के कुछ सुनायेंगे । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप आसंदी में बैठे थे तो कहानी अधूरी रह गई थी । आप कहोगे तो वह बता सकते हैं ।

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, मैं इसी में कहना चाहूँगा कि-

मोर बोतलिया रे, तोला चइथे छोटे बड़े
तोर मया के दीवाना हे दुनिया

श्री धर्मजीत सिंह :- सही समाजवाद इसी प्रसाद में है । ये-वो, छोटा-बड़ा, सब एक साथ पीते हैं, गांजे का भी एक चिलम बनता है, उसको सब कस मारते हैं । यह समाजवादी व्यवस्था है । इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो अराजकता भी पैदा हो सकती है । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अगर कइहव त..। दारू ला बंद करे बर एक ठन पहली दोहा पारन । अगर आपके इजाजत होही त ।

श्री अजय चन्द्राकर :-यह भगवान की देन है, देवी वारूणी जो है ना, समुद्र मंथन में नौवे नंबर पर निकली है । उसको वास्तव में कहीं पर डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है । जो अवैध चल रहा है ना, उसको अवैध करिये और बिना चिन्ता के नंबर भी बढ़ाईये । सरकार की इंकम बढ़ाईये, इसलिये जहां-कहीं भी आपने बंद करने की तथाकथित कोशिश की है, अवैध दारू छत्तीसगढ़ का स्टार्ट अप बन गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कोई गंगा जल रखकर कसम तो खाये नहीं हो कि दारू बंद करोगे । (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, हालांकि उनका गांव सारागांव है, कोरबा में भी उनका घर है । हम लोग एक ही जगह से आते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है । मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि-

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं

तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति जी, मैं बता रहा था कि हमारे कर्मचारियों को समय पर भुगतान हो, हमने इसके लिये सेवा सुविधा एप्लीकेशन लागू किया है, जिसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं । वर्ष 2024-2025 निर्धारित किये गये 10,500 करोड़ आबकारी राजस्व के लक्ष्य के विरूद्ध 10,135 करोड़ आबकारी का राजस्व अर्जित किया, जो कि इससे पूर्व वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व 8435 करोड़ की तुलना में 20.35 परशेंट अधिक है तथा राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 11 प्रतिशत है । उपायुक्त नीति, विभागीय कार्ययोजना से आबकारी में सुनिश्चित वृद्धि परिलक्षित हुई है, अत: आबकारी विभाग के लिये प्रतिवर्ष 2025-2026 हेतु 12 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 28 फरवरी 2026 तक 9660 करोड़ राजस्व प्राप्ति हो चुका है । कुल राजस्व का प्रतिशत 80.50 प्रतिशत है । विभाग से संबंधित प्रक्रिया, कर संग्रहण, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण हेतु सुदृढ़ आधुनिक तकनीकी व्यवस्था हो, इस हेतु विभाग में सेंट्रल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर डैशबोर्ड स्थापित किया है जिससे सी.सी.टी.वी. के माध्यम से राज्य के शराब बॉटलिंग यूनिट एवं डिस्टिलरिज की निगरानी की जाती है। अगले चरण में इस प्रणाली का विस्तार राज्य के मदिरा वेयरहाऊस/गोदामों तक करने एवं प्रणाली के हार्डवेयर अपडेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग में प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता हेतु नया रायपुर में पृथक से कंपोजिट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कंपोजिट कार्यालय भवन में आबकारी मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, राज्य आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रासायनिक प्रयोगशाला एवं समान प्रांगण

के प्रशिक्षु कर्मचारियों हेतु छात्रावास एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। आबकारी विभाग के कंपोजिट कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 15 करोड़ का प्रावधान है। जिला स्तरीय उड़नदस्ता एवं आबकारी थानों/जांच चौकियों के प्रभावी कार्य संपादन के उद्देश्य से नवीन पदों के सृजन की मांग की गई थी, जिसमें इस वर्ष जिला स्तरीय उड़नदस्ता एवं आबकारी थानों/जांच चौकियों हेतु अतिरिक्त 40 पद सृजन की स्वीकृति बजट में दी गई है। राज्य में आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ आबकारी प्रशिक्षण संस्थान स्थापना के लिए 22 नवीन पद के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। राज्य संग्रहण वृद्धि हेतु विभागीय पदों के सृजन की आवश्यकतानुसार लिपिकीय श्रेणी के 104 नवीन पद एवं 13 वाहन चालक के नवीन पद के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। विभाग का प्रयास है कि आबकारी संबंधी अपराधों में कमी लाये इस हेतु हमने इस वित्तीय वर्ष में 23,600 आपराधिक प्रकरण कायम कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं तथा लगभग 1 लाख लीटर मदिरा व 209 वाहन जब्त भी किये हैं। माननीय सभापति जी, इस तरह से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

चुपके-चुपके रात-दिन आंसू बहाना याद है,

हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। (मेजों की थपथपाहट)

मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विभाग की...।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- नहीं उसके पहले सुन लीजिए, मैं एक की जगह दो बातें जानना चाहता हूं। आबकारी विभाग आपके पास है और उसको वित्त मंत्री जी देख रहे हैं। तो कौन सा पार्ट वित्त मंत्री जी देख रहे हैं और कौन सा पार्ट आप देख रहे हैं, इसका थोड़ा खुलासा कर दीजिए। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। पिछली सरकार में आप लोग हर व्यक्ति यह आरोप लगाते थे कि इतने दारू बने, फर्जी दारू बने, पानी के दारू बने। तो इन दो सालों में, आपके शासनकाल के दो सालों में, कितने डिस्टिलरी पर आप लोगों ने छापे डाले? कुछ काम किया कि सिर्फ आने वाले वर्षों तक चिल्लाते रहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, माननीय नेता जी, पिछली बार का जो आबकारी विभाग देखते थे, उनको कौन देखता था, वह तो सब जानते हैं। उसी आधार पर शायद मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं। मंत्री जी सक्षम हैं और मंत्री जी पूरा आबकारी विभाग वही देख रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- कौन देखते हैं, हमें तो ये भी मालूम है कि अभी कौन देख रहा है। तब का भी मालूम है और अब का भी मालूम है। मैं तो कह रहा हूं कि डिस्टिलरी में क्या छापा मारा? दो साल में आपने छापे मारे? कुछ किया? कुछ नहीं किया।

श्री केदार कश्यप :- लखमा जी इस बात को हर जगह बोलते हैं कि मैं तो मोहरा हूं। आप उसको बुलवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बाजू वाले जैसे देखते थे, उसको सामने लाया जाए।

डॉ. चरणदास महंत :- आप लोगों ने जो हल्ला मचाया था, उसके व्यक्तित्व का असर है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- महंत जी का कहना यह है कि -

जब से मैखाने का निजाम तेरे हाथ आया,

खाली सुराही आयी, न मैं आयी, न जाम आया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एको ठन शायरी हमरो ले सुन लो।

सभापति महोदय :- समय अधिक हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर एक ठन शायरी सुन लो।

श्री केदार कश्यप :- ते दूध-दही में बात करबे न। दारू में कहां बात करबे।

श्री रामकुमार यादव :- आप सुन तो लो। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के भावना के रूप में कहात कि अगर कोई महतारी के बेटा।

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, ते अपन भाषण कर। मोला मत कहा।

श्री रामकुमार यादव :- कोई महतारी के बेटा जब दारू पी के आथे तो ओखर भावना का रहिथे, मैं तेला बतात हो।

श्रीमती भावना बोहरा :- भावना इही मेर हे। भावना कहुं नहीं गे हे, ते अपन बात ला बता। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- हां, ठीक बोलत हो।

श्री लखनलाल देवांगन :- रामकुमार भैया, देख मैं तोला बतात हो कि ते दिन भर दारू-दारू बोलत हस-नशे शराब में होती तो बोतल नाचती। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- लखन भैया, मैं पूरा बतात हो-नशे में कौन नहीं है, यह तो बताओ जरा और नशे शराब में होती तो नाचती बोतल। (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी खड़े हैं।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, मोर शायरी नहीं आ हे। सुनो न।

श्री लखनलाल देवांगन :- मैंने सभी की बात सुन ली है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अभी मोर शायरी कहां होहे?

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, एक अंतिम शायरी के साथ समाप्त कर रहा हूं। लखन भैया के लिए शायरी है क्योंकि वह दिल में बसते हैं। माननीय धरम भैया, मोरो डहार ले एक ठन शायरी हे-

दिल का गमों से रिश्ता क्या है, इश्क का हासिल आसूं क्यों,

और जाने कितना जहर पिलाया, इन बेदर्द सवालों ने,

और राश्ते भर रो-रो के पूछा उन पांवों के छालों ने,

बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, अब मेरी भी शायरी हो जाये।

श्री रामकुमार यादव :- तोर होए नहीं हे।

सभापति महोदय :- आप सभी सहयोग करें।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोलूंगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, आज एक प्रतियोगिता करानी पड़ेगी।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, बिना पीये सब ला नशा चढ़ गे हे का?

श्री दलेश्वर साहू :- सभी को नशा हो गया है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब एक्साइज विभाग पर चर्चा हो रही है तो असर दिख रहा है। थोड़ा होने दीजिये।

सभापति महोदय :- एक मिनट, एक्साइज विभाग की चर्चा का जो समापन कर रहे हैं तो धर्मजीत सिंह जी ने जो बात रख दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर एक अंतिम शायरी हे। भावना जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, ते भावना भर मत बोलबे, ओखर अलावा कुछ भी बोल ले।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, सुन लीजिये। मैं शेरो-शायरी नहीं बोल रहा हूं। आप बोल लेना। पिछली बार के सदन में हम लोग उधर बैठे थे तो इनकी सरकार थी। दादी आबकारी मंत्री थे, जैसे अभी हमारे देवांगन जी हैं तो वहां से कोई प्रश्न पूछा कि शराब असर नहीं कर रहा है, इसका असर समझ में नहीं आता है, इसकी जांच की क्या व्यवस्था है? यह प्रश्न हुआ था। इधर से जवाब नहीं आ रहा था तो मैंने उनको बताया कि इसका बहुत सरल उपाय है कि अगर वह प्योर है तो यदि वह पी लिया तो अंग्रेजी बोलेगा और यदि प्योर नहीं है तो सीधे घर चला जायेगा। कोई मतलब नहीं है। अभी हम सबको अंग्रेजी बोलवा रहे हैं। आपकी सरकार में सब प्योर माल मिल रहा है। आप बढ़िया सेवन करिये और जितना अंग्रेजी बोल सकते हैं कि आइन-जाइन तो सब चलेगा। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समय हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर तो शायरी आएच नहीं हे। मैं तो शुरू करे रहे हव।

सभापति महोदय :- सारे विषय समाप्त हो गये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट में हो जाही। एक सेकण्ड। ता ओ महतारी के भावना का रहिथे।

श्रीमती भावना बोहरा :- फेर भावना। भाई, ते ओ सब ला छोड़ दे। ते ओखर अलावा कुछ अउ बोल दे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मोर भावना में ते आ गेस तो मैं का करो ओला? मोर भावना में ते बार-बार आबे, तेला में का करहूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- नहीं, सदन में लाना ही नहीं हे, तोर भावना ला बाहिर में प्रकट करबे।

श्री रामकुमार यादव :- ओ महतारी कहिथे कि जर जय सरकार तोर मन महुआ, जर जय भाटी सार हो। ओ महिला कहिथे, मोर दाई हा कि तुमन परदेश ला आग लगात हो, जर जय सरकार तोर मन महुआ, जर जय भाटी सार हो अउ नान पन के कुंवर कन्हैया ला कइसन से कोई मतवार हो।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अब समाप्त करें।

श्री दिलीप लहरिया :- सर, मेरे पास अभी पीने वालों की तरफ से मैसेज आया है। (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, इनको चघ रहा है। यह अंग्रेजी बोल रहे है।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि

" मैं थोड़ा पीकर दरियों से जंग करता हूं,
मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है,
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत,
यह एक चिराग आंधियों पर भी भारी है" (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आखिरी में एक पंक्ति मैं भी बोल दूं । (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, दलेश्वर भाई मैदान में आ गये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय,

"काजू भूने प्लेट में,
व्हिस्की गिलास में,
उतरा है रामराज,
विधायक निवास में"

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, अब गालिब से शुरू हुआ था तो गालिब से खत्म करेंगे।

"कहां मयखाने का दरवाजा गालिब
और कहां वाइज
पर इतना जानते हैं
कल वह जाता था कि हम निकले"

सभापति महोदय, थोड़ा बारिक है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय,

"जो डलहौजी ने नहीं कर पाया,

आप वह काम कर देंगे

कमीशन हो तो हिंदुस्तान को बेच देंगे"

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बहुत शेर-ओ-शायरी की बात हुई।

"बहुत मुश्किल है वफा की कहानी लिखना

जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना"

सभापति महोदय, यह इनकी कहानी है। यह अपना इतिहास नहीं लिख पा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन के भावना ला में हर नहीं समझ पाये हव। (हंसी)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- बाकी शेर फॉरेस्ट विभाग के लिए भी रखिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय अटल श्रीवास्तव जी ने विभाग के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। वह अभी नहीं है और समय भी ज्यादा हो चुका है। मैं उन्हें बता दूंगा कि होटल और श्रम एक्ट में क्या नियम है। वह आबकारी की भी चिंता कर रहे थे, बार रेस्टोरेंट का ज्यादा है, उसको भी हम लोगों ने 25 प्रतिशत कम कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, पारित करवाईये। यदि ज्यादा बोलेंगे तो कहीं आप मन ला लग जाही। (हंसी) एकर सेती पारित करवाईये।

श्री लखनलाल देवांगन :- मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह बहुत ही अच्छा विभाग है, इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये। (हंसी)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 11 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार पांच सौ सड़सठ करोड़, छियासी लाख, उन्यासी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 18 श्रम के लिए - दो सौ छप्पन करोड़, नब्बे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. मांग संख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या 35 पुनर्वास
मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय में से निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए- दो हजार दो सौ छः करोड़, दो लाख, सन्तानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए - बीस करोड़, बांसठ लाख, चौंसठ हजार रूपये

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिए - तीन करोड़ रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिये- एक हजार तीन सौ छः करोड़, चौदह लाख, तिरासी हजार रुपये तथा

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये- एक हजार दो सौ बहत्तर करोड, निन्यानबे लाख, दो हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगो पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या -8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित व्यय

1. डॉ. चरण दास महंत 1
2. श्री दलेश्वर साहू 1

मांग संख्या- 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या-35

पुनर्वास

1.	डॉ. चरण दास महंत	1

मांग संख्या-44

उच्च शिक्षा

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्री दिलीप लहरिया	2
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2
5.	श्री जनक ध्रुव	1
6.	श्रीमती चातुरी नंद	3

मांग संख्या-58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त में राहत पर व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

सभापति महोदय :- राजस्व मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा सत्तापक्ष एवं विपक्ष की सहमित से कल दिनांक 13 मार्च 2026 को ली जायेगी। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(रात्रि 8 बजकर 58 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026 (फाल्गुन 22 शक संवत 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गयी)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक :- 12 मार्च, 2026